(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–2 नवम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का अठारहवां दिवस संख्या–13

शुक्रवार

दिनांक 13 जुलाई, 1990

विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती तारा भण्डारी।

**रेवदर पंचायत में आवंटित भूखण्ड प्रकरण**

325. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक स्थानीय पूर्व मंत्री को रेवदर पंचायत में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-खण्ड आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो किन को और भू-आवंटन किस एजेन्सी से किस आधार पर किया ? क्या यह नियम सम्मत था ?

(2) क्या यह सही है कि उन्होंने इस भू-खण्ड को आवासीय के बजाय व्यावसायिक कार्यों में उपयोग लेना शुरू कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**पंचायत राज्य मंत्री** (श्री हरलालसिंह खर्रा) : (1) श्री छोगालाल बाकोलिया पूर्व मंत्री राज्य सरकार को ग्राम पंचायत रेवदर द्वारा 1-1-83 को 2100 वर्ग फुट का पट्टा आवसीय प्रयोजनार्थ दिया गया था। यह पट्टा ग्राम पंचायत रेवदर ने पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत बने सामान्य नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करके जारी किया था अनियमितता यह हुई है कि आवंटी का घोषणा पत्र नहीं लिया गया एवं आवंटी को सीमा से अधिक भूमि आवंटित कर दी गई। (2) इस भू-खण्ड में वर्तमान में तीन दुकानों का व मकान का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार आवासीय एवं व्यावसानिक दोनों उपयोग हो रहे है। राज्य सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि ग्राम पंचायत ने आवासीय निःशुल्क भू-खण्ड पंचायत के आवंटन नियमों के अन्तर्गत किया ? नं. दो, यदि हां तो नियमों के विरूद्ध किये गये इस उक्त आवंटन को क्या राज्य सरकार

(श्रीमती तारा भण्डारी)

निरस्त करने की कार्यवाही करेगी, यदि हां तो कब तक ? नं. 3, क्या सरकार नियमों के विरुद्ध कार्य सम्पादन करने वाली उक्त पंचायत के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री हरलाल सिंह खर्रा** : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आवासीय निशुल्क भूखण्ड में जो माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है, आवंटन करने में नियमों में गलती की हैं। सबसे पहले यह निशुल्क आवंटन भूखण्ड उस व्यक्ति को आवंटित किया जाता है जिसके राजस्थान में उसके व उसके परिवार के रहने के लिये कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं हो। अनुसूचित जाति का हो, लघु कृषक हो, वह तो अलग है लेकिन पहली शर्त यह है कि वह घोषणा पत्र जारी करता है कि उसके पास राजस्थान में कहीं भी रहने के लिये व्यवस्था पूरी नहीं है। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी ने न तो कोई घोषणा पत्र जारी किया, न पंचायत ने उसको लिया और वह भी 150 वर्ग गज का आवंटन किया जाता है। पंचायत ने 150 के बजाय अधिक आवंटन किया, पंचायत ने यह गलती की है....

**श्रीमती तारा भण्डारी** : कितना आवंटन किया ?

**श्री हरलाल सिंह खर्रा** : 2100 वर्ग फुट का आवंटन किया है। इस सम्बन्ध में पहले भी सन् 1986 में विधान सभा में प्रश्न आया था लेकिन पता नहीं क्यों पहले राज्य सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की। मैं माननीय सदस्या को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा व सदन को भी कि इस मामले की जांच शीघ्र ही करवा कर, चाहे भू खण्ड रद्द करना पड़े, चाहे पैसा वसूल करना पड़े जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, सरकार उसमें एक माह के अन्दर अन्दर निर्णय ले लेगी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो नियमों के विरुद्ध आवंटन हुआ और आपने उसमें माना है कि नियमों के विरुद्ध आवंटन हुआ है। घोषणा पत्र उसने जारी नहीं किया है। 150 वर्ग गज की जगह 2100 वर्ग फुट जमीन दी गई है। आवासीय जमीन को व्यवसायिक कर लिया। यानि सारी अनियमितताएं हमारे सामने हैं, जांच हो चुकी है। अब उसके बाद कौन सी जांच बनी है, कौन सी कार्यवाही बनी है। सन् 86 में भी विधान सभा में यह सवाल उठ चुका है। जांच कम्पलीट हो गई है। उसके बाद अब जब सरकार के ध्यान में आया है, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या यह आवंटन रद्द करेंगे ? इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है ? क्या इसके लिये आप कोई कार्यवाही कर एफ.आई.आर. लाज करवायेंगे ? और जिन अधिकारियों ने यह दोष किया है, क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठायेंगे और क्या उठायेंगे ?

**श्री हरलाल सिंह खर्रा :** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही यह निवेदन कर दिया। यह मामला सन 86 में भी उठा था लेकिन 86 से लेकर 90 तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह मामला अब हमारे विभाग के सामने आया है। इसमें पहले कलेक्टर से जांच जरूर करवाई गई थी लेकिन कलेक्टर ने उस अधिक भूमि को रेगुलराईज करने और पैसा वसूल करने की राय दी थी जिससे मैं सहमत नहीं था। इसमें अब मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें सही जांच करवा कर उचित कार्यवाही की जायेगी।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, श्री मांगीलाल।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** क्या यह सही है कि श्री छोगालाल बांकोलिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया है? कलेक्टर को भी यह अधिकार नहीं है कि नियमों के विरुद्ध कार्यवाही हो।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बिराजें, वह जांच करवा रहे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** क्या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है?

**श्री अध्यक्ष :** जांच करा लेंगे तो मालूम पड़ेगा। बिराजिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अब तक कार्यवाही नहीं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

**श्री हरलाल सिंह खर्रा :** दुरुपयोग किया है वह तो मैंने निवेदन कर ही दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो पूर्व राज्य सरकार ने जांच करवाई थी उसने जो कलेक्टर ने राय दी है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं इसमें सही जांच करवा कर उचित कार्यवाही करूंगा।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। राज्य सरकार के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि यह नियमों के विरुद्ध किया गया है। आवासीय को व्यवसायिक कार्य में लिया गया, भूमि भी अधिक दी गई, सारे तथ्य जब सामने आ चुके हैं तो हमने कार्यवाही करने में क्या दुविधा है। सदन को यह आश्वस्त किया जाये कि कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये आप। आप पहले कह चुके कि पहले जांच हुई है, इससे वह सन्तुष्ट नहीं हैं दुबारा करवायेंगे।

श्री मांगीलाल जी।

**बूंदी में स्काउट एवं ट्राईजम योजना**

326. **श्री मांगी लाल मेघवाल** (पाटन), **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में स्काईट एवं ट्राईजम योजना के तहत वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया?

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र उक्त जिले में कहां कहां पर किस किस किस्म के चलाये गये? प्रत्येक केन्द्र से कितने कितने प्रशिक्षणार्थियों को कितने समय में लिए

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

प्रशिक्षण दिया गया एवं केन्द्रवार कितनी कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को अनुदान के तौर पर मशीनें एवं अन्य सामान दिया गया ? यदि हां, तो केन्द्रवार कितना कितना एवं इन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

**विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पतराम)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके स्थगन का अनुरोध किया है । प्रश्न अपने आप में बहुत सीधा सादा और बहुत सिम्पल है लेकिन माननीय सदस्य ने पहले भी यह प्रश्न उठाया था उस वक्त सरकार ने कुछ फिगर्स दीं थीं अब जो फिगर्स आये वह अलग आये इसलिये मैं इसकी जांच कर रहा हूं ताकि सदन को सही जानकारी दे सकूं ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

**श्री अध्यक्ष** : आपको क्या बोलना है । निर्णय तो मुझे करना या आपको करना है ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : मैं निवेदन तो कर दूं....

**श्री अध्यक्ष** : कर दिया । आप बिराजे ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : यह विशिष्ट योजना संगठन का मेरा दूसरा प्रश्न स्थगित किया जा रहा है एक लिखित प्रश्न स्थगित किया है । बूंदी जिले के डी. आर. डी. ए. में भारी भ्रष्टाचार है और प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । अभी माननीय मंत्री महोदय स्वयं कह रहे थे कि भारी अन्तर है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है । आप प्राथमिकता से इस प्रश्न को दुबारा लगवाये ।

**श्री अध्यक्ष** : इसी की जांच कर रहे हैं । आप बैंठे । श्री गुलाब सिंह

श्री रामसिंह विश्नोई

**एक माननीय सदस्य** : मंत्री जी यह स्वयं अनुभव कर रहे हैं तो क्या वह शीघ्र कार्यवाही करेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अगर इसमें किसी प्रकार की बिना तैयारी के जवाब दे दिया गया तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा । जांच कर रहे हैं । इसीलिये पूरी जांच कर रहे है ।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी तो आपकी मदद कर रहे हैं वह जांच कर रहे हैं नैक्स्ट ।

## स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 जुलाई, 1990)

## जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में अनियमिततायें

131. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब सिंह)

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के तहत हुए कार्यों में व्यापक अनियमिततायें एवं घपले बाजी हुई ? यदि हां, तो अब तक किन किन पंचायत समितियों में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या इन कार्यों में हुई अनियमितताओ की जांच सरकार के विचाराधीन है ?

(3) यदि हां तो इनमें दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की जा रही है ?

(4) जवाहर रोजगार योजना कब प्रारम्भ हुई और इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कितनी धन राशि आवंटित की ? मार्च 1990 तक इस धनराशि में से कितने का उपयोग किया जा चुका है ?

(5) क्या यह सही है कि जिन ग्राम पंचायतों ने जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया उन्हें अन्तिम (चतुर्थ) किश्त नहीं दी गई है ? यदि हां, तो राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायते हैं जिन्होने अन्तिम (चतुर्थ) किश्त नहीं उठाई है ? जिन जिन सरपंचों ने जवाहर रोजगार योजना की राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सम्पतराम)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं क्योंकि यह स्थगित हो गया था लेकिन इसके साथ भी सरकार न्याय नहीं कर सकी क्योंकि राजस्थान की इस समय जो हालत है उसके मुताबिक हम आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते थे लेकिन जो सूचना मेरे पास है वह मैं सदन को दे रहा हूं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : फिर जो मुख्य मंत्री जी ने कहा उससे गड़बड़ और बढ़ेगी।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित कर दें ?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : नेता महोदय ने जो कुछ कहा....

**श्री अध्यक्ष** : आप कहें तो स्थगित कर दूं, जवाब आ जायेगा। मान गया, पूरी जांच कर लें वो। पूरे समाचार मंगा ले स्थगित कर देता हूं प्रश्न स्थगित किया गया।

**श्री सम्पत राम** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, स्थगित करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं जवाब दूंगा 7,350 के करीब पंचायते हैं। उनमें कहां-कहां घोटाला हुआ, कहां-कहां गड़बड़ी हुई। यह आप स्वयं ही सोच लीजिये उसकी जांच करना अपने आप में कितना कठिन होगा और उसमें कितना गवर्नमेंट का खर्चा होगा। उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछे तो वह लाभ भी होगा और मैं उसकी सूचना आपको दे भी सकूंगा और अब तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जोधपुर के सारे जिले में बाढ़ आई हुई है, वहां से फीगर्स लेना किसी भी प्रकार से सम्भव

(श्री सम्पतराम)

नहीं हो सकता। दो तारीख से वहां पर बाढ़ आ गई थी।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें। माननीय सदस्य क्या पूछना चाहेंगे कि....आप जवाब सुन ले, जो भी इसका आया। आप जवाब दे दीजिये।

**श्री सम्पतराम :** (विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री) : चलो आप कुछ भी समझ लें। आप पण्डित है, जो अर्थ लगाओ, वही मान्य होगा।

**विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री** (श्री सम्पतराम) :

1. जवाहर रोजगार योजना के सम्बन्ध में कुछ पंचायत समितियों में अनियमितताएं की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. शिकायतों की जांच करवाई जा रही है।

3. जांच परिणाम आने पर दोषी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

4. जवाहर रोजगार योजना अप्रेल 1989 से प्रारम्भ हुई।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार से कुल रूपये 125.94 करोड़ धनराशि आवंटित की, जिसमें से रूपये 96.92 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई। मार्च 1990 तक कुल रूपये 106.49 करोड़ उपयोग किया गया, जिसमें से रूपये 92.63 करोड़ पंचायतों द्वारा उपयोग किया गया। 5.58 पंचायतों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, द्वारा पूर्व में हस्तान्तरित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं करने से अन्तिम किश्त नहीं दी गई। जिन सरपंचों ने जवाहर रोजगार योजना का सही ढंग से उपयोग नहीं किया। जांच से प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट I देखें)

**श्री राम किशन** (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न काल में व्यवस्था का सवाल नहीं है।

**श्री रामकिशन :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां जर्दा खा रहे हैं और रेडियो पर यह आता है जहर खा रहे हैं। मुझे यह खतरा है कहीं यह जहर नहीं हो तो क्या खा रहे है? मुझे बता दे और इस तरह की सदन की परम्परा है अब सदन के सभी सदस्य खाते हैं इनकी देखा-देखी। इसलिए इनको रोका जाय।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्यमंत्री) : जर्दा खाने पर तो आपत्ति कर दी लेकिन जो मीठी गोलियां लाये हैं, वे खाते हैं, यह आपत्ति जनक नहीं है क्या?

**एक माननीय सदस्य** : यह मांग भी खाते हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (चिकित्सा मंत्री) : इससे वजन बढ़ता है और यह बड़ी घातक है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब यह क्या खाते है और क्या नहीं खाते है ? यह क्यों बता रहे हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : हम जनता दल के विधायक तोही खा रहे हैं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : पंचायतों को करीब 125/126 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जब आवंटित किये गये तो उनमें केवल 92 करोड़ रुपये ही पंचायतों को क्यों दिये गये शेष 30 करोड़ रुपये की राशि आपने किस मद में खर्च की ? एक तो इसका स्पष्टीकरण करें और दूसरा, क्या यह सही है कि रोजगार योजना की राशि पंचायतों को दी जा रही है। उसमें पंचायत समितियों का कोई इन्वाल्वमेन्ट नहीं है। यह डाइरेक्ट जिला परिषदों से दी जा रही है। इससे इसका कन्ट्रोल नहीं है और कितना रुपया खर्च हुआ, किस मद में हुआ, क्या हुआ यह कन्ट्रोल पंचायत समितियों का नहीं होने से इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी आप जांच करायें और इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तीसरा मेरा प्रश्न यह था कि मेटेरियल कम्पोनेन्ट और लेबर कम्पोनेन्ट में जो 60 और 40 का रेशो है, बाजार के अन्दर पत्थर है, चूना है, सीमेन्ट है, इनके भाव इतने ज्यादा बढ़ गये हैं, दुगुने-तिगुने हो गये हैं इसलिए ऐसी स्थिति में क्या आप उचित समझते हैं कि मेटेरियल कम्पोनेन्ट और लेबर कम्पोनेन्ट में अन्तर का जो अनुपात है, इसको वापस जांच कर सही किया जावे।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह सदन को स्पष्ट सूचना देना चाहता हूं कि यह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है। इसकी योजना सारी की सारी केन्द्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जिला परिषद् की तो इसमें कोई दखलंदाजी नहीं हैं। डा. आर. डी. ए. का है और नीचे पंचयात समिति है, उससे नीचे पंचायते हैं। सारे कार्यक्रम के अन्दर पंचायतों को ही ज्यादा पावर दी गई है और चाहते थे कि पंचायतें मजबूत हो और अपने स्तर पर ठीक तरीके से जो काम करना चाहिये, वह कर ले। वहां पर जिन कामों का सलेक्शन वह करें उनमें मेटेरियल कम्पोनेन्ट और लेबर कम्पोनेट का रेशो 40 और 60 का है 60 प्रतिशत पैसा मजदूरों के पास जाना चाहिये और 40 प्रतिशत मैटेरियल कम्पोनेन्ट है क्योंकि योजना का मैन उद्देश्य यही है कि गांवों में जिनको रोजगार नहीं है, या पार्टली जिनके पास रोजगार है, पार्टली नहीं हैं उन लोगों को रोजगार देने के लिए ही स्कीम बनाई गई है इसलिए स्टेट लेबल पर यह उम्मीद की जाय कि इस योजना में नीतिगत प्रश्नों को चेंज किया जा सकेगा तो यह सम्भव नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री इन्दलिया।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह सही

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

है कि यह जवाहर रोजगार योजना जो है यह हमारा वही शब्द अन्त्योदय है या अलग है। नम्बर दो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस जवाहर रोजगार योजना का नाम वापस सरकार अन्त्योदय कर रही है ? अन्त्योदय नाम बुरा है, इसलिए राज्य सरकार विचार रखती है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य बिराजें।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : ये नकल करते हैं नाम का, दुरुपयोग भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना ...

**एक माननीय सदस्य** : काम से मतलब रखो, नाम में क्या लेना-देना है।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : ...की जितनी राज्य में धनराशि राज्य सरकार की हैं, चाहे केन्द्र सरकार ने दी है, उसको फेमिन फण्ड में भी खर्च किया गया है ?

**श्री सम्पतराम** : पहला प्रश्न माननीय सदस्य का यह था कि उस समय जो सरकार ने योजना चलाई थी, गरीबों के लिए उस योजना को और इस योजना को मिलाया जाय तो इन दोनों में बहुत फर्क है। वह गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी आदर्श योजना बनाई गई थी जो सारे देश में अनुकरणीय है। यह केन्द्र ने अपने आप बनाई है, हमारी राज्य सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं है और यह जवाहर रोजगार योजना कोई भी काम होता है तो फेमिन में राज्य सरकार काम करती है तो उसको भी सप्लीमेन्ट करती है क्योंकि इसमें मजदूर तो लगता है, काम-काज भी निकलता है और यह इरिगेशन फेसीलिटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जावे गरीब तबके में इसके ऊपर ज्यादातर केन्द्रित होती है और दूसरे काम भी लिये जाते हैं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : क्या यह सही है कि अभी तक केन्द्र सरकार से जो धन राशि पुनः आवंटित होनी चाहिये थी, वह अभी तक नहीं हुई है। वापिस होने का कोई इरादा भी है या नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या ओपीनियन है ?

**श्री सम्पतराम** : मेरी ओपिनियन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।
**It is a question of fact.** राज्य सरकार के पास जो पैसा केन्द्र सरकार से आता है, उसमें कुछ राज्य सरकार का हिस्सा होता है, कुछ....

**श्री रामसिंह विश्नोई** : जुलाई का महीना चल रहा है, अप्रेल में यह अलॉट होना चाहिये था, अभी तक हुआ नहीं है। 4 महिने हो गये, इसलिए मेरा मतलब यह था कि क्या केन्द्र सरकार वापिस इस योजना को लागू करना चाहती है, या नहीं करना चाहती है ?

**श्री सम्पतराम** : शत-प्रतिशत लागू करना चाहती है, कुछ रूपया आ गया और कुछ रूपया मंगा लिया जावेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**रामसर थाना (जैसलमेर) में दर्ज एफ. आई आर. सं, 35/88**

327. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर), **श्री हरिसिंह** (महुआ), **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी), **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़), **श्रीमती रमा पायलट** (हिंडोली), **श्री हबीब रहमान** (मुण्डवा) **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर), **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) व **श्रीसुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या मुख्य (गृह) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुंसिफ एवं दण्डनायक, बाड़मेर के यहां इस्तगासा 1988 में पेश हुआ था, जो दण्ड प्रक्रिया की धारा 156 (3) के अन्तर्गत थाना रामसर, जिला बाड़मेर में एफ. आई. आर. नं. 35/88 अन्तर्गत धारा 302, 323, 326, 302 आदि दर्ज हुआ ?

(2) यदि हां तो इस मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही की गई यथा चालान पेश हुआ अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ?

(3) यदि मुकदमें की तफतीश अभी भी लम्बित है, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार तफतीशमें विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री** (श्री सम्पत राम) :

(1) जी हां।

(2) उक्त प्रकरण अभी अनुसंधानाधिन है।

(3) अभियोग की तफतीश अभी भी लम्बित है। सम्बन्धित गवाहान से पूछताछ करने, रिकार्ड प्राप्त करने में व अनुसंधान अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण समय लगा है।

(4) अभियोग के अनुसंधान में अकारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

**श्री नाथूराम अहारी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मृतक जलाल को 27-9-88 से लगा कर 23-10-88 यानि 27 दिन उसकी मृत्यु तक वह पुलिस हिरासत में था। क्या यह सही है कि 27 दिन की यातना देने और पूछताछ में पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री हरिसिंह। (अनुपस्थित)। यही सवाल आएगा। आप पढ़ते तो है नहीं 300 धारा में केस दर्ज हुआ है वह इसीलिए हुआ है कि मरा हुआ है। श्री पूनमचंद विश्नोई। मैं एक एक का नाम पुकार रहा हूं। डा. हरिसिंह है नहीं, आप पूछिये। आप क्यों उठ रहे हैं। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। हरिसिंह जी का पुकारा है। जल्दी क्यों कर रहे हैं ? दस नाम है, सब का पुकारूंगा।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने अपने जवाब के अंतिम पैरा में कहा है कि अभियोग के अनुसंधान में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। तो क्या मंत्री जी उन कारणों को स्पष्ट

(श्री हरिसिंह)

करेंगे। जिसकी वजह से दो साल से आज तक उसमें कोई निर्णय ही नहीं हुआ। न चालान पेश हुआ, न एफ. आई. आर. दर्ज की गई है। दूसरा, 302 के मुकदमें में हिदायत है कि 90 दिन के अन्दर-अन्दर चालान पेश हो जाना चाहिए। तो क्या वजह थी कि उन हिदायतों को नजरअन्दाज करके दो साल होने के बावजूद भी इसमें चालान पेश नहीं किया गया? तीसरा, क्या इसमें 176 की कोई जांच हुई और अगर हुई तो क्या उसमें खिल कर दिया है मजिस्ट्रेट ने इसकी जानकारी भी कृपया सदन को दें।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं सदा ही उठाता रहा हूं दीर्घ-काल से कि पुलिस को ऐसा कोई कानून में अधिकार नहीं है कि बिना गिरफ्तार किये या बिना लिखित में दिये किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती। एक व्यक्ति साधारण पशु-पालक, पढ़ा-लिखा नहीं, ग्रामीण कुछ कारणों से, जो माननीय सदस्य उससे संबंधित है वह बताएंगे, इतनी निर्दयता से पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। दो साल का समय होने जा रहा है। मंत्री महोदय, इसमें कोई बोफोर्स वाला केस तो है नहीं कि स्वीडन से सूचना आनी है। तीन-चार गवाह हैं। वह वहीं के रहने वाले हैं तो एक साधारण से मामले में दो साल का विलम्ब हो रहा है। कभी किसी का कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है क्या यह सही है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी इसमें अभियुक्त हैं इसलिए इसमें जान-बूझ कर देरी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी अन्याय और अत्याचार हुआ है यह मैं निवेदन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : पुलिस की विश है नहीं... (व्यवधान) आप इसको लम्बा मत करिये। यह चलेगा। एक बार यह पूछ लें, फिर दुबारा किसी को पूछना होगा।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, यह इतने अधिक माननीय सदस्यों की चिन्ता....

**श्री अध्यक्ष** : आप इनके सवाल सुन लीजिए। आठ लोग हैं।

**श्री सम्पतराम** : इतने प्रश्न मिल जाएंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता की है कि इस केस की जांच में इतनी देरी क्यों हुई। यह चिन्ता तो सही है और मैं इसकी इस रूप में कह कर नहीं टालना चाहूंगा कि सारे प्रकरण में पिछली सरकार ने समय लगाया और इस सरकार ने भी जो समय लिया, वह लिया। यह कह कर मैं अपने उत्तरदायित्व से दूर नहीं होना चाहता। सरकार का फर्ज है कि इसकी जांच पूरी करे। अब हम यथा शीघ्र जांच को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत से अधिकारी बदल गये। कुछ मुद्दों पर यह आया कि फलां अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो तत्कालीन डी. जी. पिलानिया साहब ने तफतीश को बदल दिया उसके बाद कुछ अधिकारियों का तबादला भी हो गया फिर असेम्बली और लोक सभा के इलेक्शन भी आये। फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें निश्चित रूप से कुछ देरी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। अब हम इसको यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश

(श्री सम्पतराम)

करेंगे और डी. आई. जी. रेंक के सीनियर अधिकारी को इस मामले में जांच के लिए नियुक्त करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सैनी। इतने लोगों के नाम हैं, मेहरबानी करके आप मुझे इनको पुकारने दें।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : अध्यक्ष महोदय, मृतक को 27 दिन इन्ट्रोगेशन में रखा गया 1988 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सुन लीजिए और यह बात भी सही है कि पुलिस ने मृत्यु के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया... जी हां, कांग्रेस सरकार थी उसके बाद उस वक्त के जो आज भी हैं, माननीय अब्दुल हादी उस वक्त विरोधी दल के नेता से मिले हैं कि बहुत बड़ा काण्ड हो गया। उस वक्त विरोधी दल के नेता जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है या हम धरने पर बैठेंगे। उसके बाद एक इस्तगासा मृतक के भाई ने दर्ज कराया है। उसके बाद उस पर पुलिस केस रजिस्टर किया गया जिस पर आपने बताया कि केस रजिस्टर हुआ है, वह पुलिस ने डायरेक्ट रजिस्टर नहीं किया। दूसरी बात यह कि तुरन्त शेखावत साहब के पत्र के बाद यह मुकदमा एस. पी. गोदारा को दे दिया गया और उन्होंने केवल 10-12 दिन में इसकी तफतीश पूरी करके दे दी है। मैं चाहूंगा कि उसको आप सदन की मेज पर रखें। उसके बाद जब देखा कि कुछ मिलने वाले लोग भी फंस रहे हैं तो उस वक्त के विरोधी दल के नेता ने पुनः एक लैटर लिखा कि इस तफतीश को चेंज कर दिया जाय तो वह पुनः चेंज हो गई। इसलिए एक तो माननीय मंत्री महोदय वह गोदारा साहब की तफतीश जो बिल्कुल कम्पलीट है उसको सदन की मेज पर रखें। दूसरा, इसी सम्बन्ध में ए. डी. एम. साहब ने भी जांच की है उसको भी सदन की मेज पर रखें। तीसरा, इसमें विलम्ब जानबूझ कर किया जा रहा है। वर्ना ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी जल्दी रिपोर्ट पूरी न की जाय। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी, एक एक का बताना चाहेंगे या एक साथ?

**श्री सम्पतराम** : सभी का आ जाने दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती रमा पायलट (अनुपस्थित) श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र पारीक।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन-कौन अधिकारी थे जिनका स्थानान्तरण हुआ और उनका कब-कब स्थानान्तरण हुआ। दूसरा, उस व्यक्ति को जयपुर लाया गया और जयपुर में यातना हुई और वह बीमार हुआ तो क्या उसको जयपुर में किसी डाक्टर को दिखाया गया या किसी अस्पताल में उसे ले जाया गया?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामस्वरूप मीणा।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : मेरे दो प्रश्न हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डी. आई. जी. रेंक के आदमी से तफतीश कराएंगे...

(12)



**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह दोनों साले बहनोई हैं, इनमें थोड़ा अन्तर कर लिया जाय।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें।

**श्री अध्यक्ष** : अन्तर तो होता ही है साले-बहनोई में। .. (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह तो होते रहते हैं स्थानान्तरण। कभी इधर, कभी उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : मेरे दो प्रश्न हैं, आपने कहा कि स्थानान्तरण की वजह से देरी हुई। अब आपने कहा है कि डी.आई.जी. रेंक के आदमी से तफतीश कराई जाएगी तो इसमें दुबारा तो अदला-बदली नहीं करेंगे? इसके साथ-साथ आप कितने दिनों में तफतीश करा देंगे, समय भी बता दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें। प्रश्न मेरा स्पष्ट है कि मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? मुकदमे की स्टेज क्या है? एक बात, । इन्वेस्टिगेशन कितनी दफा रिओपन हुआ? दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन कितनी दफा ट्रांसफर हुआ है? तीसरी बात, 176 में जिन गवाहों के बयानात दर्ज हो गये, जो ए. डी. एम. ने रेकार्ड किया है, उन गवाहों के बयानात अब 161 के इन्वेस्टिगेशन में दर्ज हुए है या नहीं हुए? चौथी बात, दुबारा आपने 161 में उनसे बयान लिये हैं, तिबारा लिये हैं। किस-किस गवाह से कितनी-कितनी दफा बयान लिया? अब फाइनल स्टेज क्या है, इस केस के, इन्वेस्टिगेशन की।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री मदेरणा जी।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक जलाल को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत जी. आई. सी. ने सम्मन दिया था। जो जोइन्ट इन्टेलिजिंग सेन्टर है बाड़मेर में, तो उसने सम्मन दिया था क्या यह सही है? क्या यह सही है कि एस. वी. बाड़मेर ने वायरलैस के जरिए जलाल को सम्मन दिया था जो ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 8 के खिलाफ बनता है। क्या यह सही है कि धारा 8 में किसी भी व्यक्ति को आफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्ट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। उसमें उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। जिसमें अपॉइन्डेट डेट, अपॉइन्टेड टाईम और अपॉइन्टेड प्लेस का उल्लेख होना चाहिए। लेकिन उस वायरलैस में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। क्या यह सही है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे जिस किसी व्यक्ति को चाहे वह जोइन्ट इन्टेलीजैंस सेंटर बुलाते हो या सेन्ट्रल इन्टेलीजैंस सेन्टर में, जिसके बाद में यहां पर 17 दिन तक रखा गया और ग्यारह दिन तक बाड़मेर में जॉइन्ट में रखा गया और सेन्टर में यहां पर 16 दिन तक रखा गया। क्या इन 27 दिनों में लगातार

(श्री परसराम मदेरणा)

वह कन्फाइनमेंट में था ? सैक्शन-ए यह बात कहता है :–

The question ing must be during the day time and in no case after sun set. क्या यह सही है कि सनसैट के बाद में उसको कभी भी रीलिज नहीं किया गया 27 दिन तक लगातार. रोंगफुल कनफाईनमेंट में रहा। एक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय, यह है कि क्या यह सही है कि जब वह 27 दिन तक रोंगफुल कनफाइनमेंट में रीजनल सैन्टर ऑफ इंटेलीजैंस, इन्ट्रोगेशन का है, उसमें रहा ? तो ताजे रात हिन्द की दफा 340, 342, 344, 333 स्वतः अट्रैक्ट हो जाती है और क्या यह सही है कि जब 16 दिन तक जब यहीं पर वह इन्ट्रोगेशन में रहा तो उसको इतनी यातनायें दी गई कि उसको दो दफा एस. एम. एस. हॉस्पिटल में ले जाया गया और एस. एम. एस. हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया गया ? क्या यह सही है कि जो रिक्वेस्ट एडीशनल डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को डिस्ट्रीक्ट मजिस्टेट बाड़मेर ने दी थी, 176 सी. आर. बी. सी. के अन्दर उसमें जो कांस्टेबिल जलाल को लेकर यहां पर आये थे, 16 दिन उसके साथ रहे और वापिस उसको ले गये। उन्होंने अपने बयान में यह बात की है कि वह बिलकुल मूछित था, हम उसको मूछित हालत में बाड़मेर लेकर गये। क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती विपक्ष के नेता ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री को दिसम्बर, 88 और जनवरी, 89 में चार पेज और दो पेज के दो पत्र लिखे थे जो डाइमेटरीकली कोन्ट्रडिक्ट इनटर्म्स थे, बुलाये। अब आप बताये इनके बारे में।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इतने प्रश्न आ गये है, इनके उत्तर माननीय मंत्री जी से आजाए उसके बाद में मैं दो-तीन सवाल पूछूंगा। माननीय मंत्री जी से। अदरवाइज यहां मंत्री जी को बड़ा आराम रहता है। पच्चीस-तीस सवाल आ जाये तो एक-दो का तो जवाब दे दिया लेकिन बाकी को तो निकाल देते है बीच में से। मैं चाहता हूं कि उत्तर आ जाए।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। उनका जवाब आने के बाद शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

**श्री सम्पत राम** (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले माननीय श्री परसराम जी ने जो प्रश्न किये है, उनका जवाब देना उचित समझता हूं। जहां तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एस. पी. का ताल्लुक है सीक्रेट एक्ट में वह बीच में कम आते हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो लोग है, वहीं इस प्रकार के मामले में ज्यादा पूछताछ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एस. पी. उसमें बीच में नहीं आता।

**श्री परसराम मदेरणा** : You are ignorant. लोकल पुलिस को हमेशा इन्वेस्टिगेशन में साथ रखा जाता है। एस. पी. और दूसरे किसी को आंथोराइज कर दें, डी. जी. आई नोटिफिकेशन ऑफ सेक्सन

(14)



(श्री परसराम मदेरणा)

[1] तो और बात है। लेकिन इसमें जो सम्मन किया गया है वह एस. पी. लोकल पुलिस ने सम्मन किया है इसमें दूसरे इन्टेलिजेंस वाले उनके साथ थे और जब बैठते है तो लोकल पुलिस, बी. एस. एफ. आर्मी, रीजनल और सेन्टर दोनों के ही रिप्रजेंटेटिव बैठकर इनके इंट्रोगेशन में साथ रहते है। क्या बात कह रहे है, आप ?

**श्री सम्पतराम** (प्रभारी मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि लोकल पुलिस निश्चित तौर से होती है, लेकिन लोकल पुलिस का भी कंट्रोलिंग ऑथोरिटी कौन होता है ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इन्टेलिजेंस ब्रांचेज के ऑफिसियल्स है वे निश्चित तौर से राजस्थान पुलिस के हैं लेकिन उन पर जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, वें डाइरेक्टली इंटेलिजेंस के नीचे होते हैं और उन्हीं की देख-रेख में ही सारा काम करते हैं। आप जिस एक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, उसका सीक्रेट नाम तो पहले ही है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें It shall be the duty of every person to give on demand, everybody ...

आज सुन लिजिए। मैं जायज ही इण्टरप्रिटेशन दे रहा हूं। आप कर लीजिए इण्टरप्रिटेशन। It shall be the duty of every person to give on demand, any information in his power relating to an offence or suspected offence under section 3 or under section 1 read with section 9 and if so required and upon tender of his responsible expenses to attend at such reasonable time and place as may be specified for the purposes of furnishing information

तो यह जो इन्टरनेशनल बोर्डर्स होते है, उनके ऊपर आम तौर से ये सभी जगह होते हैं और उसको चैक करने की जैसा अभी माननीय श्री परसराम जी ने फरमाया, बी. एस. एफ. सेन्ट्रल इंटेलिजेंस भी होते हैं और यह जो लोकल पुलिस है अध्यक्ष महोदय, सुपरिटेंडेंट पुलिस के अलावा हमारे इंटेलिजेंस का जो सैटअप है, कैपिटल में उनके तहत काम करता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्या यह सही है कि उस वक्त के तत्कालीन एस. पी. श्री जसवंत सम्पतराम ने वायरलैस से इनको सम्मन दिया और 8 घण्टे इन्वेस्टिगेशन के बाद में इसको सेंट्रल में भेज दिया।

**श्री सम्पतराम** : यह सत्य नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी जवाब हो गया क्या आपका ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : यह है कि पांच सौ रुपये दे दिये लेकिन श्री बिरदीचन्द जी एम. पी. साहब ने बीच में ही टेलीफोन दे दिया तब पांच सौ रुपये तो उनके घरवालों को वापिस किये और कहा कि कब देखना इसका क्या होता है ? असलियत यह है।

**श्री सम्पत राम** : दूसरी बात यह है कि जो माननीय सदस्यों ने कहा यह निश्चित बात है कि यहां वह जब रहा बीमार था और उसको दवा दारू का थोड़ा बहुत जो प्रबन्ध किया होगा, इतना तो मुझे पता नहीं है कि कौन-कौन हॉस्पिटल गये और क्या किया ? लेकिन ए. डी. एम. ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि वह बीमार था। उसकी बीमारी का इलाज जितना माकूल होना चाहिए था, उतना माकूल इलाज नहीं हो सका। दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने पूछा था कि 176 की कार्यवाही हुई क्या ? 176 की कार्यवाही हुई, ए. डी. एम. की रिपोर्ट आ चुकी है, वह भी जेरे तफतीश है। इसके अलावा डिले की बातें कहीं तो डिले हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ से ही कबूल कर चुका हूं और मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि सरकार बदल गई तो बदली हुई सरकार का मैं यह बहाना करूं। बहाना तो नहीं है और इसको इश्यू भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वह ऐसे सोलह महीने का समय निकल गया था, अब हम उसमें आठ महीने का भी समय नहीं निकलने देंगे। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आठ महिने का....। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन कितनी दफा ट्रांसफर हुआ है, कितनी दफा रिओपन हुआ है ? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे है, यह बताये आप। असली विलम्ब ही इसीलिए हुआ है। पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेण्ड करता है। आप यह बताये कि इन्वेस्टिगेशन कितनी दफा रिओपन हुआ है और कितनी दफा ट्रांसफर हुआ है ? (व्यवधान)

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : अब तक क्यों नहीं उठाया गया ? यह भी विचार किया जाए। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : कौन-कौन व्यक्ति इन्टरेस्टेड हैं जो इस केस को बार-बार ट्रांसफर करवाते रहे ? यह आप बताइये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : बिल्कुल बता दीजिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वह अभी आ जायेगा। दोनों पार्टियों के....

**श्री सम्पत राम** : सुनिये। 16.11.88 से....

**श्री कालीचरण सराफ** : कौन-कौन मंत्री थे और गृह कौन मंत्री थे उस समय, यह मामला हुआ जब और शिकायत आने के बाद में इसको क्यों दबाया ? यह बताइये। मैन बात तो यह है कि सरकार कांग्रेस की, गृह मंत्री कांग्रेस का, रफा-दफा कांग्रेस के लोगों ने किया और यहां पर यह टाइम खराब कर रहे हैं ? आपने क्यों नहीं अभी तक इस बात को उठाया ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : सुनिये। यह ही सुन लीजिए कि आपने ही जमात बढ़ाई है ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ :** इस मामले को रफा-दफा कराया गया।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय कालीचरणजी, बिराजिये आप।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** अब आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री जगत सिंह दायमा :** माननीय बूंटा सिंह जी को भी कोई पत्र मिला है क्या इस मामले में ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी।

**श्री सम्पत राम :** यह देरी का कारण आपने पूछा, अभी माननीय व्यासजी ने पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं। 16.11.88 से 4.11.89 तक गोदारा साहब ने इसमें तफतीश की, फाइल उनके पास थी।

**श्री कालीचरण सराफ :** गृह मंत्री कौन थे, यह बताइये आप।

**श्री सम्पत राम :** सुनिये। इसके बाद यह तफतीश आर. एन. गौड़ के पास गई, वह 15.2.89 से 2.8.89 तक इस केस की तफतीश करते रहे। इसके बाद श्री दुर्गालालजी आये, जो 13.3.90 से 5.4.90 तक रहे। इसके बाद श्री रामजीवन जी मीणा आये। वह भी अप्रैल और मई के महीने में कुछ थोड़े दिन दिखे। इनका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया, इसकी वजह से ही वह नहीं हो पाई। आर. एन. गौड़ भी उस समय कोटा में ज्यादा दंगे-फसाद होने से उनमें चले गये थे और खास तौर से इन दंगे-फसादों के लिए डिफरेंन्ट प्लेसेज से, जिलों से पुलिस को पूल करके वहां भेजा गया था जिसमें आर. एन. गौड़ भी एक थे। इसके बाद इनका एस. पी., कोटा तबादला हो गया और श्री दुर्गालाल जी ने इतने दिन उसको किया, इनका भी शायद तबादला हुआ था। रामजीवन मीणा दूसरी जगह चले गये और फिर श्री राम बल्लभ शर्मा को तफतीश दी। जब हमारी जानकारी में यह बात आई तो उन दिनों में राम बल्लभ शर्मा यहां असेम्बली में अटैच हो गये इस कार्यकाल के लिए और वह क्यों हुआ-वह मैंने करवाया क्योंकि मेरा ही लड़का इसमें लगा हुआ था तो मैंने उचित नहीं समझा कि मैं प्रश्नों का जवाब दूं और वह इसमें अटैच रहे। नहीं तो फिर माननीय सदस्य कोई बात कहते। इसलिए हमने राम बल्लभ शर्मा को यहां लगा दिया। हमारी जानकारी में तो अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीरता का प्रश्न है, यह राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया था। जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया, मेरे से प्राइवेट भी मिले हैं वह, कई बातें भी मेरी हुई हैं उनसे, उसके बाद में जितना गम्भीरता से आज महसूस कर रहे हैं, उतना आने वाली सरकार ने महसूस नहीं किया क्योंकि इसके तथ्य, सारी गम्भीरता के मामले से सरकार अवगत नहीं थी। और यह कहना कि पहली सरकार ने कर दिया, यह मैं नहीं कहना चाहता। उसके तो कई कारण होंगे, हो गया होगा, मैं मोटिव भी इन्क्लूड नहीं करना चाहता....

**श्री अध्यक्ष :** मैं समझता हूं, अभी इस प्रश्न का....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपने मुझे अलाऊ किया था। मुझे अभी एक-दो सवाल पूछने हैं सिर्फ ।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : एक ही सवाल है। चर्चा नहीं है श्रीमन्, **only one relevant question Sir.**

**श्री अध्यक्ष** : प्रद्युम्न सिंहजी पहले पूछने से रह गये थे। आप पूछ लें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : ऐसा है श्रीमन् अभी आपने कहा कि आप डी. आई. जी. से इसकी जांच करवायेंगे। क्या यह सही है कि आप डी. आई. जी. से जांच करवाने वाले हैं? नम्बर एक। क्या आप यह उचित मानते हैं कि इतना लम्बा समय बीत जाने के उपरान्त भी आप आठ माह का समय मांग रहे हैं, क्या यह उचित है? आठ माह कहा है....(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने आठ माह कहा है, आप करेक्ट कर दें। उसमें कहां दिक्कत आ रही है? और क्या यह उचित था कि एस. पी. स्तर के अधिकारी से तफतीश कराने के बाद एडीशनल एस. पी. को आपने तफतीश दी? रामवल्लभ शर्मा आपने कहा।

**श्री सम्पत राम** : नहीं, वह एडीशनल एस. पी. नहीं, वह एस. पी. है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : I am sorry. अब एस. पी. हो गया होगा। मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक और आप बता दीजिए कि तत्कालीन विपक्ष के नेता ने जो दो पत्र लिखे-पहला पत्र क्या लिखा और दूसरा पत्र लिखा? उन दोनों के कन्टेन्ट्स आप और बता दें।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ लूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री सम्पत राम** : अध्यक्ष महोदय, तफतीश के मामले में मेन मुद्दा यही हैं जिसको माननीय सदस्य हाई लाइट कर रहे हैं, करना भी चाहिए-कि डिले क्यों हुई है? मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि 16 महीने उस सरकार के जमाने में लग गये तो हम इसमें आठ महीने से ज्यादा नहीं लेंगे। मेरा मतलब आठ महीने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कम्पलीट हो और मैं पहली सरकार को किसी भी रूप में यह लांछित भी नहीं करना चाहता। तो अब इसकी जल्दी से जल्दी कोशिश की जायेगी। सारे इसके जो प्रकरण थे, पूरे हो गये। इसकी जल्दी से जल्दी तफतीश की जायेगी और जो दोषी है उनको दण्ड देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री रामप्रसाद जी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह सवाल है कि यह चार दफा तफतीश चेन्ज होना बताते हैं, तो यह इन्वेस्टीगेशन जब फर्स्ट टाईम चेन्ज होता है 14.12.88 को, तब यह के. एल. गोदारा के पास कम्पलीट हो गया था या नहीं हो गया था?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय व्यासजी, अब आप क्या निकलवाना चाहते हैं? **What**

(श्री अध्यक्ष)

do you want ? सवाल साफ हो गया है। दो साल में कुछ हुआ नहीं, आठ महीने में करने का इन्होंने समय दिया है। अब What do you want ?

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। यह मेरा प्रश्न नहीं था। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह साफ हो गया है....

**श्री अध्यक्ष** : I am on legs. Please sit-down. प्रश्नकाल का सवाल इतना ही होता है कि आप इन्फोर्मेशन सीक कर लें। आप सुन लीजिए। आप इन्फोर्मेशन सीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच गये, जो-जो कारण उन्होंने बताये कि इस वजह से डिले हुई।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : वह मैंने नहीं पूछा।

**श्री अध्यक्ष** : सुनिये आप। डिटेल में बता दिया। अब उसमें आगे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए। सवाल तो यही था। इसके लिये उन्होंने टाईम बता दिया। इसके लिए कौन इन्क्वायरी करेगा, सरकार ने वह बता दिया। मेरी समझ में अब इसमें कोई इन्फोर्मेशन मांगने का कोई तुक नहीं है, केवल समय किल करना है। इसलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वश्चन।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप सुन लें। ओरिजनल क्वेश्चन का जवाब दिलवा दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट।

माननीय श्री रामप्रसाद

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 328 (कृपया आगे देखें)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री राम नारायण बैरवा

(अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 329 (कृपया आगे देखें)

माननीय श्री लक्ष्मी चन्द मेहता

(अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 330 (कृपया आगे देखें)

माननीय श्री अर्जुन दास मदान। पूछ रहे हैं या नहीं, आप ? आप नहीं पूछना चाहते ?

पूछना नहीं चाहते। श्री अर्जुन दास मदान। (प्रश्न पूछने खड़े नहीं हुये)

(प्रश्न संख्या 331 (कृपया आगे देखें)

माननीय श्री मोहन लाल बारूपाल।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 2 जुलाई, 1990)

**इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-आवंटन**

112. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

1. वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में विभाग के अधीन तहसील छतरगढ़ नं. 1 2, खाजूवाल व पूगल व उपनिवेशन तहसील कोलायत में कुल कितने एकड़ भूमि है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि में से कितनी भूमि सिंचाई योग्य है व कितनी बंजर है?

(3) क्या सरकार कृषि योग्य भूमि को वन क्षेत्र से लेकर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त भूमि को कब तक उपनिवेशन विभाग के अधीन कर दिया जायेगा?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी।

**श्री अर्जुन दास मदान** : मान्यवर, प्रश्न संख्या 331

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, अब अलाऊ नहीं करूंगा। विराजिये, आप। हां बोलिये आप, मंत्रीजी।

**उपनिवेशन राज्य मंत्री** (श्री देवी सिंह भाटी) : (1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में वर्तमान में वन विभाग के अधीन तहसील छतरगढ़ नं. 1 छतरगढ़ न. 2, खाजूवाला व पूगल व उपनिवेशन तहसील कोलायत में कुल 2,24,573 एकड़ भूमि वन विभाग को आवंटित है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-क में संलग्न है।

2. उक्त भूमि में से 3077 एकड़ भूमि सिंचाई योग्य है। 2,10,579 एकड़ भूमि बंजर है।

3. वर्तमान में ऐसा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट (2 देखें)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया आप पूछ रहे हैं। आप पूछिये।

**श्री सुनील कुमार बिश्नोई** (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितना भी क्षेत्र सिंचाई लायक है, जो कमाण्ड किया जा सकता है, बंजर भूमि को छोड़ कर। जो बंजर भूमि है वह तो फोरेस्ट में ऐसे ही जाये, पर जो भूमि कमाण्ड में है जिसमें कैनाल से इरिगेशन की जा सकती है, क्या राज्य सरकार के पास उसको अलॉट करने का कोई कार्यक्रम है? इसको करेंगे हल।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। वन विभाग का जहां तक सम्बन्धित प्रश्न है उसमें अलग-अलग जगह पाश्चर्स के लिए, पौधे लगाने के लिए एरिया सुरक्षित किया हुआ है। बाकी हमारा अलग से पचास प्रतिशत स्पेशल अलॉटमेंट के लिए सुरक्षित है। बाकी के लिए हमने अभी तक के कैटेगरी तक इनके मामले निपटा दिये है। बाकी विचाराधीन जो एप्लीकेशन्स हैं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

जैसे-जैसे अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, उनका निपटारा किया जायेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनाराम

**डूंगरगढ़ में डी. आर. डी. ए. योजना**

332. **श्री किशनाराम** (श्रीडूंगरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या सरकार ने चूरू जिले की तहसील डूंगरगढ़, मे डी. आर. डी. ए. योजना के अन्तर्गत निजी कृषकों को कुआ, खोदने के लिए सहायता देने हेतु कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने कुओं की स्वीकृति हुई है ?

2. इन स्वीकृत कुओं में से कितने कुओं के लिये सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

**एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री** (श्री सम्पतराम) : 1. जी हां । चूरू जिले की डूंगरगढ़ तहसील में डी. आर डी. ए. योजनान्तर्गत निजी कृषकों, को कुआ खोदने के लिये सहायता देने की व्यवस्था है । इस योजनान्तर्गत कुल 145 कुओं की स्वीकृति हुई है ।

2. इस स्वीकृत कुओं में से 144 कुओं के लिये 13.99 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है ।

**श्री किशनाराम** : अध्यक्ष महोदय, यह डी. आर. डी. ए. योजना कृषकों के लिए उपयोगी है । डूंगरगढ़ में 145 कुओं के लिए स्वीकृति हुई है जिसमें से 144 को 13.99 लाख की राशि जो दी गयी उसमें एक कुआ तो बना ही नहीं है और बाकी जो कुऐं बने हैं 145 में से एक कुआ भी कामयाब नहीं है मैं पूछना चाहूंगा कि किस किस किसान को कितनी कितनी राशि दी गयी है । यह स्पष्ट करें ।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं यह मेरे पास व्यक्तिगत सूची नहीं ।

**श्री किशनाराम** : फिर इससे सेन्स क्या है ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बाद में पूछ लेना । श्री मदान....नहीं । आप पूछ रहे है ।

**श्री फूलचन्द गुर्जर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि 144 कुओं के लिए 13.99 लाख का भुगतान कर दिया गया है तो शेष कितनी राशि रही और कब तक यह कर दी जायेगी ।

**श्री सम्पतराम** : अध्यक्ष महोदय, इसमें जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है गलती कम होती है । पर किन्हीं कारणों वश किसान का कुआ बनने में बहुत सी दिक्कत आती है जिनकी वजह से किश्त लेने से पहले जितना काम होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं इस वजह से किश्त देने में देरी हो जाती है ।

**श्री किशनाराम** : उत्तर स्पष्ट नहीं है । विभाग वाले गलत सूचना देते हैं ।

(श्री किशनाराम)

अगर वे सही उत्तर दे दें तो जो घोटाले हैं वह सामने आ जाएंगे।

**श्री सम्पतराम** : माननीय अध्यक्षजी, किशनारामजी बहुत महत्वपूर्ण विधायक हैं। मैं स्वयं इनके जिले में जाऊंगा और स्वयं सारे मामले को इनके सामने ही देखूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री फूलचन्द मीणा।

**श्री अर्जुनदास मदान** : अध्यक्ष महोदय, 331 की अनुमति देंगे ? मेरी मजबूरी तो सुन लीजिए फिर आपकी इच्छा हो तो अनुमति दे, नहीं तो न दें। मेरा निवेदन है कि मेरे चश्मा लगता है और उस समय मेरे पास चश्मा नहीं था।

**श्री अध्यक्ष** : इस तरह की परम्परा नहीं हैं, माननीय सदस्य मैं नयी परम्परा नहीं डालना चाहता हूं। श्री फूलचन्द मीणा

**आश्रम विद्यालय**

333. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) एवं श्री नारायण लाल [लसाड़िया] : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. जन जाति उपयोजना क्षेत्र में अब तक कितने आश्रम विद्यालय खोले गये ? उनमें से कितने आश्रम विद्यालय सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इन्हें सड़कों से जोड़ने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है।

2. क्या यह सही है कि गोढड़ा [बोरिया] तहसील धरियावाद जिला उदयपुर का आश्रम विद्यालय का सम्पर्क वर्षाकालीन सत्र में चारों तरफ से, सड़क के अभाव में, कट जाता है ? यदि हां, तो इसकी सरकार रोकथाम एवं आवागमन की व्यवस्था हेतु क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

3. उपयोजना में चल रहे आश्रम विद्यालयों में कब-कब छात्र संख्या में वृद्धि की गई और इसके अनुरूप व्यवस्था में क्या वृद्धि की गई !

4. क्या आश्रम विद्यालयों में स्वीकृति छात्र संख्या के अनुसार प्रवेश एवं बजट व्यवस्था में भिन्नता रही ? क्या राज्य सरकार आवश्यक साधन उपलब्ध करा रही हैं ?

**राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास** (श्री जीवराम कटारा) :

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अब तक 58 आश्रम छात्रावास खोले गए हैं जिनकी सूची संलग्न है। सभी आश्रम विद्यालय सड़कों से जुड़े हुए हैं।

2. यह सही है कि गोठडा [बोरिया] तहसील धरियावद, जिला उदयपुर का आश्रम छात्रावास वर्षाकालीन सत्र में चारों तरफ से नदी/नालों में पानी अधिक आ जाने के कारण अवरूद्ध रहता है तथा निकट वर्षों में उस पर शीघ्र पुलिया निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

3. उपयोजना क्षेत्र में चल रहे आश्रम छात्रावासों में छात्र संख्या की वर्तमान में

(श्री जीवराम कटारा)

कोई वृद्धि नहीं की गयी है। जिन छात्रावासों के लिए जितनी निश्चित छात्र संख्या है, उसी के अनुरूप व्यवस्था की हुई है।

4. आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या के अनुसार प्रवेश एवं बजट व्यवस्था में भिन्नता नहीं है। स्वीकृत छात्र संख्या के आधार पर ही बजट आवंटन किया जाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आवश्यक साधन उपलब्ध करा रहा है। स्वीकृत छात्र संख्या एवं बजट पैटर्न संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान) पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री अध्यक्ष :** आप पूछ रहे हैं।

आप पूछ रहे हैं ? पूछिए।

**श्री परसादीलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य में कुल कितने आश्रम छात्रावास हैं उनमें से कितने आश्रम छात्रावासों में अब तक कितनों में पढ़ाई शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं ?

**श्री जीवराम कटारा :** आश्रम स्कूल 58 हैं।

**श्री परसादीलाल मीणा :** कितने बंद हैं।

**श्री जीवराम कटारा :** 58 ही चालू हैं।

**श्री नाथूराम आहारी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं ? कि गत दो तीन साल में जो आश्रम विद्यालय मंजूर किए थे और जिनकी बिल्डिंग तैयार हो गयी है लेकिन उन छात्रावासों को स्वीकृति नहीं दी गयी है, वह कब तक दे देंगे।

**श्री जीवराम कटारा :** यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है फिर भी आपको जवाब दे देता हूं। यह जो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है उसमें कुछ प्रशासनिक कठिनाई है, पी. डब्ल्यू डी से अण्डर टेकिंग लेनी है। मैंने पत्र दे दिया है और जल्दी ही लेने की कार्यवाही कर शुरू कर दिये जायेंगे।

**श्री फूलचन्द गुर्जर :** मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या तीन में बताया....

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठिए, आप बिराजिए। फूलचन्द जी आप बैठें। नेक्स्ट।

**राहत कार्यों के ठेके में अनियमितता**

334. **श्री मनोहरसिंह** (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सी. डी. देवल के विरुद्ध विभाग में अकाल राहत कार्यों के ठेके में घपला करने की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. इस मामले में उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

**अकाल राहत मंत्री** (सुश्री पुष्पा जैन) : अध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत से संबं-

(सुश्री पुष्पा जैन)

धित नहीं है। आप इस को कार्मिक विभाग को भिजवा दीजिए। इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न स्थगित किया जाता है।

नेक्स्ट। श्री सालिगराम....श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

**श्री खंगारसिंह** : इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। इससे पूर्व भी विधान सभा में यह सवाल उठाया गया है और माननीय मंत्री महोदया पुष्पाजी ने भी इस विषय में कई सवाल उठाये हैं और भी कई सदस्यों ने पूर्व में विधान सभा में इनके खिलाफ कई प्रश्नों को उठाया है। इसको स्थगित कर दिया। जवाब दिलायें।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब आयेगा। स्थगित होने के बाद भी इसमें जवाब आयेगा। श्री सालिगराम....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

**उपभोक्ताओं को शिकायतों का निपटारा**

335. **श्री सालिगराम** (बयाना) : एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न कानूनों के तहत शिकायतों के एक ही खिड़की पर निटपारे के लिए राज्य स्तर पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29-5-89 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी ?

2. क्या राज्य सरकार उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों को उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**खाद्य मंत्री** (श्री रामकिशोर मीणा) : 1. जी हां।

2. उपभोक्ताओं को विभिन्न कानूनों के तहत शिकायतों के एक ही खिड़की पर निपटारे के लिए राज्य स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगा कि इस मसले को राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण समिति की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार की सेवाओं के लिए उपभोक्ता को एक ही खिड़की उपलब्ध करायी जाय पर इसमें दो साल लग गये। एक साल तो समिति ने अपनी बैठक में लगा दिये, रिपोर्ट देने में और एक साल उसको रिपोर्ट दिये हुए हो गया। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है अगर आप शीघ्र निर्णय करेंगे और एक खिड़की पर सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए आप समय तय कर सकें, एक या दो महीने का तो आप कर दें। मैं आपका आभारी होऊंगा।

**श्री रामकिशोर मीणा** : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई विभाग सम्बन्धित है। उनके बारे में जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों आवश्यक

(24)



(श्री राम किशोर मीणा)

वस्तु अधिनियम, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम, बाट और माप मानक अधिनियम, एम. आर. टी. पी. एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूज ग्रेविटी एण्ड मार्केटिंग एक्ट आदि की समीक्षा कर संशोधन के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29-5-89 को प्रस्तुत कर दी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के दौरान वित्त सचिव द्वारा दिये गये सुझावानुसार निदेशक, चिकित्सा विभाग, जयपुर निदेशक, उद्योग विभाग एवं उपयुक्त उप शासन सचिव को दिनांक 5-1-90 को पत्र भेजकर इस विभागों के संबंधित अधिनियमों के तहत मामले जिनमें चालान, विभागीय जांच तथा अभियोगों संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। सूचना प्राप्त न होने पर 28-1-90. 12-2-90 को स्मरण-पत्र भेजे गये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण उन्हें 22-2-90 को सही सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया उसके बाद 18-4-90, 2-5-90 व 25-5-90 को स्मरण पत्र भेज दिये गये तथा 16-6-90 को शासन सचिव की ओर से अर्द्ध शासकीय पत्र भिजवा दिया है। माननीय सदस्य ने निवेदन किया। अभी तक चिकित्सा विभाग की तरफ से सूचना हमको नहीं मिली है। सूचना प्राप्त होते ही जल्दी से उसका उत्तर सदन में रख दिया जायेगा।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि उन विभागों को आप इस तरह से रिमाउण्डर वगैरह देते रहे तो कभी यह निर्णय नहीं होगा। मैं तो मुख्यमंत्रीजी में चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर सभी डिपार्टमेण्टस की मीटिंग बुलाकर इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर कोई भी फैसला कर लें, ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा मिले।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों की सूचना....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 345 नम्बर का प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया है, तो उसको स्थगित कर दिया जाये। 345।

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह स्थगित कर दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है। प्रश्न संख्या 345 स्थगित कर दिया है।

**श्री निर्भय लाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : नियम समझिये। मैं खड़ा हूं तो बैठ जाइये। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**सहायक शल्य पशु चिकित्सक**

328. **श्री रामप्रसाद** (बैर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राम प्रसाद)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद् से पंजीकृत अधिकारी ही सहायक शल्य पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त हो सकता है ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि विभाग में कुछ अपंजीकृत व्यक्ति भी वी. ए. एस. के पद पर नियुक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंजीयक ने अपंजीकृत व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति की है ? यदि हां, तो फिर उन्हें क्यों नहीं हटाया गया ? अब सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

**उत्तर**

(1) भारतीय पशु चिकित्सा अधि-नियम 1984 को राजस्थान में अप्रेल, 1988 से लागू किया गया है की धारा "30 क" के अन्तर्गत अब पंजीकृत होना आवश्यक किया गया है।

(2) जी हां, पंजीकरण का कार्य दिनांक 26-8-88 से प्रारम्भ किया गया है। इसके पूर्व कोई प्रावधान नहीं होने के कारण पूर्व नियुक्ति कुछ सहायक पशु शल्य चिकित्सक अभी तक पंजीकृत नहीं है, उन्हें एक माह में पंजीकरण कराने हेतु निर्देश प्रसारित किए जा चुके है।

(3) पंजीयक (उप निदेशक) का पत्र निदेशक को प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नवीन नियुक्त सहायक शल्य पशु चिकित्सकों को नियमानुसार पंजीकरण कराने हेतु लिखा गया है।

**निवाई में बाई-पास का निर्माण**

329. **श्री राम नारायण बैरवा** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार निवाई कस्बे की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये तथा दिन प्रतिदिन होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निवाई 'बाय-पास' सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

इसके निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार के परिवहन मंत्रालय से इसी साल प्राप्त कर कार्य चालू होने की संभावना है।

**दूठवा गांव में पंचायत घर का निर्माण**

330. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचोर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत मुख्यालय पर पंचायत घर बनाने के सरकार के आदेश है या सरपंच अपनी इच्छानुसार पंचायत घर बना सकता है ? क्या पंचायत घर मुख्यालय के अलावा अन्य गांव में बनाये जा सकते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायती राज की स्थापना के समय के सांचोर तहसील के दूठवा ग्राम में पंचायत का मुख्यालय है जहां पर 200 घरों की बस्ती है व उच्च प्राथमिक विद्यालय आदि भी हैं ?

(26)



(श्री लक्ष्मी चन्द मेहता)

(3) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि मौजूदा सरपंच, दूठवा ने गांव से चार किलोमीटर दूर अपने गांव चिमड़ा की ढाणी में जो दूठवा गांव की आबादी से 4 किलोमीटर दूर है। पंचायत भवन का निर्माण करा दिया है? क्या सरकार पंचायत मुख्यालय से अन्यत्र पंचायत घर बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पंचायत भवन का निर्माण पंचायत मुख्यालय पर ही कराया जा सकता हैं। अन्य स्थान पर नहीं बनाया जाना चाहिए।

(2) जी हां।

(3) जी हां। दूठवा गांव से दूर दूठवा ग्राम की राजस्व सीमा में है (चिमडा की ढाणी) पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। पंचायत मुख्यालय से अन्यत्र पंचायत भवन का निर्माण नहीं किया गया है। खसरा नं. 352 जहां पर पंचायत भवन बनाया गया है, यह ग्राम दूठया का ही भाग है।

**सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाही**

331. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रीमिजेज (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एवीक्शन) एक्ट, 1950 के अन्तर्गत सेवा निवृत व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली करवाने की दिशा में सरकार का क्या सोच है?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस दिशा में सिन्हा कमीशन की नियुक्ति की थी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) राजस्थान प्रीमिजेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इवीक्शन) एक्ट 1950 के अन्तर्गत सेवानिवृत व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। सेवा निवृत व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली करवाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय आवास आवंटन) नियम 1958 है। सेवानिवृत व्यक्तियों से सरकारी आवास शीघ्र खाली करवाने की दिशा में दिनांक 16.4.90 की एक अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत नियमों में निर्धारित अवधि में सेवा निवृत व्यक्तियों द्वारा आवास रिक्त न करने पर बिना किसी नोटिस के आवास रिक्त कराये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। सिन्हा समिति का गठन तो राजस्थान प्रीमिजेज (कन्ट्रोल-ऑफ रेन्ट एण्ड इवीक्शन) एक्ट 1950 के विभिन्न प्रावधानों पर पुर्नविचार कर समग्र व व्यापक सुझाव देने तथा अधिनियम में संशोधन पर विचार करने हेतु किया गया है।

(विधि राज्य मंत्री)

(3) समिति ने अभी अपनी सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है। अतः सिफारिशों के संदर्भ में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### तहसील राजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

511. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राजगढ़ (अलवर) की पंचायत समिति रैणी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों पर श्रेणी व नामवार कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार का इरादा है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रैणी व उपकेन्द्रों का कभी निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निरीक्षण के दौरान पाये गये रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को कोई सुझाव भेजे गये थे ? यदि हां, तो ये पद अभी तक क्यों नहीं भरे गये, जबकि इन उपकेन्द्रों में ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू. के पद करीब एक-एक वर्ष से रिक्त थे ?

#### उत्तर

(1) रैणी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर केवल एक पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एवं उपकेन्द्रों पर 11 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के पद रिक्त है। रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) जी हां,

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-90 में किए गए निरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

(1) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) 23.12.89, 20.1.90, 5.3.90 व 8.3.90,

(2) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) 19.6.89, 31.7.89, 9.8.89 व 3.10.89.

(3) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) 16.10.89, 13.2.90 व 4.3.90.

(4) शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी 1.4.89, 26.7.89, 4.8.89, 3.9.89, 23.12.89, 29.12.89, 4.1.90, 15.1.90 व 16.1.90.

(3) रिक्त पदों को भरने हेतु समय समय पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया लेकिन प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण पदों को नहीं भरा जा सका।

### खाद्य विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी

512. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(1) राज्य में खाद्य विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने जिला रसद अधिकारी हैं ? इनमें से कितने सीधी भर्ती से हैं व कितने विभागीय पदोन्नति से हैं ? यदि विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर पदोन्नत नहीं हैं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1973 में प्रवर्तन अधिकारियों की सीधी नियुक्ति की गई थी ? उनमें से कितने प्रवर्तन निरीक्षकों को प्रवर्तन अधिकारी के पद पर, कितनों को सहायक जिला रसद अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई ? उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने-कितने व्यक्ति हैं ? जिलेवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खाद्य विभाग में अनुसूचित जाति के दो एवं अनुसूचित जनजाति का एक जिला रसद अधिकारी कार्यरत है। ये सभी सीधी भर्ती से नियुक्त हैं। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित जोन आफ कन्सीडरेशन के अनुसार योग्यतम व्यक्तियों के अभाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पदोन्नत नहीं किये जा सके हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1973 में प्रवर्तन अधिकारियों के पदों पर सीधी नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1973 में नियुक्त प्रवर्तन निरीक्षकों में से 11 तो प्रवर्तन अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया गया है जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है। प्रवर्तन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में से सहायक जिला रसद अधिकारी के पद पर किसी को भी पदोन्नति नहीं दी गई है। प्रवर्तन निरीक्षक से प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों के नाम व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**चारागाह विकास योजना**

513. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के पशुपालकों हेतु योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चारागाहों से लाभान्वित होने वाले पशुपालकों की संख्या कितनी है ?

(3) गत तीन वर्षों में पशुपालकों के रेवड़ लूटे जाने की एवं उनकी हत्या की कितनी घटनायें हुई हैं ? मय नाम एवं स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पशुपालकों की हत्या एवं लूटमार रोकने हेतु कोई सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां, वन विभाग ने अब तक 298027 हैक्टर क्षेत्र में टिब्बा-स्थिरीकरण एवं चारागाह विकास के कार्य कराये जा चुके हैं इन क्षेत्रों में 3 वर्ष पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा कराने पर मवेशी चराई की

(श्री पशुपालन राज्य मंत्री)

अनुमति दी जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में उसकी चराई क्षमता के अनुसार ही मवेशी छोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त 59289 हैक्टर क्षेत्र में पंचायत भूमि पर ईंधन एवं चारागाह वृक्षारोपण कराया गया है। इन क्षेत्रों में उगने वाली घास स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्धता तक निःशुल्क काटने दी जाती है तथा 5 वर्ष पश्चात् सम्बन्धित पंचायतों को यह क्षेत्र प्रबन्ध करने हेतु सौंप दिये जाते हैं।

(2) चारागाहों में पशु चराई की अनुमति प्रतिवर्ष उपलब्ध चारे की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः लाभान्वित पशु पालकों की संख्या दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जहां तक जानकारी है, गत वर्षों में भेड़ पालकों की लुटे जाने एवं उनकी हत्या की 3 घटनायें हुई है। नाम और स्थान की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) भेड़ पालकों की सुरक्षा हेतु भेड़ व ऊन विभाग द्वारा निष्क्रमण मार्गों पर 41 स्थाई चौकियां स्थापित की गई है इसके अतिरिक्त भेड़ व ऊन विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अस्थायी चौकियां स्थापित की जाती है, साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस विभाग द्वारा वायरलेस सेट एवं पुलिस जत्थे भी लगाये जाते हैं।

(सूची के लिएकृपया परिशिष्ट 5 देखें)

## अभियन्ताओं का टेलीफोन व्यय

514. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंताओं एवं अधिशाषी अभियंताओं के निवास स्थान एवं कार्यालयों में स्थित टेलीफोन्स पर वर्ष 1988-89 व 1989-90 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में इस मद पर कितनी राशि का प्रावधान था एवं वास्तविक व्यय कितना हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं एवं अधिशाषी अभियन्ताओं के निवास एवं कार्यालयों में स्थित टेलीफोन्स पर वर्ष 1988-89 व 1989-90 पर की गई राशि का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) टेफीफोन व्यय के लिए अलग से मद नहीं है तथा उक्त कार्यालय मद (कन्टीजेन्सीज) में ही चार्ज होता है तथा इस मद में यानी कार्यालय कन्टी जोन्सीज में रुपये 48,00,573/- का प्रावधान था तथा वास्तविक व्यय रुपये 47,49,679-70 का हुआ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

(30)



**डूंगरपुर जिले में राशन वितरण व्यवस्था**

515. **श्रीमती कमला** (सागवाड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर लिले में सागवाड़ा तथा मलवाड़ा तहसीलों में राशन वितरण के लिये कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन नियंत्रित मूल्य की दुकानों पर कितनी तादाद में सामान विगत 3 वर्षों में प्रति वर्ष उपलब्ध कराया गया ?

(3) क्या वितरण में डीलरों द्वारा अनियमिततायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या आदिवासी क्षेत्रों में चीनी, चावल आदि नियमित दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्षवार खपत कितनी है ?

(5) क्या यह सही है कि चावल व चीनी आदिवासियों को नहीं दिया जाकर अन्य जाति के लोगों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर भविष्य के लिये उचित व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा तहसीलों में कुल 173 उचित मूल्य की दुकानें हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन नियंत्रित मूल्य की दुकानों पर विगत 3 वर्षों में प्रति वर्ष निम्नलिखित तादाद में सामान उपलब्ध कराया गया :-

(मात्रा किवन्टलों में)

| नाम वस्तु | वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | 1987 | 1988 | 1989 |
| गेहूं | 187110 | 183644 | 209874 |
| चांवल | 3603 | 4353 | 9931 |
| चीनी | 20880 | 209 | 10031 |

(3) सीमलवाड़ा एवं सागवाड़ा तहसीलों के डीलरों द्वारा वितरण में अनियमितता किये जाने के कुल 330 मामलें गत तीन वर्षों में दर्ज हुए हैं। जिनमें 30 मामलों में प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये, 3 डीलरों के विरुद्ध एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज कराई गई तथा शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई।

(4) जी, हां। वर्षवार खपत का विवरण प्रश्न के भाग (2) में अंकित है।

(5) यह सही नहीं है कि चावल व चीनी आदिवासियों को नहीं दिया जाकर अन्य जाति के लोगों को दिया जा रहा है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। आई. टी. डी. पी. के क्षेत्रों में सबको समान दर पर दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के स्वास्थ्य केन्द्र**

516. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

(1) विधान-सभा क्षेत्र भीनमाल में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों व एडपोस्टों में मेल नर्स, फीमेल नर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीनमाल में कौन-कौन से पद खाली हैं और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि मंत्री जी ने पिछले विधान सभा सत्र में भीनमाल स्वास्थ्य केन्द्र (सी. एच. सी.) में महिला रोग विशेषज्ञ शीघ्र लगाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त महिला रोग विशेषज्ञ को कब तक लगा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि जालौर जिले में चिकित्सा विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों, नर्सों, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एरियर बिलों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों का कितना-कितना भुगतान बकाया है, और उक्त बकाया भुगतान की कब तक चुकारा कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) प्रत्येक उप केन्द्र पर एक पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का एवं एक पद अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्वीकृत होता है। विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में निम्न 19 उप केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं अंशकालीन चतुर्थ कर्मचारी का पद रिक्त है ।

कोडीता, धवेड़ा, बोरटा, काबतरा, राऊता, जैसाबास, राह, गावडी, सेवडी रंगाला, रुचियार, तालियाना, सेतलावर नादिया, पोमता, खाण्डरदेवल, गजीपुरा, सेताकला, कोडीता, खानपुर ।

प्रत्येक एडपोस्ट (उच्चीकृत उप केन्द्र) पर एक पद मेल नर्स श्रेणी-11, एक पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, व एक पद अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्वीकृत है। इस विधान सभा क्षेत्र में एडपोस्ट (उच्चीकृत उप केन्द्र) के समस्त स्वीकृत पद भरे हुए है ।

रिक्त पदों को प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा ।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल में रिक्त पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

वाहन चालक — एक पद
वार्ड बॉय — दो पद

इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) जी हां, डा. वीना सक्सैना, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) को पीपाटसिटी से भीनमाल में पदस्थापन करने के आदेश क्रमांक-प. 1 (16) चि. स्वा./2/90 दिनांक 30-6-90 को प्रसारित कर दिये गये हैं ।

(4) जी हां,

(32)



(चिकित्सा मंत्री)

विवरण निम्न प्रकार से है :—

| नाम कर्मचारी | बकाया राशि |
|---|---|
| 2. श्रीमती सुषम्मा वाकू महिला स्वास्थ्य कार्य- | 630/— |
| 2. श्रीमती विजया माला महिला स्वास्थ्य कार्य. | 3505/— |
| 3. श्री अजीत सिंह, मेलनर्स | 1922/— |
| 4. श्रीमती सिया कुमारी प्रसाविका | 1121/— |
| 5. श्रीमती सरोज भटनागर<br>6. श्रीमती बाई राव, दाई | 3985/— |
| 7. श्री भंवर सिंह, वार्ड बॉय | 273/— |

8. भीनमाल ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र स्टाफ की नवीन वेतन स्थिरीकरण की बकाया राशि जो जमा होनी है (नकद भुगतान देय नहीं है)

उपरोक्त समस्त बकाया राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को इस माह के अन्त तक कर दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**नसीराबाद क्षेत्र में सड़क निर्माण**

517. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की निम्नांकित सम्पर्क सड़कें विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में इसी चालू वित्तीय वर्ष में बनाने की योजना है :—

1. तिहारी से चांदसेन, 2. मोराभर्डी से नवाब 3. फारक्या से बुबाणी गणेशजी मंदिर तक, 4. कानपुरा से बनेबड़ी, 5 बीर से पालरा होते हुए नेशनल हाइवे तक 6. डोडीयाणा से नाथूथला 7. पाबूथान से लामाना 8. असेरी से विडिबिचयावास 9. न्यारा से काबरी चाट-भगवानपुरा, 10. जसवंतपुरा-हणुतिया-रामपुरा से भटियानी 11. खरबा से गोला वाया पृथ्वी राजखेड़ा 12. जेठाणा से गोला वाया नया गांव 13. मोड़ी से मडियानी 14. बाघ सुरी से बनेबड़ा 15. डोडियाना से नाथूथला 16. केसरपुर से कोटाज

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त सड़कों के निर्माण के अभाव उक्त क्षेत्र के अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं होने के कारण वहां के निवासियों व किसानों को आवागमन और कृषि उपज को मण्डियों तक लाने ले जाने में अत्यंत असुविधा होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत इन गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी हाँ।

(3) इन सडकों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं हैं।

**डिप्टी कण्ट्रोलर्स द्वारा नियम विरुद्ध मेडीकल प्रेक्टिस**

518. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल जैन)

(1) क्या यह सही है कि अस्पतालों में "डिप्टी कन्ट्रोलर" का पद "नामप्रेक्टिसिंग" पद है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि अलवर जनरल अस्पताल में "डिप्टी कन्ट्रोलर" के पद पर कार्यरत डाक्टर खुल्लम खुल्ला प्रेक्टिस करते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों और क्या अब कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, इसकी जांच करवा ली जावेगी।

**अजमेर के डेजिगनेटेड कोर्ट में विचाराधीन मुकदमें**

519. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) :—क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर स्थिति डेजिगनेटेड कोर्ट नं. 1 व 2 में कुल कितने मुकदमें विचाराधीन हैं एवं दोनों न्यायालयों में कुल कितने व्यक्ति न्यायायिक अभिरक्षा में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कोर्ट से संबंधित मालखाने की व्यवस्था अजमेर में नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही हैं कि दोनों न्यायालयों को उपलब्ध सिक्यूरिटी फोर्स की मात्रा में कमी की गई है जबकि दोनों न्यायालयों में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक न्यायालय में मात्र एक ही मुकदमा विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस न्यायालय पर इतनी राशि व्यय करने का क्या औचित्य है ?

(5) क्या उक्त कोर्ट में मंत्रालयिक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या एवं व्यवस्था है, और क्या उक्त न्यायालयों के लिये अलग से विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई ?

(6) क्या यह सही है कि जिला सेशन जज, अजमेर के लिये नियुक्त लोक अभियोजक के पास डेजिगनेटेड कोर्ट के कार्य-का अतिरिक्त भार भी दिया गया है ?

(7) डेजिगनेटेड कोर्ट में काम करने के लिये जो लोक अभियोजक अतिरिक्त रूप से तैनात किया गया है, उसका पारिश्रमिक क्या है ?

(8) दिनांक 1-11-1989 से दिनांक 31 मई, 1990 तक डेजिगनेटेड कोर्ट में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक को कितना पारिश्रमिक भुगतान किया गया ?

(9) ऐसे कौनसे कारण है जिनको वजह से डेजिगनेटेड कोर्ट के लिए पूर्ण कालिक लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं की गई ?

(34)



उत्तर

(1) अजमेर में केवल एक ही डेजिग्नेटेड कोर्ट हैं, दो नहीं उस कोर्ट में कुल 22 मुकदमें लम्बित है तथा 130 व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

(2) मालखाना के लिए जेल में कमरा उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। आवश्यकतानुसार डेजिग्नेटेड कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध है।

(4) डेजिग्नेटेड कोर्ट में प्रश्न के खण्ड सं. 1 में दर्ज मुकदमें लम्बित है न कि एक मुकदमा।

(5) डेजिग्नेटेड न्यायालय में राज्य सरकार के विचार में मंत्रालयिक कर्मचारियों की संख्या प्रर्याप्त है। इस कोर्ट में अलग से विशेष लोक अभियोजक की आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि मुकदमों की संख्या कम है।

(6) जी हां,

(7) 200/—रुपये प्रति दिन।

(8) कुल राशि 21,000/—का भुगकिया गया।

(9) सरकार ने डेजिग्नेटेड कोर्ट के कार्यभार को देखते हुए स्वतंत्र रूप से पूर्णकालिक लोक अभियोजक एवं अधिनस्थ स्टाफ स्वीकृत करना उचित एवं आवश्यक नहीं समझा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 520
(स्थगित)

**पशुपालन विभाग में निदेशक का पद**

521. **श्री राम प्रसाद (बैर)** : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सही है कि पशु पालन निदेशक का पद पिछले दस साल से रिक्त चला आ रहा है तथा इसकी अस्थाई व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब तकनीकी अधिकारी को निदेशक के पद पर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विभाग में तीन संयुक्त निदेशक हैं, जो योग्य एवं 10 साल का संयुक्त निदेशक का अनुभव रखते हैं? यदि हां, तो उनमें से ही किसी को निदेशक के पद पर पदोन्नत करने में क्या कठिनाई है?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग में उपयुक्त चयनित एवं पात्र तकनीकी अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) राज्य सरकार का निर्णय शेष है।

(3) तीन संयुक्त निदेशक कार्यरत हैं। वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। अदालत के फैसले के पश्चात चयन प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य सरकार निर्णय करेगी।

**उदयपुर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कार्य**

522. **श्री नारायण लाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत, पारसोला, आड़, गोपालपुरा पंचायत समिति धरियावद जिला

(श्री नारायण लाल मीणा)

उदयपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत क्या काम चले ? क्या इस योजना में चले कार्य मौके पर मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो क्या योजना की राशि का दुरुपयोग हुआ है ? यदि मौके पर कार्य हैं, तो कार्यवार लागत की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गोपालपुरा पंचायत में बनाई गई चयनित परिवार की सूची गरीबों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से बनाई है ? यदि हां, तो इंदिरा आवास योजना में किन-किन लोगों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं ? आवास आवंटन की सूची, नामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पंचायत आड़ (पं.सं. धरियावद) में जवाहर रोजगार योजना में क्या-क्या कार्य हुए ? कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई ? कितनी राशि कार्यों में खर्च हुई ? क्या मौके पर कार्य की तस्दीक जिम्मेदार अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो कार्यों की सूची एवं उनमें खर्च राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत गोपालपुरा (पं.सं. धरियावद) में इंदिरा आवासीय योजना में किन-किन लोगों को आवास आवंटित किये गये हैं ? जिन लोगों को आवंटन हुआ क्या वे उसके पात्र हैं ? यदि हां, तो क्या पंचायत क्षेत्र में इस योजनान्तर्गत आवास प्राप्त करने वाले लोगों से बदतर माली हालत के लोग हैं या नहीं ? यदि हैं, तो क्या यह योजना का दुरुपयोग नहीं है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत पारसोला आड, गोपालपुरा में जवाहर रोजगार योजना के, अन्तर्गत चलाये गये कार्यों की सूची स्टेटमेन्ट (1) पर है। इस योजना में चले सभी कार्य मौके पर है। लागत की सूची स्टेटमेन्ट (1) पर दी गई है।

(2) हां, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गोपालपुरा पंचायत में 10 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है व कार्य पूर्ण होने पर गठित कमेटी द्वारा आबंटन किया जावेगा आवास गृहों का अभी आवंटन नहीं हुआ है इसलिए सूची उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 1 उत्तर में दे दिया गया है कार्य की तसदीक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गई है इसकी सूची स्टेटमेन्ट नं. 1 में दी गई है।

(4) ग्राम पंचायत गोपालपुरा में इन्दिरा आवास योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है आबंटन पूर्ण होने पर गठित आबंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया जावेगा। योजना का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**फतहनगर कृषि उपज मण्डी की आय**

523. **श्री शांति लाल** (राजसमंद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी फतह नगर में पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन औसतन विभिन्न

(36)



(श्री शांति लाल)

कृषि जिन्सों की अलग-अलग आवक कितनी-कितनी रही ?

(2) जिन्सवार उक्त अवधि में कृषि उपज मण्डी को प्रति माह कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है ?

(3) उक्त उपज मण्डी में कौन-कौन कर्मचारी कितनी-कितनी अवधि से कार्यरत हैं, तथा कहां-कहां के मूल निवासी हैं ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति फतहनगर की पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन विभिन्न कृषि जिन्सों की औसत आवक संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) गत दो वर्षों में प्रतिमाह जिन्सवार मण्डी शुल्क की आय संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार हुई है।

(3) सूचना परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

**श्री कल्याण अस्पताल, सीकर**

524. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल सीकर परिसर की चारदीवारी में दो दरवाजे पूर्व दिशा में व दो दरवाजे पश्चिम दिशा में बने हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पश्चिम दिशा का एक दरवाजा पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यकाल में हमेशा के लिये बन्द कर दिया गया था ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है, कि स्वास्थ्य अधिकारी से ठीक पहिले वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस अस्पताल की उत्तर दिशा में मुर्देखाने के बगल में एक दरवाजा व एक कम चौड़ा रास्ता एक व्यक्ति विशेष की दुकानों को महत्व देते हुए बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित कार्यवाही के फलस्वरूप तत्कालीन सी. एम. एच. ओ. के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार उत्तर दिशा वाले दरवाजे को अविलम्ब बन्द करवाकर इस सारे मामले की जांच करवाकर वास्तविकता का पर्दाफाश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, उत्तर दिशा में मुर्दाखाने की बगल में एक गेट ट्रैफिक आवागमन के लिए राज्य सरकार के आदेश क. प. 15(1) चि0 स्वा/ग्रु.प-2/89 दिनांक 14-8-89 के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से खुलवाया गया।

—दूसरा दरवाजा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दीवार तोड़कर बनाया गया था, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(चिकित्सा मंत्री)

बन्द करवा दिया गया था, परन्तु पुनः दीवार तोड़कर दरवाजा जैसा बना लिया गया है, जिसकी मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है।

(4) जो दरवाजा असामाजिक तत्वों द्वारा दीवार तोड़कर बनाया गया था, उसको बन्द कराने की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकरण में जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**सरपंच पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा गबन**

525. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1978 में कोलिया पंचायत समिति डीडवाना, थाना, डीडवाना, जिला नागौर के सरपंच श्री मैढ ने तत्कालीन सरपंच श्री जीवन सिंह के विरुद्ध पंचायत की सम्पत्ति का गबन, फर्जी रेकार्ड तैयार करने सम्बन्धी मुकदमा दर्ज कराया था, जो मु. नं. 22/78 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 467, 468, 461 में कायम हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमे की जांच होकर जिला मजिस्ट्रेट नागौर ने उक्त मुकदमे के चालान की स्वीकृति राज्य सरकार से 1978 में ही पत्रावली भेज कर चाही थी ? यदि हां, तो क्या चालान की स्वीकृति दे दी गई ? नहीं तो क्यों ? क्या अब राज्य सरकार चालान की स्वीकृति देने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जिला दण्डनायक नागौर ने उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अनुसंधान पत्रावली एवं चालान स्वीकृति का प्रारूप राज्य सरकार को दिनांक 24 अगस्त, 1982 को भेजा जाना बताया है, जब कि उक्त रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में चालान की स्वीकृति दिये जाने पर निर्णय नहीं लिया जा सका। यदि चालान स्वीकृति पुनः मांगी जाती है ताकि राज्य सरकार गुणावगुण आधार पर निर्णय लेगी।

**विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चिकित्सकों के स्वीकृत पद**

526. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चिकित्सालयों में कहां-कहां पर कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने कार्यरत हैं ? उनका नाम, पद, नियुक्ति स्थान आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उनमें से अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कहां पर तथा क्यों ?

(38)



(श्री हीरा लाल आर्य)

(3) क्या सरकार सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चिकित्सालयों में स्वीकृत पद एवं कार्यरत पदों का विवरण मय पद एवं नियुक्ति स्थान की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, कुछ अधिकारी/कर्मचारीगण को कार्य की अधिकता एवं विशेष कारणों से कार्य हेतु जिले में दूसरे स्थानों पर लगाया हुआ है जिनका विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में दिया हुआ है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**ग्रामीण हाट योजनान्तर्गत निर्माण**

527. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में राज्य में ग्रामीण हाट योजना के अन्तर्गत निर्माण कराये गये थे ? यदि हां, तो कहां पर तथा उन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराने का क्या उद्देश्य था तथा क्या उनका सही उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) छोटे गांवों में कृषि विवरण की सुविधा बढाने के लिए ग्रामीण हाट योजना लागू की गई है इनका विशेष लाभ मिले इस दृष्टि से पंचायतों से भी इस बारे में सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है इस योजना के अन्तर्गत चबूतरों का निर्माण, पानी, रोशनी आदि का प्रबन्ध किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**पंचायतों का पुनर्गठन**

528. **श्री भैंरूलाल** (शाहपुरा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्तमान पंचायतों का गठन कब हुआ ?

(2) गठन का आधार क्या जनसंख्या थी ?

(3) यदि हां, तो जनसंख्या के आधार पर क्या सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या प्रान्तीय स्तर पर यह कार्य एक साथ होगा ?

(4) यदि हां, तो क्या चुनाव पूर्व सभी पंचायतों का पुनर्गठन कार्य पूर्ण होगा ?

(श्री भैरुलाल)

(5) यदि हां, तो पुनर्गठन कार्य का कब से प्रारम्भ किया जावेगा और इसका आधार क्या होगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान पंचायतों का गठन वर्ष 1960 में हुआ था।

(2) जी नहीं। गठन का आधार पंचायत मुख्यालय को जनता के लिए अधिक सुगम बनाने तथा उसे राजस्व प्रशासन की ग्राम स्तरीय इकाई पटवार क्षेत्र से यथा संभव सम सीमान्त बनाने का था।

(3) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है परन्तु पुनर्गठन करते समय अन्य आधारों के अतिरिक्त जनसंख्या का भी ध्यान रखा जावेगा।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और न ही आधार के सम्बन्ध में कोई विचार किया गया है।

**अजमेर जिले के अपूर्ण कार्य**

529. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में एन. आर. ई. पी. आर. एल. ई. जी. पी. व जवाहर रोजगार योजना के तहत कितने-कितने कार्य अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है ?

(3) राज्य सरकार इन अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की क्या योजना रखती हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 209 कार्य अधूरे है। योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| एन. आर. ई. पी | = | 48 |
| आर. एल. ई. जी. पी. | = | 10 |
| जे. आर. वाई | = | 151 |
| योग– | = | 209 |

उक्त कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) इन अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रुपये 90.91 लाख की आवश्यकता है।

(3) अपूर्ण कार्यों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान व आगामी वर्षों में उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये, प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**राजस्थानी फिल्मों को कर मुक्ति**

530. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(1) राजस्थानी भाषा में वर्ष 1977 से अब तक बनी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति दी गई ?

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन की दृष्टि में सभी फिल्मों को कर मुक्त करने का इरादा रखती है। यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) सन् 1977 से मई, 1990 तक 10 राजस्थानी भाषा की फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति दी गई।

(2) राज्य सरकार की दिनांक 19-12-1988 को घोषित विद्यमान योजना के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा की उत्कृष्ट फिल्मों को 3 माह के लिए 25% मनोरंजन कर से छूट देय है। राजस्थानी भाषा की सभी फिल्मों को कर मुक्त करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी फिल्में भी आ जायेंगी जो कि स्वास्थ्य मनोरंजन एवं उत्कृष्टता की श्रेणी में नहीं होगी।

**लालसोट क्षेत्र की सड़क**

531. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) :—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के अधिकतर ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? सूचना निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें : (1) क्र. सं. (2) ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम (3) पक्की सड़कें हैं अथवा नहीं (4) पक्की सड़कें हैं तो निकटतम सड़क की दूरी (5) क्या उस ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लालसोट तहसील में सन् 1985 से 1989 तक किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा गया तथा कितनों की प्रशासनिक स्वीकृति हुई परन्तु डामर युक्त सड़क का निर्माण नहीं हो पाया ? इन सब ग्राम पंचायत मुख्यालयों का नाम सड़कों की लम्बाई, वर्ष तथा राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लालसोट क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत हेतु गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि बजट में स्वीकृत हुई ? उसमें से कितनी उपयोग में आई व कितनी लैप्स हुई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि अधिकतर पंचायत मुख्यालय पक्की सड़कों से नहीं जुड़े है। जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) लालसोट तहसील में सन् 1985 से 1989 तक किये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) लालसोट तहसील में वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक कुल 85.11 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इस समस्त राशि का उपयोग प्रति वर्ष मरम्मत के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्यों में उपयोग में ली जाती रही है। किसी भी वर्ष में कोई राशि लैप्स नहीं हुई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**पंचायत समिति, बामनवास का विद्यालय भवन**

532. **श्री कुंजीलाल (बामनवास)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक विद्यालय, वाड कोयला व नागरहेड़ा पंचायत समिति बामनवास के भवन की भूमि पंचायत की है या किसी खातेदार की है ? यदि भूमि किसी खातेदार की है, तो खातेदार से कितनी भूमि ली गई है।

(2) क्या प्राथमिक विद्यालय भवन, नागरहेड़ा पंचायत समिति, बामनवास की भूमि विद्यालय के लिए पर्याप्त है ?

(3) क्या उक्त विद्यालय भवन सरपंच की देखरेख में बनाया गया या निर्माण कमेटी के माध्यम से भवन निर्माण में कितनी राशि का अग्रिम भुगतान हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई ?

(4) पंचायत समिति बामनवास में भवन निर्माण कमेटियों का गठन किस आदेश के तहत हुआ ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) विद्यालय भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उत्तर**

(1) प्राथमिक विद्यालय बाड कोयला भवन की भूमि श्री गंगाधर शर्मा निवासी बाड कोयला की खातेदारी भूमि थी। खातेदार से लगभग 51X150 फुट भूमि ली गई है।

प्राथमिक विद्यालय नाहरहेड़ा भवन की भूमि खातेदार श्री हरिनारायण से ली गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्राथमिक विद्यालय बाड कोयला व नागरहेड़ा का निर्माण, निर्माण कमेटी के माध्यम से हुआ है। बाड़ कोयला पर 22,499 रु. का अग्रिम भुगतान किया गया तथा 44,996 की राशि व्यय हुई है नागरहेड़ा पर 20,000 रु. की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया जबकि 44,244 रुपये की राशि व्यय हुई है।

(4) भवन निर्माण कमेटियों का गठन अतिरिक्त कलक्टर (विकास) सवाई-माधोपुर के आदेश दिनांक 9-5-86 द्वारा किया गया है। प्रतिलिपि तुरन्त उपलब्ध नहीं हुई है। प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जावेगी।

(5) विद्यालय भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 533

**(स्थगित)**

**केशवराय पाटन (बूंदी) के अपूर्ण कार्य**

534. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन)

एवं **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले की पंचायत समिति, केशवरायपाटन में जब से जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, तब से 31 मई, 1990 तक किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों हेतु, कब-कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस-किस अधिकारी द्वारा कब दिया गया ?

(3) क्या कोई कार्य अधूरे पडे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम पंचायत क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है व उनके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) बून्दी जिले की पंचायत समिति, केशवराय पाटन में जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ करने की तिथि से मई, 90 तक कुल 35,37,040/—रुपये की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों एवं ग्रामीण आवास निर्माण हेतु सीधे ही ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति के मार्फत उपलब्ध कराई गई थी। राशि उपलब्ध कराने की तिथि वार सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध हैं। इसके अलाथा इन्दिरा आवास, शौचालय निर्माण सार्वजनिक कूप गहरे कराने हेतु एवं स्थापना व्यय हेतु कुल 5,40,443/—की राशि पंचायत समिति को उक्त अवधि में हस्तान्तरित की गई जिसकी तिथिवार सूचना परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं, पंचायत समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा 31 मई, 90 तक 221 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा 121 कार्य अपूर्ण हैं। 28 कार्यों पर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। अपूर्ण कार्यों को वर्ष 90-91 में जारी की गई योजना की प्रथम किश्त की धन राशि से पूर्ण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। 32 ग्राम पंचायतों के पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन कर माप पुस्तिका में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इन्द्राज कर लिया गया है किन्तु अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, विभिन्न ग्राम पंचायतों में 121 कार्य अधूरे पडे हुए हैं। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की विस्तृत सूची परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर सरपंच, ग्रुप सचिव, कनिष्ठ अभियन्ता एवं विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होते है तथा ये ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। भारत-राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार गत वर्ष के अधूरे पडे कार्यों को वर्ष 90-91 में दी जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति को दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**खारची, देसूरी व रानी पंचायत में वानिकी कार्य**

535. **खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खारची, देसूरी व रानी पंचायत समिति में सन् 1988-89 व 1989-90 में वानिकी लगाने व टांका योजना की कितनी-कितनी मंजूरी हर पंचायत समिति वार थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वानिकी योजना में किस-किस नियमों के अनुसार राशि दी गई व किस किस पंचायत में किस-किस को कितनी-कितनी राशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वानिकी योजना में लगे वृक्षों का निरीक्षण किस-किस समय व किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया और क्या-क्या परिणाम सामने आये ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जांच रिपोर्ट में ऐसे भी कार्य आये जहां कोई कार्य नहीं हुआ और राशि का दुरूपयोग हुआ ? जांच में दोषी कितने व्यक्ति पाये गये, जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ? अब कार्यवाही कब की जायेगी ?

**उत्तर**

(1) खारची, देसूरी व रानी पंचायत समिति में वर्ष 88-89 व 89-90 में पंचायत समितिवार वानिकी एवं टांका लगाने हेतु स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | पंचायत समिति | वानिकी कार्य | | | टांका निर्माण कार्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 88-89 | 89-90 | योग | 88-89 | 89-90 | योग |
| 1. | खारची | 1.23 | 4.06 | 5.29 | 3.86 | 0.18 | 4.04 |
| 2. | देसूरी | 1.23 | 3.53 | 4.76 | — | — | — |
| 3. | रानी | 1.09 | 2.84 | 3.93 | — | — | — |

(2) वानिकी योजना में वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राशि पंचायत समितियों को उपलब्ध कराई गई है। वानिकी कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की पंचायत वार एवं कार्य वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (एनेक्चर "ए")

(विशिष्ठ संगठन योजना संगठन मंत्री)

(3) वानिकी योजना में लगाये गये वृक्षों का निरीक्षण समय-समय पर पंचायत समितियों के विकास अधिकारी/कृषि प्रसार अधिकारी/अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया और जांचोपरान्त लगभग 50% पौधे जीवित पाये गये।

(4) पंचायत समिति स्तर पर जिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं पाया जहां कार्य न हुआ हो एवं राशि का दुरुपयोग हुआ हो। इन जांचों में किसी व्यक्ति के दोषी न पाये जाने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**रेणी एवं राजगढ़ पंचायत समिति के उच्च प्राथमिक विद्यालय**

536. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ की रेणी पंचायत समिति एवं राजगढ़ पंचायत समिति में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं ? विद्यालयवार छात्र एवं अध्यापकों की संख्या का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या छात्रों के शिक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में अध्यापकों को स्ट्रेन्थ कम है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में मापदण्ड अनुसार अध्यापकों के पद स्थापन का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित है। अतिरिक्त पदों के सृजन पर राज्य सरकार की विषम वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जावेगा। अभी कोई आश्वासन दिया जाना संभव नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**डी. आर. डी. ए. के तहत अनुदान**

537. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में व्यवसायिक बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बैंक ऑफ बड़ोदा, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इत्यादि द्वारा सन् 1985 से मई, 1990 तक कितना ऋण दिया गया व डी. आर. डी. ए. के तहत कितना अनुदान हर बैंक को किस-किस व्यक्ति के नाम, किस किस गांव व तहसील में, किन प्रयोजनों हेतु भुगतान किया गया ?

(2) डी.आर.डी.ए. द्वारा इन व्यवसायिक बैंकों की दी गई सहायतार्थ राशि की जांच किस-किस समय किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई व उसके क्या परिणाम निकले ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(45)



उत्तर

(1) पाली जिले में व्यवसायिक बैंकों द्वारा अप्रेल, 1985 से मई 1990 तक विशिष्ठ योजनायें एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु राष्ट्रीय वृहद् कार्यक्रम, स्प्रिंकलर सेट योजना और वायोगैस में 90,35,395 रु. ऋण दिया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा उक्त अवधि एवं कार्यक्रमों में व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से रु. 57,34,878/- अनुदान राशि दी गई, जिसका बैंकवार, लाभार्थीवार विवरण प्रश्न में चाहे अनुसार संलग्न है।

(2) व्यवसायिक बैंकों द्वारा प्रदत ऋण राशी की जांच नहीं कराई जाती है, क्योंकि व्यवसायिक बैंक केन्द्र सरकार के अधीन हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन राजस्व अभियान में वर्ष 1989 में पंचायत समितियों के अधिकारियों द्वारा कराया गया। सर्वेक्षण के निम्न परिणाम निकले :—

| | |
|---|---|
| 1. संपादन पूर्ण पाये गये | 11900 |
| 2. संसाधन अपूर्ण पाये गये | 643 |
| 3. संसाधन अनुपलब्ध | 2067 |
| 4. संसाधन अपूर्ण दिलाना पाया गया | 30 |

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर जिले के किसानों को ऋण

538. श्री अजय सिंह (दांतारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार किसानों को फसल के सही दाम दिलाने तथा किसानों के आर्थिक हितों को मद्‌देनजर रखते हुए सीकर जिले के मुख्य मण्डी यार्डों में कृषि जिन्सें रहन रखकर 60% ऋण अग्रिम देने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वित्तीय कारणों से ऐसा करना सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत, भरनावा के सरपंच द्वारा गबन

539. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भरनावा के सरपंच श्री हनुमान राम को सरकार द्वारा माह अप्रेल 1988 से जून 1988 के मध्य तक छः सांडों की चराई हेतु राशि रुपये 3822/- का दिनांक 21-6-88 को भुगतान किया गया था ?

(2) यदि सरपंच ने उक्त राशि का गबन किया है, तो सरकार सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(श्री मनोहरसिंह)

(3) क्या सरपंच ने उक्त राशि ग्राम वासियों को सांड की चराई के निमित्त दे दी है ?

(4) यदि नहीं, तो, क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गबन किये जाने की कोई सूचना नहीं है, अतः सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

**सरपंच नांगल जैसा बोहरा (जयपुर) द्वारा अनियमितता**

540. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति, झोटवाड़ा की ग्राम पंचायत नांगल जैसा बोहरा के सरपंच श्री बंशीधर सैनी के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 105/खा. मं./अ. ता. दिनांक 11-11-87 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच की काम के बदले अनाज योजना में फर्जी मस्टररोल तैयार करके गबन करने तथा नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकृत करने तथा लाखों रुपयों की अवैध रूप से आबादी व सवाई चक भूमि को बेचने के लिए राज्य सरकार द्वारा उसे प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने पर जिलाधीश, जयपुर ने दिनांक 24-6-83, 4-9-85, 22-11-85 एवं 2-9-87 को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इतने पुराने मामलों में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार पंचायत अधिनियम के तहत उक्त सरपंच के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि नवयुवक मंडल, नांगल जैसा बोहरा ने पंचायत राज्य मंत्री को एक शिकायत की थी कि बंशीधर सैनी, सरपंच व प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा ने जिला जयपुर ने 41 फ्लश के तहारतों का ठेका अपने ही भाई को देकर 45 हजार रुपये का गबन किया है ? जांच होने पर क्या यह आरोप सही पाया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री बंशीधर सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत नांगल जैसा बोहरा के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाये जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न

(पंचायत राज्य मंत्री)

के भाग (2) के संबंध में रखी गई सूची में में अंकित हैं।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। इस मामले की रिपोर्ट भिजवाने हेतु दिनांक 15-6-90 को विकास अधिकारी झोटवाड़ा को लिखा गया हैं। अभी तक रिपोर्ट प्रप्त नहीं हुई हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**सीकर में पौध विकास केन्द्र की स्थापना**

541. **श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रोजड़ी जिला बीकानेर में उन्नत खजूर उत्पादन फार्म कार्यरत है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जिला सीकर में भी जिला अजमेर एवं बीकानेर की तरह विभिन्न फलों के उन्नत उत्पादन के लिए फलों के पौधों के विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जिला सीकर में इस वर्ष विभिन्न फलदार पौधे उत्पादन हेतु नर्सरी केंन्द्र की स्थापना विचाराधीन है। जिला अजमेर तबीजी ग्राह्य अनुसंधान केंन्द्र पर वर्ष 1990-91 में नर्सरी चालू की जा रही हैं।

**ग्राम सोमासा (जिला चूरू) से बालिका का अपहरण**

542. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुमारी गीता पुत्री बालूराम नायक अनुसूचित जाति ग्राम सोमासा तहसील चूरू जिला चूरू की निवासी है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राम सोमासा से दिनांक 14-7-89 को भगा कर ले जाया गया? यदि हां, तो क्या पुलिस ने उक्त लड़की को बरामद कर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि कु. गीता के बाबत अभिभावकों द्वारा दिनांक 17-7-89 को ही थाना पुलिस मालेरी जिला चूरू में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और लड़की का फोटो आदि भी उपलब्ध करवादी गई थी? यदि हां, तो थाना पुलिस मालेरी ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही हैं कि कु. गीता के पिता बालू राम नायक ने एस. पी. चूरू जिलाधीश चूरू, आई. जी. जयपुर, मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर तथा प्रधान मंत्री, भारत सरकार को भी समय-समय पर दरख्वास्तें प्रस्तुत करके लड़की को बरामद करने की गुहार की ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)

की ? यदि गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कु. गीता साक्षर है और लगभग 16-17 साल की अवस्था है तथा लड़की के पिता ने गांव में कुछ लोगों पर संदेह भी व्यक्त किया है, जिनके साथ बालूराम की अदावत है, फिर भी पुलिस ने इस संबंध में आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न करके एक गरीब हरिजन के साथ अन्याय किया है ?

(5) सरकार निश्चित् बता दें कि इस संबंध में क्या कार्यवाही अब की जावेगी और लड़की को कब तक बरामद करके दोषियों को दण्ड दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कु. गीता के भाई द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कु. गीता का दि. 14/7/89 को स्वयं घर से जाना अंकित किया गया है। गीता का अभी कोई पता नहीं चला है।

(2) जी हां, दि. 16/7/89 को कु. गीता के भाई द्वारा गीता के स्वयं घर से चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और फोटो भी उपलब्ध करवाया था जिसकी मुश्तहरी विभिन्न स्थानों पर करवाई गई है तथा एस. एच. ओ. भालेरी द्वारा उसे जयपुर, हिसार आदि अन्य शहरों में स्वयं ने तलाश किया व अधिनस्थ कर्मचारियों से भी करवाया तथा मुखबीर भी कायम किये गये।

(3) पुलिस अधीक्षक चूरू को दरख्वास्त प्राप्त हुई थी। पुलिस कुमारी गीता की बरामदगी हेतु प्रयत्नशील है।

(4) जहां तक संदेह का प्रश्न है बालूराम का उसके सगे भाई कुम्भाराम ईश्वरराम आदि एवं उनके लड़कों के साथ भूमि सम्बन्धी विवाद एस. डी. एम. कोर्ट चूरू में विचाराधीन हैं, जांच के दौरान ग्राम सोमासा के सरपंच एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा इसका ताईद करते हुये बताया है कि बालूराम कु. गीता की आड़ में अन्य कई व्यक्तियों को फसाना चाहता है। दौराने जांच यह पाया गया कि कु. गीता का एक पत्र बालूराम को मिला है। बालूराम ने पहले तो इस तरह का कोई पत्र आने के विषय में मना किया, परन्तु उसकी पत्नी ने कु. गीता का पत्र आना स्वीकार किया, तब बालूराम ने मूल पत्र नहीं देकर उसकी फोटो स्टेट कापी उपलब्ध करवाई। उसमें बहुत सी जगह कांट-छांट ब्लेड से करके शब्दों को मिटाया गया है। बालूराम ने पत्र को कु. गीता द्वारा नहीं लिखना जाहिर किया जबकि उसके भाई धर्मपाल ने कु. गीता की ही लिखावट होना व उसे पहचानना जाहिर किया। उसके पश्चात् कु. गीता के भाई धर्मपाल ने मूल पत्र को जांच के दौरान थानाधिकारी को पेश किया, जिस पर पोस्ट आफिस की मोहर जहां से पत्र भेजा गया उसे भी ब्लेड से मिटा दिया गया है। ताकि भेजने के स्थान का पता नहीं चले। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि कु. गीता या तो स्वयं गई है या बालूराम के इशारे

(गृह मंत्री)

पर उसे कहीं भेज रखा है और जमीन के बटवारे के चक्कर में वह अपने भाइयों को फसाना चाहता है। पुलिस ने प्राप्त रिपोर्ट पर ही कार्यवाही का है।

(5) कुमारी गीता की तलाश पहले से ही की जा रही हैं असलियत का पता कु. गीता के मिलने के पश्चात् ही पता चलेगा और उसके पश्चात् जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जायेगी।

**जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के अपूर्ण कुए**

543. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर के रिकार्ड के अनुसार जिले में किस-किस के कितने कुएं राजकीय मदद के अभाव में अपूर्ण पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कुओं में से कितने हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ? संख्या एवं सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पैरा (1) व (2) की सूची में से व उसके अलावा किस-किस काश्तकार द्वारा गत दो वर्ष में उनके अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराने का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार/प्राधिकारण को प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) बिन्दु 1 से 4 तक के सम्बन्ध में अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर के रिकार्ड के अनुसार जिले में जीवनधारा, मैसिव तथा एकी. ग्रा. वि. का. योजनाओं के तहत राजकीय मदद के अभाव में कोई भी कूप अधूरा नहीं पड़ा हुआ है।

(2) राजकीय मदद के अभाव में अनु. जाति/जनजाति के कोई भी कुए अधूरे पड़े हुए नहीं है। इसलिये सूची सलग्न नहीं की जा रही है।

(3) पैरा 1 व 2 की सूची में से व उनके अलावा किसी भी काश्तकार द्वारा गत दो वर्ष में उनके अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराने का कोई भी प्रार्थना पत्र अभिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। अतः कोई सूची संलग्न नहीं की जा रही है।

(4) उपरोक्तानुसार

(5) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से विभिन्न योजनाओं के तहत कुएं खुदवाने हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार ऋण व सहायता उपलब्ध कराई

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

जाती है। कृषक जैसे-जैसे नये कुएं खुदवाने की प्रगति करता है उसे किश्तों में भुगतान किया जाता है। इकाई लागत से अधिक खर्चा आता है तो वह काश्तकार को अपने स्तर से वहन करना होता है। ऐसे अधूरे रह जाने वाले कुओं का रिकार्ड अभिकरण स्तर पर नहीं रखा जाता है। नये कुएं बनाने की लागत बढ़ाने पर समय समय पर इकाई लागत बढ़वाने हेतु नाबार्ड को निवेदन किया जाता है।

**माण्डलगढ़ क्षेत्र में पट्टियों पर बिक्री कर**

544. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ क्षेत्र उपरमाल में इमारती पत्थर की निकाले जाने वाली पट्टियों व फर्सी पर सन् 1985 से लेकर मार्च, 1990 तक बिक्रीकर पट्टियों पर किस दर पर लिया जाता रहा है? 1985 से लेकर आज तक उक्त क्षेत्र से माहवार कितना बिक्री कर प्राप्त होता रहा है?

(2) क्या बिक्री कर पट्टियों को कम कीमत पर लिया जाना भी पाया गया है? यदि हां तो ऐसे मामले कितने पकड़े गये? और इस तरह आज तक बिक्री कर की कितनी हेफाफेरी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र उपरमाल में इमारती पत्थर की निकाले जाने वाली पट्टियों/फर्सी पर सन् 1985 से लेकर मार्च, 1990 तक बिक्री कर निम्नलिखित दर से लिया गया :—

| क्र. सं | अवधि | दर | सरचार्ज |
|---|---|---|---|
| 1. | 1985(31-7-85 तक) | 8% | X |
| 2. | 1-8-85 से 30-3-87तक | 8% | 10% |
| 3. | 31-3-87से 7-3-88तक | 8% | 20% |
| 4. | 8-3-88से31-3-90तक | 10% | X |

1985 से लेकर मार्च 1990 तक माहवारी बिक्री कर प्राप्ति का मानचित्र संलग्न है।

(2) जी हां/कर विभाग की जांच चौकियों पर जांच फलस्वरूप कुल 18508 मामलों में बिक्री कर कम कीमत पर व्यवहारियों द्वारा वसूल किया पाया गया। माल की किस्म के आधार पर विभागीय जांच चौकी लाडपुरा व भोपतपुरा के प्रभारियों ने स्व-विवेकानुसार कीमत का आंकलन कर अंतर कर वसूल किया। ऐसे मामलों की संख्या व बिक्री कर की राशि संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित की गई है। नम्बर, 1987 से दिसम्बर, 1988 तक ऐसे अन्तर कर की वसूली खनिज विभाग द्वारा की गई है मानचित्र संलग्न है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली संपूर्ण कर राशियों की वसूली यथा समय कर ली गई, अतएव हेरा-फेरी का कोई मामला नहीं बना।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

## पालोट पंचायत में जवाहर योजनान्तर्गत अनियमिततायें

545. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पालोट पंचायत में कराये गये जवाहर योजना के कार्यों में सरपंच ने भारी घपला किया है एवं प्रधान का रिश्तेदार होने के कारण ओवरसियर ने फर्जी एम. बी. भर दी तथा कम से कम एक लाख का घोटाला किया ? यदि हां, तो इसकी विस्तृत जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पालोट पंचायत की मिली सम्पूर्ण राशि खर्च हो गई ? यदि हां, तो कितने कार्य कितने-कितने रुपयों के स्वीकार किये व कितने-कितने रुपये किन किन कार्यों पर खर्च किये ? कार्य का किस किस अधिकारी ने निरीक्षण किया व एम. बी. किस ओवरसियर ने तैयार की ? नियमानुसार कमेटी में कितने व कौन कौन व्यक्ति हैं और क्या मस्टर रोलों पर नियमानुसार होने वाली तस्दीक हो गई ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे गलत कार्यों की जांच करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत पालोट को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु. 2,87,050/– नकद एवं 20 क्विटल गेहूं का आवंटन किया गया। इसके विरुद्ध कुल रु. 2,38,400/- के 16 निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें से 14 कार्यों पर कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कराये गये एवं इन कार्यों पर 1,87,527/- रु. की नकद राशि एवं 4,958/- रु. का खाद्यान्न कुल रु. 1,92,485/- की राशि व्यय की गई इसमें से 12 कार्यों का मूल्यांकन कर दिया गया है एवं 2 का कार्य तो पूर्ण है परन्तु मूल्यांकन किया जाना शेष है। कार्यों का निरीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता महिपाल मांकर द्वारा किया गया एवं कार्यों की एम. बी. भी श्री महिपाल मांकर द्वारा ही तैयार की गई।

ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं देखरेख हेतु ग्राम पंचायत पालोट के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 24-7-89 द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसके निम्न सदस्य हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सरपंच | अध्यक्ष |
| 2. | उमाराम (अनु. जाति प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 3. | जयनारायण वार्ड पंच | सदस्य |

ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के मस्टर रोलों का सत्यापन भी उक्त समिति के सदस्यों ने किया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

## चौसला सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार

546. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(52)



(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौसला पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिये वहां के नागरिकों वार्ड पंच, उप सरपंच आदि ने दिनांक 5-12-85 को राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, उस पर क्या कार्यवाही हुई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में परिवाद संख्या 2965/85 दर्ज किया जाकर शिकायत कर्त्ताओं ने अपने आरोपों की पुष्टि में बयान भी अंकित करा दिये थे ? क्या सरकार उक्त पंचायत के समस्त रेकार्ड को जब्त कर जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में परिवाद सं. 2965/85 दर्ज किया गया था। बाद सत्यापन आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर यह परिवाद दिनांक 2-7-86 को नस्तीबद्ध कर दी गई। किन्तु श्री भीमाराम शर्मा द्वारा पुनः प्रस्तुत शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 27-1-90 को पुनः जांच की गई थी। वेरीफिकेशन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में 2965/85 व तदोपरान्त पुनः सत्यापन करने पर आरोप अप्रमाणित पाये हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सम्बन्धित के बयान लिये गये व रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 547
(स्थगित)

**विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की सड़कें**

548. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के निम्नांकित ग्राम अभी तक अर्थात् आजादी के 42 वर्ष बाद भी मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े हैं और अलग पड़े हैं :—

नवाब, चांदसेन, बनेदड़ी, हाथीपट्टा, पालरा, पढियानी, जातिया, बलवता, काबरीचाट, हणुतिया, रामपुरा अहिरान, जसवंतपुरा, रामपुरा, धोलादांता न्यारा, काबरी छाट, भगवानपुरा, अणसरी नाथूथला, कोटाज, पापूधान, रूदलाई, अमरगढ़, तितरड़ी, रामपुरा गोला, नयागांव, सामला तिलाना, बनवेडा, गुदली भबरकिया पृथ्वीराज खेड़ा, (गोला) अमृतपुरा आदि ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त गांवों को चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या योजना है और क्रियान्विति कब तक होगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। इन 34 गांवों में से 4 गांव डामर की सड़क से जुड़े हुए है, 1 ग्राम मेटल सड़क से जुड़ा है, 13 गांव ग्रेवल की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क से जुड़े है और 13 ग्राम किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। बाकी के 3 गांव जो कि सूची में दर्शाये गये है वह इस विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है।

(2) जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं है उनको जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

**भीलवाड़ा जिले के निर्माण कार्य**

549. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्ष भीलवाड़ा जिले की अलग-अलग तहसीलों में कौन-कौन से और किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य कितनी कितनी लागत के स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्वीकृत कार्यों में से, कौन कौन से अधूरे हैं और कौन-कौन से पूरे हो गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष भीलवाड़ा जिले की अलग अलग तहसीलों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ?

(4) जिन कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो गयी है, कब तक शुरू कर दिये जायेंगे ? शुरू किये जाने वाले स्वीकृत कार्य कितनी कितनी राशि के व कौन-कौन से हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पिछले वित्तीय वर्ष 1989-90 में भीलवाड़ा जिले की अलग अलग तहसीलों में निम्न लिखित कार्य स्वीकृत हुये। जिनकी राशि उनके आगे दर्शायी गई है।

| क्र.सं. | तहसील | भवन कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि (लाखों में) | सड़क कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भीलवाड़ा | 6 | 47.43 | 6 | 38.34 |
| 2. | शाहपुरा | 4 | 41.33 | 1 | 8.00 |
| 3. | जहाजपुर | 2 | 2.50 | 5 | 32.00 |
| 4. | हुरड़ा | 2 | 22.82 | 1 | 10.00 |
| 5. | बनेड़ा | 3 | 3.50 | 4 | 15.50 |
| 6. | माण्ड़लगढ़ | 9 | 10.20 | 11 | 492.30 |
| 7. | कोटड़ी | 4 | 14.40 | — | — |
| 8. | माण्ड़ल | 2 | 2 50 | 3 | 22.00 |
| 9. | रायपुर | 3 | 3.50 | 3 | 26.50 |

(54)



(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | आसीन्द | — | — | 1 | 6.50 |
| 11. | सहाड़ा | — | — | 2 | 5.00 |
| | योग:– | 35 | 148.18 | 37 | 656,14 |

सड़क एवं भवन के कार्यों का विवरण क्रमश: तालिका "अ" एवं "ब" में दर्शाया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की तहसीलवार स्थिति निम्न प्रकार है।

| क्र.सं. | तहसील | भवन कार्यों की संख्या | | सड़क कार्यों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पूर्ण | अपूर्ण | पूर्ण | अपूर्ण |
| 1. | भीलवाड़ा | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 2. | शाहपुरा | 1 | 3 | — | 1 |
| 3. | जहाजपुर | — | 2 | — | 5 |
| 4. | हुरड़ा | 1 | 1 | 1 | — |
| 5. | बनेड़ा | — | 3 | 1 | 3 |
| 6. | माण्डलगढ़ | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 7. | कोटडी | 1 | 3 | — | — |
| 8. | माण्डल | — | 2 | 1 | 2 |
| 9. | रायपुर | — | 3 | — | 3 |
| 10. | आसीन्द | — | — | 1 | — |
| 11. | सहाड़ा | — | — | — | 2 |
| | योग:– | 5 | 30 | 6 | 31 |

भवन एवं सड़क के प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति तालिका "अ" एवं "ब" में दर्शायी हुई है।

(3) वित्तीय वर्ष 1989--90 में भीलवाड़ा जिले में कोई भी नये (ओरीजिनल) कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 1990--91 में कोई नया (ओरीजिनल) कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अत: शुरू करने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### पंचायत समिति बामनवास व बोंली की सड़कें

550. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति बामनवास व बोंली के किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कब तक सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में सड़कों से जोड़ने का सरकार का इरादा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

#### उत्तर

चालू वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति बामनवास तथा बोंली पंचायत समिति में किसी भी पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम नहीं है। बामनवास पंचायत समिति में एक सड़क बामनवास से रिवाली की स्वीकृति है जिसके अन्तर्गत एक पंचायत मुख्यालय रिवाली (जनसंख्या 2912, जनगणना 1971 के अनुसार) अगले वित्तीय वर्ष तक जुड़ने की सम्भावना है।

### सपोटरा क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन हेतु सड़कों का निर्माण

551. **श्री प्रभूलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सपोटरा विधान सभा क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित है ? क्या उक्त क्षेत्र हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कितनी राशि के कितनी सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं ?

(2) केन्द्र सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत सपोटरा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि प्रदान की ?

(3) अब तक कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा कितना कार्य बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में से कितनी राशि अब तक व्यय हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

#### उत्तर

(1) जी हां। सपोटरा विधान सभा क्षेत्र दस्यु प्रभावित घोषित है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के 12 सड़कों के प्रस्ताव जिनकी अनुमानित लम्बाई 222 कि.मी. है तथा इनकी अनुमानित लागत 1125.48 लाख है, भेजे थे।

(2) केन्द्र सरकार ने सपोटरा क्षेत्र में 11 सड़क कार्यों के लिये 993.18 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों का आधा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(3) विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) माह मई, 1990 तक 602.54 लाख इन कार्यों पर खर्च हो चुका है। इस की आधी राशि (301.27 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा वहन की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**अलवर अस्पताल में प्रतिनियुक्त चिकित्सक**

552. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर के जनरल अस्पताल में कितने चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं? उन चिकित्सकों की मूल नियुक्ति किन-किन स्थानों पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर के जनरल अस्पताल में कोई भी चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर कार्य नहीं कर रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**जिला नागौर के न्यायालयों में लम्बित मामले**

553. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में किस किस न्यायालय में कितने कितने मुकदमे लम्बित हैं? न्यायालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अतिरिक्त जिला एवं सत्र-न्यायाधीश कोर्ट का कैम्प कहां-कहां लग रहा है? सब डिवीजनल मुख्यालय परबतसर पर कोर्ट कैम्प नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार ने परबतसर में विशेष न्यायालय का कैम्प कोर्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में घोषणा की थी? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्रियान्विति नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(4) अब कब तक कैम्प कोर्ट की व्यवस्था कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, नागौर का कैम्प कोर्ट डीडवाना में लगाया जा रहा है। अनेक कारणों से, जिनमें धनाभाव भी सम्मिलित है, सब-डिवीजन मुख्यालय परबतसर पर कैम्प कोर्ट स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) अनेक कारणों से, जिनमें धनाभाव भी सम्मिलित है, कैम्प कोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**मांगरोल क्षेत्र की सड़कें**

554. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):- क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार कोटा जिले के मांगरोल क्षेत्र के विकास के लिए

(श्री हीरालाल आर्य)

निम्न सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती हैं :—

1. मांगरोल-सूरथान वाया बमोरी कलां।

2. मांगरोल-कालापट्टा वाया रामगढ़।

3. अन्ता-मांगरोल वाया पचेल-मऊत्रा-किशनपुरा।

4. बमोरी कलां से अयाना।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों को निर्माण के कब तक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु प्राथमिकता में अभी सम्भव नहीं है।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

**विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की अपूर्ण सड़कें**

555. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के किन-किन गांवों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सड़कों से जोड़ दिया गया है और कौन-कौन से ग्राम शेष हैं ? शेष ग्रामों को कब तक सड़कों से जोड़ा जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अधूरी पड़ी सड़कों को ठेकेदारों से कब तक पूरा कराया जावेगा ? यदि ठेके की समयावधि समाप्त हो चुकी है और ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार उन्हें अपने अधीन लेकर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क से जुडे हुए एवं जुड़ने से शेष रहे गांवों की सूची "अ" "ब" संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र की 4 अधूरी सड़कों को ठेकेदारों के माध्यम से पूर्ण करवाया जा रहा है जिनमें दो सड़क कार्य 31-10-90 तक पूरा करवाने की सम्भावना है। एक कार्य को पूर्ण करवाने की समय अवधि समाप्त हो चुकी है उसके विरुद्ध अनुबन्ध के तहत कार्यवाही की जा रही है। चोथे कार्य की कार्य समाप्ति दिनांक 23-2-91 है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

**सेवा निवृत्त कर्मचारियों के प्रावधायी निधि खाते**

556. **श्री रामनारायण** (निवाई): क्या बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रावधायी निधि खाते के जयपुर जिले के कितने खाताधारियों को सेवा निवृत्ति पर उनकी समस्त जमा राशि ब्याज सहित देने के अथोरिटी लेटर अगस्त 1989 में जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खाताधारियों को इनकी जमा हुई अंशराशि, उस पर ब्याज

(श्री रामनारायण)

और कटौतियों का विवरण बतलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सामान्य प्रावधायी निधि नियमों के अन्तर्गत निदेशक को खाताधारी को प्रत्येक वर्ष में उसकी जमा हुई राशि उस पर ब्याज और खाते को डेबिट की गई राशि का विवरण अनिवार्य रूप से बतलाना चाहिये ?

(4) यदि हां, तो जयपुर जिले के अप्रेल, 1989 में सेवानिवृत्त हुए खाताधारियों के किस-किस वर्ष के विवरण नहीं बतलाए गये और क्यों ?

(5) सेवानिवृत्ति के पश्चात् जब खाताधारी के खाते में सभी वर्षों में जमा हुई राशि उस पर ब्याज और उस खाते में डेबिट की गई राशि का विवरण तैयार हो जाता है तो फिर यह विवरण नियमों की पालना करते हुए खाताधारी को क्यों नहीं दिया जाता ?

(6) क्या सरकार अब सभी वर्षों का यह विवरण तुरन्त उक्त खाताधारियों को भिजवाने का आदेश देकर तीन माह में उसकी पालना करवायेगी और अब तक इस नियम की पालना न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रावधायी निधि से संबंधित 82 सेवानिवृत खातेदारों को अगस्त 89, में ब्याज सहित पूर्ण भुगतान हेतु अधिकार पत्र जारी किये गये हैं । सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । खातेदारों को जिस अवधि तक की जमा राशि व ब्याज राशि दी गई, की सूचना अधिकार पत्र के पीछे दे दी जाती है । सेवानिवृत्ति पर भुगतान अधिकार पत्र के साथ जमा राशि एवं ब्याज की सूचना तथा कटौतियों का विवरण भिजवाने का कोई प्रावधान नहीं है । जो खातेदार अपना विवरण चाहते हैं, उन्हें इस विभाग द्वारा सूचित कर दिया जाता है ।

(3) जी हां ।

(4) नियमों में खाताबन्दी के पश्चात् वार्षिक विवरण-पत्र भिजवाये जाने का प्रावधान है । सेवानिवृत्ति पर अलग से विवरण-पत्र भिजवाये जाने का प्रावधान नहीं है । अब तक जयपुर जिले में वर्ष 1986-87 की खाताबन्दी हुई है । अतः वर्ष 1986-87 के विवरण-पत्र आहर्ता एवं वितरण अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों को वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं ।

(5) खातेदारों की पास-बुकों में पूर्ण विवरण होता है तथा समय-समय पर इस विभाग द्वारा विवरण-पत्र भिजवाये जाते रहे हैं । चूंकि वर्ष 1986-87 के आगे का सत्यापन, आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा स्वयं खातेदार द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर ही करके भुगतान किया जाता है, अतः पृथक से विवरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

(6) जयपुर जिले का वर्ष 1986-87 तक का विवरण-पत्र संबंधित आहरण एवं

(बीमा राज्य मंत्री)

वितरण अधिकारियों को कर्मचारियों को वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं तथा वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 का खतौनी कार्य चल रहा है और पूर्ण होते ही समस्त विभागों को कटौती विवरण-पत्र भिजवा दिये जायेंगे। जहां तक अगस्त, 89 में जारी 82 अधिकार-पत्रों से संबंधित अंशदाताओं का प्रश्न है इन्हें एक माह के भीतर सम्पूर्ण राशि की सूचना भिजवा दी जावेगी। चूंकि नियमान्तर्गत ऐसी सूचना सेवानिवृति के उपरान्त नहीं भेजी जाती है अतः किसी को दोषी ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

**जिला नागौर की अपूर्ण रपटें एवं पुलियाएं**

557. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में उपखण्ड परबतसर के अन्तर्गत कौन-कौन सी पुलिया व रपटें अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अपूर्ण पुलिया व रपटों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या मंडोवरी पुलिया टूटी हुई है? यदि हां, तो कब से? क्या इससे वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक कराद्दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**उत्तर**

(1) जिला नागौर में उपखण्ड परबतसर के अन्तर्गत अपूर्ण पुलिया तथा रपटों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गई है।

(2) अपूर्ण पुलिया तथा रपटों को पूर्ण करना योजना के अन्तर्गत प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) जी हां। तीन वर्ष से। जी हां वर्षा चालू होने के पश्चात आवागमन अवरुद्ध हो गया है। मार्च, 1991 तक।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) सर्व श्री सुरेन्द्र व्यास, गोविन्द सिंह, रामस्वरूप मीणा, रामनारायण वर्मा, जुबेर खां, बी. डी. कल्ला, हेतराम बेनीवाल, लक्ष्मीलाल एवं श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के गांव मिशुलिया में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ईश्वरलाल सैनी, रामस्वरूप मीणा, सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधानसभा की ओर से नगरपालिका टोडाभीम के कर्मचारियों द्वारा 2 माह से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) सर्व श्री रामनारायण वर्मा, प्रकाश चन्द बैरवा, जर्नादन सिंह गहलोत, प्रद्युम्न सिंह, दलजीत सिंह, जुबेर खां, राजेन्द्र कुमार, ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधानसभा

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से सवाई माधोपुर में जिले सक्रिय डाकू सरगना रामसिंह व भगवानसिंह द्वारा की जा रही हत्याओं तथा क्षेत्र के निवासियों पर व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधानसभा की ओर से श्री ग्यारसीलाल पुत्र कस्तूर चन्द कुली मलेरिया नगर परिषद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर द्वारा मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बाद भी बहाल नहीं करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधानसभा की ओर से राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन में दुग्ध समितियों तथा पशु नस्ल सुधार केन्द्रों में करोड़ों रुपये की दुग्ध वेनों व अन्य कीमती सामानों के दुरुपयोग व भारी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अविलम्ब जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सुरेन्द्र व्यास, प्रकाशचन्द बैरवा, विनोद कुमार, सदस्य, विधानसभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम बाड़ा (महारिया) में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि को सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा बरबाद करने एवं मारपीट करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार ने जानकारी दी है। दोनों ही जातियों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करायी है। दोनों पक्षों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु इस्तगासा पेश किया जा चुका है। दोनों पक्ष फिलहाल यथास्थिति बनाये हुए हैं। इस सम्बन्ध में इनके आपस मे सिविल मुकदमें न्यायालय में चल रहे हैं। दर्जशुदा दोनों मुकद्मात जेर तफ्तीश हैं। जिन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अतः प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय वर्ष कला के भूगोल विषय के प्रश्न-पत्र को राजस्थान कालेज के प्राचार्य व अन्य द्वारा निरस्त बताये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि यह सही है कि भूगोल का पेपर आउट नहीं हुआ था किन्तु राजस्थान कालेज में पेपर में व्यवधान के कारण उसके निरस्त कर दिये जाने से इस प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन छात्रों के भूगोल विषय की परीक्षा पुनः लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर बोलने के लिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री प्रद्युम्नसिंह, चन्दनमल बैद, सुरेन्द्र व्यास एवं श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, विधानसभा की ओर से दिगम्बर जैन मन्दिर की डीग, जिला भरतपुर से 20 जैन मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर, इस पर प्रद्युम्न सिंह जी को 2 मिनट बोलने की अनुमति देता हूं।

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से डग विधान सभा क्षेत्र की 39 पंचायतों में मिट्टी का तेल नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सहकारी समितियों का 10 साल से आडिट नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा सेण्टर कायम करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी नगरपालिका सीमा में चुंगी की भारी दर के कारण बूंदी का व्यापार चौपट होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर व टोंक सहकारी बैंक द्वारा एवार्ड न देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाम मुस्तफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती सुभानी पत्नी श्री बुल्लु खां व उसकी पुत्री के अपहरणकर्ताओं को नौ-दस महीने गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति समुदाय के परिवारों को घरेलू बिजली के कनेक्शन फ्री दिलवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15-ए समाप्त करने के संबंध में।

(10) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से रानीवाड़ा, जिला जालौर में आयी भीषण बाढ़ से जन धन की भारी क्षति होने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा वहां की जनता पर किये जा रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत सहायक आचार्यों की सेवाओं को स्थायी करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीलीबंगा में कालेज खोलने व हॉस्पिटल को अपग्रेड करने व बस अड्डा बनाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री जियालाल बंशीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जवाहर नगर, डिपो की बड़ी चौपड़ से आमेर मार्ग पर चलने वाली बसों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर, तहसील

62



(श्री अध्यक्ष)

शिव में विश्व के सबसे बड़े ग्राम सुन्दा में मीठा पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीग में विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिजली के करेन्ट से बालक महेन्द्र की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जनजाति व अनुसूचितजन जाति के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं की राशि प्रतिवर्ष लैप्स हो जाने के सम्बन्ध में।

श्री रामकरण सिंह जी का मुझे एक नोटिस मिला है। आप एक मिनट विराजिये। आप तो व्यासजी बहुत पुराने हैं। मेरे से भी अनुभवी हैं। जब तक मैं सीट पर नहीं बैठूं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया नियमों का पुराने लोग तो पालन करें ही, नयों को तो पता नहीं है। रामकरण सिंह जी आपकी तरफ से मुझे एक नोटिस मिला है। आप क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में। कहिये।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री रामकरण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही एक पावटा निवासी तीर्थ जी कम्पाउण्डर मेरे पास आये, परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे। वह बड़े घबराये हुए थे और उनको एक नोटिस मिला है चिट्ठी के रूप में कि जो ग्राम पावटे से ही डाला गया है, पावटे से ही विनरित हुआ है। उसमें उनको चेलेन्ज किया है कि या तो 15 तारीख तक फलानी जगह 50 हजार रुपये दे दो, वरना आपका इकलौता बेटा है, उसको हम कत्ल कर देंगे और साथ में, मैं जो चिट्ठी है, वह आपके सामने पढ़ देता हूं। तीर्थराम कम्पाउण्डर...

**अध्यक्ष** : आप चिट्ठी तो माननीय मंत्रीजी को दे देना। मैं कह देता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त ध्यान दे। जिस तरह की स्थिति है उसकी जांच कराये। आप विराजिये। आप यह चिट्ठी दे देना, गृहमंत्रीजी को। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था में पेज 137, किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व का विषय होने पर प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। यह 20-8-1974 का अध्यक्षीय निर्णय है। किसी अध्यक्ष द्वारा सदन में....

**श्री अध्यक्ष** : अब यह कौनसा प्रसंग आ गया यहां पर ?

**श्री हेतराम बेनीवाल** : 9 तारीख को नोटिस दिया था हमने यहां।

**श्री अध्यक्ष** : आपने कल कहा। मैंने कहा, तीन दिन का समय दिया है। कल

(श्री अध्यक्ष)

कहा है तीन दिन का, आज दूसरा दिन हुआ है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आपने तीन दिन का....

**श्री अध्यक्ष** : **Please, don't take this House at ransom.**

**श्री हेतराम बेनीवाल** : तीन दिन हो गये।

**श्री अध्यक्ष** : मेरा निवेदन सुनिये कि किसी भी माननीय सदस्य को इस सदन को अपने गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। मैं खड़ा हूं, बोल रहा हूं और आप सुन नहीं रहे हैं। कल आपने कहा था, मैंने कहा परसों के लिए। परसों मेरे पास आया है, मैंने तीन दिन में जवाब मांगा है। आज उसका तीसरा दिन पूरा होगा। अभी दिन शुरू हुआ है, आप फिर खड़े हो गये। कल आपकी मेरी इतनी बातचीत हो गयी। **You don't take the House at random.** आखिर यह सदन है, सदन की कुछ मर्यादाएं हैं। हर वक्त हर चीज मर्जी आये जो कहें, मैं समझता हूं यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, माननीय सदस्य, कल इस पर चर्चा हो चुकी है, आज अन्तिम दिन है। आज शाम तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद मुझे जो व्यवस्था देनी होगी, व्यवस्था दूंगा। उस वक्त आपको जो भी कहना है, कहने का आपको मौका मिलेगा। रोज-रोज सवाल को उठाने से कोई फायदा नहीं है। माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आपका यह जो आब्जर्वेशन है, हाउस को रेनसम पर हम नहीं रख रहे हैं, हाउस को रेनसम पर गवर्नमेण्ट रख रही है।

**श्री अध्यक्ष** : You are alone.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, परसों सण्डे है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बिराज जाओ। प्लीज सिट डाउन।

**श्री हमावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। अंकित मत करिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अंकित मत करिये। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जब आप कोई नियम या व्यवस्था मानने को तैयार ही नहीं हैं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे हाउस चलाना है, आज का बिजनस कराना है। **I don't want to waste the time of the House for the whole hour** कि आप जो चाहें बोलते जायं। आपकी और मेरी कल इतनी बहस हो चुकी। **Again you have started. Again you will get the time. This is not the proper way. After All, we are governed by certain rules. You are so senior member that**

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

I am sorry to say that I have to say all these things to such a senior member. I don't want to say. Please, keep quiet. Let the House go on. माननीय प्रद्युम्नसिंह जी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : I am drawing your attention towards a ruling made by the Speaker.

**श्री अध्यक्ष** : You may refer to that when the question comes. But the question has not come. Let me decide. Let me give my decision first. Then you may quote anything. माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। I am not entering into any discussion with you. I have not allowed you.

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप यह बताइये, साहब, कि आप व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं कल कह चुका। आज आखरी दिन तक I will wait for the Government's reply, तब मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। उस समय आपको जो कहना हो, आप जरूर कहिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रोज-रोज इस सवाल को उठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता, जब कि कल हो चुका था। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य समस्या यह है कि परसों इतवार है। परसों रेगुलेट होगा वापस, राजस्थान की जनता वापस पैट्रोल पम्पों को खुलवायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : आपको पता नहीं है कि अब पैट्रोल पम्प 12 बजे तक खुलेंगे। सण्डे को भी खुलते हैं। माननीय सदस्य, अब आप बिराजिये। यह सवाल अब उठाने से कोई फायदा नहीं है। माननीय सदस्य, मैं फिर नम्रता से आपको कह रहा हूं कि जब मैं व्यवस्था दूंगा आप जो भी कहना चाहेंगे

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, मैं आपसे नम्रता से कहता हूं कि आप मण्डल के लिए तय कर दीजिए कि चर्चा करायेंगे आप। आप मण्डे को व्यवस्था नही देंगे, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित रूप से यही कहेंगे कि मैं जानकारी मंगा रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : No member is supposed to dictate me from his seat. Don't try to dictate me. I will do. I have told you, I will do it but don't try to dictate me.

आप बिराज जाइये, बात हो गयी। Again you will start the same thing.

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं इसलिए कह रहा हूं कि-आपने अपनी एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था के बारे में हमारी यह रिक्वेस्ट है कि जिस बात के लिए सारा राजस्थान देख रहा है, इस घटना को हर लोग ने देखा है। सारे सदस्य शामिल हैं, सारे सदस्य यहां हाजिर हैं।

**श्री अध्यक्ष** : फिर वही बात। आप तथ्यों पर मत जाइये। आ गया वह, आपके सामने आ जायेगा। आप बिराजिये। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : On a point of Order.

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये, पाइण्ट आफ आर्डर।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेहरबानी करके गुस्सा न करें। हमेशा कालिंग अटेंशन मोशन, एडजार्नमैण्ट मोशन और 295 के ऊपर व्यवस्था सदन में आसन से दी जाती है। उसके बाद माननीय सदस्य मेहनत करके जो प्रस्ताव लाते हैं, उसके बाद आप से जानकारी करते हैं....

**श्री अध्यक्ष** : मेरा एक....

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मेरा निवेदन सुन लें। हाउस की यह परम्परा रही है कि हमेशा जो माननीय सदस्य अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं, उनके बारे में आपसे निवेदन करते हैं। आप बता देते हैं कि सरकार के पास भेजा हुआ है, इसकी जानकारी आ रही है, इसको रिजैक्ट कर दिया गया है, आपको समय दिया जायेगा अथवा नहीं दिया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : वही हो रहा है। I am doing everything.

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : वह नहीं हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आप बताइये, जिस पर मैंने कोई न कोई व्यवस्था नहीं दी हो। ऐसा एक एडजार्नमैण्ट मोशन मेरे पास नहीं है। या तो जानकारी के लिए सरकार के पास भेजे गये हैं। जिनसे जानकारी आ गयी है वह आज भी मैंने सुनाये हैं। जिनको रिजैक्ट कर बोलने के लिए मैंने आज भी प्रद्युम्न सिंह जी को मौका दिया है। कल भी मौका दिया था। अब आप कहना चाहें, कहिये। There is no point of order. हो गया, बिराजिये अब आप। अब हो गया पाइण्ट आफ आर्डर।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मैंने परसों अलख मठ की सम्पत्ति के बारे में यहां एक एडजार्नमैण्ट मोशन दिया था। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि आप गवर्नमैण्ट को हिदायत दें। वहां नाजायज कब्जे हो रहे हैं, उसको रोका जाय। आज तीन दिन हो गये, उसका जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप तो मंत्री रहे हैं, आपने कभी अध्यक्ष की हिदायत को माना है?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : क्यों नहीं माना?

**श्री अध्यक्ष** : कभी नहीं माना आपने।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हमेशा माना है।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसी नहीं मानते आप, जो मतलब की हो वही मानते हैं। ठीक है, आप बिराजिये। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष, महोदय, इसके ऊपर वक्तव्य नहीं आ रहा है। आज डीग का कस्बा बंद है.... (व्यवधान)

**श्री रतनाराम चौधरी** : बाढ़ से हमारे क्षेत्र में 9 लोग मर गये, और लोग लापता हैं। उनके लिए मैंने 295 के तहत आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। कई हजारों पशु मर गये हैं और हजारों की संख्या में गरीबों के घर उजड़ गये हैं। परिवारों को छप्पर के नीचे बैठने के भी कुछ साधन नही हैं। इसलिए कृपा करके उन पर थोड़ी व्यवस्था दिलाने की कृपा करें।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, यह पैट्रोल वाला तीन दिन से चल रहा है, आपके और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के बीच में दो-तीन दिन से बराबर थोड़ा तनाव का वातावरण हो जाता है। इसमें खास कोई जानकारी मंगानी नहीं है। मंत्री महोदय उपस्थित थे अभी, हमेशा उपस्थित रहते हैं। वह स्वयं कह दें, उनकी जानकारी में है। वह उठकर दो शब्द कह दें। आपकी पोजीशन को भी....

**श्री अध्यक्ष** : आप जानते हैं, देखिये, मेरे सामने तो एक प्रक्रिया है। मेरे पास एक मोशन आया है जिसकी जानकारी मुझे गवर्नमैण्ट से लेनी है। लिखित में जाती है, लिखित में आती है। यदि मंत्री स्वयं खड़े होकर कहना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता लेकिन **I cann't compel him either.** आप तो, विश्नोई जी, इस बात को जानते हैं।

**श्री रामनारायण वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आपकी पोजीशन को व्यर्थ में खराब कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप जानते हैं इस बात को कि मैं कम्पैल नहीं कर सकता।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : तो मंत्री जी को उठकर स्वयं कह देना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : मैं तो नियम और प्रक्रिया से चलूंगा। यदि मंत्री जी अपने आप कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने मना नहीं कर रखा है, लेकिन जब कोई सवाल आयेगा तो **I will follow the rules and I am doing that.** बार-बार, रोज-रोज आप उसमें खड़े होकर सदन का समय लें यह समय मेरा नहीं जा रहा है, यह आपका है। आज मेरे पास एक भी 295 पैण्डिंग नहीं है, नाट ए सिंगल। आप श्रीमान जी, एक बजे आकर देते हो और फिर कहते हो कि पैण्डिंग है। **This is not the way.** 10 बजे से पहले के आज मैंने 18 लगाये हैं। जितने मेरे पास थे मैंने सब लगा दिये। मैं किसी को रखना भी नहीं चाहता। जितने एडजार्नमैण्ट मोशन मेरे पास आये हैं, जो सरकार की जानकारी के लिए भेजने थे सरकार की जानकारी के लिए भेज दिये। जिनमें जवाब आया उन पर व्यवस्था दे दी। जिनको मैंने रिजैक्ट करना था रिजैक्ट करके प्रद्युम्न सिंह जी को बोलने के लिए कह दिया। एक भी मेरे पास पैण्डिंग नहीं है। फिर भी यदि कोई बात हो तो आप चैम्बर में आकर डिस्कस कर सकते हैं। हाउस का समय क्यों खराब करते हैं? अब आप करना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं हाउस का समय खराब नहीं हो। जो माननीय सदस्य इसको अपने

(श्री अध्यक्ष)

गहन रखने की कोशिश करेगा, I will not allow him. I am saying firmly that I will not allow anybody to take this House at ransom. माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। (व्यवधान)

प्लीज सिट डाउन। बहुत बात हो चुकी। मैं आपको 295 दे चुका हूं, उस पर बोल लेना आप। आप बिराजिये।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** आप अनुरोध तो सुन सकते हैं? हम आप से अनुरोध कर रहे हैं अनुरोध हमारा यह है कि आपने तीन दिन के लिए अपना वायदा किया था.... (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल :** अध्यक्ष महोदय, आपने जो शब्द कहे हैं, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस तरह के शब्द आपने इस्तेमाल किये हैं कि हम हाउस को रेनसम रखना चाहते हैं। यह गलत है। मैं समझता हूं हमने यह कोशिश नहीं की। हमने राजस्थान की जनता के....

**श्री अध्यक्ष :** किसी सदस्य को नहीं, it applies to all. मैं यह नियम की बात कर रहा हूं। यह नियमों में हैं, no member is allowed to keep this House at ransom this is the law and I am proclaiming the law. If you feel that it applies to you, I am very sorry. I am not there. Why do you feel like this? This is the law. मैं रूल प्रोक्लेम कर रहा हूं, आप अपने आपको गिल्टी महसूस मत करिये। मैं कब कह रहा हूं कि आप मानिये। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह नियम है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** यह चेयर पर भी एप्लिकेबल है, यह चेयर को भी रेगुलेट करेगा। हाउस के बिजनेस को रेगुलेट आप इस रूल्स के तहत ही करेंगे।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** लॉ से तो बोलेंगे, आपने तीन दिन के लिए कहा है।

**श्री अध्यक्ष :** आप फिर किस चीज पर बोल रहे हैं? व्हाट फार? आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

**श्री हरिसिंह :** इसी विषय पर बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, बिराजिये। इस विषय पर जो बोलते हैं नोट मत करिये। अब बोलते रहिये। (व्यवधान)

मैंने कह दिया, आज शाम तक जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। Then I will decide. I am not sure whether I will allow you. मैं उसकी चर्चा कराऊं या नही कराऊं। I will examine that. इसलिए मैं कब कराऊंगा, यह कैसे कह दूं। आप वकील के नाते मेरे को बांधना चाहते हैं कि कब कराऊंगा। मैं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, It is yet to be decided.

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** XXX

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** XXX

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

68



**श्री अध्यक्ष** : या तो यह नियम की किताब पास मत रखिये, और रखते हैं तो फोलो करिये। बारबार आप यों खड़े हो जाते हैं, मैं खड़ा हूं जब। **I have closed this subject.** जो सब्जैक्ट क्लोज हो चुका उस सब्जैक्ट पर अलाउ नहीं करूंगा। और कोई बात कहनी हो तो कहिये। हां, बोलिये। ईश्वर लाल जी, बोलिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, + + + तो इसमें क्या हो गया?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये अब, वहां क्या होता है, छोड़िये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : आप हमको तो रेनसम की बात कहते हैं। यहां पर तय हो गया कि तबादला नीति पर बात होगी, यह तो नहीं हो सकता।

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या कह रहे हैं? आप.... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : अध्यक्षीय व्यवस्था को किसी प्रकार का चैलेंज नहीं किया जा सकता। माननीय विश्नोई जी अध्यक्ष रहे है और चाहे तो मैं कई व्यवस्थाएं बता सकता हूं कि एक बार विनिश्चिय होने के बाद अध्यक्षीय व्यवस्था को... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप सैनी जी क्या बोल रहे हैं?

**एक माननीय सदस्य** : महावीर जी आप जवाब दे रहे हैं क्या? आप अध्यक्ष हैं क्या... (व्यवधान)

**श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि तारीख 11 को हमने निवेदन किया था, हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था तबादले नीति का और उसमें आपने समय चाहा था, हम उसके लिए मान गए थे, पर मैंने उस रोज एक निवेदन किया था।.... (व्यवधान)

कोई बात नहीं। आप लेने को समय 10 रोज बाद ले लो, 2 रोज बाद दे दो कभी भी दे दो। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि 30 तारीख बाद ट्रांसफर किये जा रहे हैं और बेक डेट में किये जा रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि ऐसे नीति विरुद्ध कोई ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं और 30 तारीख बाद कोई ट्रांसफर नहीं किये न नीति विरुद्ध कोई तबादले किए गए। मेरा इस संबंध में निवेदन है मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर सबूत है तो दिखाइए मैं सख्त कार्यवाही करूंगा। अब आपसे मेरा निवेदन है कि राज इंडिया तो सबने पढ़ लिया होगा और उसमें नीति विरुद्ध ट्रांसफर किए गए हैं। मैं आपसे यह चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि जब सारे सदन को आपने आश्वासन दिया, मैं समझता हूं कि या तो उसमें आपने सदन को गुमराह किया असत्य बोलकर। जिस रोज 11 तारीख को सदन में यह चर्चा हो ही रही थी उससे 2 रोज पहले मुझे पता था कि ट्रांसफर हो चुके हैं तभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं और मुझे आपने कहा था कि ऐसा कोई नियम विरुद्ध ट्रांसफर मैंने नहीं किया। चूंकि

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

नियम यह था कि 30 तारीख को आपने बेन लगा दिया था और एक तारीख को आपने नई नीति लागू कर दी और उस नीति में यह स्पष्ट था कि जो ट्रांसफर हो गए वो किसी भी कारण से 3 माह पूर्व तो निरस्त होंगे ही नहीं, लेकिन उस नियम को भी ताक में रख दिया। 3 माह पूर्व निरस्त भी हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 19-6-90 और 30-6-90 को खाद्य विभाग ने ट्रांसफर किए और उसके बाद 9-7-90 को एक लिस्ट निकाली और उसी लिस्ट में उन्होंने जो 3 माह पूर्व की बात कही थी, हम निरस्त नहीं करेंगे, निरस्त भी कर दिये और ट्रांसफर भी कर दिए। अब वो कौनसी सख्त कार्यवाही करते हैं या तो आपने सारे सदन को गुमराह या आप इसके लिए आदी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष :** अब बिराजिए। हो गया आपका। आपका सवाल हो गया न। **You have spoken.** बिराजिए। अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है।

**श्री ईश्वर लाल सैनी :** मेरी बात पूरी बात तो सुनी ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** सुनली पूरी बात। अनलिमिटेड समय नहीं है।

**श्री ईश्वर लाल सैनी :** मेरी अंतिम बात सुन लो।

**श्री अध्यक्ष :** क्या ?

**श्री ईश्वरलाल सैनी :** मैं यह चाहता हूं कि आपने उस रोज भी चर्चा के लिए मना कर दिया। एक तो इसमें चर्चा निश्चित कर दीजिए ताकि हमको जो गुमराह किया जा रहा है और इस तरह से लोग वहां परेशानी में हैं। 4½ लाख कर्मचारी राजस्थान में परेशान हो रहे हैं। वो 30 तारीख से पहले अपने बाल-बच्चों का एडमीशन कराकर आराम से चले गए थे। अब उनके ट्रांसफर निरस्त हो गए, इसका कौन जिम्मेदार है ?

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिए।

**श्री ईश्वर लाल सैनी :** इसलिए मैं चाहता हूं ...

**श्री अध्यक्ष :** अब हो गया आप चाहकर क्या करेंगे ? ?

**श्री ईश्वर लाल सैनी :** इस पर चर्चा करें और दूसरा इसका जवाब दें कृपया

**श्री अध्यक्ष :** अब जवाब कोई नहीं देगा।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

प्रद्युम्न सिंह जी का नोट किया जाए बाकी का नोट न किया जाए। बोलिए प्रद्युम्न सिंह जी।....(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : XXX

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : प्रद्युम्न सिंह जी। माननीय सचेतक प्रद्युम्न जी बोल रहे हैं। आप बिराजिए। प्लीज सिट डाउन। Please sit down. What are you doing ?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : I won't allow this. आप उनको कह रहे हो खड़े हो जाओ। Please, don't do this..... (व्यवधान)

यहां यह प्रोसीजर नहीं है। आप बिराजिए।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

आप क्यों खड़े हो ?.... (व्यवधान)

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : सैनी जी आप बिराजिए। आप बिराजिए।

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : मेरी बात सुन लीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : हां सुनाइए।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर की बात हमने आपके सामने रखी और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आगे होकर यह कहा कि इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। अब हम भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी राजी है। आप मेहरबानी करके चर्चा का अवसर दे दीजिए। क्या दिक्कत है...

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिए। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह हमारे अधिकारों के साथ अन्याय है।

**श्री किशन राम नाई (श्री डूंगरगढ़)** : हम कई दिन से देख रहे हैं जब प्रश्नकाल का समय चलता है तो हमेशा माननीय सदस्य गुफ्तगू करते रहते हैं। घर से ये विचार बनाकर आते हैं कि हमें वह शोर करना है ताकि प्रश्नकाल का समय....

**एक माननीय सदस्य** : जनता ने 5 साल तक आपको आराम से बिठाया है आप आराम क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी। ..(व्यवधान)

अंकित नहीं किया जाए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : XXX (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न किया जावे।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : XXX (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन माननीय सदस्यों

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कई शिकायतें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण हुआ है तो एक्शन लेऊंगा। आप सदन में कहने की बजाय यदि मुझे वैसे ही भेज देते तो निश्चित रूप से जानकारी करता कि स्थानान्तरण किस प्रकार से हुआ है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आप जानकारी देंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी।...(व्यवधान)

**श्री डूंगरराम पंवार** : आप नीति के विरोध में अनीति क्यों करते हैं ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के बोल रहे हैं। यह डिबेट नहीं है। श्री ईश्वर लाल जी सैनी जी कह रहे हैं वह नहीं लिखा जाय। महज केवल श्री प्रद्युम्न सिंह जी को लिखा जाय और बीच में जो खड़े हो जाते हैं उनका नोट नहीं किया जाय।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : × × ×

**श्री रामनारायण वर्मा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : प्लीज सिट डाउन। श्री प्रद्युम्न सिंह जी बोलिये।.... प्लीज सिट डाउन। आपके सचेतक बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के सचेतक हैं, पार्टी का तो अनुशासन रखिए। आपकी पार्टी के सचेतक खड़े हैं। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपका 295 है, आप विराजें। प्लीज सिट डाउन। पहले बैठिये, इनको कम्प्लीट करने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह जी बोलिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक माह से ऊपर हो गया दिगम्बर जैन मन्दिर, डीग से 20 बहुत कीमती, बहुमूल्य मूर्तियां चोरी हो गईं। वहां पर उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी की, केस भी रजिस्टर्ड हुआ, कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने अपना शक-शुबहा भी जाहिर किया और यह बात स्थानीय अखबारों और प्रदेश स्तर के अखबारों के अन्दर भी यह खबर निकली। उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी आदि सबको इस सम्बन्ध में काफी पत्र भेजे, तार भेजे। इससे वहां पर बहुत रोष है। हालत यह है कि आज डीग बन्द की बात है चोरियों के विरोध में। हालांकि जैन समाज वहां पर अल्पमत में है, बहुत थोड़े हैं, 50-40 हजार होंगे लेकिन आज उनके समर्थन के अन्दर, क्योंकि बड़ा प्राचीन मन्दिर है, बहुत प्राचीन मूर्तियां है, उनकी सहानुभूति के अन्दर पूरा डीग कस्बा बन्द रहने की बात है।

मैं सरकार से इतना ही चाहूंगा कि मूर्ति चोरी की वारदातें प्रदेश के अन्दर बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ने का सवाल यह है कि पहले भी हुई थी, मैं आपको एक्यूज (accuse) नहीं कर रहा हूं मूर्ति चोरी के मामले में, मूर्ति चोरी बरामद भी हुई थीं। बैर के अन्दर और भूसावर के अन्दर मूर्ति चोरी हुई वह पुलिस ने बरामद की थी। लेकिन मुझे डर यह है कि ये मूर्तियां शीघ्र बरामद नहीं की गई तो ये मूर्तियां बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं और जैसे

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्मगलर धंधा कर रहे हैं, कहीं ये मूर्तियां देश से बाहर नहीं चली जायं ?

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले के अन्दर कोई और आन्दोलन प्रदेश के स्तर पर हो इसके पूर्व ही सरकार को इसके अन्दर कार्यवाही करनी चाहिए। वहां पर लोकल पुलिस से इस मामले में कुछ होने वाला नहीं है यह निश्चित रूप से आप से कह देता हूं। वहां के सर्किल आफिसर के व्यवहार से वहां का पूरा जैन समाज बहुत खिन्न और रुष्ट है इसके आगे वह कुछ और कर नहीं सकते हैं। वहां उसने इन चोरियों को बरामद करने के अन्दर कोई रुचि नहीं दिखाई है बल्कि उसने उल्टी उल-जलूल बातें की हैं। इसका कारण यह है कि डीग बन्द होने की बात चल रही है वहां पर।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले के अन्दर भेज कर लगाकर अथवा वहां के डी. आई. जी., एस. पी. जिला स्तर के है उनको ताकीद की जाय कि वह इसके अन्दर रुचि लें और मूर्तियां शीघ्रतिशीघ्र बरामद की जायें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री सम्पतराम जी।

**श्री सम्पतराम** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, चोरी तो किसी भी चीज की हो खराब होती है, जुर्म है, संगीन जुर्म है और मूर्ति चोरी होती है तो उससे समाज की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती हैं। इसमें आम तौर से यह देखा जाता है कि जब इस प्रकार की मूर्तियों की चोरी होती है तो गैंग होता है जो आपरेट करता है और वह गैंग जब पकड़ में आ जाता है तो उसके साथ में बहुत सी चोरियां बरामद हो सकती हैं और होती रही हैं। अब क्योंकि श्री प्रद्युम्न सिंह जी ने चिन्ता व्यक्त की है, चिन्ता हमको भी है। डी. एस. पी. की जहां तक बात है, हम देख रहे हैं और शीघ्र ही कोई न कोई ठीक व्यवस्था करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जहां तक चोरी का सम्बन्ध है पुलिस को और सजग करेंगे और ध्यान आकर्षित करेंगे और यदि आवश्यकता हुई जैसा आप कह रहे हैं कि सीनियर अधिकारी को लगाया जाय तो विभागीय स्तर पर बात करने के बाद यह करना उचित हुआ तो वहां पर यह भी करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामस्वरूप मीणा। श्री रामस्वरूप मीणा के अलावा और किसी का अंकित नहीं किया जाय। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण वर्मा** : ×××

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख**

**प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में**

**श्री राम स्वरूप मीणा** : (टोडाभीम) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में युवा वर्ग

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने के बारे में मेरा प्रश्न है। राजस्थान हमेशा हिन्दी भाषी प्रान्त रहा है। इस प्रदेश का युवा वर्ग प्रशासनिक सेवाओं के अन्दर अपने आपको सम्मिलित करना चाहता है, हिन्दी में परीक्षाऐं ली जायं और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय। यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दी भाषा बहुल क्षेत्र में से एक प्रान्त है। स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र भाषा हिन्दी को महत्व दिये जाने सम्बन्धी राजस्थान प्रान्त आपके नेतृत्व में अब तक अग्रणी रहता आया है।

राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में अब तक अंग्रेजी विषय अनिवार्य रखा हुआ है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात प्रान्तों में प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में अंग्रेजी विषय को ऐच्छिक विषय ही रखा है और अंग्रेजी अनिवार्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है किन्तु 1965 के द्विभाषा अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी सह-राजभाषा होगी साथ ही संविधान का अनुच्छेद 343(1) यह उपबन्धित करता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और इसकी लिपि देवनागरीय होगी लेकिन 1965 तक हिन्दी को प्रचार-प्रसार के पर्याप्त समय के कारण अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा का दर्जा मिलने लगा और आज यह भाषा शिक्षा का अनिवार्य अंग बनती जा रही है।

लगभग 4 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान राज्य की अधिकांश आबादी गांवो में निवास करती है तथा शिक्षित होने के पश्चात् 30% छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण अंग्रेजी के भंवरजाल में फंसकर रह जाते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त आधारों पर राज्य सेवाओं में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त करने की घोषणा करें तथा राज्य के समस्त ग्रामीण कस्बाई अभ्यार्थियों की भावनाओं की कद्र करते हुये हमारी राजस्थानी भाषा एवं हिन्दी भाषा के विकास के लिये यह घोषणा करेंगे कि अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है और जब तक प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त नहीं की जाती है तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर हिन्दी को महत्व देकर अग्रणी बनी रहेगी। यह मेरा आपसे निवेदन है।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

(79)



### व्यवस्था

### सदन में विधान सभा के बारे में चर्चा निषिद्ध

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को और माननीय सदस्य राजेन्द्र पारीक को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल आपने अपने भाषण में इस सदन के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं इस विधान सभा के बारे में। विधान सभा के बारे में इस सदन में किसी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है, इन्स्ट्रक्शन्स के खिलाफ है। आपने कही है डिलीट कर दी है। आप देख लेना उसको। यहां से स्वागत कक्ष और दुनियां भर की बातें हैं। वह विधान सभा का अंग है। आप नियम पढ़ लीजिए। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

### प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### डग विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी का तेल न मिलने के सम्बन्ध में

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : माननीय अध्यक्ष जी, डग पंचायत समिति में 1979 में 6–7 टैंकर मिट्टी का तेल आता था लेकिन वर्तमान में केवल मात्र दो टैंकर ही आ रहा है जिससे ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अधिकांश ग्रामों में बिजली नहीं है। जो कुछ तेल आता है वह भी ब्लैक हो जाता है जिससे ग्रामीण जनता में भयंकर आक्रोश है। जिलाधीश तथा जिला रसद अधिकारी और रसद मन्त्री को भी कई बार लिखित में शिकायत करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। जिले की मीटिंग में माननीय रामेश्वर जी यादव मन्त्री महोदय पधारे थे उनको भी शिकायत की थी लेकिन उस पर भी सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसमे ग्रामीण जनता में भयंकर आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, जिले की झालरापाटन पंचायत समिति में 9 टैंकर आते हैं और डग पंचायत समिति के साथ भेद भाव की नीति अपनाई जा रही है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह पुनः 6–7 टैंकर जो आते थे वह उपलब्ध करायें जिससे कि ग्रामीण जनता को तेल उपलब्ध हो सके।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कन्हैया लाल।

### बस्सी की सहकारी समितियों का 10 साल से ऑडिट न होना

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों में एक ही स्थान पर लम्बे समय से व्यवस्थापकों का नियुक्त रहना और ऑडिट न करवाना, ऑडिट हो गए उनकी अनुपालना न कराने के साथ कर्तव्यों का निर्वहन न करने और भूतपूर्व पदाधिकारियों व वर्तमान पदाधिकारियों में गबन व वसूलियां लम्बे समय से न करने पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, तुंगा, दुधली, सांभरिया, कानोता, देवगांव, आदि सभी सहकारी समितियों में पिछले 10-15 सालों से एक व्यवस्थापक एक ही समिति में कार्यरत है। यह लोग लम्बे समय से ऑडिट नहीं करा रहे हैं और जिन वर्षों का कुछ समितियों का ऑडिट हुआ है उनकी

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

पालना नहीं हो रही। व्यवस्थापकों में गबन व वसूलियां निकली हैं उसके बारे में कार्यवाही अब तक नहीं हो रही है। अब तो यह व्यवस्थापकगण खाद, बीज, पौध संरक्षण, औषधियां लाभांश, चीनी, कपड़ा आदि के अतिरिक्त ऋण वितरण करे बिना ही वेतन उठा रहे हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व पदाधिकारियों व वर्तमान पदाधिकारियों में 1980 से मोटी रकम की वसूलियां व गबन के मामले लम्बित हैं। अतएव सरकार से अपेक्षा की जाती है कि लम्बे समय से नियुक्त व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण करने, व्यवस्थापकों व पदाधिकारियों में भारी रकम वसूलियां व गबन के मामले लम्बित हैं उनमें कार्यवाही होने व जनहित में खाद बीज वितरण, ऋण, वितरण, पौध संरक्षण, औषधियां लाभांश, चीनी, कपड़ा आदि वितरण की व्यवस्था की घोषणा कराने की व्यवस्था करें। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि व्यवस्थापकों ने और पदाधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों के नामों से अंगूठे लगा लगा कर भारी रकम उठा रखी है। उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारे नाम से रकम उठा रखी है। इसकी भी सरकार जांच करवाए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री घासीलाल चौपड़ा (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे आप पहले।

**श्री रामनारायण वर्मा** : मैं पहले 295 बोलूं या....

**श्री अध्यक्ष** : नहीं पहले आप जो बोल रहे थे वही बोलिए।

**श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था यहां पवित्र सदन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। उनकी जान माल की असुरक्षा हो, क्षेत्र में वह जा नहीं पाए, डकैत फिरोतियां मांगे, लोगों की रक्षा नहीं कर सके, पुलिस डकैतों से मिली हुई हो। पचासों डकैतियां करने वाले आदमी खुले आम घूम रहे हैं। जिसका पता माननीय मुख्य मन्त्री जी को व्यक्तिगत तौर से हो। फिरौती की चिट्ठियां लोग माननीय मुख्य मन्त्री जी को दें। उसके बाद सदस्य सदन में दो तारीख को बोले, उसके बाद भी सरकार ने सदस्यों से कोई बात नहीं की, न सदन के सदस्यों की सुरक्षा की जा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : आप किस सदस्य की बात कर रहे हैं?

**श्री रामनारायण वर्मा** : श्री प्रभुलाल पटेल की।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिए आप। आपकी बात आ गई। मैं कहता हूं, सरकार इस पर ध्यान दे, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। शुरू करिए आप। (व्यवधान)

मैंने डाइरेक्शन दे दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हो गया, माननीय मन्त्री जी को बता देना। आपकी सुरक्षा के लिए सरकार को कह दिया है। वर्मा जी आप पढ़िए।

**श्री रामनारायण वर्मा** : इनके साथ कोई हादसा हो, पचासों डकैतियां करने वाले आदमी घूम रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** व्यवस्था कर दी जाएगी। बोलिए आप।

**बूंदी नगरपालिका सीमा में चुंगी की भारी दर से व्यापार चौपट होने के सम्बन्ध में**

**श्री रामनारायण वर्मा :** माननीय अध्यक्ष जी, चुंगी के बारे में जिस तरह की व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उसके सम्बन्ध में बूंदी नगरपालिका के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान में विभिन्न नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों की चुंगी दर में भारी असमानता है। बूंदी शहर में नगरपालिका की ओर से वसूल की जा रही चुंगी कोटा, जयपुर, बीकानेर, आदि सभी शहरों से ज्यादा है। बूंदी, कोटा शहर से 35 कि. मी. दूर है। किन्तु चुंगी दर काफी अधिक होने के कारण बूंदी में आवश्यक वस्तुओं एवं सामानों की कीमतें काफी ज्यादा है। जिससे बूंदी के साधारण दुकानदारों की बिक्री में भी विशेष कमी आती जा रही है क्योंकि जो वस्तु कोटा से क्रय करके बूंदी में बेची जाती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। बूंदी जैसे छोटे एवं उद्योग रहित शहर के लिए यह गम्भीर समस्या बन गई है।

पिछले दिनों सम्पन्न विधान सभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी चुंगी समाप्ति का वायदा किया था मगर अभी तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप कपड़े में बूंदी में दो प्रतिशत, कोटा में आधा प्रतिशत, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में 12.20 रुपये प्रति क्विंटल अजमेर में 24 रुपये प्रति क्विंटल, उदयपुर में 10 रुपये प्रति क्विंटल, ब्यावर में 18 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चुंगी की राशि वसूल की जाती है। जो कोटा से 4 गुना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 14 गुना, अजमेर से 7 गुना, उदयपुर से 16 गुना, ब्यावर से 9 गुना चुंगी बूंदी शहर में अधिक पड़ती है।

चुंगी समाप्ति हेतु आवश्यक आदेश प्रसारित किये जाने या बूंदी के छोटे व्यापारियों की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए बूंदी की चुंगी कोटा के बराबर करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश अविलम्ब ही प्रसारित किए जाने आवश्यक हैं। यह मामला गरीब उपभोक्ताओं सहित आम जनता एवं छोटे दुकानदारों से भी सम्बन्धित होने से अति लोक महत्व का है।

अतः इस सम्बन्ध में सदन में अविलम्ब ही चर्चा करने के आदेश प्रदान करके सरकार की ओर से चुंगी समाप्ति के आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किए जाए। ताकि उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत दी जा सके। एक लाइन में और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मसला वहां के सांसद....

**श्री अध्यक्ष :** मेरी बात सुनिए। प्रक्रिया यही रही है कि 295 में जो आप लिखित में देते हैं, वही पढ़िए।

**श्री रामनारायण वर्मा :** आपके आदेशों से मैं अर्ज कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** वह सबको देना पड़ेगा

(श्री अध्यक्ष):

फिर और भी बोलना चाहेंगे। इसलिए प्रक्रिया को मत बिगाड़िए। उसी में लिख देते आप मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। इसमें दो लाइन और जोड़ देते।

**श्री रामनारायण वर्मा** : मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैंने सुना है सवाईमाधोपुर के सांसद जैसा अखबारों में आया है उनकी जान को खतरा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप सरकार को बता देना। जिन-जिन को भी ऐसा खतरा है वह कृपया सरकार को सूचित कर दें। श्री हेमराज मीणा।

**जयपुर व टोंक सहकारी बैंक द्वारा अवार्ड न देने के सम्बन्ध में**

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : मान्यवर, जयपुर व टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के वेतन मान व सेवा शर्तें शीर्ष बैंक के समान करने हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण न्यायाधीश श्री जे. पी. बंसल द्वारा एक एवार्ड दिनांक 14.7.87 को जारी किया।

यह अवार्ड लागू नहीं कर इसकी अपील जयपुर बैंक व टोंक बैंक ने हाई कोर्ट जयपुर में की किन्तु इस पर तीन वर्षों में कोई स्थगन आदेश बैंक को नहीं मिला फिर भी बैंकों ने इसे इसलिये लागू नहीं किया, क्योंकि यह अवार्ड बी. एम. एस. की यूनियन राजस्थान सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने प्राप्त किया इस अवार्ड पर श्रम कानून की धारा 33 (सी) के क्लाज 2 के तहत श्रम न्यायालय जयपुर ने डिक्री करके तीन माह का वेतन भुगतान करवाया किन्तु, अभी तक भी यह अवार्ड शो रुप से लागू नहीं करके दो वेतनमान दिये जा रहे हैं जो समानता के मूल अधिकार के विरुद्ध हैं।

1. क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर ने 14-7-87 को श्रम न्यायालय जयपुर व टोंक सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को अवार्ड पास किया।

2. क्या इस अवार्ड के विरुद्ध जयपुर व टोंक ब्रान्च ने उच्च न्यायालय जयपुर में अपील की है।

3. अपील में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ न ही अवार्ड को रद्द किया।

4. क्या इस एवार्ड को लागू करने के लिये श्रम न्यायालय जयपुर में यूनियन ने बाद में प्रस्तुत किया है। जिनके तहत प्रारंभ में तीन माह का वेतन का भुगतान डीक्री किया है।

5. क्या सहकारी विभाग औद्योगिक न्यायाधिकरण श्रम न्यायालय से 14-7-87 के आदेशानुसार भुगतान करेगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाम मुस्तफा खां।

**श्रीमती सुमानी व उनकी पुत्री के अपहरण कर्ताओं को न पकड़ने के सम्बन्ध में**

**श्री गुलाम मुस्तफा खां** (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा श्रीमती सुमानी पत्नी बुल्लू खां कायमखानी निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के फरारों के बारे में नियम 295 के तहत प्रस्ताव है। मान्यवर, दिनांक 1-10-89 को श्रीमती सुमानी तथा उसकी पुत्री जिसकी उम्र ढाई वर्ष थी, का असामाजिक

(श्री गुलाम मुस्तफा खां)

तत्वों द्वारा अपहरण कर लिया गया रकम प्राप्त करने के लिये। जिस पर थाना लक्ष्मणगढ़ में एफ. आई. आर. नम्बर 182/89 अन्तर्गत धारा 366, 380 भा. द. स. में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसकी तफ्तीश अभी जारी है।

बड़े अफसोस की बात है कि नौ-दस महीने गुजरने के बाद भी पुलिस द्वारा न तो श्रीमती सुभानी ना ही उसकी मासूम बच्ची को बरामद किया है। ना ही उक्त दोनों मां बेटी जिन्दा हैं या मुर्दा इस बारे में पुलिस को कोई ध्यान है।

पुलिस ने एफ. आई. आर. में नामजद रामनिवास नामक व्यक्ति तक को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस विभाग पर यह बड़े शर्म की बात है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह भी पता लगा है कि इस अपहरण में देवाराम माली, रामनिवास एवं बजरंग लाल नामक व्यक्ति नामजद थे। तफ्तीश में यह भी आया है कि देवाराम ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, रतनगढ़ से सुभानी के नाम से जमा 19,000/– रुपए सुभानी को बैंक में ले जाकर बैंक से निकलवाये हैं। अभियुक्त बजरंगलाल अभी घटना के बाद से फरार है।

इतनी सारी शहादत होने के पश्चात् भी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं करना पुलिस की अकर्मण्यता का द्योतक है। मुसमात सुभानी व उसकी पुत्री अब जिन्दा हैं या मुर्दा उन्हें अभियुक्तगण द्वारा कत्ल कर दिया गया है इस बारे में कोई जानकारी पुलिस ने अब तक नहीं की है।

अतः आपके मार्फत मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले को पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी को तफ्तीश हेतु सौंपा जावे तथा सम्बन्धित थाने के अधिकारी ने जो कार्यवाही नहीं की है उसके लिये भी उन्हें दण्डित किया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाराम परमार।

**जनजाति समुदाय के परिवारों को बिजली फ्री देने के सम्बन्ध में।**

**श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा जनजाति समुदाय के परिवारों को घरेलू बिजली के कनेक्शन फ्री दिलाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जनजाति समुदाय के लोग दूर-दूर पहाड़ों पर अपने खेतों पर मकान बनाकर रहते हैं और जिस गांव में वे रहते हैं उस गांव में विद्युतिकरण हो जाने के उपरांत भी उन आदिवासी परिवारों को कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वर्तमान में जो नार्म्स बने हुये हैं उनके अनुसार एक खम्भे से कम से कम चार कनेक्शन होना आवश्यक है।

लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों के मकान जिस तरह दूर-दूर होते हैं उसके अनुसार नार्म्स पूरे नहीं होने से उनको कनेक्शन लेने में बहुत मंहगा पड़ता है। यहां तक कि एक मकान में कनेक्शन लेने के लिए तीन हजार से चार हजार रुपए डिमाण्ड आना तो साधारण सी बात है। इतनी डिमाण्ड जैसी कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति है भरना संभव नहीं है।

इसलिए जनजाति समुदाय के लोगों को

(श्री दयाराम परमार)

कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। मेरे खैरवाड़ा तहसील में 100 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन अभी तक हम 100 आदिवासी घरों में बिजली के करेक्शन नहीं करवा पाये हैं।

अतः मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का एक आदिवासी परिवार के घर तक बिजली ले जाने के लिए कम से कम चार खम्भे फ्री देने की व्यवस्था करे। ताकि सदियों से उपेक्षित और शोषित समुदाय के लोगों को उजाले में पैदा होने का और उजाले जीवन जीने का हक मिल सके।

श्रीमान् मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार जनजाति समुदाय के जीवन में परिवर्तन लाने वाली इस महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अवश्य कोई कदम उठायेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

## इन्दिरा गांधी नहर में 15 (ए) समाप्त करने के सम्बन्ध में

**श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुरा)** : अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 एक समाप्त करने के सम्बन्ध में। महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 ए समाप्त करने के सम्बन्ध में माननीय सदन के नेता ने 1977 में गंगा मंडी मैले की किसान ग्राम सभा में यह भाषण दिया था कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 ए समाप्त कर दी जावेगी और उसी प्रकार माननीय योजना मन्त्री जी ने बीकानेर में किसानों की सभा में भाषण दिया था जिन काश्तकारों के पास इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 1955 के पूर्व जितनी कब्जाकाश्त जमीनें है उसे सीलिंग सीमा तक की खातेदारी हक दे दिये जावेंगे।

लेकिन दुःख का विषय है माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्री भी है और दूसरे माननीय सदस्य योजना मंत्री है तब भी इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 15 ए समाप्त नहीं हो रहा है। इससे इन्दिरा गांधी क्षेत्र के किसानों में बहुत रोष है। क्या दिए गये भाषणों के अनुसार इन्दिरागांधी नहर क्षेत्र में 15 ए समाप्त करने की सरकारी मंशा है। या फिर यह राजनैतिक भाषण थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

## सरदारशहर थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा जनता पर अत्याचार।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय, मैं आपका ध्यान सरदार शहर थाने के एस. एच. ओ. ए. एस. आई. व थाने के अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वहां की जनता पर किए जा रहे अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, दिनांक 9-7-90 को रात्रि दस बजे सरदार शहर के तोल मैदान में बैठे हुए करीबन 5 व्यक्ति जो सरदारशहर के प्रतिष्ठित नागरिक थे और जिनको

80.



(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चरित्र व पुलिस रिकार्ड हमेशा साफ रहा है, बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे और घर के बाहर खाना खाने के पश्चात् टहलने के लिए आये थे और उसी समय ए. एस. आई. श्री नवाब अली व चार पांच सिपाहियों के साथ एक जीप में बैठ कर ताल मैदान में आये और आते ही उन्होंने उक्त व्यक्तियों से पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, उनके कहने पर कि हम यहां पर बैठे हैं। शराब के नशे में धुत ए. एस. आई. व उनके सहायक पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी उस मारपीट में श्री नन्दलाल मिमाणी को काफी गम्भीर चोटें आयी और कहा कि इनको थाने ले चलो।

उसके पश्चात् नवाब अली ए. एस. आई. उक्त पांच व्यक्तियों को जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:--1. श्री चम्पालाल, 2. श्री मूराराम, 3. श्री पूसाराम, 4. श्री काशीराम, 5. श्री भीमसिंह।

उक्त पांचों व्यक्तियों को थाने पर ले गये और एस. एच. ओ. के सामने पेश किया गया, व्यक्तियों ने एस. एच. ओ. से नवाब अली की शिकायत की तो एस. एच. ओ. श्री मदनसिंह ने गाली-गलौच करते हुए मार पिटाई शुरू कर दी और थाने में उन पांचों व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा गया और कहा कि आपने पांच-पांच हजार रुपए नहीं दिए तो आपको बन्द कर दिया जायेगा। और आपके ऊपर सट्टेबाजी, जुआखोरी व चोरी के गम्भीर आरोप लगाते हुए मुकदमा बना दूंगा। वे पांचों बहुत रोये-गिड़गिड़ये कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे देने को नहीं है, परन्तु एस. एच. ओ. श्री मदन सिंह व ए. एस. आई. श्री नवाब अली कहने लगे कि आपको पैसे देने होंगे और उनके पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुये रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर ली और सुबह उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

सारे सरदारशहर में उक्त घटना से भयंकर रोष व्याप्त है और उक्त एस. एच. ओ. के खिलाफ पूर्व में भी बहुत सी शिकायतें जनता की तरफ से व जनप्रतिनिधियों की तरफ से की गयी हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि उक्त एस. एच. ओ. को किन्हीं उच्च पुलिस अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिनके चलते वह न केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं बल्कि आम जनता पर अत्याचार भी कर रहे हैं। अतः समय रहते उस एस. एच. ओ. को वहां से नहीं हटाया गया और ए. एस. आई को वहां से नहीं हटाया गया, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की गयी तो जनता का रोष अन्य रूप में प्रदर्शित होगा और सरदार शहर की शान्ति व्यवस्था भंग होने का पूरा-पूरा अन्देशा है।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उक्त पांच व्यक्तियों को जिनके खिलाफ असत्य आरोप लगाए गये हैं, उससे उन्हें मुक्ति दिलाकर एस. एच. ओ. व ए. एस. आई. और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित)

श्री रामप्रताप कासनिया।

**पीलीबंगा में कालेज व होस्टल को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में**

**श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया व संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पीलीबंगा में कॉलेज खोलने व हास्पिटल को अपग्रेड करने व बस अड्डा बनाने के बाबत्। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मण्डी पीलीबंगा में नया कॉलेज खोला जावे, मैं यह मांग राज्य सरकार से करता हूं। अगर सरकार कॉलेज की मंजूरी दे दे तो कॉलेज की बिल्डिंग व्यापार मण्डल पीलीबंगा बनाने के लिए तैयार है पीलीबंगा के इर्द-गिर्द कोई कॉलेज नहीं है। पीलीबंगा शहर से करीब 35 या 40 किलोमीटर दूर कॉलेज है। पीलीबंगा शहर की आबादी भी काफी बड़ी है व इसके इर्दगिर्द सैकड़ों गांव हैं। अगर सरकार कॉलेज की मंजूरी दे दे तो पीलीबंगा शहर व इर्दगिर्द गांव के बच्चों को शिक्षा पाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गरीबों के बच्चे बाहर बढ़ने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है।

2. पीलीबंगा शहर की आबादी व आसपास की आबादी को देखते हुए यहां पर रेफरल हॉस्पिटल की मंजूरी अविलम्ब दी जावे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वर्तमान में पीलीबंगा हॉस्पिटल में दो डाक्टरों की पोस्ट है हास्पिटल में लेडी डाक्टर की पोस्ट नहीं है जिसके कारण छोटी-मोटी बीमारियों के लिए 35 या 40 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा वर्तमान में पीलीबंगा हॉस्पिटल में इन्चार्ज डा. सांवल सुखाजी है जो पिछले सात-आठ सालों से वहीं पर बैठे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, पैसे बटोरने का। डा. सांवल सुखाजी का बीच में एक दफा थोड़े समय के लिए स्थानांतरण हुआ था लेकिन थोड़े ही दिनों में वे फिर पीलीबंगा वापिस आ गए। लोगों ने डा. सांवल सुखाजी के स्थानान्तरण के लिए सरकार से कई दफा निवेदन कर दिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। डा. सांवल सुखाजी की वजह से हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था बिगड़ गई है। इनके रहते कोई गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। मेरा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि पीलीबंगा हॉस्पिटल को शीघ्रातिशीघ्र रेफरल हॉस्पिटल बनाया जावे ताकि यहां के लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल सके।

इसके अलावा पीलीबंगा शहर में वर्तमान में जहां रोडवेज की बसें रुकती हैं वहां पर बरसात के टाईम तीन-तीन फिट पानी भरा रहता है जिससे सवारियों को बस में बैठने में बहुत ही दिक्कत आती है। औरतों के लिए तो बस में बैठना महाभारत के समान है। अतः मेरी राज्य सरकार से यह निवेदन है कि बस अड्डे के निर्माण कार्य के लिए शीघ्रातिशीघ्र राशि मंजूर की जावे।

पीलीबंगा में नई मण्डी बनाने के लिए जमीन का ब्योरा देकर कागजात राज्य सरकार को भेजे हुये हैं, अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि या तो सरकार किसानों की जमीन लेकर वर्तमान में जो भाव चल हैं उसके हिसाब से किसानों को पैसे देकर नई मंडी का विकास किया जावे अन्यथा

(82)



(श्री रामप्रताप कासनिया)
लगभग तीन-चार मुरब्बे सरकारी जमीन मण्डी एरिया में पड़ी है, जिसमें खड्डे हैं उन खड्डों में मिट्टी भरकर नई मण्डी का निर्माण कराया जावे।

अध्यक्ष महोदय ने मेरे को बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरासिंह चौहान (अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

**श्री दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। माननीय सदस्य ने 295 के माध्यम से जो प्रश्न उठाया है यह तीन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है। मेडिकल का भी आ गया, कालेज भी आ गया, मण्डी भी आ गई। इसका जवाब किसी भी विभाग में जायगा तो यह 295 जो देते हैं उन पर कोई व्यवस्था हो कि एक सब्जैक्ट में हो ताकि सरकार को जवाब देने में सुविधा रहे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमीन खां।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आवश्यक कार्य से एक मिनट के लिए बाहर गया था आपने नाम पुकार दिया था 295 में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस क्रम के बाद में मुझे बुला लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सामान्यतया हाउस में जब बोलना हो तो प्रतीक्षा करके हाउस में रहना चाहिए।

**श्री हीरासिंह चौहान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम क्रम में बहुत आगे था।

**श्री अध्यक्ष** : डिस्कशन क्यों कर रहे हैं मेरे से ? मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं आपको सामान्य सूचना दे रहा हूं कि जब बोलना हो तो बैठकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा कोइन्सीडेन्स हो जाय कि इधर नाम पुकारे और आप बाहर गये तो हम कन्सीडर करेंगे लेकिन आप बहुत देर से नहीं थे। मैं देख रहा था कि आप बहुत देर से नहीं थे। अब बहुत देर क्यों लगी आपको यह मेरी समझ में नहीं आई। खैर आप बिराजिये। अमीन खां जी। अब जीयालाल बंशीवाल जी को मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से नहीं हैं। (व्यवधान) आप बिराजें।

**बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम सून्द्रा में मीठा पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**श्री अमीन खां** (शिव) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की तहसील शिव में विश्व के सबसे बड़े गांव सून्द्रा में जिसमें अभी तक मीठा पानी का कोई इन्तजाम नहीं हैं, वहां पर डी. डी. पी. का एक नलकूप है जो बहुत खारा पानी है जो मवेशियों के लिए बनाया गया है। वहाँ पर जो मनुष्य बैठे हैं वे बी. एस. एफ. के टैंकों से पानी मांग-मांगकर रोजाना पीते हैं।

2. सन् 1980 से पूर्व स्वीकृत योजना जिसमें जीनीयाली, दडीयार स्वीकृत हैं जिसको आज तक तकनीकी स्वीकृति नहीं

(83)



(श्री अमीन खां)
कराई है जिससे इस योजना में आने वाले ग्राम घणकली, जूंडीया, तानूमानसिंह, सौलंकिया, तानूरावलसिर, दुधैडा, तिबनीयार, मंडालिया, गौरडिया, बालेवा, दडडीयार रेडाना, देवड़ों की बस्ती, भीलों की बस्ती, फकीरों की बस्ती, कपासियों में पीने के पानी का संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है। जिला प्रशासन सालों से टैंकरों द्वारा व्यवस्था अवश्य करता है परन्तु पानी का इन्तजाम न के बराबर हैं क्योंकि उपरोक्त ग्रामों में रहने वाले लोग पशुपालकों के जहां हजारों की तादाद में प्रत्येक गांव में जानवर है सो टैंकरों की व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा है।

3. तुडबी हरसानी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सन् 1965 में फेमिन के तहत स्वीकृत हुई थी उसके बाद आबादी बहुत बढ़ी है व 1971 में शरणार्थी भी वहां काफी तादाद में वहां पर बसे हैं। इसलिए इस गांव की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 6100 से भी अधिक है परन्तु हरसानी ग्राम की आबादी करीब 8000 से अधिक है। वहां के ग्रामीण भी पशुपालक है इसलिए इस योजना को दुबारा से बनाया जाय।

4. यह कि सन् 1939 में गिराब खड़ीन योजना अकाल राहत कार्य के तहत स्वीकृत की गई थी उसमें निम्न ग्राम हैं :– (1) गिराब खडानी, राणासर, देसानी सिहाई, केन्टालिया का पार, भीलों का पार, सुजीत का पार, गागरिया स्टेशन, गागरिया गांव, रामसर, बनवा, नोपाटिया, पाबूसरिया, बबूगुलेरिया, खारची, सवाड़ा, माचभर, बगने की बेरी, तामलियार, लसूवा, खारीया कला, सेतराउ, पाडी, खड़ीन। यह योजना भी आबादी बढ़ने से असफल हो चल रही है उसके बाद इसमें सिर्फ रिवाइज्ड स्कीम सन् 1984 में स्वीकृत भारत सरकार द्वारा कराई गई मगर अभी तक निम्न गांवों में पानी नहीं जाता। जैसे :—खारची, खडीन, उसमें नये राजस्व गांव जाखडों का तला, गांधीनगर, लसवा, सेतराउ, पाडी, भुसाल का पार।

5. नया राजस्व ग्राम सांउपसम से बना खुमाणियों की ढाणी की योजना विभाग में विचाराधीन है जो कि 800 की आबादी का ग्राम है इसमें 12 कि. मी. से नजदीक पीने का पानी का कोई जरिया नहीं है।

6. साउथ गिराब चेत्रोडी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है जिसमें निम्न ग्राम आते हैं– खेहला, चेत्रोडी, बहाला, जीजों का पार, खडीन, इस योजना का सारा कार्य पाईप लाईन होदियों द्वारा 5 वर्ष हो चुके हैं परन्तु आज तक इन गांवों में पानी होदी में नहीं पहुंचा।

7. जेसिन्धर शहदाद का पार एक योजना करीब 5 साल पूर्व की स्वीकृत है परन्तु उसका कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

8. धोलकिया, जुनेजों की बस्ती, रामपुरा, ग्रामों की अधूरी योजना पड़ी है जिससे यहां के लोगों को भारी मुसीबतों का सामाना करना पड़ता है।

(श्री अमीन खां)

9. बरीयाडा धारवी योजना के तहत लंगों की ढाणी, मंगलियों की ढाणी की योजना बनाना आवश्यक है। क्योंकि इन गाँवों से 15 कि.मी. से नजदीक कोई पीने के पानी का जरिया नहीं है।

10. अनुसूचित जाति के नये राजस्व गांव फकीरों की बस्ती, पादरिया, मापूरी गांवों की योजना बनाई जावे।

11. गंगाला ग्राम जिसकी जनसंख्या लगभग 2500 है जिसमें आज तक कोई सुचारू रूप से पेयजल योजना नहीं है सिर्फ अस्थाई व्यवस्था पुराने गांवाई कुए में पम्प लगाकर पानी निकालते हैं जो सही नहीं चलता है। अतः इस ग्राम के लिए नए कुए खुदाकर इसकी योजना बनाई जावे।

अतः इस लोक महत्व के मसले पर विशेष उल्लेख के जरिये सदन की मार्फत निवेदन है कि उपरोक्त योजनाओं से वंचित जनता व नई योजनाओं को जोड़कर इस रेगिस्तानी-पशुपालक जनता की करीब 30000 आबादी को राहत दिलाई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

**डीग में विकास कार्य के सम्बन्ध में**

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (डीग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एवं इस सदन का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र डीग की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जहां पिछले 10–15 वर्षों से अभी तक कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है क्या सरकार का यह नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वह समान रूप से एवं जहां अधिक पिछड़ापन हो, वहां अधिक मात्रा में विकास कार्य कराकर, ग्राम जनता का जीवन स्तर बढ़ाने का कष्ट करें? डीग कस्बे की स्थिति, जो कि ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में काफी प्रसिद्धि पर है, बहुत खराब हो गई है। नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत डीग की ग्राम जनता को सफाई, रोशनी, पानी, सड़कों एवं नालियों की भयानक हालत को सहन करते हुए बहुत खराब स्तर की जिन्दगी जीनी पड़ रही है। क्या इस स्थिति के लिये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

डीग नगर पालिका में आय के नाम पर सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भी प्रति माह समय पर नहीं दिया जा सकता। जी. पी. एफ. एवं सी. पी. एफ. की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं है, क्योंकि जमा राशि में से कर्मचारियों को अब तक वेतन दिया जाता रहा है। यदि नगर पालिका की आय में कोई पुराने कर्मचारी, जो वहां कई सालों से कार्य कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हों तो उन्हें तुरन्त वहां से हटाकर आय बढ़ाने की कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि 15–20 साल से एक ही पोस्ट पर तीन-तीन आदमी बैठे हैं...

**श्री अध्यक्ष** : अब पढ़ लिया न आपने?

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** : नहीं साहब, अभी तो बहुत रह गया है। नगर पालिका की माँगी गई विशेष अनुदान राशि में से मात्र 10-15 प्रतिशत ही कभी-कभी अनुदान राशि मिल पाती है जबकि पिछले कुछ वर्षों से एक बार भी यदि मांगी गयी अनुदान

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

राशि एक बार में दिला दी जाती तो कुछ कार्य तो नगर पालिका द्वारा कस्बे में कराया जा सकता था। इसी कारण लगातार डीग कस्बे की स्थिति और बिगड़ती जा रही है।

जनता में कस्बे की स्थिति को लेकर काफी आक्रोष उत्पन्न हो रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कस्बे की स्थिति को सुधारने हेतु एक साथ अनुदान राशि मांग अनुसार, जिसका नियमानुसार सही प्रकार निरीक्षण कराया जा सकता है, दिलाने का कष्ट करें। मैं एवं डीग क्षेत्र की जनता सरकार के इस उपकार को कभी नहीं भूलेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

**श्री महेन्द्र को करन्ट लगने से मृत्यु**

**श्री जीतमल जैन** (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16-5-90 को अलवर में गोपाल टाकीज के पीछे श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री दीपचन्द्र के पुत्र महेन्द्र की करेन्ट लगने से मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे बिजली विभाग की स्पष्ट लापरवाही है। बिजली के पोल का सपोर्ट वायर के ऊपर के छोर पर इन्स्यूलेटर लगाया जाता हैं ताकि करेन्ट से बचाव हो सके। लेकिन इस पोल पर इन्स्यूलेटर लगाया नहीं था। करेन्ट के सम्बन्ध में बिजली विभाग को सूचना दी गई थी लेकिन विभाग ने कोई चिन्ता नहीं की, परिणामस्वरूप बालक की मृत्यु हो गई।

बालक महेन्द्र जिसकी उम्र 10 वर्ष की थी, के पिता का देहान्त तीन माह पूर्व ही हुआ था। महेन्द्र की अन्य दो बहिने भाई भी वयस्क नहीं हैं। मृतक बालक की मां श्रीमती गुलाब देवी मजदूरी करके अपने चार बच्चों व बूढ़ी सास का पालन पोषण करती है। कुछ माह पूर्व श्रीमती गुलाब देवी के पति का स्वर्गवास व अब बालक की मृत्यु से गहरा झटका लगा।

उक्त मामले में विभाग की लापरवाही है अतः मृतक बालक के परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने का मेरा अनुरोध है, वैसे कई राजनैतिक व सामाजिक संगठनों ने कुछ आर्थिक सहायता की है लेकिन उक्त सहायता की राशि अपर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

**अ. जा. ज. जा. के कल्याण हेतु योजनाओं की राशि लैप्स होने के सम्बन्ध में**

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिशत कुल जन संख्या का करीब 28 प्रतिशत है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप सरकार अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास एवं उत्थान के लिये कार्य करेगी। इस वर्ग के उत्थान हेतु संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कई कल्याणकारी योजनायें लागू की गई हैं, लेकिन उनका कार्य रूप में परिणित सच्चे मन, लगन एवं ईमानदारी से नहीं करने की वजह से इस वर्ग के कल्याण हेतु खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिवर्ष पूरा उपयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप हर

86



(श्री हीरालाल आर्य)

वर्ष लाखों रुपये की राशि लैप्स हुई और जो कुछ राशि का उपयोग किया गया उसका उपयोग भी इस प्रकार दोष पूर्ण तरीके से किया गया जिससे इस वर्ग को उसका समुचित लाभ नहीं मिला। इस राशि का वास्तविक लाभ बिचौलिये उठाते रहे। यही कारण है कि करोड़ों रुपये की राशि खर्च करने के बावजूद भी इस वर्ग के लोग अभी भी गरीब हैं तथा कंगाली का जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं। गरीबी घटने की बजाय बढ़ रही है। उन्हें सारे दिन मजदूरी करने के बावजूद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, पहिनने को वस्त्र नहीं मिलते तथा रहने को गन्दी बस्तियां एवं झोपड़ियां नसीब होती हैं। वहां पेयजल, रोशनी, सड़कें नालियां एवं पटान, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं का अभाव है। शिक्षा की दृष्टि से यह पिछड़े हैं तथा आये दिन उन पर अत्याचार होते हैं। ये छुआ-छूत तथा शोषण के शिकार हैं। इस वर्ष के आंकड़े यदि देखें जाये तो पिछले वर्ष की तुलना में हरिजनों अत्याचारों में भारी बढ़ोतरी हुई हैं जो हम सबके लिये चिन्ता एवं लज्जा का विषय है। उन्हें सस्ता एवं सुलभ न्याय भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं किया जाता। यही कारण है कि आज विभिन्न श्रेणी के पद इस वर्ग के रिक्त पड़े हैं। इस बैकलांग को प्राथमिक तथा विशेष अभियान चलाकर भरा जाना अत्यन्त आवश्यक है। आजादी के 42 वर्ष बाद देश विभिन्न प्रगति का दावा कर सकता है लेकिन इस वर्ग के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

पिछली कांग्रेस सरकार तो इस वर्ग के केवल मात्र वोट ही ही बटोरती रही तथा लम्बे समय तक सत्ता में आती रही। इस वर्ग के उत्थान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन आज केन्द्र तथा प्रान्त की नई सरकारों से इस वर्ग को कुछ नई आशा बनी हैं। मैं प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा कल्याण मन्त्री श्री रामविलास पासवान तथा राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस वर्ग के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। केन्द्र में हरिजन अत्याचार निवारण का नया अधिनियम, इस वर्ष को डा. अम्बेडकर वर्ष के रूप में मनाना, उनके जन्म दिन की सार्वजनिक छुट्टी करना, उनके चित्र को संसद के केन्द्रीय कक्ष में लगाना, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में इस वर्ग के रिक्त पड़े पदों

(1.20 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के बैकलॉक को विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता से भरा जाना, आरक्षण के कोटे की पूर्ति करने हेतु कानूनी प्रावधान करने तथा इस वर्ग के हितों को देखने हेतु गठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त का राष्ट्रीय आयोग में विलीन करना तथा उसे संवैधानिक दर्जा दिये जाने की व्यवस्था करने आदि की घोषणा इस हेतु एक कीर्तिमान कहे जा सकते है जिससे इस वर्ग के लोगों का नई सरकार के प्रति विश्वास जगा है।....

(श्री हीरालाल आर्य)

यद्यपि राजस्थान की नई सरकार ने इस बजट में इस वर्ग के उत्थान एवं विकास हेतु कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आरक्षण के अनुरूप विभिन्न विभागों में खाली पड़े हजारों रिक्त पदों के लिए प्राथमिकता एवं विशेष अभियान चलाकर भरे जाने के विषय पर यह सरकार चुप हैं, आखिर क्यों ?

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण के अनुरूप भरे नहीं गये रिक्त पदों के बेकलोग की प्राथमिकता एवं विशेष अभियान चलाकर भरने की सरकार आज ही घोषणा करे तथा भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण के कोटे को भरने हेतु कानूनी प्रावधान करे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बी. डी. कल्ला।

**राजस्थान में रोड ओवर ब्रिज कमियों के बारे में।**

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में रोड ओवर ब्रिज की कमियों के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश, में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों के मध्य रेल्वे लाइन के आने से तथा रेल्वे फाटकों के बार-बार बन्द होने से आवागमन में नागरिकों को भारी, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई हजार मानव दिवसों का अपव्यय होता है। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख शहरों में शहर के मध्य रेल्वे लाइन के आ जाने से भी शहर निवासियों को दिन में कई बार रेल्वे फाटकों के बन्द होने के कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जयपुर शहर में बाइस गोदाम, मालवीया नगर, झोटवाड़ा, शिव कालोनी, मिलिट्री एरिया, केन्द्रीय विद्यालय, हसनपुरा, आदि पर रेल्वे फाटकों पर प्रतिदिन नागरिकों को भारी परेशानी होती है।

सीकर एवं रींगस के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग पर रेल्वे लाइन बीच सड़क से गुजरती है एवं प्रतिदिन नागरिकों को असुविधा होती है। श्रीगंगानगर, शहर में अबोहर से पंजाब को जाने वाली सड़क पर रेल्वे लाइन शहर के बीच से शहर को दो भागों में चीरती हुई निकलती है। सीकर, नवलगढ़ जहक के मध्य रेल्वे लाइन जाती है, इससे भी लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। डूंगरगढ़ से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर दो स्थानों पर रेल लाइन राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बीच होकर जाती है। दौसा में भी इस प्रकार की समस्या है। हनुमानगढ़ में गंगानगर से नोहर भादरा जाने वाली सड़क पर हनुमानगढ़ जंक्शन की रेल्वे लाइन शहर के मध्य होकर गुजरती है। और इसी प्रकार की समस्या अलवर और बीकानेर की भी है। पिछले वर्षों में जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा में कुछ रेल्वे लाइनों पर ओवर ब्रिज बनाये गये, उससे हमें लोगों को काफी राहत मिली। एक वर्ष पूर्व अलवर, बीकानेर एवं बाइस गोदाम जयपुर पर तीन ओवर ब्रिज के कार्य स्वीकृत किये गये थे इनमें से तीनों के कार्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रारम्भ हो चुके हैं परन्तु इन्हें त्वरित गति देने की आवश्यकता है।

अलवर, बीकानेर व बाइस गोदाम जयपुर पर तीन ओवर ब्रिज के कार्य स्वीकृत किये गये थे। उनमें से तीनों के कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं लेकिन बीकानेर का काम पूरा होने में कम्प्लीट होने में थोड़ा बाकी है लेकिन 22 गोदाम रोड के ओवर ब्रिज का काम है, उसमें भी कठिनाई आ रही है, उसको दूर कर इस कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता है।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में आम नागरिकों को रेल्वे फाटकों के बन्द होने से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जयपुर, गंगानगर, रींगस, सीकर, बीकानेर, रतनगढ़ एवं हनुमानगढ़ में रोड ओवर ब्रिज बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान बजट में करना चाहिये था। इस हेतु रेल्वे के बजट से भी लगभग 50 प्रतिशत राशि, उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्राप्त हो जाती है, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो वार्षिक योजना का प्रारूप भेजा गया है, इसमें राज्य में एक भी रोड ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान पूरे राज्य में न होने से चारों ओर निराशा व्याप्त हुई है। गत वर्षों में एक वर्ष में जहां तीन ओवर ब्रिज कांग्रेस शासन के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंजूर किये वहां पूरे राज्य में एक भी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण न होना वर्तमान सरकार का जनता के साथ वादा खिलाफी का उदाहरण है।

बीकानेर शहर के मध्य चार स्थानों पर कोट गेट, महात्मा गांधी रोड, चौखूंटी एवं गजनेर सड़क (बीकानेर-जैसलमेर) सड़क पर रेल्वे फाटक एक दिन में लगभग 52 दफा बन्द होते हैं एवं एक अनुमान के अनुसार 5542 मानव दिवसों का प्रतिदिन नुकसान होता है एवं पेट्रोल एवं डीजल लगभग 1250 लीटर खड़े-खड़े वाहनों का जल जाता है। यह नुकसान न केवल वाहन मालिकों का और राज्य सरकार का है बल्कि यह राष्ट्रीय नुकसान है। देश की अमूल्य विदेशी मुद्रा का नुकसान है।

पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूर्व रेल्वे मंत्री जी को पत्र भेजकर इन चारों रेल्वे फाटकों को हटाकर शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप शहर के बाहर नई रेल्वे लाइन डालकर इन फाटकों की समस्या का हल करने हेतु लिखा एवं इस कार्य पर आने वाले व्यय पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के माध्यम से व्यय करने का भी आश्वासन दिया गया।

पिछले विधान सभा के सत्र के दौरान सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से यह आश्वासन दिया था कि वे रेल मंत्री जी से मिलकर रेल्वे फाटकों की इस पुरानी एवं गंभीर समस्या का समाधान करायेंगे।

बीकानेर शहर में लालगढ़ जंक्शन तक बड़ी रेल लाइन आ चुकी है एवं जयपुर-बीकानेर बड़ी रेल लाइन का सर्वे पूर्व में हो चुका है। ऐसी जानकारी मिली है कि लालगढ़ एवं बीकानेर रेल्वे स्टेशन के मध्य बड़ी रेल लाइन डाली जायेगी। यदि बड़ी रेल लाइन फिर शहर के मध्य में पड़ गई तो 50 बार की जगह कम से कम 100 बार

(श्री हीरासिंह चौहान)

उपाध्यक्ष महोदय, रेल्वे के फाटक बन्द रहेंगे और उससे लगभग 10,000 मानव दिवसों का अपव्यय प्रतिदिन होगा एवं परेशानी पहले से दुगुनी हो जायेगी।

अभी उपयुक्त अवसर है जब नई रेल लाइन डाली जा रही है तो वह शहर के मध्य न होकर शहर के बाहर से निकाली जावे। इस सम्बन्ध में रेल मंत्री जी से राज्य सरकार को तुरन्त सम्पर्क करना चाहिए। जो पुरानी रेल लाइन हटाई जावेगी, वह व्यावसायिक जमीन है एवं उसका विक्रय कर राज्य सरकार लगभग 8 करोड़ रुपया प्राप्त कर सकती है एवं 15.75 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डाइवर्सन रेल लाइन डालने का उसका तकमीना बना है उसका 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार अपने ऊपर जिम्मे लेती है एवं 50 प्रतिशत राशि रेल्वे के बजट से प्राप्त की जाती है तो बिना किसी वित्तीय भार के बीकानेर की इस बहुत पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। रेल्वे उक्त चार स्थानों पर यदि रोड ओवर ब्रिज बनाए तो भी कम से कम 8 करोड़ रुपया उन पर भी व्यय करना पड़ेगा। तो इस सुझाव के अनुसार न तो रेल्वे पर भार आयेगा और न ही राज्य सरकार के ऊपर। सिर्फ पर्याप्त सम्पर्क करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग रेल्वे के अधिकारियों के साथ वार्ता कर नये रेल्वे ट्रेक की जमीन रेल्वे को देकर उसके बदले पुराना रेल्वे ट्रेक जहां पर पड़ा हुआ है उससे रिक्त होने वाली जमीन को राज्य सरकार ले ले तो यह समस्या हल हो जायेगी।

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने पिछले तीन महीनों में क्या रेल मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई पत्र दिया? क्या वे इस सम्बन्ध में रेल्वे मंत्री जी से मिले? यदि नहीं मिले तो भविष्य में वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं? उक्त सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दें एवं बीकानेर शहर के रेल्वे फाटकों की समस्या के निदान हेतु नई रेल लाइन डालकर कब तक बीकानेर के नागरिकों को राहत दे दी जावेगी?

साथ ही जयपुर, दौसा, रींगस, सीकर, श्रीगंगानगर, एवं हनुमानगढ़ में विभाग की नीतियों के अनुसार जहां एक वर्ष में तीन रेल्वे के फाटकों को मंजूर किया गया था उन रेल्वे के फाटकों को कब तक विभाग स्वीकृति देकर या रोड ओवर ब्रिज बनाकर जनता को राहत देगा। उक्त संबंध में आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि इन सब अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों पर और निर्माण के प्रश्न पर सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाएगी। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

**श्री रतनाराम** : 9 लोगों की मृत्यु मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो गई और अब तक चार लापता हैं ....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ऐसी कोई परम्परा नहीं है, आपको हाजिर रहना चाहिए था। अब आप दुबारा से लगाइये, माननीय सदस्य।

(90)



**श्री हीरासिंह चौहान :** उपाध्यक्ष जी, आप हमारे हितों की रक्षा करें, 295 में जो विशेष उल्लेख ...(व्यवधान)....

दो चान्सदिये जाते हैं हफ्ते में और एक मिनट भी लेट हो जांय, कोई बहुत आवश्यक कार्य हो जाय। हम इस आशा में रह जाते हैं कि माननीय सदस्य अपने विशेष उल्लेख का विवरण करेंगे। मीन-व्हाइल नाम पुकार दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विशेष उल्लेख के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी जाय। अध्यक्ष जी पूर्व में व्यवस्था देकर गये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं माननीय सदस्य क्षमा करें।

**श्री हीरासिंह चौहान :** मैं आसन से मेरे राइट का प्रोटेक्शन चाहता हूं, महत्वपूर्ण सवाल है····

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपका ही समय खराब हो रहा है।

**श्री हीरासिंह चौहान :** मैं अध्यक्षजी से इस बारे में निवेदन कर चुका हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मण्डे को ले लेंगे आपका।

**श्री हीरासिंह चौहान :** मै अध्यक्ष जी से निवेदन कर चुका हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर श्री हीरासिंह चौहान, श्री खगारसिंह चौधरी लक्ष्मीनारायण दवे, श्री सुरेन्द्र गोयल उपनिवेशन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं इजाजत देने में असमर्थ हूं। स्थान ग्रहण करें।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### जैसलमेर तथा पाली जिले के किसानों को खातेदारी भूमि का आवंटन न होना

**श्री हीरासिंह चौहान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राजस्थान सरकार का ध्यान जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तिम छोर के आगे जो निर्माण कार्य नहरों के खालों का हो रहा है उसके विशेष आवंटन के नियम बने हुए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप ध्यानाकर्षित कर दें। मन्त्री महोदय का वक्तव्य आ जाय फिर आप बोल लेते तो ज्यादा बेहतर रहता।

**श्री देवीसिंह भाटी** (उपनिवेशन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तिम छोर में मोहनगढ़ तहसील प्रथम व द्वितीय में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रेकार्ड राइटिंग भी सिवाय चकों का पूरा कर दिया गया है। इन तहसीलों में उपलब्ध सामान्य आवंटन योग्य खाली भूमि क्रमशः 71452 एवं 102618 एकड़ भूमि में से अब तक क्रमशः 1517 एवं 1732 परिवारों को 19498 एवं 20974 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

भूमि का आवंटन इन्दिरा गांधी नहर भूमि आवंटन नियम, 1975 की शर्त नं. 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के आधार पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

किया जाता है। पहले प्रथम प्राथमिकता की दरख्वास्तें मांगी जाती हैं तथा उस प्राथमिकता वालों को आवटन होने के पश्चात् अगली प्राथमिकता की दरख्वास्तें मांगी जाती है तथा फिर अगली प्राथमिकता की वरीयता अलग से दी हुई है।

मोहनगढ़ तहसील नं. 1 व 2 में अब तक (के) तक की प्रथमिकता जैसलमेर जिले की पोकरण व जैसलमेर राजस्व तहसील के भूमिहीनों की दरख्वास्तें मांगी जा चुकी है। इन तहसीलों में क्रमशः 4657 एवं 5161 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। सब मिलाकर अब तक उपरोक्त आवंटन किया जा चुका है। इस प्राथमिकता तक की शेष 2843 व 3456 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण का क्रम वर्तमान में चल रहा है।

मोहनगढ़ तहसील 1 व 2 में राज्य सरकार के आदेश दि. 5-2-82 के अनुसार 50 % भूमि का विशेष आवंटन नियम 13–ए अधीन किया जाता है। मोहनगढ़ तहसील 1 व 2 में विशेष आवंटन की भूमि क्रमशः 156668 व 172102 एकड़ रखी गई है। हाल ही में मोहनगढ़ तहसील 1 व 2 में "के" तक प्रार्थमिकताओं के भूमिहीनों का क्रम चल रहा है। इन प्राथमिकताओं का क्रम समाप्त होने पर "एल" जिसमें बीकानेर जिले के निकटतम जिले जिनमें कोई बृहद या मध्यम सिंचाई योजना नहीं है, उन जिलों के भूमिहीनों का क्रम आएगा। जैसलमेर के ऐसे जिले जोधपुर एवं बाड़मेर हैं। इन जिलों के भूमिहीनों का क्रम आने पर उनके आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाएंगे। अभी तक इन जिलों के आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित करने पर कितने आवेदनपत्र प्राप्त होंगे इसकी निश्चित संख्या अभी बताने में असमर्थता है, किन्तु काफी संख्या में इन दोनों जिलों के आवेदन, पत्र प्राप्त होंगे और उसमें पात्रता की जांच का कार्य, फोटो फार्म आदि की जांच का कार्य करवा कर पूर्ण होने पर आवंटन के पश्चात् ही भूमि की उपलब्धती की दशा में आगामी "एम" प्राथमिकता जहां वृहद एवं मध्यम सिंचाई नहीं हो उन जिलों के भूमिहीनों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने के विषय में विचार किया जा सकेगा। तभी "एम" प्राथमिकता के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा सकेंगे। तत्पश्चात् पाली जिले के भूमिहीनों का क्रम "एन" प्राथमिकता (शेष सभी जिलों के भूमिहीन) के तहत आ सकेगा। हाल में प्रथम जैसलमेर जिले के भूमिहीनों को तहसील मोहनगढ़ 1 व 2 में आवंटन सम्पन्न होगा।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर साधारण आवंटन होने के बाद जो 50% विशेष आवंटन के लिए भूमि रहती है उसमें मोहनगढ़ तहसील सं. 1 में 1.56 लाख एकड़ 50 प्रतिशत साधारण आवंटन के बाद शेष रहती है और तहसील नं 2 में 1.72 लाख एकड़ शेष रहती है। इसके लिए जैसा उत्तर दिया गया कि इसमें जोधपुर और बाड़मेर जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा निवेदन है कि पहले जो आवंटन हुए थे उसके तहत सीकर, नागौर, बीकानेर चूरू और जोधपुर जिले के मेड़ता तक के बहुत सारे हिस्से के किसानों को इन्दिरा गांधी

(श्री हीरासिंह चौहान)

नहर परियोजना पर जमीन आवंटन की गई। मेरा निवेदन है कि पिछले 10-15 वर्षों में वर्षा की कमी के कारण और कोई अन्तर्राज्यीय नदी नहीं बहने के कारण से भूमि में भू-जल इतना गहरा हो गया कि हमारे पाली जिले की तहसील रायपुर, जैतारण, सोजत और खारची के किसान बेकार हो गये हैं। हमारे जो वंशानुगत किसान हैं अच्छी टेक्नीक से खेती करके बढ़िया से बढ़िया पैदावार लेते हैं लेकिन पानी न होने से कुए सूख जाने और निकट भविष्य में कोई नहर नहीं आने वाली है इस कारण मेरा निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नगर परियोजना पर आपने विशेष आवंटन के नियम बना रखे हैं, भूमि आवंटन नियम, 1975 के नियम 13–ए के तहत विशेष आवंटन हेतु आरक्षित है। इसलिए मेरा निवेदन करना था कि वह भूमि जहां से नहर निकाली है इस नहर के साथ-साथ जो पंजाब और हरियाणा के पूंजीपति काश्तकार है उनके समकक्ष हमारे किसानों की हैसियत कुछ नहीं है। यहां पर विशेष आवंटन में ऑपन बोली दी जाती है और ऑपन बोली के बाद में किसी मुरब्बा के डेढ़ लाख होते हैं, दो लाख होते है और इसके बाद वहां की जो भूमि है, मैंने स्वयं जाकर देखा है कि किसान एक-एक मुरब्बे पर तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार रुपया खर्च करेगा उसके बाद वह काश्त योग्य बनेगी। इसलिए अगर वह सीमावर्ती क्षेत्र है आप चाहते हो कि वह मोहनगढ़ के आगे यह जो जैसलमेर का हिस्सा है वह भी गंगानगर की तरह आतंकवादी क्षेत्र बन जाए और यहां पर वही लोग आकर रहे, जो पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीमा की सुरक्षा के लिए और यहां के जो देशभक्त काश्तकार है, सोना पैदा करते है, अगर इन काश्तकारों को वहां पर भूमि इस विशेष आवंटन अधिनियम में नहीं दी तो मेरा निवेदन है कि इस नियम में परिवर्तन कर के साधारण आंवटन किया जाए और जिस प्रकार के वहां के काश्तकारों को जैसलमेरे के काश्तकारों को दी जाए। 16 किश्तें दी जाती हैं इसकी। एक बार आवंटन होता है, हर साल में किश्तें दी जाती हैं और उन किश्तों में वही राशि जो बोली के बाद में कम्पीटीशन के बाद में ली जाती है वही राशि वहा के किसानों से ली जाती है। तो मेरा निवेदन है कि यह जो विशेष आवंटन का नियम है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले के बाकी रहे हैं, कुछ प्रार्थना-पत्र आये हुए हैं और वहां के जो मूल निवासी है, उनके प्रार्थना-पत्र आवंटन चालू हो गया। मैंने वहां जाकर के मालूम किया है कि वहां काश्तकार (मोहनगढ़ क्षेत्र का) न तो हल को समझते है, न बीज को समझते है और न खेती करना जानते हैं। मैंने वहां जाकर अध्ययन किया है। मैं वहां दो-तीन दिन ठहरा हूं। सरकार ने जो लाखों करोड़ों रूपये वाटर चैनल बनाकर जो खर्च किये हैं, उनमें धूल भर गई है और पानी बिलकुल बेकार बह रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस आवंटन का जो आप प्रोसीजर चला रहे है, उसमें जल्दी कीजिए। वहां पर देने के बाद में यह भूमि बहुत कुछ शेष बचेगी। शेष बची हुई भूमि के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन कर के ये जो नियम है, 1975 के नियम 13 (1) के सब क्लाज 5 के नियम 1,2,3, के अनुसार एक मुश्त राशि वह इसमें वर्णित की गई है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

भारी किश्तों की राशि अदा करने के इन्स्ट्रक्शन है। वह हमारे क्षेत्र के भूमिहर, खेतीहर मजदूरों एवं काश्तकारों को नियम 24 के तहत आवंटन का आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित कर भूमि दी जाने पर उन्हें आवंटन नियम, 1975 के नियम 17 के सब क्लॉज 6 के अनुसार भूमि की कीमत पन्द्रह वर्षों की किश्तों में अदायगी करने की सुविधा दी जानी परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुये बहुत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि नहर का जैसलमेर तक पहुंचना और सारे वाटर चैनल बनाने के बावजूद भी भूमि तीन-चार साल तक बेकार पड़ी रहे, इसके लिए मेरा विशेष आग्रह है सरकार से कि पानी है वहां पर है। लेकिन जब तक आवंटन पूरा नहीं होता है तो उससे पैदावार नहीं की जायेगी। इसलिए इसमें बहुत तत्परता और जल्दी करने की आवश्यकता है। हमारे जिले की चार तहसीलें मैंने बतलाई, वहां के लोग वहां जाकर बसने को तैयार हैं। सरकार जो भी रेट तय करे नियमों में चैंज करके साधारण नियमों के तहत इसको आवंटित करे, अगर वही विशेष आवंटन वाला नियम रहता है तो इस नहर के किनारे हमारे जिले का कोई भी किसान, हमारे जिले का ही नहीं जोधपुर और बाड़मेर का किसान भी वहां पर आवंटन प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए नियमों में परिवर्तनों की जरूरत है। राज्य सरकार एक ही बात सोचती है कि हम इससे बोली लगा कर के धन कमाये। धन तो हम भी देंगे लेकिन हम किश्तों में देने को तैयार है। लेकिन इस प्रकार से आप बोली लगाते हो, नीलामी की बोली लगाते हैं और पूंजिपतियों को वहां पर आने देना चाहते हैं, यह राजस्थान की धरती है अगर राजस्थान के लोग बेकार रहते हैं, राजस्थान के किसान जो खेती करना चाहते है, उनको ये जमीने नहीं दे करके किसी न किसी प्रकार से सर्टिफिकेट देकर के पंजाब और हरियाणा के काश्तकार यहां पर खेती करते है और उस जमीन में से पैदावार लेते है। मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान के लोगों के साथ बहुत बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विशेष आवंटन का नियम है, उसमें परिवर्तन किया जाए और हमारे किसानों को भी साधारण नियमों के तहत इस भूमि को आवंटित किया जाय। ताकि इस भूमि की उपयोगिता भी बढ़े। इसके अतिरिक्त मेरा एक विशेष मुद्दा है सीमा की सुरक्षा का। हमारे क्षेत्र के लोग पूर्णतया देशभक्त है। सीमा पर फौज की तरह हमारे लोग काम करेंगे और वहां पर किसी प्रकार की ये जो आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी और दुनियाभर के ये जो वारदात हो रहे है उन वारदातों पर भी रोक लगेगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री खंगार सिंह जी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रतनाराम जी काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनका बहुत ही बड़ा गम्भीर मसला है इनके वहां पर दस व्यक्तियों की एक हादसे में मृत्यु हो गई है। इसलिए आप इनको दो मिनट का भी समय देंगे तो बड़ी कृपा होगी। (व्यवधान)

(94)



**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये। आज के लिए नहीं कहा, मैंने।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : दो मिनट का समय दे देते इन्हें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजे, नया चैप्टर मत लीजिये। देखिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है, माननीय सदस्य।

**श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)** : उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। खेती के लिहाज से वहां पहले कुओं से सिंचाई होती थी। कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और नीचे चले जाने से वहां के काश्तकार करीब करीब बेकार हो गये हैं और आबादी भी जिले की बहुत ज्यादा है। लोग बड़े परेशान हैं और हर काश्तकार को पांच या दस बीघा भूमि से काम चलाना पड़ता है, इससे ज्यादा भूमि काश्तकार के पास नहीं है। पानी की वहां पर कोई सुविधा नहीं है। हमारे पाली जिले में जो नहर बारह मास बहने वाली आने वाली है, । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में अगर पाली जिले के काश्तकारों को मोहनगढ़ में भूमि अलॉट की जाती है तो काश्त का उत्पादन बढ़ेगा। वहां पर लोग बसेंगे और जो वीरान एरिया पड़ा है उसमें ज्यादा काश्त होने से वहां खुशहाली आयेगी। इस खुशहाली के जरिये जो माननीय सदस्य श्री हीरासिंह जी ने जो नियमों के अनुसार आपको बात बताई है, उसके आधार पर यह भूमि पाली जिले के काश्तकारों को प्राथमिकता के तौर पर अलॉट किया जाना बहुत जरूरी है। यह मैं निवेदन करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि इन काश्तकारों को नियमानुसार कम रेट पर जमीन देंगे तो अपने देश का भविष्य उज्जवल होगा और हमारे पाली जिले के काश्तकार कुओं से सिंचाई हमेशा से करते आये हैं। वे इस समय पानी की वजह से बहुत दुःखी हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पाली जिले के काश्तकारों को कम रेट पर भूमि अलॉट की जाए, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण जी दवे।

**श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)** : जहां पर हजारों लोगों के घर उजड़ जाते हैं, पशु मर जाते हैं तो हवा पर सिलिंग लाना बहुत ही जरूरी है और....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप तो बहुत सीनियर मेम्बर हैं पहले भी सदस्य रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हो गई है, आपको अध्यक्ष महोदय, ने व्यवस्था दे दी उसके बाद मैं आपको समय देने के लिए मजबूर हूं....

**श्री रतनाराम चौधरी** : मेरा नाम पुकारा था अध्यक्ष महोदय ने....।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप गैर हाजिर होंगे, माननीय सदस्य....।

**श्री रतनाराम चौधरी** : हां, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इसलिये आप कृपा कर मुझे...।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी यही बात श्री चौहान साहब ने कही थी।

श्री रतनाराम चौधरी : उनकी बात तो स्वीकार करें ली माननीय उपाध्यक्ष महोदय....।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय नष्ट नहीं करें ।

श्री रतनाराम चौधरी : यह जनहित के लिए जनहित का मामला है, और यह जनता के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। मेरा प्रश्न नहीं है, लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है। जिले में भयंकर घटना घटी है, उनकी जानकारी मैं देना चाहिता हूं...।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जो समस्या है उसको मैं छोटी समस्या नहीं मान रहा, हूं गम्भीर विषय है जब ही आपने इसे हाऊस में रखा है....।

श्री रतनाराम चौधरी : यस सर, सिर्फ दो मिनट का....।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है...। मैं नहीं दे पाऊंगा माननीय सदस्य...। माननीय सदस्य क्षमा करें। नियमों का पालन करें (व्यवधान) आप बिराजे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार पाली जिले की तहसील रायपुर, जेतारण, सोजत और खारची इन चारों तहसीलों में लूणी नदी, सूकडी नदी, लीलड़ी नदी है। लगातार पाली जिले में गत सात वर्षों से अकाल से प्रभावित क्षेत्र होने कारण लीलड़ी सूकडी व बांडी यह नदी नहीं आने के कारण यहां के काश्तकारों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। आज से पन्द्रह-बीस वर्ष पूर्व इन चारों तहसीलों के अन्दर काश्तकारों की हालत अच्छी थी। कुओं का जल स्तर बढ़ा हुआ होने के कारण काश्तकार दो फसलें-रबी और खरीफ की करते थे। लगातार सात वर्षों से अकाल के कारण इन काश्तकारों की हालत जर्जर हो चुकी है और अधिकांश काश्तकारों के पास कृषि योग्य भूमि पांच या दस बीघा से ज्यादा नहीं है। इन चारों तहसीलों में और विशेषकर मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर क्षारयुक्त कृषि भूमि है, खारा पानी है और एक फसली क्षेत्र है। इसलिए इन काश्तकारों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के तहत, मोहनगढ़ के अन्दर प्रथम और द्वितीय जोन के अन्दर जो भूमि आवंटित की जाती है उस आवंटन के अन्दर कानून की प्रक्रिया और नियमों के अन्दर, 1975 के नियम के नियम 17 (6) के तहत सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और जैतारण तहसील के जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, जो गरीब काश्तकार हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं उन लोगों को अगर इस क्षेत्र के अन्दर रियायती दर के आधार पर आवंटन कर दिया जायेगा तो उससे यह होगा कि जैसलमेर और बाड़मेर, जो बॉर्डर का क्षेत्र है, नाना प्रकार की तस्करी होती है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तस्करी के कारण हमारे यहां का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी तरफ पंजाब से जो लोग आते हैं, वहां के जो काश्तकार आते हैं, वह बहुत धनाढ्य हैं, उनकी स्थिति मजबूत है। उनके कम्पेरिजन में हमारे क्षेत्र के काश्तकारों की हालत

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

चिन्ताजनक और दयनीय है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार और इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने नियमों के अन्दर, प्रक्रिया के अन्दर संशोधन कर इस क्षेत्र के काश्तकारों की दयनीय स्थिति, गरीब स्थिति को देखते हुए छोटे काश्तकारों को वहां पर भूमि का आवंटन करें। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय।

**श्री चुनीलाल इन्दलिया** (नोखा) : माननीय मंत्रीजी, हीरासिंहजी चौहान ने कुछ ऐसे तथ्य उठाये कि उनको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हरियाणा और पंजाब के लोग विशेष आवंटन में भूमि ले रहे हैं। क्या यह सही है? यदि नहीं ले रहे हैं तो आप इसका स्पष्टीकरण कर दें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं तुरन्त ही स्पष्ट कर दूं कि जो निकटवर्ती प्रदेश है उनके लोगों को आवंटन नहीं किया जाता। प्राथमिकता के आधार पर जैसे हमने यह नियम बना रखे हैं, उनके अनुसार ही आवंटन होता है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाली जिले के माननीय सदस्यों की भावना समझता हूं कि उनके जिले में काफी भूमिहीन परिवार हैं और जिनके पास भी आज जमीन है वह काफी छोटे टुकड़ों में रह गई है। मजदूरी का कोई अन्य साधन नहीं है। पूर्व के काश्तकार परिवारों से हैं। राज्य सरकार यह चाहती है कि राजस्थान के निवासियों को, काश्तकारों को राजस्थान नहर क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा भूमि का आवंटन किया जाये। जैसा कि मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में निवेदन किया कि हमने पचास प्रतिशत भूमि विशेष आवंटन के लिए सुरक्षित की हुई है और शेष पचास प्रतिशत भूमि हमने भूमिहीनों को आवंटव करने के लिए सुरक्षित की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमने अलग-अलग प्राथमिकता बनाई हुई है, जिसमें ए. बी. सी. डी. ई, एफ. जी. और एच. तक मामले निपट गये हैं और इवन 'के' तक के मामले निपट गये हैं। उसके बाद 'एल' का क्रम आयेगा। 'एल' श्रेणी के जो भूमिहीन काश्तकार होंगे, जिसमें आपके पड़ौसी जिले जोधपुर और बाड़मेर के भूमिहीन काश्तकार हैं उनको आवंटन होगा। माननीय सदस्यों को उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वह भी वहां के गरीब भूमिहीन काश्तकार हैं। उनका जब नम्बर आ जायेगा, उनको जब आवंटन कर दिया जायेगा, उसके बाद निश्चित तौर से पाली जिले के किसानों को आवंटन किया जायेगा। इसमें कहीं कोई मतभेद या दो राय नहीं है। माननीय हीरासिंहजी ने यह बताया कि पूर्व में आपने सीकर और जोधपुर आदि जिलों के भूमिहीन किसानों को आवंटन किया था। पूर्व में गंगानगर और बीकानेर जिलों में इसका आवंटन शुरू किया गया था और जब वह श्रेणियां एग्जास्ट हो गई तो पड़ौसी जिलों को इसके लिए इनवाइट किया गया था और जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स दी उनको आवंटन हुआ है। इसके पीछे मूल कारण यह रहा कि शुरू में जब यह नहर

(श्री देवीसिंह भाटी)

आई और काश्त होने लगी तो सिर्फ नजदीक के क्षेत्र के लोगों को ही पता लगा कि इस खेती से, इस पानी से कैसे रिजल्ट आते हैं। पड़ौसी जिलों ने इस बारे में विशेष रुचि नहीं बताई। यदि रुचि बताई होती तो निश्चित तौर से आपके जिलों को भी यह आवंटन होता।

**श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने यहां कहा कि भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन किया जाता है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि भूमिहीनों और गरीब किसानों को भूमि आवंटन नहीं की जाती। ऐसे व्यक्तियों को की जाती है जो बहुत टॉप के, नाम के किसान है। इसलिए इसको आप अमेन्ड कीजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी :** मैं आपके चेलेन्ज को स्वीकार करता हूं। आप ऐसे कोई भी एक, दो या दस, बीस नाम बताइये, निश्चित तौर पर यह आवंटन रद्द किये जायेंगे और जिन्होंने आवंटन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि अगले क्रम में 'एल' श्रेणी के काश्तकार हैं जिसमें बाड़मेर और जोधपुर के भूमिहीन आयेंगे, उनको आवंटन होने के बाद में हम निश्चित तौर पर पाली के लोगों को भी आवंटन करेंगे। इन्होंने एक प्रश्न यह भी उठाया कि विशेष आवंटन की जो श्रेणी रखी हुई है उसमें धनाढ्य सेठों का या सिर्फ पैसे वालों को भूमि दी जाती है। इसमें प्रक्रिया यह है कि हम इसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं और यदि एक ही एप्लीकेशन आती है तो उसको उसी रेट पर आवंटन कर दिया जाता है। यदि एक ही मुरब्बे पर दो या तीन प्रार्थी आ जाते हैं तो निश्चित तौर से जो बढ़ी हुई कीमत देता है, उसी को आवंटन होता है। मैं इस बात के लिए थोड़ा सहमत नहीं हूं कि इन्होंने बताया कि बाड़मेर और जैसलमेर के काश्तकार खेती करना जानते नहीं, वह मेहनती नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पूर्व में निश्चित तौर पर वह पशुपालक रहे थे और पशुपालन ही उनका विशेष पेशा था। लेकिन जैसे–जैसे नहर आई है, उस क्षेत्र के अन्दर लोगों ने मेहनत करके उस टीबों वाली ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल करके एक-एक बीघा से मूंगफली की दस-दस हजार रुपए की फसल उठाई है। तो ऐसी बात नहीं है कि बाड़मेर और जैसलमेर के काश्तकार मेहनती नहीं हैं और काश्त में कामयाब नहीं होंगे। मैं आपकी भावना समझ रहा हूं और हम यह प्रयास करेंगे कि जो कार्यक्रम हमने चला रखा है, उसके लिए हमने अभी एक विशेष अभियान भी चलाया है। जैसे कि पूर्व में विधानसभा के इसी सत्र में प्रश्न आया था कि आपके यहां जो पूर्व में लक्ष्य रखे गये थे, वह प्राप्त नहीं किए गए। पिछली सरकार से पता नहीं, किस कारण से ढिलाई हुई, डेढ़ लाख का लक्ष्य रखा गया था और पिचहेत्तर हजार बीघे का ही आवंटन किया। इसलिये हमने इस साल एक लाख बीघा भूमि आवंटन करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए एक विशेष अभियान भी चला रहे हैं। मैं आपको यह

(श्री देवीसिंह भाटी)

विश्वास दिलाता हूं, इस सदन में, वह एक लाख का लक्ष्य हम निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे और आपका नम्बर भी शीघ्र आ जायेगा। इसमें अन्य कोई जानकारी यदि आप चाहेंगे तो मैं अलग से भी देने के लिए तैयार हूं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गई है। भ्रांति यह है कि 'एच' कैटेगरी के वह जिले हैं जो पड़ौसी जिले हैं और पड़ौसी जिलों में आप कह रहे हैं कि वह पहले एलिजिबल है, पहले उनको प्रायर्टी रहेगी, जैसलमेर और बाड़मेर की। तो अगर जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर इतने भूमिहीन हैं कि पचास प्रतिशत एरिया, जो आप भूमिहीनों के लिए ईयर मार्क कर रहे हैं, उस एरिया के अनुपात में अगर भूमिहीनों की संख्या ज्यादा है तो आप पाली वालों को जो निश्चित आश्वासन दे रहे हैं, इसको कैसे पूरा करेंगे ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : बचेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्या पड़ौसी जिलों के अलावा कॉलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर 'आई' कैटगरी है और अगर 'आई' कैटेगरी है तो पाली एलिजिबल होगा और 'आई' कैटेगरी नहीं है तो पाली एलिजिबल नहीं होगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप तो सब जानते है। जानते-बूझते क्यों पूछते हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : दूसरी-आपने जो सीकर जिले की बात कही है, मैं समझता हूं कि सीकर जिले के भूमिहीनों को शायद कोलोनाइजेशन एरिया में भूमि अलॉट नहीं हुई। अभी मंत्रीजी सीकर जिले की बात कह रहे थे, शायद उन्होंने गलती से नाम लिया होगा। सीकर के लोगों को कोई अवार्ड मिला होगा, पदमश्री मिली होगी, लेकिन एलिजिबल शायद सीकर वाले नहीं थे मेरी समझ में।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : जागीर रिजम्प्शन एक्ट की तामील में ....

**श्री परसराम मदेरणा** : खुदकाश्त रूल के अन्तर्गत किसी भी जिले का हो, खुदकाश्त रूल के नीचे अलॉटमेण्ट है कोलोनाइजेशन एरिया में, वह अलग बात है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया, पूर्व में जो आवंटन हुये हैं वह जो पड़ौसी जिले थे, उन्हीं में आवंटन हुआ है। यह जो श्रेणियां अलग-अलग बनायी गयी हैं, उसमें निश्चित तौर पर जो एप्लीकेशन्स पूर्व में आमंत्रित की गयी वह एग्जास्ट होगी, तब नेबरिंग जिलों का नम्बर आयेगा। उससे पहले नम्बर नहीं आ सकता।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर का जिक्र इसलिए आया कि भूतपूर्व सैनिकों को सीकर के लोगों को वहां आवंटन हुआ इसलिये माननीय सदस्य को यह भ्रम रहा है कि सीकर के लोगों को मिला है।

**श्री परसराम मदेरणा** : खुद काश्त की या रिफ्यूजीज को मिली है स्पेशल केटेगरी थी, एक्स आर्मी मैन को मिली, वह स्पेशल केटेगरी थी वह किसी भी जिले के थे, उनका सम्बन्ध न सीकर से है, न पाली से है, न सिरोही से है, वह तो पूरे राजस्थान के हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला सवाल तो यह है कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के ऊपर जोधपुर जिले के लोगों को इससे पहले कितनी भूमि का आवंटन हो चुका है। दूसरा मेरा प्रश्न है, अभी आपने अपने उत्तर में बताया कि बाड़मेर और जोधपुर को इस भू-आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी तो मेरा निवेदन है कि यह नहर जोधपुर से तो काफी दूर बहती है, फिर पाली के किसानों को क्यों इससे वंचित रखा है? तीसरा जो श्रेणी बतायी 'एल' इसमें कौन-कौन से काश्तकार आते हैं?

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने इंदिरा गांधी नहर में कैसे, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को प्राथमिकता देने को कहा? क्या अलाटमेण्ट रूल्स के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान है कि जोधपुर और बाड़मेर जिलों को प्राथमिकता दी जायेगी? अगर नहीं, तो पाली जिले को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है?

**श्री सनील कुमार विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज तक जितने भी आवंटन इंदिरा गांधी नहर में हुए हैं वह फर्स्ट स्टेज पर ही हुए हैं। पोंग डेम के जो विस्थापित थे उनको भी गंगानगर में अलाट की गयी, राजस्थान के दूसरे अन्य क्षेत्रों के आदमी थे, रिफ्यूजीज थे उनको भी गंगानगर में अलाट की गयी। उसके फलस्वरूप जो गंगानगर जिले के काश्तकार थे, हरिजन थे, वह भूमि मिलने से महरूम रह गये। उनके लिए मंत्री महोदय और राज्य सरकार क्या करने जा रही है? उनकी कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं? जब सेकिण्ड स्टेज में अलॉटमेण्ट होगा क्या उनको तब प्राथमिकता दी जायेगी? बाहर के लोगों को गंगानगर में अलॉट कर दी गई और गंगानगर के हरिजन व काश्तकार जमीन से वंचित रह गये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जरा स्पष्ट कर दूं। उन्होंने पूछा है कि 'एल' श्रेणी में कौन आते हैं? Landless persons of such contingent districts of Rajasthan as have no major or medium irrigation projects., इस श्रेणी के काश्तकार आते हैं। उसी में ही जो आपके पड़ौसी जिले हैं उनका भी नम्बर आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य लक्ष्मीनारायण दवे ने पूछा कि ऐसे कौन से नियम हैं कि पहले बाड़मेर और जोधपुर जिलों को ले रहे हैं, इसके लिए नियमों में अलग-अलग प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। उसमें पड़ौसी जिले पहले नम्बर आयेगा। जैसे पूर्व में अलॉटमेण्ट हुए थे तो पहले गंगानगर जिले की तहसीलों को अलॉटमेन्ट हुआ। कोलोनाइजेशन तहसील के बाद जो उसकी पड़ौसी रेवेन्यू तहसील थी उसकी अलॉटमेन्ट हुआ। उसके बाद

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिले का नम्बर आया। उसके बाद पड़ौसी जिले का नम्बर आया। उसके हिसाब से ही इसमें अलग-अलग श्रेणियां बनी हुई हैं। उसके अनुसार ही प्राथमिकता रखी हुई है।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि गंगानगर जिले में पोंग डेम के काश्तकारों को भी पूर्व में आवंटन कर दिया गया। निश्चित तौर पर आवंटन किया गया। यह इस कारण से किया गया कि हमने पोंग डेम का निर्माण किया था और उससे जो काश्तकार प्रभावित हुए थे, उनकी जमीने हमने एक्वायर की थी उस डेम के निर्माण के लिए, उनसे इसलिए हमने एग्रीमेण्ट किया था उसके अनुसार हमने गंगानगर जिले में उनको आवंटन किया। आपकी भावना की निश्चित तौर पर मैं कद्र करता हूं कि आप उस जिले के भूमिहीन हरिजनों के बारे में चिन्ता रखते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि 19 हजार एप्लीकेशन गंगानगर जिले की बकाया है परन्तु उनका नम्बर हमने एग्जास्ट कर दिया है। यह जो अलग-अलग केटेगरी बनी हैं वह पूरी होगी तब ही उनका नम्बर आयेगा। इसलिये हाल ही में उनका नम्बर आने की कोई सम्भावना नहीं है।

**श्री सुनील कुमार विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो उनको जमीन अलॉट की गयी है उससे हमारा कोई गिला-शिकवा नहीं है। पोंग में बांध बना है, वहां काश्तकारों को अनस्टेबलाइजड किया, उनको अलॉट की गयी, इससे हमें कोई गिला नहीं। परन्तु रिफ्यूजीज, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के लोग फौजी हुए उनको एक्स सर्विस मैन को या जागीरदार हुए, उन सबको वहां एडजेस्ट किया गया। इसके फलस्वरूप गंगानगर के हरिजन काश्तकार जमीन से महरूम रह गये। जमीन रबड़ तो है नहीं कि खींच लो। जमीन तो जितनी जिले में होगी, उतनी ही होगी। अब इस मकसद के कि वहां जमीन है नहीं, सैकण्ड स्टेज में अलाट हो रही है तो वहां के आदमी को प्रापर्टी मिलेगी और गंगानगर का काश्तकार इससे लास्ट प्रापर्टी पर आ जायेगा। इससे उनको जमीन बिल्कुल नहीं मिल पायेगी। इसलिए इसको स्पेशली कन्सीडर कर अलाट की जाय।

**श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इसमें जो जमीन रिजर्वेशन में रखी है वह सारे राजस्थान कैनाल के प्रोजेक्ट के लिए रखी है। पूरे में जो पानी आयेगा उसके बदले में उनको दी है। यह जिम्मेदारी एक फर्स्ट फेज की ही नहीं थी। मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन इसमें तीन चार तरह का है। एक मिलिट्री परसन्स को है, एक पोंग डेम के विस्थापितों को हैं, कुछ जागीरदारी से रह गये थे, उनको है फ्रीडम फाइटर्स को है। कई तरह की केटेगरीज है। वह ऐज ए होल राजस्थान की लाइबिलिटी है, केवल फर्स्ट फेज वालों की नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि उसी हिसाब से सारी जमीन, जो पांच या तीन लाख एकड़ हैं उसके बदले में जितना हिस्सा आता है गंगानगर जिले का फर्स्ट स्टेज वालों का, ठीक है कि उतनी जमीन न दे पर क्या यह शेयर बांट कर बाकी हिस्सा पड़ौसी जिले

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के नाते आप सैकण्ड फेज में करेंगे बीकानेर के लोगों को, तो निश्चित तौर पर गंगानगर जिला पड़ौसी पड़ेगा। इस नाते उसको भी रियायत देंगे या नहीं कि पड़ौसी जिले के तौर पर वह अपने क्लेम कर सकेंगे या नहीं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अब क्या रह गया ? इनको भी कर लेने दीजिए।

**श्री हीरासिंह चौहान** : वास्तव में इंदिरा गांधी नहर पर जोधपुर जिले के कितने लोगों को जमीन आवंटित की गयी है ? इसका उत्तर नहीं आया ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि नियम 131 के नोटिस में इसका हवाला नहीं था इसकी यदि आप जानकारी चाहेंगे तो निश्चित तौर पर अलग से बता दूंगा।

संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि हमारे गंगानगर जिले के अन्दर जो अलग-अलग केटेगरी के लोगों को भूमि का आवंटन कर दिया, वह हमारा क्षेत्र था और उसमें हमारा हिस्सा घट गया।

मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के लोगों को लूणकरणसर लिफ्ट केनाल के ऊपर, छतरगढ़ तहसील के अन्दर, पूगल और छाजूवाला क्षेत्र के अन्दर आवंटन किया गया। ऐसी कोई भेद भाव वाली बात नहीं है कि आपका हिस्सा काट दिया जाये और बाद में दूसरे जिले में नहीं दिया जाये। बीकानेर जिले में काफी लोगों को आवंटन हुआ है। लेकिन जब उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन पैण्डिग नहीं थी तो दूसरी पड़ौसी तहसील और जिलों का नम्बर जाना निश्चित था। जो हमने अलग-अलग केटेगरीज बनायी हुई थी, उसी अनुसार ही हमने आवंटन किया।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : वहां पैण्डिग पड़ी है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : पैण्डिग पड़ी है। पर....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : उसी वक्त की है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : लेकिन उस वक्त उसमें जैसे-जैसे कैटेगरीज....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : यह 75 की पैण्डिग हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उसके अन्दर जैसे आवंटन होना था पूगल तहसील में तो पहली प्रायोरिटी आपके पूगल उपनिवेशन तहसील की बनेगी, उसके बाद में रेवन्यू तहसील पूगल की बनेगी, उसके बाद में पड़ौसी तहसील कोलायत की बनेगी, तब पूरे जिले का नम्बर आयेगा उस हिसाब से किया है। उसके बाद में जैसे-जैसे पड़ौसी जिले निपट जायेंगे, तब आपका नम्बर आयेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय पूनमचन्द जी बिश्नोई सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(102)



**किसान, ग्रामीण कारीगर आदि को दस हजार रुपये कर्जे की माफी**

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : उपाध्यक्ष, महोदय, अभी संसद और विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस अवसर पर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिए, उनका उत्तर आ जाये, तब आप कर लेना।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ध्यान ही आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन जो प्रस्ताव मैने आपको दिया था, उसके पश्चात् मुख्य मंत्री जी ने कर्जा राहत की घोषणाएं की हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ेगा। घोषणा की थी कि दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर दिये जायेंगे। आप जानते हैं कि आजादी के बाद में किसानों में काफी खुशहाली आयी, उनकी तकलीफें मिटी। लेकिन फिर भी किसान सदा ही अनावृष्टि, अतिवृष्टि फसलों की बीमारियों, भावों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित रहता है। इसलिए पुराने जो बोहरे थे, उनके कर्जे से तो मुक्ति हो गई लेकिन बैंकों के कर्जे उन पर ज्यादा हो गये। इसलिए कोई न कोई व्यवस्था होनी जरूरी है कि जब कभी किसान इस तरह से उत्पीड़ित हो तो उसको किसी न किसी रूप में राहत मिल सके। पिछले वर्षों के अकालों के कारण और भावों में उतार-चढ़ाव के कारण भी किसान कर्जों में डूब गया था। इसलिए जो घोषणाएं की गई, उनका किसानों ने हार्दिक स्वागत किया। लेकिन लगता है कि यह घोषणाएं केवल वोट प्राप्त करने के लिए की और इसमें किसानों को कोई स्थायी राहत दी जाये या कोई नीति बनाई जाये, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। खैर, आपकी घोषणाओं का आपको लाभ मिला और आपकी सरकार बनी। आपने कर्जा राहत की भी घोषणा की है लेकिन इसमें कई तरह के परन्तुक आपने लगा दिये हैं। दस हजार तक के 1986 के पहले के सब कर्जे माफ होंगे। 86 से लेकर अक्टूबर, 89 तक के वह कर्जे माफ होंगे जहाँ पर फसलों में अकाल के कारण या और किसी कारण से नुकसान हो गया है। इसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों के, डेयरी वालों के, दूसरे, तीसरे हैं तो उसके लिए भी घोषणाएं केन्द्रीय सरकार करेगी। कुल मिलाकर आपकी नीति यह लगती है कि यह गलती हो गई, किसी तरह से घोषणा हो गई, लेकिन इससे किस तरह से छुट्टी कैसे पायी जाये। आप इसमें बेमन से काम कर रहे हैं। यदि आपके इरादें सच्चे होते तो पहले तो इसमें स्थाई उपाय होने चाहिये थे। किसानों पर संकट बार-बार आते रहते है, कर्जे में वह बार-बार डूबते रहते हैं, यह किसान का इतिहास बताता है, उसके लिए आपने क्या स्थायी व्यवस्था की है, वह इसमें कहीं नहीं आया है। दूसरी इसमें कमजोरी यह रही है कि जो सदा समय पर अपना कर्जा कठिनाई सहन करके भी देते रहे हैं वह तो भुगते और जिनकी कर्जा देने की नीयत नहीं थी उनको इसके अन्दर लाभ मिल गया।

**श्री रामकिशन** : इस पर आप सुझाव दीजिये। यह बीमारी इस सरकार में भी है। इस पर आप सुझाव दीजिये। कैसे दूर होगी?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इसका इलाज यह किया जाये कि किसान जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि....

**श्री रामकिशन** : मैं खुद भी चाहता हूं कि जो देते रहे है और वह दण्ड भुगतेंगे, इससे बचने और उनको मदद दिलाने के लिए आप सुझाव दीजिए।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह तो गहराई से विचार करने की बात है। जो सहकारी समितियां हैं उनसे किसी तरह की रिपोर्ट ली जाये कि किसमें है, वह। अब आपने तो छूट दे दी कि उस तारीख से पहले का हैं तो माफ होगा और उसके बाद के लिए यह व्यवस्था होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है, चूंकि कर्ज माफी की घोषणा हो गई इसलिए बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं तो इसकी कोई न कोई तरकीब हम बैठकर निकालें। कोई न कोई इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि आप एक दफा आप गलती से या किसी तरह से उसमें फंस गये, अब आपकी किसी तरह से उसमें से निकलने की नीयत है, यह वायदा किया था इसको तो पूरा कर दें। आगे भविष्य में इसका क्या होने वाला है, कर्जे में किसान हमेशा आता रहेगा, आपने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कोई ऐसी स्थायी नीति बनाइये। क्योंकि यह वोट तो फिर आ जायेंगे और हम फिर 15 हजार की बात कर देंगे। लेकिन कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हुई। मैं यह सीरियसली कह रहा हूं। स्थायी व्यवस्था क्या हुई? सब कुछ हो गया है, मशीनीकरण हुआ, रासायनिक खाद, नयी विधियां, सिंचाई के साधन, सब कुछ होते हुए भी किसान आज जितना पीड़ित है उतना दूसरा कोई वर्ग नहीं है। इसलिए इस हिसाब से आपको कुछ करना चाहिये। दूसरा, आपने जो प्रावधान रखा हैं कि 86 से लेकर 89 तक कहीं हो, आपने जो कई तरह के परन्तुक लगाये हैं, यह भी नहीं होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने बहुत से परन्तुक लगाये है राष्ट्रीयकृत बैंकों वगैरह के, यह नहीं होना चाहिये। आपने 170 करोड़ का हिस्सा बताया है, 30 करोड़ का ही आपने प्रावधान रखा है, तो बाकी का क्या होगा? इसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं....।

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर आ जाने देते। हो सकता है कि आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़े।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : दोनों का साथ ही उत्तर दे देंगे। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान कालिंग अटेन्शन मोशन के जरिये कुछ मुद्दों पर दिलाया है जो दस हजार तक के लोन्स के राइट ऑफ के सम्बन्ध में है। वित्त मन्त्रीजी ने और मुख्य मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण के पैरा 41 से 44 तक इसका उल्लेख किया है। भारत सरकार ने यह स्कीम काफी अरसे पहले राज्य सरकार के पास भेज दी थी और राज्य सरकार को भी उसी पेटर्न के ऊपर इस स्कीम की डिटेल्स

(१०६)



(श्री परसराम मदेरणा)

बनाकर जो भी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स है उनके पास में भेजना था। किस प्रकार की प्रक्रिया और मशीनरी आप इन्वोल्व करेंगे जो इस निर्णय पर पहुंचेगी कि कौन बिलकुल डिफाल्टर है, कौन नॉन बिलकुल डिफाल्टर है, कितना लोन होगा? मुख्यमन्त्री जी ने मोटे तौर पर दो, तीन डेट्स ली है, अप्रेल, 86, और 2 अक्टूबर 89। जो पूरी स्कीम भारत सरकार ने बनाकर राज्य सरकारों को भेजी थी उसमें आपके ऊपर इस बात को enjoiu किया गया था, जो चेप्टर फर्स्ट के पैरा के अन्दर एक्सप्लेनेशन में है।

"So far as the banks and cooperative sectors are concerned the State Government have been requested to frame a scheme on similar pattern."

उपाध्यक्ष जी, मैं सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का तीन साल तक चेयरमैन था। फिर उस बैंक को एडमिनिस्ट्रेटर ने सुपरसीड किया। परसों हाई कोर्ट ने वापस गवर्निंग बाडी को रेस्टोर कर दिया है। अभी तक सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के पास में गवर्नमैण्ट आफ इण्डिया की स्कीम तो आयी है लेकिन स्टेट गवर्नमैंण्ट की स्कीम अभी तक नहीं आयी है। मेरा एक सुझाव है कि आप डिटेल में इस स्कीम को बनाकर जल्दी से जल्दी भिजवायें। स्कीम नहीं भिजवाने की वजह से जो कुछ समायोजन आप करने जा रहे हैं, इस साल कितना करेंगे? फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य विश्नोई जी बहुत ठीक कह रहे थे कि इनके गले में हड्डी फंस गयी है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड के माध्यम से....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** किसानों को रिलीफ देने से गले में हड्डी फंस रही है, तो आप इसको बुरा समझते है क्या?

**श्री परसराम मदेरणा :** मैं रिलीफ की नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास धनराशि नहीं है 50 पर्सेण्ट देने के लिए। आपने अपने बजट में इस बात का उल्लेख किया है कि हम बातचीत कर रहे हैं। 85 करोड़ की राशि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपके लोन राइट ऑफ नहीं होंगे। लोन राइट ऑफ नहीं होंगे तो आदमी जो आज डिफाल्टर है, लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबल नहीं होगा, स्कीम में इतनी देरी हो गयी है तो इससे एग्रीकल्चर के आपरेशन और प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं सहकारिता मन्त्रीजी से कि शार्ट टर्न लोन में खरीफ की फसल में जो आपने टार्गेट किया था, वह कितना अचीव किया है? जैसी कि मुझे जानकारी है, आपका टार्गेट 110 या 117 करोड़ का था इस साल के लिए, लोन का जो डिस्बर्समैण्ट हुआ है वह करीब 20-22 करोड़ होगा। जिन लोगों ने लोन चुका दिये हैं, जो एलिजिबल थे, जो डिफाल्टर हैं ही नहीं, जब तक यह स्कीम लागू होकर उनका समायोजन होकर उनके खाते बन्द नहीं हो जाते हैं तब तक उन लोगों को आगे लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपकी मार्फत

(श्री परसराम मदेरणा)

सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन है कि जिस तरह भारत सरकार ने डिटेल में स्कीम बनायी हैं, आप भी डिटेल में स्कीम बनाइये और जो आश्वासन दिया है बजट स्पीच में, उसके अनुसार उसको जल्दी इम्प्लीमैण्ट करिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मन्त्री महोदय।

**श्री चतुर्भुज वर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्य बुजुर्ग विश्नोई साहब ने लोन छोड़ने के बारे में शंका पैदा नहीं की, केवल प्रक्रिया के बारे में शंका पैदा की है। हमारे माननीय सदस्य ने भी अभी कुछ बातें पूछी हैं। मदेरणा साहब ने अभी पूछा कि आपने जो बजट स्पीच दी थी उसके अनुसार आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। आपने कहा, 20-22 करोड़ दिया होगा। हमने 60 करोड़ खाद और नकद के रूप में वितरित कर दिया है हर जिले में, जिसमें 60 और 40 का अनुपात रखा है। 60 प्रतिशत खाद और बीज के रूप में दिया गया है और 40 पर्सेण्ट नकद के रूप में खरीफ और रबी में तो दे दिया। रिजर्व बैंक के अनुसार नाबार्ड के अनुसार हमारा जो पैसा बाकी बचता है उसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आश्वासन मिला है। आप इस बात की तो चिन्ता न करें कि ऋण आपका किस रूप में छोड़ा गया। अब रहा सवाल कि आगे के लिए स्थायी व्यवस्था क्या होगी। आगे की स्थायी व्यवस्था के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ईश्वरीय प्रकृति, ईश्वरीय मापदण्ड का कोई पता नहीं होता। किसान के ऊपर भगवान न करे कोई प्राकृतिक प्रकोप आये, भगवान करे वह संकट में नहीं फंसे। इस साल जैसा पानी पड़ रहा है, ईश्वर अगर ऐसा सहयोग हमें कर दे, हमें आशीर्वाद दे तो मैं समझता हूं कि किसान के ऊपर कोई संकट नहीं आने वाला है। कोई प्राकृति प्रकोप अगर आ भी गया तो उसके ऊपर आपके जो सुझाव होंगे, सभी सम्माननीय सदस्यों के, उन सुझावों को एकत्र करके, आपसे परामर्श करके इस बारे में व्यवस्था करेंगे मिल-जुलकर। कोई बात रह गयी हो तो और पूछ लीजिए।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** ऐसा है, मंत्री महोदय, आप स्वयं जानते है, आप स्वयं किसान हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि काश्तकारी का धन्धा बड़े टोटे का धंधा है, कई संकटों से ग्रसित रहता है। बार बार किसान के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान का धंधा सदैव के लिए एक लाभकारी धंधा बना हुआ रहे। फिर तो यह कहेंगे कि आपने 1990 के अन्दर ही दस हजार क्यों माफ कर दिये, दस साल के बाद। सरकार किस नीति के अनुसार काम करती है। कर्जा बढ़ गया, आपने यही महसूस किया होगा, मैं तो यही समझता हूं कि खाली वोट के लिए नहीं किया होगा। यही महसूस किया होगा कि पिछले वर्षों में कृषकों पर ऋण भार बढ़ गया था इसलिए इनको मुक्ति दी है। एक दफा मुक्ति देकर आगे के लिए आप कोई प्रबन्ध नहीं करें, यह कौन सी नीति हुई ? मुख्य

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

प्रश्न किसान का यही है कि यह टोटे का धंधा है। ऋण वह लेता रहता है। ब्याज के लिए आप 10-20-30-50 करोड़ रख दीजिए, सब्सिडी के लिए रख दीजिए, कीमत के लिए या किसी और तरीके से रख दीजिए। मशीनरी और खाद में वैसे भारत सरकार अनुदान देती है, लेकिन आप भी कुछ देने के लिए कीजिए। ऐसी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ना आपके जंच गयी तो आपने 10 हजार माफ कर दिये और सदैव के लिए वह बात खत्म हो गयी। दूसरा कोई आयेगा तो अबकी बार 15 हजार कर देगा। फिर चुनाव के मौके पर होगा। यह सरकार के काम करने का, वित्तीय प्रबन्ध का कोई तरीका है क्या? आप कीजिए तो स्थायी व्यवस्था कीजिए, आप नीति बनाइये इस सम्बन्ध में। सब उसमें तकलीफ पा रहे हैं, सोच रहे हैं इस से किसी तरह पार हो जाय। यह तो राजनीतिक अवसरवादिता हुई।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय कल्ला जी। अन्तिम प्रश्न।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान बैंक, जो अराष्ट्रीयकृत बैंक है, ने जो कर्जे दिये हैं, उनको राज्य सरकार माफ करने का विचार रखती है? अपने राजस्थान में काफी जगह राजस्थान बैंक ने भी लाखों रुपए के लोन किसानों को दिये हैं। उनके ऋण क्या आप माफ करेंगे? फसल बीमा योजना को चालू रखने का क्या आपका विचार है? क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार आपको अनुदान के रूप में राशि न देकर राष्ट्रीय विकास बैंक, नाबार्ड के माध्यम से अपेक्स बैंकों को देगी?

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यह योजना लागू की है इससे पहले किसानों को राहत देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक योजना लागू की थी। उस योजना के तहत कुछ ब्याज और कुछ बकाया ऋण जो 8 किश्तों में देना चाहते थे उनको डिफाल्टर नहीं मानते हुए दुबारा लोन देने की योजना चालू की थी। जहां तक मेरा अनुमान है इस योजना में करीब 50 पर्सेण्ट किसानों ने उस योजना का लाभ उठाया था और करीब एक करोड़ की योजना थी। उस योजना में जिन्होंने एक किश्त दे दी और एक किश्त के बाद आठ किश्तों में अपने लोन को एडजेस्ट करा दिया, उन लोगों को डिफाल्टर की कैटेगरी से हटा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत कि इस योजना में, जो आपकी योजना है, और जो उसमें नहीं आते हैं क्या उन लोगों को, जिनकी आठ किश्तें तय कर दी गयी हैं इस योजना से लाभ दिया जायेगा?

**श्री चतुर्भुज वर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पूर्ववर्ती सरकार की आठ किश्तें करके, किसी ने जमा करा दी तो ऋण माफ मानते हुए एक करोड़ का पैसा दुबारा देने या खाद देने की जो योजना है वह कार्यरूप

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

में हमने परिणत की है। पूर्ववर्ती सरकार के नियम, सिद्धान्त और योजनाओं को हमने खत्म नहीं किया है। यह तो वर्तमान समय में इतना भारी वजन किसानों के ऊपर पड़ चुका था राजस्थान के अन्दर कि रोजी-रोटी कमाने के अलावा ब्याज ही ब्याज में देता रहा। उसकी स्थिति यह आ गयी थी कि छोटे किसान के तन पर कपड़ा नहीं, धोती नहीं, जूते नहीं। इस आधार पर यह योजना है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है कि इसे राजनीति से जोड़ा जाय। आप भी जब चालीस साल से बिराज रहे थे, यह बुराई की बात नहीं है....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह तो मैंने आपको जो तर्क दिया उसी को दोहरा रहे हो आप। घोषणाएं आप कर रहे थे उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि किसान की हालत खराब हो गयी है, उस पर ऋण भार बढ़ गया है इसलिए माफ कर रहे हैं। आप तो आकर्षित कर रहे थे लोगों को कि हम इतना माफ कर रहे हैं। इसलिए माफ किया था। नहीं तो आगे की कोई व्यवस्था करते।

**श्री चतुर्भुज वर्मा** : सम्माननीय सदस्य, ऐसा नहीं था। बिलकुल राजनीति से जुड़ा हुआ विषय यह नहीं है। किसानों के बारे में सारा सदन चिन्तित है। मुझे आप एक बात बतायें, किसानों के लिए हम नहीं सोचेंगे सारी बातें, स्थिति ऐसी आ गयी थी कि जब चुनाव हो रहे थे उनको पानी नहीं मिल रहा था। अकाल पड़ रहा था किसानों के पास खेत में फसल नहीं थी, कुओं में पानी नहीं था, उसके पास डीजल नहीं था। यह स्थिति कैसे आयी ?

**श्री पूनमचंद विश्नोई** (फलोदी) : यह राजस्थान में था, बिहार में क्या था ?

**श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : हमारे जीतने से प्रकृति प्रसन्न हुई और भारी वर्षा हुई जिससे फायदा हो गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांगों पर विचार। मांग संख्या 14 बिक्रीकर (व्यवधान)

आ तो गया, बड़ा स्पष्ट जवाब आया है। अब कुछ बचा तो है नहीं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है, माफी की बात तो दरकिनार रही। अब उनको एडवांसमेंट तो शुरू हो जाए, फिर से कर्जा मिलना शुरू हो जाए उनको। यह तो करवा दीजिए आप।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : बड़ा सीधा प्रश्न है उनके कर्ज माफ किए जायेंगे या नहीं किये जायेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब दूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हमारा डिटेंशन है सहकारिता मंत्रीजी का (व्यवधान)।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : अकाल की वजह से जो को-आपरेटिव बैंक के लोनी थे वह डिफाल्टर हो गये। चूंकि उनकी फसल का खराबा 50 पर्सेंट था और जो गांव थे फेमिन और स्केयर सिटी

(123)



(श्री परसराम मदेरणा)

की वजह से इफेक्टेड थे, डिफाल्टर होने के बाद नाबार्ड के आदेश से वह लोन कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अकाल पड़ गया तो कन्वरसनशिप का शिड्यूलिंग और रिशिड्यूलिंग किया। वह रिशिड्यू और कन्वर्टेड लोन आज ओवर ड्यू नहीं है। उसकी क्या स्थिति रही?

**श्री चतुर्भुज वर्मा** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सम्माननीय सदस्य कल्ला जी ने प्रश्न किया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत**: कल्ला जी का किसानों से क्या मतलब है?

**श्री बुलाकीदास कल्ला**: क्यों नहीं मतलब है। मेरा किसानों से क्यों मतलब नहीं है। आज राजस्थान में 70 प्रतिशत लोग किसान रहते हैं उनके हित की बात क्यों नहीं करेंगे?

**श्री चतुर्भुज वर्मा**: कल्ला जी खड़े हुये थे इसलिये उनका सम्मान कर रहा था। राजस्थान सरकार ने 10-7-90 को एक आदेश और आज्ञा निकाली। राजस्थान में जितने भी किसान है उनका डिटेन्शन करने का एक आदेश निकाला कि राज्य में 10 वर्षों से अनवरत अकाल की स्थिति रहने के कारण किसान, बुनकर दस्तकारों की ऋण देने की क्षमता का ह्रास हो चुका था। परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों को अवधिपार ऋण बढ़ते थे और दिनांक 30-6-89 को करीब 13 लाख सदस्य भी अवधि पार ऋणी हो गए। इस पर कुल बकाया अवधि पार ऋण मय ब्याज के 300 करोड़ रुपया होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई।

**श्री प्रद्युम्न सिंह**: धोलपुर जिले पर बहुत अन्याय होगा इसके अन्दर प्राकृतिक विपदा के नाम पर दस साल के अन्दर सिर्फ एक साल वहां अकाल की स्थिति रही। मुख्यमंत्री जी, हमारे जिले का क्या होगा, यह बता दीजिए।

**श्री हेतराम बेनीवाल** (सांगरिया): यह जो मंत्रीजी ने सवाल पैदा किया है। एक मेरा सवाल है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह**: मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि इस मामले के अन्दर पूर्वी राजस्थान में जो भी सहायता है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मिलेगी। किसान को लोन बेंगिग के मामले में सहायता ना के बराबर है। लेकिन उसके अन्दर भी धौलपुर और भरतपुर के किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी, मैं आपका इंटरवेशन चाहता हूं। आप वहां के प्रतिनिधि हैं। इस मामले में जो भी आपको करना है, करें। चाहे एट पार रखा जाए। जो भी आप सहायता दे रहे हैं, जो भी लोगों को ऋण माफी आप कर रहे हैं उसमें धोलपुर और भरतपुर का किसान सबसे घाटे में रहा और प्राकृतिक विपदा के नाम पर अकाल तो धौलपुर में आजादी के बाद सिर्फ एक साल रहा है, है ही नहीं। तो हमारी, हमारे किसानों की क्या स्थिति रहेगी? इफ्स एण्ड बट्स में यह है कि दो साल कहीं प्राकृतिक विपदा रही हो, अकाल रहा हो तो कुछ मिलेगा वरना जो भी पेरामीटर्स आपने इसमें रिलीफ देने के फिक्स किए है उन पेरामीटर्स के अन्दर धोलपुर जिले के

109



(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किसानों को जबरदस्त घाटा रहने वाला है। इस मामले के अन्दर में इंटरवेशन चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब अन्तिम प्रश्न है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं उससे एक नई स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने आंकड़े यह दिए हैं कि जिन 13–14 लाख लोगों के ऋण वह माफ करना चाहते हैं वह बुनकर और गरीब किसान हैं। उन पर 300 करोड़ रुपया कर्ज है और उन 300 करोड़ में से व्यवस्था की है 30 करोड़ की, इसका क्या होगा। बाकी तो सब उधार लेना है। 30 करोड़ रुपये के सिवाय तो हमारे पास हैं नहीं। केन्द्र देगा तो ठीक है। केन्द्र कैसे देगा? हमारे साथ में है नहीं कि उनकी कन्डीशन्स को चेंज कर दें। केन्द्र सरकार जो कंडीशन्स लगायेगी वह हम चेंज नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से 30 करोड़ रुपया दिया है, अगर हमको उनकी कन्डीशन्स के बाद कोई रिलीफ नहीं मिले तो 300 करोड़ रुपया किस तरह से एडजस्ट करेंगे। फिर यह किसको लोन माफ करेंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कौन सी तरफ से प्रायोरिटी शुरू करेंगे? जो पहले आ गया है उसको कर देंगे या....

**श्री उपाध्यक्ष** : बस बैठिए। प्रायोरिटी में सब चीज आ गई। बैठिए।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है और दुःख भी है....

**श्री उपाध्यक्ष** : एक साथ दोनों ही, न्यूट्रल कर दिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किसानों का 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने की हमने योजना बनाई है और विपक्ष के मित्र उससे नाराज हैं।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : नाराज इसलिये हो रहे हैं कि पूरा माफ नहीं किया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 170 करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर दिया उससे कल्ला साहब नाराज हुए।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : मैं तो कह रहा हूं आपने बहुत थोड़े में ही काम चला लिया। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हम नाराज नहीं है। हमारी नाराजगी यह है कि आपने अपना वायदे के मुताबिक माफी नहीं की। आप 10,000/– तक के कुल कर्जे माफ कर देंगे यह आम किसान की धारणा थी। अब आपने उसमें अगर, मगर, किन्तु और परन्तु लगा दिया इससे राजस्थान के किसान को बहुत निराशा हुई है और खासतौर से धौलपुर और भरतपुर के किसानों को तो सबसे ज्यादा निराशा हुई है कि उन पेरामीटर्स के अन्दर हम कहीं बैठने वाले नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप यह बता दीजिए? आपने 40 वर्षों तक राजस्थान का शासन किया, एक पैसा भी माफ किया क्या किसानों का? हमने 170 करोड़ रुपया माफ कर दिया उससे नाराजगी हो गई है।

(110)



**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हमने इस वायदे पर राज नहीं पाया था। आपने तो राज्य पा लिया इस वायदे पर (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : वह तो हो गया। इनको सजा मिल गई

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : मुख्यमंत्री जी, 60 करोड़ की योजना बनाई थी और वह योजना बनाकर लागू भी की।

**श्री डूंगरराम पंवार** : आपने योजना बनाई थी आई. आर. डी. पी.। आई रकम डकारो प्रोग्राम बनाया था।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : वह योजना लागू भी हुई, उसका फायदा भी मिला। लेकिन आज वह सब तकलीफ में हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 170 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। वह 170 करोड़ रुपया कैसे आएगा, बजट स्पीच में उसका उल्लेख किया है माननीय परसरामजी ने कहा कि इसको लागू करने के लिए स्कीम बनानी चाहिए। वह स्कीम हमने बना ली, आपके पास नहीं पहुंची होगी तो पहुंच जायेगी। जो कर्जा माफ किया है उसके लिए स्कीम भी बनी है और स्कीम्स सब जगह भेज दी जाएगी बैंक वगैरह को ताकि उसको लागू करने में किसी प्रकार की असुविधा न रहे, किसी प्रकार का भ्रम न रहे। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने धौलपुर का जिक्र किया। मैंने आपको 15 दिन पहले कहा था और आज 15 दिन के बाद में आप बोले। अगर 15 दिन पहले बोलते कि धौलपुर में इस प्रकार की समस्या है तो मैं कुछ विचार करता।

**एक माननीय सदस्य** : यह ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, आपके मुंह में इनकी बात थी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हे प्रभु...

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। मांग संख्या 14 बिक्री कर। माननीय मुख्य मंत्री महोदय। मांग रखिए आप।

### अनुदान की मांग
### मांग संख्या-14 बिक्री कर की प्रस्तुति

**श्री शांतिलाल चपलोत**, (वित्त, आबकारी एवं करारोपण राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,83,40,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मांग संख्या 13 आबकारी। माननीया श्रीमती विद्या पाठक।

### मांग संख्या 13-आबकारी की प्रस्तुति

**श्रीमती विद्या पाठक** (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्रीमती विद्या पाठक)

महोदय को रुपये 22,95,10,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये:—

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) :

1. स्कूल भवन एवं धार्मिक स्थलों पर चल रही शराब की दुकानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

2. आबकारी विभाग द्वारा मन्दिर मस्जिद तथा स्कूल आदि के आसपास चल रही शराब की दुकानों को बन्द नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर):

3. शराब के दिए गए विभिन्न ठेकों में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

4. आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

5. राजस्थान में शराबबन्दी कर आबकारी से होने वाली इस अनुचित आय को सरकार द्वारा बन्द नहीं किए जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

6. ग्रामीण क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से शराब का निर्माण तथा खुलेआम लोगों के शराब पीने से होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) :

7. शराब की ठेकेदारी व्यवस्था को बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली):

8. राज्य में शराब की गारन्टी प्रणाली को समाप्त कर शराब के बढ़ते प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

9. अवैध रूप से चल रही देशी शराब की दुकानों गांवों और गलियों में से हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

10. शरब के ठेकेदारों द्वारा अनुचित लाभ कमाने एवं राज्य में अवैधानिक शराब बनाने पर सरकार द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

11. नियम विरुद्ध मदिरा की दुकानें खोलेजाने पर चर्चा के लिये।

(112)



**श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) :

12. लूणकरणसर क्षेत्र के गांव में शराब की अवैध बिक्री को नहीं रोकने पर चर्चा के लिये।

**श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) :

13. उदयपुर जिले में कच्ची शराब निकालने की छूट नहीं दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. कच्ची शराब सरकार द्वारा नहीं खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हेमराज** (किशनगंज) :

15. किशनगंज शाहबाद में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों पर पाबन्दी नहीं लगाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

16. अनाधिकृत तौर पर चलने वाली शराब की बिक्री की रोकथाम की आवश्यकता पर पर चर्चा के लिये।

17. नाजायज तौर पर बनने वाली शराब की रोकथाम करने की आवश्यकता चर्चा के लिये।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) :

18. आबकारी की दुकानों को नगर से दूर रखा जाने व अवैध शराब के निर्माण को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) :

19. तहसील लालसोट में निर्दोश लोगों को आबकारी विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

20. तहसील लालसोट में शराब की अवैध दुकानों को बन्द नहीं करवाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री मनोहरसिंह इन्दा** (शेरगढ़)

21. शेरगढ़, (जोधपुर) तहसील में राजस्व गांव चाबा, साई, भूगरा, तैना, गढ़ा, राइसर, खिरजा, फरोड, केतु, भालू, देवातू, देबानियां, देड़ा, गिलाकोर, नाथडाऊ, खुडियाला, बिराई, गोपालसर, बेलवा, बस्तवा, मांडू, जुडिया, ढाढणियां सोइनतरा, सोमेसर, सवालिया, दासलिया, चान्सभा, उठवालिया, जेठानियां, सोलकोयतला, सेरवाला, खिमासरिया, आसरलाई, आदि गांवों के शराब के उप ठेके व शाखायें तत्काल बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. राज्य में देशी ठेके के साथ ठेकेदारों द्वारा नाजायज तौर से बिना विभागीय स्वीकृति के उप-ठेके एवं शाखायें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :

23. राज्य में देशी ठेके के साथ ठेकेदार द्वारा नाजायज तौर से बिना विभागीय स्वीकृति उप-ठेके एवं शाखायें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. रायपुर, (पाली) तहसील में राजस्व गांव कालकला, पचानपुरा कालबखुर्द,

(श्री हीरासिंह चौहान)

लवावा, दापावास, कलालिया, वगड़ी, रेलडा, रामगढ़, सेठोल्यन, रामगढ़, चोग, खोड़िया, रायराकलां, गजनाई, सिरमा, साड़ियां, (सोजत) बड़ी पोल, जगमालपुरा, अमरपुरा, लालपुरा, के उप ठेके व शाखायें तत्काल बन्द किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. देशी मदिरा सीलबन्द बोतलों में उस पर कीमत अंकित पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिनियम के तहत बिक्री के लिये राज्य में व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. देशी मदिरा को अंग्रेजी शराब की भांति अद्धा व पव्वा के रूप में सीलबन्द बोतल उचित मूल्य अंकित कर बिक्री पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में पूर्व वर्षों की भांति खुली बोली द्वारा शराब के ठेकों की नीलामी की प्रथा को जनहित में पुनः प्रारम्भ कर पूंजी एवं व्यवसाय का एकाधिकार समाप्त कर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) :

28. गांवों में हर जगह सरकारी स्वीकृति के बिना शराब के ठेके खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) :

29. बस्तियों में शराब की दुकानें लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) :

30. अंग्रेजी शराब के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण न होने से उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. आदिवासी क्षेत्र में महुआ कुराणी शराब बनाने के लाइसेन्स जारी करवाने का आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. आदिवासियों को महुआ फूल की शराब बनाकर पीने की छूट दिलाने हेतु पर चर्चा के लिये।

**श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) :

33. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लूई जैतपुर, शेरपुरा, रामबाग, मलकासर, धीरेरा, राजासर, भाटियान, ओढवाला और भीखनेरा में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

34. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के अर्जुनसर स्टेशन, महाजन, लूणकरणसर, जामसर में शराब के ठेके राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के के लिए।

**श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) :

35. राष्ट्रीय मार्ग व अन्य धार्मिक स्थलों पर शराब व भंग, गांजा की खुली बिक्री को रोकने के बारे में चर्चा के लिये।

**श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) :

36. शराब का अवैधानिक निर्माण करवाने एवं छिपे रूप में विभाग के अधि-

(114)



(श्री बहादुर सिंह)

कारी तथा कर्मचारियों द्वारा प्रोत्साहन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

37. जिला बांसवाड़ा के आबकारी अधिकारी नशीली वस्तुओं पर होने वाली बिक्री व नाजायज उत्पादन पर रोक लगाने में निष्क्रिय होने पर चर्चा के लिये ।

38. जिला बांसवाड़ा के गांवों में नाजायज शराब निकालने पर रोक लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) :

39. प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित जाति मौहल्लों में लगी शराब की दुकानें हटाई जाने सम्बन्धी नीति बनवाई जाकर राहत पहुंचाने पर चर्चा के लिये ।

40. बूंदी शहर में जेल कुन्ड एवं एस. टी. सी. छात्रा प्रशिक्षण केन्द्र के पास में लगी शराब की दुकान को हटवाने बाबत् पर चर्चा के लिये ।

41. शराब के अधिकृत ठेकेदारों द्वारा गांव के मौहल्लों में उप ठेकेदारों द्वारा की जा रही बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

42. शराब के ठेकों में विशाल क्षेत्र एवं बड़ी राशि से हो रही असमानता से छोटे ठेकेदारों को शोषण होने पर चर्चा के लिये ।

43. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राज मार्गों एवं भीड़ भरे बाजारों पर नियम विरुद्ध लगाई गई शराब की दुकानें प्राथमिकता से हटाई जाने पर चर्चा के लिये ।

44. डोडा पोस्ट एवं अफीम की बढ़ रही तस्करी को रोकने हेतु तस्कर कृषकों को कम राशि दी जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

45. मादक एवं नशीले पदार्थों की बढ़ रही प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु विशेष योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. प्रदेश में भांग पर से कर हटाया जाकर छानों कार्यक्रम को सहयोग देने पर चर्चा के लिये ।

47. आबकारी विभाग में अनुसूचित जाति, जन जाति का आरक्षित कोटा पूरा करने पर चर्चा के लिये ।

48. प्रदेश में शराब के उत्पादन तथा बिक्री की नीति बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. केशोवराय पाटन सहकारी शूगर मिल में शराब बनाने का प्लान्ट लगाया जाकर कच्चे माल का सदुपयोग करने पर चर्चा के लिये ।

50. अडीला नगरपालिका वार्ड नं. 2 में ग्राम सड़क एवं अनुसूचित जाति मौहल्लों में लगी शराब की दुकान नहीं हटाने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये ।

51. कापरेन एवं केशोवरायपाटन शूगर मिल गेट के पास ग्राम सड़क के ऊपर शराब की दुकाने लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. पश्चिमी राजस्थान में बढ़ रही अफीम की प्रवृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :**

53. जयपुर शहर के सर्किल पूर्व में कार्यरत पूर्व आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कई संगीन आरोप होने के बावजूद, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

54. जयपुर शहर के आबकारी निरीक्षक-वृत्त पूर्व में कार्यरत पूर्व निरीक्षक की ठेकेदारों से मिली भगत होने से नाजायज शराब को बढ़ावा मिलने से राज्य सरकार को हुई लाखों रुपये के राजस्व की हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. जयपुर शहर के आबकारी निरीक्षक वृत्त पूर्व में कार्यरत पूर्व निरीक्षक द्वारा अपनाये गये भ्रष्ट कारनामों के कारण विभाग को हुये नुकसान से हुये उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. जयपुर शहर के वृत्त पूर्व में पद स्थापित पूर्व निरीक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप होते हुये भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. वृत पूर्व में कार्यरत पूर्व निरीक्षक जिसके भ्रष्ट कारनामों के कारण राज्य-कोष को हुई राजस्व की लाखों रुपये की हानि तथा प्रभाव का उपभोग कर फिर उसी वृत में आने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. जयपुर शहर के वृत्त पूर्व में कार्यरत आबकारी निरीक्षक द्वारा ठेकेदारों से बकाया राशि वसूल करने में असमर्थ रहने के कारण राज्य कोष में हुई हानि पर चर्चा के लिये।

**श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :**

59. गांवों में बिना मंजूरी के जगह-जगह पर शराब के ठेके खोले जाने से नशे की बढ़ती प्रवृति पर चर्चा के लिये।

**श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :**

60. डोडा पोस्त की परमिट धारियों के अलावा अवैध रूप से बिक्री को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

61. बोटलिंग प्लान्ट के कच्चे माल की सुविधा हेतु सरकारी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. अभी हाल ही में जयपुर शहर वृत्त पूर्व में कार्यरत आबकारी निरीक्षक जिनका स्थानान्तरण जयपुर में अन्यत्र हो गया है, के द्वारा आई. एस. पी. मादक प्रासव निर्मित वस्तुओं के प्रत्येक दुकानदारों को लाइसेन्स दिलाने में अनियमितताएं बरतने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

63. जयपुर शहर वृत्त पूर्व के तत्कालीन स्थानान्तरित आबकारी निरीक्षक द्वारा ठेकेदारों की मिली भगत से अवैध रूप से नाजायज शराब की बिक्री को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये।

64. जयपुर शहर वृत्त पूर्व के तत्कालीन आबकारी निरीक्षक द्वारा शिमला होटल के मालिक से हजारों रुपये लेकर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

अवैध शराब बेचने की अनुमति देने पर चर्चा के लिये।

65. दिनांक 25-8-89 को तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व द्वारा खजाने वाले रास्ते के सामने सरकारी वकील की सलाह के विरूद्ध धारा 58 सी के तहत ठेकेदारों को फर्जी लाइसेन्स बनाकर पद का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 14 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री लक्ष्मी चन्द मेहता** (सांचौर) :

1. 18 सी. सी. के फार्म से किसानों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) :

2. बिक्री कर की चोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) :

3. व्यापारिक वस्तुओं के अंतर्राज्यीय बिक्री कर वसूली की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) :

4. जालौर व बाड़मेर जिले में फसल पर लगने वाले बिक्री कर केन्द्रीय बिक्री कर के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री टीकम चन्द कान्त** (रेवदर) :

5. वाणिज्य कर की सोरडा (सिरोही) चौकी गुजरात सीमा पर स्थित करने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) :

6. पड़ौसी राज्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में बिक्री कर की दरों में विषमता समाप्त कर लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) :

7. राज्यों में बड़े पैमाने पर बिक्री कर की कर वंचना होने से एवं पुराने बकाया को वसूल न कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) :

8. बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये।

**श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) :

9. लूणकरणसर में बिक्री कर की चोरी को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री टीकम चन्द कांत** (रेवदर) :

10. सिरोही और जालौर के मुख्य उद्योग ग्रेना- इट पर अधिक कर भार को अन्य राज्यों के समतुल्य कर इस उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :

11. कर चोरी के समस्त मार्ग बन्द कर आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) :

12. भिवाड़ी स्थित उद्योगों द्वारा कर की चोरी करने पर चर्चा के लिये।

13. भिवाड़ी स्थित उद्योगों द्वारा स्टोक ट्रांसफर एन्ट्री कर चोरी करने पर चर्चा के लिये।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं

2. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) :

14. बिक्री कर असेसमेंट में विभागीय अधि- कारियों द्वारा व्यापारियों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. कर प्रणाली की वसूली प्रक्रिया में सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. कर संग्रहण में होने वाली ज्याद- तियों से व्यापारियों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

**श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) :

17. राजस्थान में डीजल, खाद, ट्रेक्टर व अन्य कृषि औजारों पर लग रहे बिक्री कर एवं हरियाणा में उपरोक्त पर बिक्री कर न होने से राजस्थान के लोगों द्वारा उपरोक्त माल हरियाणा से खरीदने से राज्य का टैक्स की आय से वंचित रहने पर चर्चा के लिये।

18. अपनी उपज को बेचने पर किसानों से बिक्री कर वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. बिक्री कर आयुक्त द्वारा वेव करने के अधिकारों के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये।

20. सीमेन्ट के मनी वैग्स पर 28 करोड़ के बिक्री कर की वसूली के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) :

21. ट्रेक्टर व ट्रेक्टर टायर एवं अन्य प्रदेशों के सामान पर बिक्री कर की दर अधिक होने से किसानों को हो रही असु- विधा पर चर्चा के लिये।

22. 20 रुपये तक रेडीमेड कपड़ों को बिक्री कर से मुक्त करने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) :

23. पैट्रोलियम पदार्थों पर बिक्री कर की दरें कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. उद्योगों में विभाग द्वारा लागू इन्सेन्टीव स्कीम के समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. राज्य में बिक्री कर समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

26. बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. विभिन्न जिन्सों की बिक्री कर की दरें पड़ौसी राज्यों से ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 13 व 14 पर विचार**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामकिशनजी।

**श्री रामकिशन** (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिन मांगों पर विचार कर रहे हैं मुझे अफसोस है कि श्री भैरोंसिंहजी सहित हम सब लोगों को उस मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जनता पार्टी का राज आया था, हम लोगों ने शराब को बन्द कर दिया और उसका बहुत बड़ा श्रेय उस समय श्री भैरोंसिंह जी को भी था। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां और राजस्थान की आर्थिक दृष्टि को देखकर आज हमें उस मामले पर चर्चा करनी पड़ेगी, उसका समर्थन करना पड़ेगा जिससे दिल और संस्कार से हम पूरी तरह से खिलाफ थे।

और इसके साथ ही मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, अगर हमने अपने देश से शराब को बन्द नहीं की तो यह देश उसी प्रकार से बरबाद हो जायेगा जिस बरबादी की चर्चा आजकल श्री गोर्बाच्यौव रूस में कर रहे हैं। जब वहां की संस्कृतियां और सभ्यताऐं शराब को बर्दाश्त नहीं कर सकीं तो आखिर हमारे देश का क्या हाल बनेगा? हमें चाहे मजबूरी में ही सही, आज समर्थन करना पड़ेगा। इसके लिये हमें कोई न कोई दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए। एक निवेदन तो मुझे इस सम्बन्ध में यह करना है, कोई लम्बी-चौड़ी बहस नहीं करना चाहता और न कोई सुझाव देना चाहता हूं कि आमदनी कैसे बढ़े, आमदनी कैसे घटे? लेकिन इतना जरूर है, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में और उन्होंने मुझे एकाध बार कहा कि आपके राज्य के मुख्यमन्त्रीजी कई मामलों में बहुत शार्प हैं। मैं उसकी चर्चा तो नहीं करना चाहता। लेकिन यह सचमुच ही शार्प हैं। अब आप देखिये यह आबकारी विभाग दे दिया श्रीमती विद्या पाठक जी को। अगर श्री भैरोंसिंहजी रखते, अगर श्री दिग्विजय सिंहजी को दे देते, अगर श्री झाला साहब को दे देते तो भी इसका कोई अर्थ था। अब यह तो धर्म को मानने वाले हैं, जाति व्यवस्था को मानने वाले हैं। ब्राह्मण के लिये शराब बेचना... (व्यवधान)

एक मिनट विराजें विद्याजी ब्राह्मण के लिये शराब बेचना और शराब की चर्चा करना, यह दोनों ही गुनाह है। अब महकमा दे दिया इनको। अब इसमें एक तीर में दो शिकार करेंगे। शराब ज्यादा नहीं बिकी तो मुख्यमन्त्री यह कहेंगे कि आप अयोग्य हैं, आपने शराब ज्यादा नहीं बेची और अगर ज्यादा बेचते हैं तो वह अपने धर्म से जाते हैं। मेहरबानी करके और कुछ नहीं करें पर इतना तो आपको करना चाहिये, आप रख लेते इस महकमे को, माननीय श्री दिग्विजयसिंहजी को दे देते, माननीय श्री झाला साहब को दे देते या

(श्री रामकिशन)

श्री नत्थी सिंहजी जैसे को पकड़ा देते पर आपने हमारी हत्या क्यों कर दी ?

दूसरा निवेदन इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहना है कि आज शराब के मामले पर केन्द्रीय सरकार का भी वह आग्रह नहीं हैं जो सन् 1977 वाली सरकार में था। इसलिये बिना मन से मजबूरी में हम इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इस पर मुझे केवल इतना सा कहना है लेकिन एक निवेदन मुझे जरूर करना है। आज सारे राज्य में नशाखोरी की तादाद बढ़ती चली जा रही है। शराब ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्रीजी आप जांच करवा लीजिए, भरतपुर में 5 दुकानों पर कई प्रकार की नशीली दवाइयां बिकती हैं और उनकी तादाद, मुझे यह बताया गया है कि हजारों की तादाद में लड़कों की जिन्दगी खराब की जा रही है। आज तो हम राज्य के विकास के नाम पर शायद यह पैसा मांग रहे हैं लेकिन एक दिन हमारी जनरेशन का क्या होगा, हमारी संतति का क्या होगा ? इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अब मैं आता हूं, बिक्री कर पर। माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार के पास केवल यही एक महकमा है जो आमदनी का सबसे बड़ा श्रोत है। वैसे राज्य सरकारों की हालत बड़ी दयनीय है। यह 3–4 टैक्स लगाकर या तो अपना दैनिक खर्चा चला लें या विकास के लिये पैसा जुटा लें। इस महकमे की आज दिक्कत यह है, वैसे मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने माना है कि हमारा राज्य तो है पिछड़ा। न तो औद्योगिक क्षेत्र है, न बड़ा व्यापार है और हम पड़ गये सीमावर्ती राज्य। माननीय श्री प्रद्युम्नसिंहजी यहां बैठे हैं, मैं भी भरतपुर से हूं और श्री नत्थीसिंहजी भी भरतपुर से हैं। इस राज्य में जब तक, जैसा मुख्यमन्त्रीजी ने खुद ने माना है कि बिक्री कर की रेट्स समान नहीं होगी तब तक हमारा बहुत सा व्यापार दूसरे राज्यों के लिये परिवर्तित होता रहेगा। हमारे यहां तो हालत यह है कि हमें अगर कोई चीज भरतपुर में 10 रुपये में मिलती है, डीजल का हिसाब लगाया और चल देते हैं जीप लेकर और हमें एक धेला नहीं मिलता है। धौलपुर वगैरह में मैंने यह देखा है। एक दिन मैं जा रहा था ग्वालियर। लोग रेल में जाते हैं, दिल्ली से सामान लाते हैं और बेचते हैं। यह धन्धा उन्होंने शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमन्त्रीजी, आप इसे खुद गम्भीरता से ले रहे हैं, आपकी जानकारी में भी है। हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति खराब जरूर है लेकिन फिर भी समान दरें हो जायं तो पड़ौसी राज्यों में जो हमारा व्यापार दूसरे राज्यों के लिये जा रहा है उसमें कमी की जा सकती है। मैं समझता हूं कि हमें गम्भीरता से तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और पड़ौसी राज्य को इसके लिये तैयार करना चाहिए।

एक सुझाव इस सम्बन्ध में मुझे और देना है। अक्सर हम देखते हैं कि मध्यप्रदेश में ग्वालियर में एक नुमाइश लगती है जीप वगैरह की बिक्री के लिए। उनका वहां टैक्स कम है और नतीजा यह होता है कि वहां बीसों हजार व्हीकल्स साल में बिकते है और उसको लाभ बड़ा मिलता है मध्य-

(श्री रामकिशन)

प्रदेश सरकार को। क्या राजस्थान में भरतपुर में या दूसरी जगहों पर इस प्रकार का कन्सेशन देकर कोई व्यवस्था की जा सकती है? यहां के लोगों को माल सस्ता भी मिलेगा और राज्य की आमदनी भी हो जायेगी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** ग्वालियर में ही नहीं, शिवपुरी और कई जगहों पर नुमाइश लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं।

**श्री रामकिशन :** समझ गया। मैंने तो जिक्र किया है। इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी तो हमारे लिये राजस्व का घाटा नहीं होगा बल्कि हमारे लिये राजस्व बढ़ेगा और यहां के नागरिक जो इन चीजों को खरीदते हैं उनको भी माल सस्ता मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह महकमा हमारे लिये दूध देने वाला महकमा है, बल्कि राज्य सरकारों के जीवन का आधार ही बिक्री कर बन गया है। लेकिन इस महकमें में गड़बड़ियां हैं उनकी तरफ भी मुख्य मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि अभी शायद पिछली विधान सभा में चना का मामला उठा था, चना काण्ड। करोड़ों रुपये का माल सूरजगढ़, चिड़ावा वगैरह से चला गया था और जाने के बाद शायद विधान सभा में मामला उठा और उठने के बाद उस पर कार्यवाही हुई थी। उसमें एक-दो ऑफिसर मुअत्तिल भी हुए थे–रंगटा साहब मुअत्तिल हुए थे, एक श्री गुलाब चन्दजी मुअत्तिल हुए थे। अब मैं उनसे यह जानना चाहता हूं, वह मुअत्तिल हो गये और पुरानी सरकार ने उनको बहाल भी कर दिया पर उस केस की क्या स्थिति है? यह तो जानकारी हमें होनी चाहिए। केवल उन दो अफसरों को ही मुअत्तिल किया गया था, क्या वह ही जिम्मेदार थे? कुछ और लोग भी थे, चैक पोस्ट के अधिकारी भी थे, उसमें एक डिप्टी कमिश्नर भी था। उन सब के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और अन्त में उस केस की क्या स्थिति है? हमें कितना पैसा मिलने वाला है और पैनल्टी वगैरह की क्या स्थिति है? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रकार के केस हवा में आते हैं और हवा में उड़ जाते हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह विभाग आप पर है और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़े हुए हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चना काण्ड के मामले में अपना जवाब देते वक्त सबसे पहले इसकी असलियत बतायें। उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रही है? इसकी जानकारी मुझे दें।

एक दूसरा निवेदन मुझे करना है। आखिर इस विभाग के अधिकारी बड़े-बड़े हैं, जयपुर में सी. टी. ओज जैसे स्तर के बीसों अधिकारी रहते हैं अब इनका होता क्या है कि जब इनके ट्रांसफर की कोई बात आती है तो इस जोन से उस जोन में हो जाते हैं। इस प्रकार बीसों सालों से अफसर रह रहे हैं। इसका नतीजा यह रहा है कि कई आफिसरों के व्यापारियों से निहित स्वार्थ जुड़ गये हैं, उनके नाजायज

(श्री रामकिशन)

सम्बन्ध हो गए हैं। नाजायज से मेरा मतलब कोई वह मतलब नहीं है, नाजायज से मेरा मतलब टैक्स की चोरी वगैरह में उनको सहयोग से है। इस प्रकार के जो आफिसर्स यहां बैठे हुये हैं, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर जानता भी नहीं हूं, लेकिन बीसों सालों से आफिसर्स एक जगह बैठे हुए है जो कि निरन्तर व्यापारियों के सम्पर्क में आते हैं। उनको यहां से हटाया जाये। मै समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी खुद जानते हैं कि मनुष्य में जान-पहचान से कमजोरी महसूस होती है। इसलिए मेहरबानी करके इनमें से कुछ नये लोग लाओ और कुछ लोगों को हटाओ। अगर यही क्रम बना रहा, आप इसकी जांच कर लेना, आपके राजस्व का बड़ा घाटा हुआ है।

इसी प्रकार से अब की बार माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने बिक्री कर में कई तरह के संशोधन किये है, बिक्री कर अधिनियम आयेगा उस समय चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपने खूब तालियां बजाई, बजवाई और हमने भी ताली बजाई, लेकिन आपके लिये जैसा मेरे मित्र कहते थे, बड़े शार्प है, आप सचमुच ही बड़े शार्प है। आपने एक ताली बजवाली, खूब बजवाली और मैं भी ताली बजा गया और बाद में आज जब देखा नोटिफिकेशन को, इन्होंने क्या किया ? इन्होंने कह दिया कि खल को हमने कर मे मुक्त कर दिया। अब, श्रीमानजी, यह तो पहले से ही कर से मुक्त थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो डियोल केक है पशु आहार में शामिल है और यह पहले से ही कर मुक्त है। पहले से कर मुक्त है तो आपने ताली क्यों बजवाई। आपने उसको कायम रखा उसके लिए तो धन्यवाद। पर ताली किस बात की बजवाली ? सदन को गुमराह भी कर दिया, ताली भी बजवाली और मैंने भी समझ लिया कि खल का टैक्स माफ हो गया पर यह तो पहले से ही कर मुक्त था। इसमें नई बात क्या थी? जब मैंने शिड्यूल्ड देखा तो पता लगा कि पहले से ही लिखा हुआ है कि नमक, पशु आहार वगैरह पर कोई टैक्स है ही नहीं, तो फिर आपने कैसे कर दिया ? सम्भव है मैं गलत होऊं, उसे आप दुरुस्त करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति यह है।

तीसरी बात अब की साल जो नुकसान होने वाला है जो वनस्पति बनाने वाले कारखाने हैं यह पहले जब अपने लिये तेल वगैरह खरीदते थे तो इनको तीन प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ता था और अब आपने कर दिया डेढ़ प्रतिशत। लेकिन यह डेढ़ प्रतिशत बिक्री कर इस बात के लिये किया गया है कि यह वनस्पति बनाकर राज्य से बाहर बेचेंगे। लेकिन भीतर खपत पर लगा हुआ है 8 पर्सेन्ट का टैक्स, आज भी भीतर राज्य में बेचेंगे तो टैक्स लगेगा 8 पर्सेन्ट और अगर बाहर बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा डेढ़ पर्सेन्ट। इसका नतीजा यह हो रहा है कि झूठी बिक्री बाहर की बना दी जाती है। उस वनस्पति को यहीं बेचा जा रहा है, यहीं बेचा जायेगा। यह तो आप जानते हो कि हिन्दुस्तान में, राजस्थान में सब चीज सम्भव है। झूठे रवन्ना बता दिए जाते हैं। वहां से मोहर लगाकर

(श्री रामकिशन)

लाते हैं। यह सीधे ही सीधे मिल मालिकों के लिए आपने एक सुविधा दे दी है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह तो रा-मैटेरियल खरीदने के लिए है।

**श्री रामकिशन** : वह तो समझ रहे हैं, उस बात को आप नहीं समझेंगे। वह खुद समझते हैं इस बात को, मैं भी व्यापारी नहीं हूं। हो सकता है मैं गलत होऊं, लेकिन मुझे जानकारी यह मिली है कि इस प्रावधान का लाभ मिल मालिक उठा रहे हैं, उठाना शुरू किया गया है और इससे निरन्तर फायदा उठायेंगे, मेहरबानी करके इस बात को देखें। अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होने वाला है।

चौथी बात, मुझे आपसे बिक्री कर के सम्बन्ध में और कहनी है। हमने सन् 1976 में बिक्री कर अधिनियम में धारा 22 'बी' के मार्फत अमेण्डमेण्ट किया था। उसमें यह प्रावधान था कि अगर गुजरात से कोई माल दिल्ली के लिए राजस्थान के भीतर होकर जायेगा तो हम उसको एक बहती पकड़ा देंगे। आप लोगों ने इसमें अमेण्ड-मेण्ट किया और आज तक उसके रूल्स नहीं बने। उसका नतीजा यह हो रहा है कि कोई ट्रक जब दिल्ली के लिए जाता है तो हमें तो धेला भी नहीं मिलने वाला है। सरकारी ऑफीसर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो राजस्थान में बेचने आये हो अब पैनल्टी रख रखी है आपने बीस परसेण्ट। आज एक ट्रक के माल की कीमत किसी भी सूरत में तीन-चार लाख से कम नहीं होती। नतीजा यह होता है वह ट्रक मालिक, व्यापारी सोचता है कि अगर मैंने पैनल्टी दी तो मुझे एक लाख रुपया देना पड़ेगा इसलिए 20–25 हजार रूपया, मैंने सुना है कि तीस हजार रुपए तक का है, तीस हजार रुपए दे जाओ और निकाल कर ले जाओ। अब राज्य को कुछ मिलता नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं। सन् 1976 में एक्ट में संशोधन हुआ है। इसके लिए कांग्रेस तो दोषी है ही लेकिन आपकी नजर से वह चीज पांच महीने में कैसे बच गई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रावधान को रखना है तो फिर इसके नियम बनाओ और बहती जारी करो। सरकारी ऑफीसर व अन्य लोग उसमें करोडों रूपया कमा रहे हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको जान-कारी देना चाहता हूं। इस प्रकार से कई झंझट हैं इसमें। हमारे पास बिक्री कर सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है इसको हमें मजबूत करना चाहिए। वैसे बिक्री कर सरकार के अधिकारियों को भ्रष्ट करता है और व्यापारियों को परेशान करता है। इसकी बजाय टर्न-ओवर टैक्स लगना चाहिए जैसे यूरोप के कई देशों में है। मैं आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा जिस दिन बिक्री कर आएगा उसी दिन मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्भव हो तो हमें सब राज्यों में तय करना चाहिए कि बिक्री कर के बजाए हम टर्न ओवर टैक्स लगायें जिससे व्यापारी और सरकारी अधिकारी दोनों को ही सुविधा मिलेगी और हमारे राजस्व में वृद्धि होगी।

(श्री रामकिशन)

इसी प्रकार से आपने सिनेमा के लाइसेन्स में सिनेमा मालिकों को एक छूट दे दी है 15 प्रतिशत तक की। एवरी ईयर होता तो दिक्कत नहीं है। 15 प्रतिशत छूट दे दी। अब जैसा सन् 1976 में एक्ट में संशोधन किया था अगर यही बना रहा तो इसका नतीजा यह होगा कि 15 प्रतिशत वह हर साल बढ़ते रहेंगे। अतएव आप इसकी कोई समय सीमा निश्चित कर लें। जो लाइसेन्स है उसमें यह चीज तय करें, नहीं तो इस प्रावधान का भी दुरुपयोग होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में मनोरंजन सिनेमाओं के मार्फत हो यह हमारी एक मजबूरी बन गई है क्योंकि ना तो आजकल ऐसे सिनेमा बन रहे हैं जो समाज को कोई शिक्षा देना इस प्रकार की कोई योजना है जिससे समाज को प्रसन्नता हो। यह थोड़े समय के लिए उत्तेजना पैदा करने वाला ही साधन है। खैर, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तभी आप रोज चले जाते हो।

**श्री रामकिशन** : मैं तो नहीं जाता हूं आप जानते हो कि मैं जाऊं तो मेरे में हिम्मत है पर आपकी तरह मैं छिप-छिप कर नहीं जाता हूं। यह तय है। मैं जाऊंगा तो खुलकर जाऊंगा और जाऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा लेकिन आपकी तरह नहीं जा सकता जैसे आप छिपकर चले जाते हो। दिल्ली में मैंने खुद देखा है, कहां गये मुख्य मन्त्रीजी, दिल्ली गए हैं। यहां तो हिम्मत कहां है आपकी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि यह हमारे मनोरंजन का एक सस्ता साधन है। अब इस पर आप 15 प्रतिशत हर साल टैक्स बढ़ाते चले जायेंगे, तो आप समझिए उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। इन सभी मामलों पर मुख्य मन्त्री जी को विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद यह कोशिश करनी चाहिए कि मैंने जो कुछ बिन्दु यहां उठाए हैं इन पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा लीकेज के मार्फत निकलता रहेगा।

एक चीज आपने और की है। जो लोग उद्योग लगाते थे उनके लिए 13-6-66 से एक छूट मिली हुई थी। आप जानते हैं मैं तो उद्योगपतियों के पक्ष में हो भी नहीं सकता, मेरा उनसे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हमारे यहां बड़े उद्योगों की जो मशीनें खरीदी जाती हैं उसके साथ छोटे-छोटे उद्योगों की मशीनें बनना भी शुरू हुई थी, छोटी-छोटी मशीनरी का विकास हुआ था अब आपने उसको वापस ले लिया है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे राजस्व की हानि तो होगी ही लेकिन हमारे राज्य में जो लघु उद्योग पनप रहे थे, एनीसिलिटी उद्योग पनप रहे थे उन उद्योगों के लिए भी नुकसान होगा। इस पर भी आपको सोचना चाहिए, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन निकलता है बजट के समय हर साल और उसमें टैक्स की रेट होती है। पिछले साल के नोटिफिकेशन में

(२९)



(श्री रामकिशन)

तो यह था कि गेहूं और गेहूं से निर्मित हर चीज पर चार प्रतिशत टैक्स लगेगा। अबकी दफा आपने उस परिभाषा को बदल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स पेयर के ऊपर तो चार प्रतिशत टैक्स लगेगा और उससे आटा, सूजी, मैदा वगैरह बना तो उस पर भी चार प्रतिशत लगेगा। वैसे ही राजस्थान के गरीब मंहगाई से परेशान हैं। मैं यह नोटिफिकेशन की भाषा के आधार पर कह रहा हूं। आपकी मंशा क्या है यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इससे नतीजा यह होगा कि दो बार टैक्स का वजन आयेगा और जो तैयार आटा खरीदते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के के जरिये इस महकमे में कुछ जो दिक्कतें थी, दो-चार कमियां थी उनका मैंने जिक्र किया है। मैं ना तो इस मामले में सिद्धहस्त हूं ना मेरी कोई बहुत बड़ी जानकारी है। लेकिन इतना मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि हमारे पास आमदनी का एक यही जरिया है और आपके सक्षम हाथों में होने से निश्चित तौर पर इसकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन जैसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता क्योंकि मेरे तो आप काफी करीबी मित्र भी रहे हैं, आप बहुत कलाकार हैं और सचमुच ही आप कलाकार हैं। कैसे कलाकारी दिखाई आपने कि टार्गेट फिक्स होते हैं विभाग के और आपने कहा था कि हम टार्गेट को एक्सीड कर गए। या तो आपके अफसरों ने आपको बताया नहीं और बता दिया है तो शायद आपने सदन को अपनी कला से परिचित करा दिया। आपने मार्च और अप्रेल में अप्रेल और मई का टैक्स जमा कर लिया। पैट्रोल कम्पनियों से कितना लिया है आपने? बड़ी-बड़ी कम्पनियों से आपने पहले ही एडवांस में अप्रेल और मई का पैसा जमा कर लिया है। इसलिए टार्गेट हो गए एक्सीड, सदन से मिल गई वाहवाही और विभाग के लोगों की योग्यता की चर्चा हो गई। नतीजा हो गया शुन्य। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अप्रेल-मई के टार्गेट का क्या होगा। वैसे आप तो गरदन हिला नहीं सकते क्योंकि यह अपराध पहले आप ही करते थे, शुरूआत आपने ही की थी। आप तो केवल पांच साल सुनते रहो। जब आप बोलते हो परसराम जी और प्रद्युम्न सिंह जी, तो मैं कहता हूं... (व्यवधान) आप देखने लायक हैं ना, जब देखने लायक नहीं रहेंगे तो नहीं देखूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि प्रैक्टिस तो शुरू की थी आपने और इसका उपयोग कर लिया हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह जो आप कहते हो कि हमारे टार्गेट एक्सीड कर दिए और मैंने इन्कम इतनी बढ़ा दी, जब मैंने हिसाब-किताब देखा तो पता लगा कि यह तो मामला ही बड़ा दूसरा है। मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि मई और अप्रेल का टैक्स मार्च के महीने में कितना इनसे जमा कराया है उसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए।

मैंने कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यह दोनों जो महकमे हैं इनको हम कसे, इनको जरा खींचे और विभाग के लिए समय देने का मौका हो तो अभी से

(श्री रामकिशन)

हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी बहुत व्यस्त होते हैं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इतना स्वतन्त्र नहीं हो सकता कि इन सब चीजों पर गहराई से देख सके लेकिन समय निकालकर दस-पांच दिन आप कुछ लोगों से सलाह मशविरा करें तो मैं समझता हूं आपको, मैंने जो कुछ हिसाब लगाया है, इन दोनों विभागों से दो साल के भीतर सात--आठ अरब रुपया ज्यादा मिल सकता है। लेकिन मुसीबत यह है कि राजनीति में व्यस्त रहने की वजह से, दूसरे कामों की वजह से मन्त्री लोग जितना विभागों पर ध्यान देना चाहिये वह ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब और विभागों की तो चल सकती है। शिक्षा विभाग की बात चलसकती है, ग्रामीण विकास की बात चल सकती है लेकिन आमदनी के जरिए वाले इन दोनों विभागों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो दिन-प्रतिदिन समाज में जो गिरावट आ रही है उससे निरन्तर लीकेज बढ़ता ही चला जायेगा।

(3.00 म. प.)

हम एक कानून बनाते हैं, चोरी करने का दूसरा रास्ता निकाल लिया जाता है। चोरी का रास्ता कैसे रोकें इसमें आपका मन है इसमें कोई संशय नहीं कर सकता, कोई ऊंगली नहीं उठा सकता। माननीय भैरोंसिंह जी का मन है लेकिन मन के साथ-साथ वातावरण बनाये और उसके लिये परिस्थितियां निर्मित करने के लिए टैक्स के मामले में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे विस्तृत तौर पर सलाह लेनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज नेतृत्व में वहम हो जाता है कि हम सर्व गुण सम्पन्न हैं, हम विशेषज्ञ हैं, हम विज्ञान के बारे में जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, हम सैक्स के बारे में जानते हैं, हम संगीत के बारे में जानते हैं। जब हमें उद्घाटन करने ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार का सारा ज्ञान हमारे पास है जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी आदमी सब मामलों में सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है आप इस मामले में कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स से सलाह लें जो थोड़ा बहुत मैं भी देखता रहता हूं, मुझे उनमें कोई ऐसी चीजें बतानी हैं जिसमें राज्य सरकार को एक-एक आइटम में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। टैक्स का वजन बढ़े नहीं, चोरी रुके और आफिसर लोग और बीच के कर्मचारी जो पैसे की गड़बड़ कर रहे हैं इसे रोकने की आप कोशिश करेंगे तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का भी कल्याण हो और राजस्थान के कल्याण के साथ-साथ हम इस महकमे के मार्फत विकास का एक नया रास्ता खोल सकते हैं। विद्याजी से एक निवेदन पहले कर दिया कि आप किसी तरह से बहकने से पीछा छुड़ावें अब आपके घर तो लोग जाने में संकोच करते हैं। कोई पूछे कहां जा रहे हो साहब तो जबाव मिलता है शराबालय मंत्री के पास। कौन जायेगा शराबालय मंत्री के पास? आपके पास पब्लिसिटी भी है और शराब का महकमा भी है। अब यह दोनों ही इतने खतरनाक हैं कि उनमें किसी प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के कंठी बंधवाइये। आप लीजिए उनसे सिंचाई, आप लीजिए उनसे जलदाय योजना। इस बबाल में मत पड़ना

(20)



(श्री रामकिशन)

यह बहुत बबाल का महकमा है। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, वह उनके साथ रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि आप एक तीर से दो शिकार करते हो। मैं समझता हूं शायद यह एक तीर से चार शिकार कर रहे हैं। दो का जिक्र तो मैंने पहले कर दिया और दो का जिक्र जवाब के बाद प्राइवेट करूंगा कि यह सब काम क्यों किया गया है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह प्राइवेट बात नहीं है। आप यहां भी बता दीजिए।

**श्री रामकिशन** : हम कभी-कभी प्राइवेट बात करते हैं। जब मैं सुन लूंगा तो पता लगेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक मांग का पूरे मन से और एक मांग का मजबूरी से समर्थन कर रहा हूं कि हम जैसे गांधी और लोहिया के शिष्यों को भी शराब का समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन राजनैतिक मजबूरियां देखो कि कहां थे और कहां आकर पड़ गए लेकिन इसकी जिम्मेदारी श्रीमान् जी आप पर है। आप गांधी का नाम लेते थे, आप मालवीय का नाम लेते थे हम तो खत्म कर देते भैरोंसिंह जी जैसे लोग। लेकिन आपने उसे गले में मंढ दिया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मोरारजी देसाई की भी मजबूरी थी। ऐसी बात मत करिए आप।

**श्री रामकिशन** : मोरारजी देसाई सही। आपके साथ गांधी का मानने वाला कोई नहीं था क्या। यह निर्जीव हो गया क्या आपका संगठन। यही तो कहना चाहते हो आप। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन मांगों का समर्थन करता हूं। मुख्य मंत्री जी के सामने मैंने जो पांच-सात चीजें रखी हैं मैं चाहूंगा इसके बारे में जवाब दें उस वक्त पूरी जानकारी करके इन पर अपनी बात कहें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नवनीत लाल नीनामा।

**श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आज मैं ऐसे दो विभागों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कर चोरी व चुपके से चालू रहे। जिसकी चौराहे पर कोई क्वत नहीं है। चौराहे पर यह दोनों विभाग जाने से बदनामी का रुख दिखाई देने लगता है। मान्यवर आबकारी विभाग का कार्यालय जनजाति एरिया उदयपुर में रखा गया है। मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि नशे से आमदनी है या नशे से नुकसान है। क्या इस विभाग को मैं समर्थन करूं या विरोध करूं ? इसी तरह की हालत में मध्यम श्रेणी में बोलता हुआ चला जाऊं इस प्रकार की मेरी भावना बनी। मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार से कि जब देश आजादी का नारा दिया गया प्रजामंडल की आवाज पड़ी उस वक्त हमारे देश के नेताओं ने यह कहा था कि देश में शराब बन्दी व नशाबन्दी हो। यह आजादी की पहली आवाज है कि देश में शराब बन्द करो और आजादी लाओ। पाश्चात्य देशों की जो रीति-नीति है उसे तोड़ो और हमारे देश को आजादी की ओर नेताओं ने देश में रहने वाली जनता की भावना को मोड़ करके यह आजादी का नारा सफल कराया और सन् 1857 की क्रांति, 1947 तक की आजादी और सन् 2 अक्टूबर, 1949 में नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधान मन्त्री

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन दीपक जला कर के किया उस वक्त कहा गया था--कि यह पंचायती राज किस तरह से सफल हो, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें, ये जो छोटी संस्थायें हैं, उन संस्थाओं को सफल बनाकर के देश की आजादी को सफल किया जाये लेकिन हमारी सरकारें आई। यह किताब पढ़ने से मुझे अनुभव हुआ कि शराब व नशा कौनसे इलाके में ज्यादा दिखेगा, कहां इसका उपयोग किया जाए इस प्रकार के एरिये चुनकर के वहां पर दुकानें डालकर जो व्यापार का नाम दिया गया जिसके लिए जो हमारी आजादी का नारा दिया गया था उन नेताओं का विरोध प्रकट होता है। अतः मैं मांग करता हूं, मेरा निवेदन है कि आजादी व विकास की और जन साधारण को ऊंचा उठाने की योजना अगर हमारी सरकार की है तो नशा बन्द होना चाहिए। उसे व्यापार के वर्ग में आना नहीं चाहिए। यह मेरी मांग रही है।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि आबकारी विभाग पहले दारू पकड़ता था उस वक्त यह शराब जो थी वह दबी चलती थी लेकिन कुछ वर्ष पहले पुलिस विभाग को भी इस दारू के नशे में शामिल कर लिया गया कि पुलिस भी दारू पकड़ सकती है। उन दिनों से यह शराब खुली हो गई है। गांवों में, शहरों में, चौराहों पर, सड़कों और मन्दिरों में प्राथमिक विद्यालय तक को इस शराब ने नहीं छोड़ा है।

अतः मेरा एक निवेदन, मेरा यह मानना है कि शराब एक नशीली चीज है, शर्मखोर है, जो सामाजिक व्यवस्था की रीति-नीतियां है उसे तोड़ती है। अतः इस शराब के नशे को दुकानों का जो दर्जा दिया गया है यह नहीं देना चाहिए। मैं यह भी कहूं कि आज हमारे राजस्थान का उच्च न्यायालय है जिसके अन्दर इस प्रकार की नशीली चीजों का जो वाद-विवाद हो रहा है यह भी होना उचित नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा विभाग है कि इसका अलग से कार्यालय रखा जाये और अधिकारी निरीक्षण करवे जाये तो पोथी पानेड़े बस्ते में ही बंधे रहे ऐसा विभाग है लेकिन उसे खुला करके जो चौराहे या आज विधान सभा में, इसकी चर्चा हो रही है जिससे प्रचार फैलेगा, रुकेगा नहीं। अतः मेरा मानना है कि इस प्रकार दुकानों का दर्जा देना ठीक नहीं। ग्राम चौराहों पर दुकानें हमारे प्रदेश में जगह-जगह खोली हैं उन्हें बन्द करनी चाहिए और मेरी यह मांग है कि जो पुलिस विभाग को दारू व नशीली चीजें पकड़ने का अधिकार दिया गया है उसे बन्द कर देना चाहिए। पुलिस जहां दारू पकड़ने के लिए जाती है, वहीं दारू पीना शुरू होती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस विभाग को पूरा बन्द कर दिया जाए। क्योंकि इससे न तो सरकार को आमदनी होती है और न समाज पर इसका कोई अच्छा असर पड़ता है। दोनों तरफ से नुकसान होता है इसलिए पुलिस विभाग को जो अधिकार दिया वह वापिस ले लेना चाहिए। यह मेरी मांग है।

मान्यवर, राजस्थान में देशी मदिरा की 1707 विदेशी मदिरा की 468 दुकानें

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

ग्रौर भांग के ठेके 787 हैं। डोडा पोश्त का मेरे को ग्रनुभव नहीं है, न ही सीखने की ग्रादत पड़ी। नशीली चीजों का कारोबार योजना बनाकर बन्द किया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुकान पर पर महुए बिकते हैं, शहरों में बड़े-बड़े सेठों को लाइसेंस दिए जाते हैं, शराब बनाई जाती है ग्रौर पीने के बाद जन साधारण व्यक्ति को गिरफ्तार करके डण्डे मारे जाते हैं, लूटा जाता है। मेरा यह मानना है कि यह शराब क्यों नहीं बन्द कर दी जाय? हमारे देश की ग्राजादी के समय नेताग्रों ने ग्रौर कर्णधारों ने यह निर्णय लिया था कि जो नशीले पौधे हैं वह समाप्त कर दिए जाय। कई ग्रर्थ-शास्त्रियों ने यह सुझाव दिया ग्रौर दूसरी चीजों को खाकर भी ग्रपना पेट पाला जा सकता है। ऐसी सूरत में इन नशीले पेड़ों को बचाया गया तो इस ग्रोर जो इतिहास हमारा बना है, उस ग्रोर ध्यान रखा जाय ग्रौर इन नशीली चीजों को बन्द किया जाय। उदयपुर डिवीजन में ग्रायुक्त कार्यालय खोलकर सरकार ने व्यवस्था की है, जहां पर ग्रादिवासी, हरिजन व पिछड़े तबके का इलाका होने से यह कार्यालय वहां खोला गया है, ऐसी मेरी भावना बनी है। ग्रतः मेरा यह मानना है कि जब राजस्थान सरकार या केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, सन् 1975 में, 8-10-75 को जनजाति ट्राइबल योजना का कार्यालय उदयपुर डिवीजन में खोला जाकर पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने की जो योजना बनाई गई है ग्रौर जहां पर जनसाधारण किसान, ग्रादिवासी ग्रौर हरिजन जो ग्रपनी खेती के धंधे से जुड़े हुए हैं इनको खेतों की बजाय ग्रलग-ग्रलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है ग्रौर हमारे देहातों में जो समाज चलती है, ग्रादिवासी समाज जैसे ग्रौर भी सवर्ण कम्युनिटी की समाज हैं, उन पर इन नशीली चीजों का बुरा ग्रसर पड़ा ग्रौर यहां तक कि हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा ग्रौर उदयपुर की सीमाग्रों पर जीर्णेश्वर जैसा धाम, बांसवाड़ा व पंचमल सीमाग्रों पर मानगडिया जैसा चित्तौड़ ग्रौर बांसवाड़ा की सीमाग्रों पर धाम, गोतमेश्वर जैसे धाम में बड़े-बड़े साधू-संत निवास करते हैं। यह हमारे देश के ग्रन्दर पुरानी परम्परा है, साधु-सन्त रहा करते थे ग्रौर समाज को ज्ञान दिया करते थे। ग्राज हमारी सरकार द्वारा नशीली चीजें शुरू कर देने से समाज पर बुरा ग्रसर पड़ रहा है। उदयपुर डिवीज़न में कार्यालय खोला गया है। मैं ग्रादिवासी समाज का ग्रध्यक्ष होने के नाते मैं यह विरोध करता हूं कि ग्रादिवासी समाज को नशीली चीजों का उपयोग कराकर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। वहां कई प्रकार के राज्य सरकार द्वारा धंधे खोले जाते हैं, ग्रकाल राहत कार्य खोले जाते है, सड़कों के काम खोले जाते है। वह पैसा सारा इस शराब में जाता है। ग्रतः मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार उदयपुर डिवीजन में एक नशीला कार्यालय खोल रखा है, ग्रादिवासियों ग्रौर हरिजनों को ग्रगर ऊंचा लाना है तो इस कार्यालय को बंद किया जाय। इसको ग्रौर जगह रखा जाय लेकिन पिछड़े तबके के इलाके में यह कार्यालय खोलकर ग्रादिवासी ग्रौर हरिजनों पर कई प्रकार के ग्रारोप लगते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि इस कार्यालय को वहां तुरन्त बन्द किया जाय।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

और जनजाति से सम्बन्धित अन्य कार्यालय रखे जाए। लेकिन यह नशीले पदार्थों का जो कार्यालय खोला गया है उसे तुरन्त बन्द किया जाय। यह मेरी मांग है। जनजाति एरिया में जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, जो हरिजन हैं, वे लोग हजारों रुपया दण्ड व जुर्माना भरते हैं जिनको खेती के पट्टे नहीं दिए जाते हैं। वन विभाग में नाजायज कब्जे से खेती कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाकर, आदिवासी, हरिजन और पिछड़े तबके के किसान को सैटलमेन्ट पैमाइश की कमी के कारण हजारों रुपया जुर्माना और दण्ड भरना पड़ता है और जो जुर्माना भरते हैं वहां आदिवासी किसानों ने उस जुर्माना को एक तरह से लगान मान लिया है, लगान भरा जाता है दो हजार, पांच हजार रुपये, उसको लगान का रूप दे दिया है। अगर इस पिछड़े तबके को ऊंचा उठाने की राज्य सरकार विचार रखती है तो सैटलमेन्ट पैमाइश का विभाग उसे तोड़ने पर विचार कर रहा है, ऐसी मेरी जानकारी में हैं। लेकिन मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार से जो किसान नाजायज रूप से परेशान हो रहा है उसे सही ढंग से खेती करने के लिए ऊंचा उठाने के लिए खातों का बंटवारा कराया जाय और राज्य सरकर से मिलने वाले लोन, सहकारी समितियों से, बैंकों से, भाइयों के आपसी बंटवारे के अभाव में किसान व पिछड़ा तबका राज्य सरकार से मिलने वाले लोन से वंचित है अतः मेरी यह मांग है कि तुरंत इस पर विचार किया जाय खातों का बंटवारा किया जाय ताकि पिछड़े तबके का जो किसान है मजदूर है, वह उसे अपने खाते के माध्यम से बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सके और अपना पेट पाल सके, ऐसी मेरी मांग है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मान्यवर, आपने घण्टी बजा ही दी है। ऐसे विभाग पर मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मेरा नाम पहले ही दे दिया इसलिए मैं आज बोला हूं। आगे ज्यादा समय न लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में एरिया और वायुमण्डल के हिसाब से व्यवस्था की गई है उसे तोड़ा जाय। अब यह सवर्ण कौमों में ही नशीली चीजें प्रवेश कर रही हैं और देहातों की तरफ से यह चीजें टूटती चली आ रही है इसलिए इस विभाग को वहां से हटा लिया जाय। ऐसी मेरी मांग है। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री टीकमचन्द कांत।

**श्री टीकमचन्द कांत** (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं :-"गिलासों में जो डूबे सिल्मा उभरे जिन्दगानी में, बहुत और बह गए इन बोतलों के बन्द पानी में।"

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं तो डर गया था कहीं जंगल से शेर तो नहीं आ गया।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : नकली शेर है।

**श्री टीकमचन्द कांत** : डरने की आवश्यकता नहीं, इसमें शेर नहीं आयेगा जंगल से।

लेकिन सही बात यह है, आदर्श और व्यावहारिकता, समाज किस चीज को

(श्री टीकमचन्द कांत)

स्वीकार करता है, किस चीज की अस्वीकार करता है, यह जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक सिर्फ आदर्श मानकर किसी नीति को स्वीकार कर लिया गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नशाबन्दी पर बोलेंगे लेकिन व्यवहार में यह कितनी सफल हुई, पास का गांधी का गुजरात देख लें। शराब बन्दी व्यवहार में सफल नहीं हुई। वहां एक ऐसा समाज खड़ा हुआ है जो शराब बनाता है, शराब बनाने के बाद पास के अन्दर एक टोली खड़ी होती है, गुट और गिरोह खड़े होते हैं और गुट और गिरोह खड़े होकर कानून को तोडने का एक साहस उनमें पैदा होता है। कानून को तोड़ने का साहस पैदा होने के साथ-साथ एक समानान्तर सरकार गुण्डों की चलना शुरू हो जाती है।

इसलिए नशाबन्दी पर कभी विचार करें, या कोई माननीय सदस्य इस पर बात कहें तो जरा इस चीज को देख कर के कहें नहीं तो गुजरात में जाकर के आयें। वहां हर गली मोहल्ले के अन्दर मटकों में लोग शराब पिलाते हैं और जितनी चाहिए उतनी मिलती है इसलिये व्यवहार और आदर्श में फर्क मालूम करते हुए इस शराब के एक्साईज पर बजट के अन्दर जो मांग हैं जो हमारी कर रेवेन्यू है इनडाईरेक्टली उसमें लगभग सेल्सटैक्स के बाद में 20 प्रतिशत हिस्सा आय का इस आबकारी से है। तो इस हिस्से की पूर्ति कैसे की जाए इसलिये शराबबन्दी से पूर्व अगर इस पर विचार किया जाये, इस पर भी सोचा जाये। लेकिन एक बात और यह जो ठेका प्रथा है इसका मैं विरोधी हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व यहां 40 ग्रुप थे और 40 से 57 ग्रुप हुए। हमेशा दस प्रतिशत की रेवेन्यू की बढ़ोतरी इसमें चलती रही। इस वर्ष का लक्ष्य 12।। प्रतिशत की बढ़ोतरी का है। 2 अरब 45 करोड़ रुपया उससे आयेगा लेकिन 40 से जब 57 ग्रुप ठेकेदारों के यहां खड़े हो गये यानी ज्यादा विभाजन हो गया तो इसकी आय में वृद्धि हुई है। यानी लगभग 50 करोड़ रुपया एक साथ बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि ठेकेदारी का एक प्रकार का एकाधिकार खड़ा करदिया गया है उस एकाधिकार को तोड़ा जाये। जनता पार्टी के शासन के अन्दर शराबबन्दी हो गई थी और विदेशी शराब जिसको ब्राण्डी, जिन, कहते हैं दवाई की दुकानों के अन्दर सामान्यतः लाइसेंस लेकर जो दुकानें खड़ी होती थी उनके माध्यम से शराब मिलती थी और अब इन ठेकेदारों को सब कुछ दे दिया। देशी शराब भी वह बेचेंगे, विदेशी भी वही बेचेंगे बीयर भी वही बेचेगें। लगभग दस करोड़ बोतलें हम बीयर, विदेशी शराब देशी शराब के रूप में पीते हैं। राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से अगर हमारा एवरेज देखा जाये तो प्रति व्यक्ति तीन बोतल का आता है....

**श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस एवरेज में हम भी आते हैं।

**श्री टीकमचन्द कांत :** एवरेज में आप भी आ जाते हो। और थोड़ी देर पहले आप ही मन्त्री महोदय के यहां कह रहे थे मैं अशुद्ध हूं, शुद्ध नहीं हूं, आपने कहा था।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) । वह अलग बात है । वहां की बात यहां मत कहो ।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आबकारी मंत्री भी थोड़ा ध्यान में रख लें और इससे जो सम्बन्धित हैं वे लोग भी थोड़ा ध्यान रख लें । गुजरात के अन्दर भी एक चर्चा चल रही है कि नशाबन्दी के कारण यह अवैध व्यापार बढ़ा है, ये गिरोह खड़े हुए हैं, समानान्तर सरकार खड़ी हुई है इसके लिए अच्छा यही होगा कि हम वहां शराब शुरू कर दें । दस प्रतिशत और 12।। प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ाने के दृष्टिकोण से हर वर्ष गारन्टी बढ़ाने की जो हमारी बात चल रही है, अगर गुजरात में नशाबन्दी खुल गई तो 17 लाख पेटी विदेशी शराब का जो हमारा यहां का व्यापार है उसमें से हम 50 प्रतिशत ही उपयोग करते हैं, 50 प्रतिशत यह ठेकेदार गुजरात को भेजते हैं, यू. पी. में भी भेजते हैं । अगर यह व्यापार चला गया और 17 लाख पेटियों में से 8।। लाख पेटी हम यहां खपत करते हैं और 8।। लाख पेटी बाहर चली जाती हैं और जिस दिन नहीं जावेगी तो ? यह सारी आय की व्यवस्था जो हम करके देख रहे हैं यह धूल चाटने लग जायेगी । इसलिए थोड़ा वास्तविकताओं पर हम आयें । वास्तविकताओं पर आने के लिए जिस प्रकार आपने ग्रुप की संख्या 57 की है, मैं तो यह कहता हूं कि लाइसेंस देखकर के दुकानें कीजिये, उसको जितना विभाजित करना है विभाजित कीजिए । नहीं तो मण्डावरी काण्ड उधर सामने से उठा था उसके पीछे यही बात थी । अखबारों के अन्दर जिस प्रकार से छपा था । दारू का, शराब का ठेकेदार गाड़ियां भरकर के उन कंजरों के ऊपर हमला करने के लिए गया था । यह गिरोह भी साधन संपन्न होते हुये उठकर कहीं समानान्तर सरकार खड़ी नहीं कर दें माफिया ग्रुप खड़े नहीं हो जायें । इसलिये इसको टुकड़ों में कीजिये, इस ठेकेदारी की नीति को बदलिए । चन्दनमल जी वैद आज यहां नहीं है । मेरा ख्याल है एक दिन आबकारी मंत्रालय उनके पास था, रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से विदेशी शराब को किस तरह से उन्होंने अन्दर ले लिया, चर्चायें कुछ और होती हैं, विधान सभा में आरोप की दृष्टि से नहीं कहता । लेकिन उसके अन्दर भी एक सुनियोजित ढंग से, लोगों ने कहकर के सलाह करके इस विदेशी शराब को भी ठेकेदारी प्रथा के अन्दर शामिल कर लिया यह भी बुरा है । उपाध्यक्ष महोदय, फिर इस पर भार देता हुआ मैं चाहूंगा कि इसको विभाजित किया जाये ज्यदा दुकानें दी जायें । इसके साथ दूसरी चीज डोडा पोस्त भी है जिसकी बिक्री टनों में हैं, भांग है जिसकी बिक्री क्विंटलों में है, अफीम है जिसकी बिक्री किलोग्राम में है । जितनी बिक्री हम इसके अन्दर बता रहे हैं हमारे पूरे राज्य की, अफीम खाने वाले 101 लाईसेंस धारी हैं उपाध्यक्ष महोदय, आप बाड़मेर चले जाइये, सांचौर, भीनमाल, सिरोही जिले के अन्दर चले जाइये, पाली के अन्दर चले जाइये । माननीय पूनमचंद जी विश्नोई इसके गवाह होंगें, कितने टन कितने क्विन्टल अफीम वहां कहां से आती है । समाज के अन्दर जो संस्कृति पलती है, समाज के रीति रिवाजों के अन्दर यह अफीम बैठक का सामान बनकर रह जाती है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर

(श्री टीकमचन्द कांत)

इस समाज के अन्दर कोई चीज बन्द करनी है तो उसको कानून के मार्फत नहीं, सामाजिक व्यवस्था सुधारने के मार्फत उसको किया जाये, समाज के अन्दर इसकी कसम दिलवाई जाये समाज के अन्दर किसी तरह लोगों को मनवाया जाये, नशे की बुराइयां समाज के सामने लाई जायें, समाज को धीरे-धीरे स्वीकार करता चला जाये। कानून से इस चीज को बन्द नहीं किया जाये। भांग की बिक्री बढ़ी है। कल्ला जी हों तो खुश होंगे शायद बीकानेर में भी बढ़ी है। भांग की बिक्री तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार क्विंटलों में बढ़ी है उपाध्यक्ष महोदय, इन ठेकेदारों के कारण माननीया आबकारी मंत्री जी भी इसकी शिकार हो चुकी हैं। ठेकेदार अपने लोगों से, इधर की शराब उधर नहीं आ जावे इसके लिए अपने गुण्डे खड़े करते हैं, अपने आदमी खड़े करते और वहां खड़े होकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इनके भी रिश्तेदार की तलाशी ली गई है। कारों और जीपों में आने वाले सम्माननीय लोगों की ठेकेदार के आदमी वहां खड़े होकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई रेट तय नहीं है। एक विदेशी बोतल पर हम 33 रुपये एक्साइज लेते हैं और उसके बाद इन ठेकेदारों को विशेष अधिकार दिये हुए हैं जो मोनोपलाईज किये हुए हैं उस बिजिनेस को जो मर्जी चाहे उस हिसाब से बेचते हैं, कोई रेट नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री टीकम चन्द कांत** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको विभाजित किया जाये।

भंवरलाल जी शर्मा यहां नहीं विराज रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुंगी चोरी करोड़ों रुपये की हो रही है। आप देख लो जितनी बोतलें यहां दुकानों के अन्दर आई इन ठेकों के अन्दर आई है उन बोतलों की जांच की जाए, म्यूनिसीपैल्टी में जितना इन्द्राज हुआ है उसके साथ मिलान करके देख लो आपको देखने को मिल जायेगा, करोड़ों रुपये की चोरी हुई है। अगर यह हिम्मत करें तो यह करोड़ों की चोरी पकड़ी जा सकती है उससे म्यूनिसीपल्टीज के अन्दर सुधार आयेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री टीकम चन्द कांत** (रेवदर) : एक मिनट और। हमारे पास देशी शराब बनाने वाली कम्पनी श्री गंगानगर शुगर मिल है। 20-20 साल पुरानी इसकी मशीनें है। कब धमाका हो जायेगा कोई मालूम नहीं, कब खतरा खड़ा हो जायेगा, कोई मालूम नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश अपने यहां बोटलिंग प्लांट अलग-अलग लगवा सकते हैं। प्राइवेट में दे सकते हैं। हमारे यहां से सेन्ट्रल मोलासेज बोर्ड का पूरा कोटा स्पिरिट को लेने के बाद में यह बोटलिंग कितना कर पाती हैं 60 प्रतिशत। जी हां साहब, 60 प्रतिशत बोटलिंग कर पाती है। 40 प्रतिशत कोटा बोटलिंग हो नहीं पाता और ठेकेदार कोटों में जाते हैं या नहीं। ठेकेदार कहते हैं कि साहब हमने गारन्टी दे दी लेकिन हमें माल नहीं मिला।

(श्री टीकमचन्द कांत)

इसकी वजह से कोटों में जाते हैं और हमें वापस उसको पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार की हालत यहां है। आबकारी के मामले के अन्दर एक दो व्यक्तियों के नाम गूंजते है अखबारों के अन्दर आबकारी अधिकारी का अखबारों के अन्दर + + + खूब नाम आया भ्रष्टाचार के लिए मैं उसको माननीयमंत्री जी को अलग से दूंगा कि उनके ऊपर क्या-क्या आरोप है लेकिन उनके भ्रष्टाचारों के कारण वे बदनाम हैं। उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो, इस जयपुर से छुड़वाओ। दूसरा जो पूर्व के अन्दर है। + + +

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पोस्ट का नाम ले लें, नाम नहीं लें।

**श्री टीकम चन्द कांत** : अच्छा नहीं लेता साहब, नाम हटा दें साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : नाम हटा दें।

**श्री टीकम चन्द कांत** : तो पूर्व के अन्दर बैठे हुए वो इन्सपेक्टर किन नाजायज तरीकों से यहां धन कमा रहे हैं। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय उन लोगों को स्थानान्तरित कर भेज दें, उनको जयपुर में नहीं लगने दें। उनको कुछ ऐसे स्थान पर बैठावें जहां से वे भ्रष्टाचार नहीं फैला सकें। एक बात और उपाध्यक्ष महोदय। मैं दारू से बिक्री कर की ओर आता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समय नहीं माननीय सदस्य, मैं एक मिनट और दूंगा।

**श्री टीकम चन्द कांत** : मैं ग्रेनाइट के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। जालौर और सिरोही ग्रेनाइट की सिटीज है। इटली को भी मात देने वाला उद्योग ग्रेनाइट जालौर में पनप सकता है। उस क्षेत्र का अगर उत्थान करना है तो ग्रेनाइट के उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम सबको सम्भाल लिया मुख्यमन्त्री जी ने। वित्त मंत्री जी ने सबको सम्भाल लिया। जयपुर तक को सम्भाल लिया और यहां के पत्थर को सम्भाल लिया यहां के हीरे को सम्भाल लिया लेकिन जो ग्रेनाइट पत्थर है, जो हमारे लिए हीरा है, सिरोही, जालौर के विकास का साधन हैं, उसको नहीं सम्भाला उपाध्यक्ष महोदय। अन्य राज्यों के अन्दर कर भार कम है, बिक्रीकर कम है, हमारे यहां ज्यादा है। हम यह चाहते हैं बिक्रीकर दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे यहां कम हो जाए, उसके बराबर हो जाय, हमारा धन्धा पनपे, हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसके साथ ही एक सोडा की चौकी है। उस सोडा की चौकी पर से बिक्री कर हटावें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रतनाराम चौधरी।

**श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आबकारी और बिक्री कर की चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो आबकारी विभाग ने ठेके दे रखे हैं और मैं जालौर जिले से हूं उसकी सीमा गुजरात प्रांत से लगी हुई है और रानीवाड़ा क्षेत्र बिल्कुल गुजरात

---

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री रतनाराम चौधरी)

बाउण्ड्री पर आया हुआ और तमाम ठेकेदार की दुकानें गुजरात की बाउण्ड्री से नजदीक होने से 50 प्रतिशत से ज्यादा दारू बिक्री के लिए खुले आम गुजरात में जाती है और दिन दहाड़े जाती है। उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं और स्वयं ठेकेदारों की गाड़ियां अपने आप गुजरात में बेचकर चली आती हैं। मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि शराब की दुकानें मन्दिर, मस्जिद, और स्कूलों के पास में आई हुई हैं। जैसे हमारे रामशरण में आपेश्वर महादेव का एक बहुत बढ़िया तीर्थ स्थान है। हर सोमवार को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। मन्दिर के पास में दारू की दुकान आई हुई है। गांव वालों ने कई दफा आबकारी विभाग जालौर को निवेदन किया और जिलाधीश को भी लिखा परन्तु वहां पर दुकान होने के कारण कई बार आपस में लडाई-झगड़े, टन्टे होते हैं और धार्मिक विचारवान पुरुष को बहुत आघात होता है इसलिए कृपा करके जहां-जहां भी जो धार्मिक स्थल हैं, मन्दिरों के नजदीक आई हुई दुकाने हैं, स्कूलों के पास आई हुई दुकाने हैं उनको तुरन्त वहां से हटा करके अन्य स्थान पर मन्दिर, मस्जिद और स्कूलों से दूर रखी जाय।

दूसरी हमारे यहां जो है बिक्रीकर की बात, पूर्व वक्ताओं ने कही। इस सम्बन्ध में काफी कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी-बड़ी कई घोषणाएं की और उस घोषणा में बिक्रीकर में छूट भी बताई और बिक्री कर लगा भी दिया। इससे आय और व्यय में कोई न कोई किसी प्रकार का बजट राजस्व मिलने की बात हमको दिखी नहीं। हमको ऐसा दिखा कि उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए बिक्रीकर में बड़ी भारी छूट दे दी। जबकि बिक्रीकर में रत्ती भर भी छूट नहीं दी गई। हमारे किसान भाई हैं, हमारे पशु पालक भाई हैं, जो मेले में अपने पशुओं को ले जाकर बेचने के लिए जाते हैं उसके ऊपर प्रवेश शुल्क दो रुपये लगा दिया। बैल पर 5 रुपये बिक्रीकर था, उसकी जगह 5 रुपये की बजाय 20 रुपये कर दिया। ऊंट पर 20 रुपये कर दिया। घोड़े पर 25 रुपये कर दिया। यहीं नहीं उपाध्यक्ष महोदय, गधा जो होता है, एक निम्न स्तर का पशु है, उसको भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने नहीं बख्शा। उस पर भी 10 रुपये टेक्स लगा दिया। जो गरीब से गरीब आदमी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं बिक्रीकर की वाहवाही लूटने वाले ये गरीब किसान और पशु पालकों पर जो आपने टेक्स लगाया है, आपकी रेवेन्यु का जो एक स्त्रोत है जो आपने बढ़ाया है, वह तुरन्त वापिस लिया जावे वरना हमारे यहां ना पक्ष और हां पक्ष की लाबी में बैठने वाले सबको यह बात चुभी है। जो किसान हैं जिसने किसान घर में जन्म लिया है और जिसके घर में पशुपालन का धन्धा है उन सबको दिल में आघात पहुंचा है और पूरे राजस्थान की जनता इस टैक्स से बहुत प्रभावित हुई है और इससे आपकी वाह-वाही तो नहीं, बदनामी जरूर हो रही है। इसलिए कृपया उनको तुरन्त वापस लिया जावे और माननीय विद्या पाठक जी विराजमान हैं जो आबकारी मंत्री भी हैं। हम जब जालौर से चलते हैं तो जयपुर तक

(श्री रतनराम चौधरी)

बस में आने का काम पड़ता है, रास्ते में 8-10 एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। ज्यादातर ड्राइवर्स द्वारा दारू पीकर के वाहन चलाने के कारण से ये एक्सीडेन्ट होते हैं। पहले भी वाहन लाइसेंस लेने में यह कण्डीशन की हुई है परन्तु न कोई नियम है, न कोई देखने, पूछने वाला है इसलिए ज्यादातर रोडवेज की बसों, ट्रकों और कारों के एक्सीडेंट इसी कारण होते हैं। इसलिए इस कण्डीशन को सख्ती से लागू किया जाय और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसी टाइम उसका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान रखना चाहिए।

मंत्री महोदय के दौरे होते हैं और अधिकारियों की पचासों गाड़ियां उनके पीछे चलती है। अगर उनमें कटौती करके आमदनी को बचाते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी बाढ़ की स्थिति में हमारे राज्य मंत्री माननीय गर्ग साहब रानीवाड़ा, नाथद्वारा, सरवाड़ गये। उनके पीछे अधिकारियों की पचासों गाड़ियां लगी हुई थीं। मंत्रीजी लोगों के दुःख दर्द सुनने उनके बीच में नहीं गए। उनकी कारें रोड पर ही दौड़ी और वापिस आ गई। गांवों के लोग मर रहे थे, उनका पशुधन मरा पड़ा था लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मेरा आक्षेप है कि ऐसे मंत्रियों के दौरों के समय अधिकारियों के काफिले को बन्द किया जाए और जो फिजूल खर्ची करते हैं उस पर अंकुश लगाया जाय। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मिश्रीलाल।

**श्री मिश्रीलाल** (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग सं. 13, आबकारी और 14 बिक्री कर पर चर्चा चल रही है। मांग सं. 13, पर मुख्य मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में यह कहा गया कि राज्य की कर प्रणाली के व्यापक दोषों से मैं चिन्तित हूं तथा उसे दूर करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैंने अपना कार्य संभालते ही एक-एक कर के अर्जित करने वाले विभागों की समीक्षा की है तथा उनकी आय बढ़ाने और कर-वंचन रोकने के कई निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री कर जनता पर लगता है उसके मार्फत वस्तुएं महंगी होती हैं। राजस्थान में जो बिक्री कर लगाया है। उसके मुकाबले में कितना कर वसूल होकर राज्यकोष में जमा होता है यह देखने की चीज है। इसमें मुझे प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स है। इस सम्बन्ध में जो भी विभागों में भ्रष्टाचार है, उसको आज तक कोई भी सरकार काफी मेहनत के बाद भी नहीं रोक पाई है। जितना कर व्यापारियों से इंस्पेक्टर वसूल करते हैं, उससे दुगुना कर चोरी करते हैं। ए. सी. टी. ओ. वगैरा जो असेसमेंट करके हर पेशी पर व्यापारियों से पैसा लेते हैं वह भी टैक्स में से ही जाता है। अगर सौदा नहीं पटता है और आगे अपील करते हैं तो अपील में फिक्स होता है 25 या 20 प्रतिशत वह सारा टैक्स की चोरी के मार्फत अधिकारियों के हिस्से में जाता है। ऐसे मामलों में मैं आपको सुझाव दूंगा कि शिकायत मिलने पर कदम उठाये जायं और हर हालत में टैक्स चोरी से रोका जाय। इसके साथ चैक

(श्री मिश्रीलाल)

पोस्टों पर जो भी माल पकड़ा जाता है। या तो वह पकड़ा ही नहीं जाता है और पकड़ा जाता है। वह तो भी परसेन्टेज देकर रफा-दफा हो जाता है। कोई व्यापारी यदि ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो उनकी भी अधिकारियों की आदत पड़ी हुई है कि माल रुकवा देते हैं, गाड़ियां रुकवा देते हैं, रास्ते में उनको चैक पोस्ट पर चैक करने के बहाने 2-4 दिन माल रोक दिया जाता है इससे जनता को परेशानी होती है और विभाग एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अधिकारियों को निर्देश देने पड़ेंगे और जननेताओं को भी इसमें अधिकृत करना पड़ेगा ताकि अधिकारियों में डर पैदा हो कि अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे।

इसके साथ ही मैं आबकारी विभाग की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। आज जगह जगह लिखा मिलता है – "शराब खराब है।" लेकिन दुकानों पर बैनर लगे होते हैं भावों में भारी कमी"। लोग देखते हैं कौनसे भावों में कमी हुई है। लोगों को अट्रेक्ट भी किया जाता है। इस तरह का प्रचार दारू और दूसरे नशीले पदार्थों का है, उनके विज्ञापनों को रोका जाय। खास कर मेरा कहना है कि बस्तियों के पास और स्कूलों के पास जगह-जगह शराब के ठेके खोल देते हैं उनको बस्तियों से लगभग एक कि. मी. दूर रखा जाय ताकि रास्ते चलते हर व्यक्ति का मन नहीं ललचाए। विभाग भी बिक्री कर विभाग की तरह यह भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और इनके मार्फत पैसा अधिकारियों और कई तरह के लोगों को पहुंचाया जाता है। उसको हर हालत में रोकना जरूरी है। हमारे बिलाड़ा क्षेत्र में कई साल से मोचीवाड़े में शराब का ठेका लगा हुआ है। वहां पर पीने वाले उत्पात मचाते हैं, रास्ते चलती बहन-बेटियों को छेड़ते हैं। यह किसी कारण से वहां से हट नहीं रहा है इस बात की जानकारी करवावें और मैं मांग करूंगा कि बिलाड़ा शहर में जो भी ठेके हैं उनको बाणगंगा तक पहुंचा दिया जाय। किसी को जरूरत हो तो वहां जाकर पीले।

आबकारी विभाग की एक जानकारी मैं आपकी मार्फत सदन को बता दूं कि उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में कार्यरत एक वरिष्ठ लिपिक प्रहलादसिंह का 27-7-90 को स्थानान्तरण किया गया। अधिकारियों को लगा कि किसी कारण से उनका स्थानान्तरण किया गया होगा पर उनको लगा कि स्थानान्तरण गलत हो गया तो उन्होंने 30-7-90 को ही उनको निलम्बित कर दिया। वह अभी डेढ़ माह बाद सेवानिवृत होने वाले हैं। स्टोर में रहने वाले वरिष्ठ लिपिक ने किसी कारण से अधिकारी का कहना नहीं माना होगा, उसको सस्पेण्ड कर दिया। नियमानुसार पांच महीने पहले स्थानान्तरण नहीं करना चाहिए परन्तु उनका स्थानान्तरण करके निलम्बित कर दिया। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें दोषी व्यक्ति को दण्ड मिले इसके साथ मैं सेल्स टैक्स और आबकारी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में आबकारी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जनता को राहत दिलावें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में बिक्री कर और आबकारी शुल्क से बहुत बड़ी धनराशि राजस्व में राज्य के विकास के लिए प्राप्त होती है लेकिन जब 81-82 में इस सदन में आबकारी के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय भी दलील दी गई थी कि आबकारी में हमको जितना पैसा मिलता है उससे हमारा विकास अवरुद्ध ही होता है। मैं समझता हूं हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात के हामी थे और उपाध्यक्ष महोदय, शायद आप भी मौजूद थे जिस समय चर्चा हुई थी कि गलत तरीके से आय यदि राज्य में आती है तो उसका कोई ज्यादा लाभ राज्य को मिलने वाला नहीं है और यहां तक भी चर्चा आई कि यदि इसी प्रकार से आय बढ़ानी हो, आमद करनी हो तो लोगों ने कहा कि फिर तो वेश्या-वृत्ति से ज्यादा आय हो सकती है और कई प्रकार के जो सट्टे, जुए चल रहे हैं वह आपसे रुक भी नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं उनको वैध करके कम से कम, राज्य के हिस्से में तो ज्यादा आय करें ।

इस प्रकार की व्यवस्था करे तो मैं भी समझता हूं कि आपके राज का कोष और भी बढ़ जायेगा। लेकिन मैं इसे गलत मानता हूं और हम व्हिप से बंधे हुए है और हो सकता है कि हमको इसका समर्थन करना पड़े लेकिन इस आय को मैं उचित नहीं मानता। जहां तक बिक्री कर का सवाल है कट मोशन भी मैंने वैसे आबकारी के बारे में दिए है और कट मोशन के जवाब आ जायेंगे इसलिए में इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे यहां की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन किया जाए और नोन टैक्स बढ़ाने की हमारी इच्छा हो तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको उससे प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसमें बड़े-बड़े लोग मिलकर केवल अपने घर बना रहे है। बड़े-बड़े अधिकारी और राजनेता मिलकर, जो हम नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते है, उसके ऊपर काबिज है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार हमारे संविधान की इच्छा थी उसने हमें एक दिशा निर्देश दिया था कि हम धीरे-धीरे शराबबन्दी करेंगे और एकदम शराब को बन्द कर देंगे। जो टैक्स रेवेन्यू होने वाली है उसे भी धीरे-धीरे कम करके नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ायेंगे। लेकिन अफसोस है कि पिछले चालीस सालों में इस कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया और नोन टैक्स रेवेन्यू की जो इन्कम हो सकती थी उस पर अपना एकाधिकार कर लिया। मुझे यह कहते हुए बिलकुल संकोच नहीं है कि जिससे हमारी आय बढ़ायी जा सकती थी और जैसा हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उस पर टर्न ओवर कर या इस प्रकार की चीजों पर टैक्स लगाया जा सकता है। टर्न ओवर टैक्स से हमारे को राजकीय आय हो सकती है लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इस प्रकार से एक बहुत बड़े व्यापारी और अधिकारी मिलकर साठ-गांठ करते है वह एक मजबूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मजबूरी है व्यापारी की कि जो सैल्स

(138)



(श्री महावीर प्रसाद जैन)

टैक्स के प्रावधान हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अंशों में उन्होंने ऐसे प्रावधान जिनसे हमको इन्कम नहीं होती थी, उन प्रावधानों को निकाला है। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो परचेज कॉस्ट पर जो तीन परसेन्ट टैक्स डालडा वाला तेल खरीदते थे तब लगता था। अब जब बाहर जायेंगे तो कोई टैक्स नही लगेगा और डेढ़ परसेन्ट जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है मैं ऐसा समझता हूं कि वह जो तेल खरीदते थे इस राज्य से उसमें तीन परसेंट टैक्स उनको देना पड़ता था। उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता था। क्योंकि तीन परसेंट टैक्स ज्यादा होता है इसलिए किराया देना ज्यादा पसंद करते थे। बाहर में किसी तरह की फर्म बनाकर बाहर से मेरा मतलब है अपना माल बाहर ले जाकर वापिस बाहर का माल दिखाकर यहां राज्य में आता है और उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता था एवं टैक्स की चोरी होती थी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कदम बहुत अच्छा है। इससे न तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और यहां पर इस प्रकार से ज्यादा उत्पादन होगा। मेरे ख्याल से स्थिति यहां तक आ गई थी कि जो भी हम आयातित तेल देते थे, उन्हें उस समय से पोसाता था क्योंकि राज में बैठे हुए लोग इस प्रकार से उन्हें आयातित तेल देकर के बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते थे। लेकिन पिछले सालों से शायद कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि आयातित तेल मिलता नहीं था और टैक्स रेट ज्यादा है इसलिए वे मिलें बन्द होने की स्थिति में गई थी। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह बहुत अच्छे है। ऐसे ही कई प्रावधान जैसे सीमेंट के लिए है। इसमें टैक्स बचाने के लिए कई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था। जो प्रावधान माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और सरकार ने किया है उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे आईटम है। लेकिन ऐसे अभी भी कई प्रावधान है। जैसे पैट्रोल और डीजल। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लोग हरियाणा में तेल लेने के लिए जाते है। हमारा राज्य हरियाणा से लगा हुआ हैं। इसलिए कई ट्रक, बस, और कई प्रकार के ऐसे साधन जो केवल टैक्स की वजह से यहां ज्यादा पैसा दिया जाता है इसलिए वहां पर हरियाणा में जाकर तेल भरवाते है। हमारे यहां पर केवल इतना हिसाब लगाकर तेल भरवाते है कि हरियाणा बोर्डर पर हम इतना तेल भरवाने से पहुंच जायेंगे। इतना तेल तो मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में बिकता है। मेरा यह मानना है कि इसमें टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़े तो भी हमारे लोगों को व्यवसाय मिलेगा। डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोगों को व्यवसाय मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा टैक्स भी किसी प्रकार से कम नहीं हो सकता। ऐसी मेरी मान्यता है। इसी प्रकार से कई बिजनेस ट्रांसफर हो गये और इसी प्रकार से बहुत सारी चोरियां बोर्डर पर होती है। इसी प्रकार किसानों के नाम के कई व्यापारियों ने ट्रांसपोर्टेशन कर रखा है। हम जानते है कि बोर्डर इलाके पर रहने वाले

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लोगों से कई बार व्यापारी माल खरीद लेता है। लेकिन चूकि यहां पर उसको टैक्स देना पड़ता है यदि किसान माल लेकर जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए वे किसी किसान को पकड़ते है और किसान के नाम से हमारे यहां पर बोर्डर पास करवाता है इससे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की तो किसी प्रकार की इन्कम नहीं होती लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश होती है, मिली भगत होती है और उसके कारण लोगों को भ्रष्टाचार के कई प्रकार के रास्ते मिलते है। इसी प्रकार हमारे यहां पर कई राज्यों से माल आता है। पिछली बार मुझे याद है कि हल्दी के कुछ व्यापारियों ने यहां पर सांगली से हल्दी मंगवाई। दिल्ली के नाम से बिल्टी बनवाकर मंगवाई और माल जयपुर उतार लिया गया। उसके कारण से उनको राजस्थान का और वहां का टैक्स नहीं देना पड़े। हमारे यहां के कई अधिकारी वहां पर गये और उन्होंने छानबीन की। लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या हुआ?

माननीय वित्त मंत्रीजी अपने जवाब में बतायेंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा बिजनस हुआ होगा तो दो, चार, पांच ट्रक और दस-पांच व्यापारी पकड़े गये होंगे। उस पर क्या कार्यवाही हुई यह भी संदेहास्पद है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि बाहर से जो चीजें आती हैं, दिल्ली के मुकाबले में, हरियाणा के मुकाबले में, एम. पी. और गुजरात के मुकाबले में यदि हमारे यहां पर टैक्स रेट ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से इसकी चोरी होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। आज की जिस प्रकार की मशीनरी और जिस प्रकार का लोगों का स्वभाव है, उसमें वे नहीं चाहते हुए भी सब लोग उसमें अपना हिस्सा बटाते है और दो नम्बर की इन्कम बढ़ती है और न ही हमको इन्कम टैक्स मिलता है और न ही हमको राज्य में और जो शेयर्स मिल सकते है राज्य की आय से वह भी नहीं मिलते है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जिन-जिन मदों पर चर्चा पिछली बार बिल के समय हो रही थी कि यहां पर ड्राई फूट और इस प्रकार की कुर्सियां, टेबिलें वगैरहें, पर टैक्स लोग चोरी करते है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग दिल्ली और आसपास के प्रदेशों में जाते रहते है। अपनी गाड़ी में फालतू का सामान इकट्ठा करके लाते है, केवल इसलिए कि टैक्स नहीं लगे। बड़े-बड़े अधिकारी लाते है। बड़े-बड़े मालिक लाते है क्योंकि वे ला सकते हैं। टैक्स बिक्री पर है, खरीद पर तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं हैं। तो इस प्रकार जो वे साधन ढूंढ़ते है या इस प्रकार की जो कार्यवाही होती है मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि टैक्स रेट हमारे बराबर के प्रदेशों में है। साबुन आता है, तेल आता है। जिस पर 8 पर्सेण्ट, 10-12 पर्सेण्ट 15 पर्सेण्ट टैक्स है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में घपला होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने इतनी एक्सरसाइज की है, थोड़ी सी और एक्सरसाईज कर के जो ये गड़बड़ी करने के दरवाजे है व रास्ते है उनको बन्द किया जावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा कथन समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(1907)



4.00 म. प.

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित) माननीय श्री परसराम मोरदिया ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत की जगह मैं बोल लूं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप तो सचेतक हैं, आप कहेंगे वह तो मानना ही पड़ेगा (व्यवधान)

**श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं बिक्री कर की मांगों पर मैं कुछ सुझाव देना चाहुंगा और जो अनियमिततायें हो रही है, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहुंगा। पूर्व वक्ताओं ने शराब पर बिक्री कर पर काफी बोला है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहुंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आबकारी विभाग को बन्द तो कर नहीं सकती आपकी सरकार।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उस टाइम तो मुद्दा बनाया था लेकिन अब नहीं कर सकते आप... ।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** हमने किया था ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** मोरारजी भाई का डण्डा था, उससे बन्द करी थी आपने ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप किसी डंडे से ही कर लेते ।

**श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : बंद कर देंगे तो आपका क्या होगा ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** गांधीजी ने तो जीवन भर डंडा रखा था ।

**श्री डूंगरराम पंवार :** बंद कर दिया तो जाम कहां से टकराओगे ।

**श्री जगत सिंह दायमा :** गांधीजी के देश में तो बंद हो ही जानी चाहिए ।

**श्री डूंगर राम पंवार :** नहीं, अगर इनको शाम को जरूरत पड़ी तो यह परेशान हो जायेगें, बंद करने से ।

**श्री परसराम मोरदिया :** अब आप सुनिये । मैं परेशान होता हूं या नहीं होता हूं, यह मेरी चिन्ता है। आप चिन्ता न रखें। बांसवाडा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके ऊपर काफी विस्तारपूर्वक कई बातें बताई लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज आबकारी विभाग के अन्दर जिस ढंग से भ्रष्टाचार पनप रहा है, आप सोच नहीं सकते, उपाध्यक्ष महोदय । मैं यह नहीं कहता कि ऊपर कमिश्नर साहब के लेवल पर या किस लेवल पर कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन आज जिला लेवल पर, डिवीजन लेवल के ऊपर जिस ढंग से भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, माननीय टीकम चन्दजी ने जैसे कहा कि आज पचास–पचास, साठ--साठ के गुण बने हुए हैं और वह सारे के सारे गुण मिल कर अधिकारियों को इस तरह से नचाते हैं की उन अधिकारियों की हिम्मत नहीं रहती कि उन ठेकेदारों के ऊपर कोई एक्शन ले सकें। वह चाहे जिस अफसर को रखेगें, चाहे जिस गांव के अन्दर गुण्डागर्दी करेगें। आज हालत यह है कि गांवों के अन्दर पांच–पांच ठेके, बगैर लाइसेंस के ठेके आपको बहुत सारे मिल

(श्री परसराम मोरदिया)

जायेगें और उस पार्टीबाजी को लेकर कैसे गरीबों को तंग किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, आप सोच नहीं सकते। चाहे जिस इज्जतदार के घर पर दो बोतल रख दी और उसका केस बना दिया। जब उस आदमी ने या पब्लिक के किन्हीं पांच आदमियों ने जाकर शिकायत की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वह सुप्रीम है और वह एक बराबर की सरकार बनाये बैठे हैं कि हमारे खिलाफ राजस्थान के अन्दर इस एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्दर कभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से गांव आज ऐसे हैं, आपके थानों के अन्दर दुनिया भर के केसज झगडों के आते हैं क्योंकि हरिजन बस्तियों के अन्दर ठेका लगा लेते हैं। उन ठेकों की बजह से गुण्डा एलीमेन्ट उस स्थान पर शाम के समय जाकर बैठते हैं। अब क्या वह बच्चे भविष्य में पढ़ सकते हैं, क्या वह अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं? वह खाली आपस में झगड़ा करते हैं और डांग बजते हैं, थानों के अन्दर मुकदमे होते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जहां पर भी हरिजन बस्तियों के अन्दर, मन्दिरों के पास ठेके हैं, उनकी कई शिकायतें जिलाधीश और एस. पी. साहब को की जाती है परन्तु एक भी ठेके को वहां से हटा नहीं सकते क्योंकि अधिकारी उनका कहना तो टाल ही नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि हम पांच ठेके रखेंगे बगैर लाइसेंस, तो रखेंगे। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि चाहे मस्जिद के पास ठेके हों, चाहे मन्दिर के पास हों, चाहे हरिजन बस्ती में हों, चाहे स्कूल के पास हो, उन ठेकों को तुरंत हटा देना चाहिए। यह आपका बहुत बड़ा सराहनीय कदम होगा और राजस्थान की जनता आपको याद करेगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है, काफी माननीय सदस्य बोले कि हम हरिजनों के बहुत हामी हैं। हम हरिजनों की परवाह करते हैं और कांग्रेस सरकार ने चालीस साल तक हरिजनों को बेवकूफ बनाया है, सिर्फ वोटों के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि आपके इस एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्दर 63 पद हैं। प्रहरी अधिकारियों के 63 पदों में से वर्तमान में 18 पद एस. सी. और एस. टी. के होने चाहिए जबकि 14 ही पद हैं और उसके बाद यह क्या करने जा रहे है-चार पद रिक्त हैं सवर्ण जाति से भर लिए गये। एक मेरा निवेदन और है कि बीस पद सरप्लस कर रहे हैं ताकि बाकी जो लगे हुये है वह भी वहां से हट जायेंगे। राजस्थान के एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर एक भी हरिजन नहीं रह पायेगा, सात पदों को भी हटा दिया इन्होंने। यह तो इनके डिपार्टमेंट का हाल है और फिर यह कहते हैं कि रोस्टर प्रणाली लागू करना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन को पूरा करना चाहते हैं, हम बैंक लॉग कोपूरा करना चाहते है इनके पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक भी पद रह नहीं जायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने यह आदेश निकाला है इस आदेश को तुरंत निरस्त करें और जो आपके बाकी पद हैं, जो रोस्टर प्रणाली में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, उनको तुरन्त भरने की कार्यवाही की जानी चाहिए। यह आदेश अपने 1.4.88 को

(142)



(श्री परसराम मोरदिया)

निकाला था। उस आदेश के अनुसार सात आदमी आपनें लगाये थे, उन आदमियों की आज आप बीस पोस्ट सरप्लस कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में एक भी आदमी एस. सी. का नहीं रहेगा। आपके डिपार्टमेंट के अन्दर रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं रहेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं, कि हम बैंक लॉग पूरा करना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम रोस्टर प्रणाली लागू करना चाहते है, अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं। सुबह माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर रिजर्वेशन पूरा कर रही है। आज राजस्थान की यह हालत है कि आपने बैन लगा रखा है। बैन तो आपने लगा ही रखा है लेकिन जहां जिस डिपार्टमेंट में वह लगे हुए है उनको आप हटाने की बात कर रहे हैं। यह आप हरिजनों की बात करना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्दर बीस पोस्ट सरप्लस करने जा रहे हैं, जब तक बैंक लॉग अपका पूरा नहीं होता है, तब तक न करें। उसके बाद आप सरप्लस कर दीजिए, चाहे पचास पोस्ट कर दें। लेकिन आपको सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि जो बैंक लॉग है, जो रोस्टर प्रणाली है उसको लागू करना चाहिए ताकि वह लोग वहां से हटे नहीं और गरीब आदमी को मौका मिले।

ठेकेदारों की आज हालत यह है कि राजस्थान में करोड़ों रुपए उनमें बकाया पड़े हैं। आपके अधिकारियों की हिम्मत नहीं हैं कि उनसे वसूल कर लें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम राजस्थान के विकास के अन्दर रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आज करोड़ों रुपये आपके यों के यों पड़े हैं। कर्जी नाम से ठेके ले रखे हैं और उनसे आप वसूल नहीं कर सकते। ठेका मैं चला रहा हूं, नाम इनका है। जिनकी यदि आप कुड़की भी करना चाहेंगे तो आपको दस हजार रुपए भी नहीं मिलेंगे। करोड़ों रुपए आज बेकार पड़े हैं और अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि उनसे पैसा वसूल कर सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ठेकेदारों के अन्दर राजस्थान के करोड़ों रुपये पड़े हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के पड़े हैं, उनको तुरन्त सख्ती से आप वसूल करें।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान में हालत यह है कि फागी के अन्दर तो पैंतीस रुपये बोतल और जयपुर में नब्बे रुपये में बोतल मिलती है। सारे राजस्थान में सख्ती से यह रूल लागू करें कि हर जगह एक रेट होनी चाहिए। पैंतीस रुपए हो तो पैंतीस ही हो। यह नहीं कि मेरी मर्जी से मैंने पचास रुपए ले लिए। एक ठेकेदार बेच रहा है नब्बे रुपए में, एक बेच रहा है सवा सौ रुपये में, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि सबको समान रेट पर मिल सके।

एक मेरा निवेदन यह था कि आज स्थिति यह है, माननीय मंत्री महोदय, भंवरलाल जी शर्मा विराजमान हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़ा भला नगरपालिकाओं का कर सकते हो। शराब का जो भी ट्रक जाता है वह नगरपालिका की सीमा से पहले ही खाली हो जाता है

(श्री परसराम मोरदिया)

और जो आप बिक्रीकर चुंगी वसूल करना चाहते हो, वह वसूल नहीं कर सकते। करोड़ों रुपयों का नगरपालिकाओं को नुकसान हो रहा है। आप इसका सख्ती से पालन कराइये ताकि नगरपालिकाओं की की आय बढ़े। हरिजनों को आठ-आठ महीने से नगरपालिकाओं में जो तनख्वाह नहीं मिल रही है, वह तनख्वाह भी मिल सकेगी और उस शहर या कस्बे का भी विकास हो सकेगा। आपको इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। आज आपके सेल्स टैक्स की लीकेज हो रही है। आज आपके सैलसटैक्स डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत है कि आपके ए. सी. टी. ओ., सी. टी. ओ. और इन्सपेक्टर ने इस कदर से लूट मचा रखी है कि दो-दो लाख रुपये के असेसमेंट को बीस-बीस हजार में कर देते हैं। उन पर भी सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि राजस्थान की रेवेन्यू और आगे बढ़ सके और राजस्थान का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री शांति लाल।

**श्री शांतिलाल** (राजसमंद) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आबकारी विभाग की डिमाण्ड से सम्बन्धित चर्चा में सम्मिलित होते हुए विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने एवं विभाग के लिए कुछ राजस्व बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आबकारी विभाग द्वारा राज्य सरकार को भारी राजस्व अर्जित होता है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति, जो आज प्रचलन में है, का अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि लोक कल्याण एवं लोक हित को ताक में रख कर शुद्ध तौर से व्यवसाय प्रधान नीति बनाई गई है जिससे मदिरा सेवन का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ रहा है। साथ ही गरीब तबके का ढांचा जर्जर होता जा रहा है, कई परिवार उजड़ गये हैं। इस नीति के कारण से विशेष तौर से एस. सी., एस. टी. वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति दिनों-दिन गिरती जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि राजस्थान राज्य में नशाबंदी लागू की जाये और जो गरीब तबका है उसको इस बीमारी से बचाया जाये।

माननीय उपाध्यक्षजी, यदि तत्काल नशाबंदी नीति अपनाने में राज्य सरकार को दिक्कत आ रही है तो कम से कम सुधारने की दृष्टि से जो अर्थ का नुकसान हो रहा है, जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, उससे तो तत्काल मुक्त करायें। उसको रोकने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाये। मैं इस सम्बन्ध में चन्द सुझाव देना चाहूंगा।

वर्तमान आबकारी नीति के अनुसार शराब के ठेके क्षेत्र विशेष के लिए दिये जाते हैं जिसमें दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित होता है। नीति के अनुसार अधिकृत तौर पर एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी काफी होती है लेकिन अधिकतर ठेकेदार शराबखोरों को असुविधा से बचाने के लिए छोटे-छोटे सब काउण्टर खोल

(144)



(श्री शांति लाल)

देते हैं। यह ठेके की शर्तों का उल्लंघन हैं। इसके अलावा अनुज्ञप्तिधारी को जो शर्तें दी जाती है उसके अनुसार दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी जा सकती है लेकिन इस बात का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। गांवों में और शहरों में जो दुकानें हैं वहां पर उन दुकानों में बैठकर शराब पी जा रही है। यह दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन नियमों का उल्लंघन होने के कारण विभाग के अधिकारी व पुलिस के अधिकारियों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैल रहा है। पुलिस विभाग में अधिकारी और कर्मचारी इस बात की चौथ वसूल करते हैं कि आपकी दुकान तो अमुक क्षेत्र में है, सिर्फ इतनी दुकानों के लिए है। इन दुकानों के लिए आपने सब काउण्टर खोल रखे हैं यह सब अनधिकृत है। इन के नाम पर 10 हजार रुपए और इससे भी ज्यादा पैसे ले रहे है। वह खूब पैसा बटोर रहे हैं।

इसी प्रकार आबकारी निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी भी इस बात का पैसा वसूल करते हैं। मै इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चहूंगा कि जो यह भ्रष्टाचार है यह कर्मचारियों में से मिटाया जा सकता है। यह पैसा जो भ्रष्टाचार के रूप में कर्मचारियों की जेब में जाता है। यदि राज्य सरकार ध्यान दे तो वह पैसा राजस्व के रूप में सरकार के खजाने में आ सकता है। उसके बारे में मैं आपको सुझाव दूंगा कि आज हमारे नजदीकी राज्य हरियाणा में जो सब काउण्टर खोलता है, अपने निर्धारित क्षेत्र में तो प्रति सब काउण्टर के लिए 15 हजार रुपए प्रति वर्ष सरकार को देता है। यदि यह प्रक्रिया राजस्थान में अपना ली जाये तो सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा साथ ही जो पैसा रिश्वत और चौथ के रूप में अधिकारियों की जेब में जाता हैं वह पैसा बच जायेगा और राज्य के खजाने में आ जायेगा।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अपनी शर्तों के अनुसार ठेकों पर बैठकर दारु नहीं पी सकता है। आपने शर्त तो नहीं पीने की लगा रखी है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यदि आप उन दुकानों पर पीने का लाइसेंस दे दे। आप लाइसेंस देंगे या नहीं देंगे पर वह दारु तो पीता ही है, यह आपसे और हम से रुकने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर बैठकर शराब पीने के लिए भी आप कुछ टैक्स उन पर इम्पोज कर दें तो इससे राज्य सरकार को काफी राजस्व अर्जित होगा और इस तरह मैंने केलकुलेट किया है कि इन दोनों सुझावों से कम से कम पांच करोड़ रुपए इस विभाग को अतिरिक्त आय के रूप में मिलेंगे।

इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण सुझाव जिस पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे। आज दिक्कत यह है कि जो अधिकारी, आबकारी विभाग जिला आबकारी अधिकारी के पद पर दो वर्ष तक कार्य कर लेता है तो उसकी मर्जी यह होती है कि किसी न किसी तरह उसकी पोस्टिंग एक बार और वहां हो जाये और इस कारण कई बार आपके सामने परेशानी आती होगी मंत्री महोदय, मुझे तो मालूम नहीं लेकिन जिस तरह की कारगुजारी है उससे

145



(श्री शांतिलाल)

लगता हैं कि आपको परेशानी आ रही होगी। जो व्यक्ति एक बार दो साल रह जाता है वह प्रयास करता है कि किसी न किसी प्रकार इस विभाग में आ जाय और उस में नहीं हो तो ट्रान्सपोर्ट विभाग में आर टी ओ बन जाय। तो माननीय मंत्री महोदया आप इन परेशानियों से बच सकती हैं यदि मेरे चन्द सुझावों पर ध्यान दें तो। इसी प्रकार मैं जो भ्रस्ट पौर तरीके हैं उनके बारे में कुछ और सुझाव देना चाहूंगा।....

**श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : करने के या रोकने के।

**श्री शांति लाल** : आज जैसा माननीय सदस्य श्री कान्त ने बताया कि राजस्थान में जितनी अंग्रेजी शराब की खपत होती है उतनी ही अंग्रेजी शराब पड़ोसी प्रान्तों को भेजते हैं, उसकी स्मगलिंग करते हैं और वहां से ठेकेदार को चूंकि निर्धारित मात्रा में शराब बेचनी पड़ती है इसलिए उसको बेचना आवश्यक हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो शराब यहां राजस्थान से गुजरात में भेजी जाती है उसकी कीमत वहां पर हमारे यहां से 1/4 कम होती है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार से जो नियमों का उल्लंघन करके पड़ौसी राज्यों में शराब बेची जा रही है यह भी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सम्भव हो रहा है। यदि इस पर रोक लगा दें तो इन अधिकारियों की जेब में पैसा आना बंद हो जायेगा और जो भीड़ पड़ती है इस महकमें में पोस्टिंग कराने की वह कम हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या बात है आपको दारू से बड़ा मोह है और सैल्स टैक्स से नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री चम्पालाल जैन।

**श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री कर के बारे में कुछ सुझाव देना चहूंगा। हाल ही में रेडीमेड के कपडों पर बिक्री कर लगाया गया है। यह कपडे विशेषकर गरीब वर्ग के काम आते हैं। चाहे काश्तकार हो, चाहे अन्य गरीब वर्ग का हो। अतः मेरा निवेदन है कि इस बिक्री कर के ऊपर पुनः विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आज गरीब किसान बनियान–चड्डी पहनता है जिसकी कीमत 10 रुपए होती है इस को कम करें तो गरीब तबके को कुछ राहत मिले। इसलिए इस पर वापस विचार होना चाहिए। किसी कवि ने भी कहा है" चाहे मंदिर जाओ या मजिद जाओ इसका नहीं मुझाका है। दिल मत तोड़ किसी गरीब का, बन्दे यह घर खास खुदा का है।"

तो मैं पुनः इस बात की विनति करता हूं कि रेडिमेड कपड़ों पर जो बिक्री कर की विसंगति है उस पर विचार होना चाहिए।

आम बिक्री कर के बारे में मेरा अनुभव है कि अगर पड़ौसी राज्यों से बिक्री-कर कम होगा तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा और बिक्री कर की चोरी कम होगी और राज्य में बिक्री कर की आमदनी है

(146)



(श्री चम्पालाल जैन)

उसमें और बढ़ोतरी होगी। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सांवरलाल।

**श्री सांवरलाल (भिनाय)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो मांग है बिक्री कर और आबकारी कर यह राजस्व की बहुत बड़ी मद है। इससे सरकार को काफी आमदनी होती है। बिक्री कर के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण धारणा लोगों की बनी हुई है वह यह है कि इस कर की जानबूझकर लोगों द्वारा चोरी की जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं उन राज्यों की बिक्री कर की दरों में और हमारे यहां की बिक्री कर की दरों में अन्तर होना। क्योंकि जिस तरह की स्थिति और मानसिकता है लोग सीमा पार करने में पीछे नहीं रहते हैं और माल इधर-उधर कर देते हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना है और मेरा सुझाव है कि प्रत्येक वस्तु पर इस प्रकार का कर लगाया जाय जिससे पड़ौसी राज्यों में और आप में समानता हो और इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिले।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कुटीर उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं पर, कुछ किसानों के काम आने वाली, कुछ गरीब तबकों के काम में आने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर या तो कम किया गया है या छूट दी गयी है जो स्वागत योग्य कदम है।

इसमें एक चीज 6 और है, इसमें पंजीयन कराना आवश्यक है और जो पंजीयन नहीं कराता है उस पर पैनल्टी लगायी जाय और उसके बाद ही पंजीयन करा सकता था तो उन्होंने प्रस्तावित किया कि अगर पैनल्टी नहीं चुकायी तो भी वह यह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मेरा यह मानना है कि अगर इस प्रकार का प्रावधान हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और लोग इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे। क्योंकि पैनल्टी नहीं देनी पड़ेगी जब चाहेंगे तब रजिस्ट्रेशन करायेंगे तो एक प्रकार से उनकी सुविधा की बात हो जायेगी। इसी प्रकार जो कर चोरी है, इसको किस प्रकार कम किया जा सकता है। दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि जैसे भारत सरकार कस्टम आदि की चोरी करने वाले, चोरी को पकड़ने वाले जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि दें। इसी प्रकार बिक्री कर की चोरी पकड़ने वाले अधिकारी, कर्मचारियों को मोटीनेशन और प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाये, तो निश्चित रूप से वह कर्मचारी कुछ लगन और मेहनत से काम करेंगे। इसी प्रकार बिक्री कर के सम्बन्ध में जो भी जांच और अपील होती है, बिक्री कर ट्रिब्यूनल के अन्दर होती है। बिक्री कर ट्रिब्यूनल के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वह अगर चाहें, तभी वह मामला सिविल या क्रिमीनल कोर्ट के अन्दर जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जब बिक्री कर ट्रिब्यूनल में कोई अपराध प्राइमोफेसी सिद्ध हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह मामला न्यायालय के अन्दर जाना चाहिये, इस प्रकार का प्रावधान

(श्री सांवर लाल)

सरकार को करना चाहिए। क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम है और लोगों की यह धारणा बन गई है और यह कर बचाने का अधिकतम प्रयास करते हैं। हालांकि व्यापारियों को जेब से पैसा नही देना पड़ता है, कन्जूमर इसका पैसा चुकाता है, फिर भी वह बचाने का प्रयास करते हैं, कर चोरी है तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिये और मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब दूसरे कई ऐसे प्रावधान बने हुए हैं, जिनमें बड़ी-बड़ी सजाएं होती है, क्योंकि एक स्टेट के लिए बिक्री कर एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिये। जिससे लोग स्वयं हतोसाहित होंगे और सही तरह से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी प्रकार जो इन्होंने वनस्पति के लिए प्रावधान दिया, वह डालडा वगैरह बनाने में काम आता है। उसके लिए जो टैक्स रेट 3 प्रतिशत से दस प्रतिशत करने की थी, तो मैं यही निवेदन करता हूं कि उसे 3 प्रतिशत ही रखा जाए। क्योंकि उसका जो फायदा मिलना चाहिए व फायदा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो हमारे बकरे वगैरह होते हैं, इनको अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करें तो वह प्रति नग 8 रुपए के हिसाब से लिया जाता है, जबकि हरियाणा के अन्दर 2 रुपए है। तो निश्चित रूप से कई लोग हरियाणा की खरीद बता देते हैं, तो इसलिये मेरा निवेदन है कि इस दर को भी समान किया जाना चाहिये। इसी प्रकार एक प्रावधान और दिया है। अगर कोई इण्डस्ट्री लगाता है, तो 5 साल तक उनको इन्सैन्टिव टैक्स के रूप में छूट दी जाती है, मेरा निवेदन यह है कि छूट देने से उनको प्रोत्साहन तो मिलता है, परंतु जो उद्यमियों की प्रवृत्ति है, पांच साल तक व्यवसाय चलायेंगे, फैक्ट्री को चलायेंगे और 5 साल के बाद में सिक-डिक्लेयर करवा देंगे, 5 साल का सेल्स टैक्स भी बचायेंगे और गवर्नमेंट के ऊपर मार और डाल देंगे, तो मेरा निवेदन यह है, अगर उनको सुविधा देनी है, तो प्रावधान कर दीजिए कि 5 साल में प्रति वर्ष की जो रकम है, सरकारी कोष में जमा करा दीजिए। छठे वर्ष के बाद में जब भी आप रनिंग करेंगे तो पहले साल की राशि उसमें विद-ड्रा कर लीजिए, दूसरे साल की राशि नेक्सट ईयर विद-ड्रा कर लीजिए तो मेरा यह निवेदन है कि इसको आप कन्सीडर कीजिए, अन्यथा ऐसे उद्यमी जो केवल टैक्स बचाने के लिए सिक-यूनिट डिक्लेयर करवाने के लिए, सरकारी पैसा लेने के लिए दुरुपयोग करते हैं, उनके ऊपर पाबन्दी लगेगी। उनको छूट जरूर दीजिए, परन्तु प्रावधान यह कीजिये कि सरकार के पास जमा कराए। छठी साल के बाद वह पहले, दूसरे साल की रकम विद-ड्रा कर सके। दूसरा मेरा निवेदन यह है, आबकारी के अन्तर्गत। आबकारी के अन्दर जो दुकाने खुली हुई हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है कि कहीं स्कूलों और पूजा स्थलों के पास में खुली हुई हैं, निसन्देह यह शोभा जनक बात नहीं है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग व बच्चे आते हैं। और शराब पीकर लोग बैठे रहे, तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस बारे में तो विचार करना ही चाहिए। दूसरे जो इसके अन्दर भ्रष्टाचार है, और जो ब्लकमेलिंग होती है, उसका मुख्य कारण यह है कि

(श्री सांवर लाल)

सरार एक टेण्डर छोड़ देती है कि इतने करोड़ का ठेका हो गया, उनसे पैसा ले लेती है। ठेकेदार क्या करते हैं कि जिनकी ठेका अवधि खत्म होने को आयी, और प्रदेश के अन्दर माल नहीं बिका, तो गुजरात पार करवायेंगे जहां पर दारू बनती है। तो निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर सख्ती से पाबन्दी लगानी होगी और भिन्न-भिन्न तरह की जो दरें हैं, जैसे आप महुआ से खरीदेंगे अलग दर से, यहां से खरीदेंगे अलग दर से। तो इससे उन ठेकेदारों के बीच में आपस में टकराव होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं और कन्जूमर भी उससे परेशान होता है, कई बार वहां से लाने के लिए भागा फिरता है। जयपुर की स्थिति भी दयनीय है। अब चूंकि लोग पीते हैं और सरकार ने यह प्रावधान कर रखा है, तो निश्चित रूप से दुकानों के ऊपर अगर आपको मिलना है तो लाइसेन्स दीजिए अन्यथा सख्ती से पेश आइये। इसी प्रकार लोग जाते हैं शिकायत करते हैं। बीयर पीने वाले बीयर लेने जाते हैं, तो अगर वहां पीनी हो तो ठंडी और बाकी बाहर जायेंगे तो गर्म देंगे। यह आम उपभोक्ताओं की शिकायत है क्योंकि एक बोतल का डेढ रुपया मिलता है। वह डेढ़ रुपया अलग से बचाते हैं। यह महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार का दृष्टिकोण और कानून की सख्ती होना चाहिए। क्योंकि आबकारी विभाग वालों को तो कोई मतलब नहीं, उनकी तो जो रेवेन्यू है, वह मिलती रहती है। अब पुलिस है, पुलिस वालों से वह मिल जाते हैं और दुकानों के अन्दर इस प्रकार के धन्धे करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे जो कुछ सुझाव हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सुझावों को ऊपर यदि अमल किया जाय तो निश्चित रूप से सरकार की रेवेन्यू में वृद्धि हो सकती है। अब इसमें आप वसूल करने वाले को इन्सैन्टिव देते हैं या नहीं, यह आपके ऊपर है। इसी प्रकार जो नई इण्डस्ट्री लगाते हैं, उनको आप छूट चालू रखते हैं, परन्तु क्या उसके लिए आप यह बाध्यता रखते हैं कि उसको एफ. डी. या किसी रूप में आप सरकार के पास जमा करायें, तो निश्चित रूप से जो यह लोगों की मेन्युकुलेशन वाली प्रवृत्तियां हैं, इसके ऊपर अंकुश लगेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बंशीलाल पटवा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : 5 आदमी आपने उधर से लिए हैं. इधर से एक भी नहीं लिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : कहां बोल दिए 5। कैसे ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अब आप देखिए। एक, दो, तीन...

**श्री उपाध्यक्ष** : कौन से तीन ? नहीं-नहीं। आप देखिये, परसराम मोरदिया बोले, 7 वें नम्बर पर। यह चम्पालाल जी बोले नवें नम्बर पर, शांतिलाल जी 8 वें नम्बर पर बोले, और अब सांवरलाल जी बोले।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह लिस्ट कहीं गड़बड़ा गयी, श्रीमन्।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि हमारे सिर्फ दो आदमी बोले, उधर से बहुत आदमी बोल लिए हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं। नहीं। कुल अभी 9 आदमी बोले हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हमारे ऊपर कृपा नहीं हैं, आसन की।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप पर होने वाली है।

**श्री प्रद्युमन सिंह** : नहीं मेरे ऊपर तो कृपा नहीं है, असन की। कांग्रेस के ऊतर कृपा हो सकती है।

**श्री डूंगरराम पंवार** : हमारा नम्बर उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोने में लगा दिया, क्या ?

**श्री बंशीलाल पटवा** : उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री कर, आबकारी की मांगों पर हम विचार कर रहे है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : वैसे बी. जे. पी. को तो भांग के ऊपर बोलना चाहिये।

**श्री बंशीलाल पटवा** : यह क्या फरमा रहे है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : यह कह रहे है कि बी. जे. पी. को तो भांग के ऊपर बोलना चाहिए। पटवा जी मैं यह कह रहा था कि आपको तो भांग के ऊपर बोनला चाहिये था।

**श्री बंशीलाल पटवा** : हूं मैं अफीम के ऊपर बलूंगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अफीम पर बोलेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : कहीं वह धौलपुर की चीज तो नहीं।

**श्री बंशीलाल पटवा** : मैं आपके मन की बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी और बिक्री कर की मागों पर हम विचार कर रहे हैं, और दोनो ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जिससे रेवेन्यू अर्जित होती है, राजस्थान के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन हैं। आबकारी का जो मामला है, इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहते हुए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं आबकारी और बिक्री कर दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे रेवेन्यू अर्जित होती है, जो राजस्थान के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन है। आबकारी के मामले में अधिक नहीं कहते हुए मैं तो एक ही बात सदन की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी देश, कोई भी प्रांत आदमी के जीवन को जब तक सीमाओं में नहीं बांधेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा और न समतावादी समाज की स्थापना कर सकेगा आज बार्डर पर चले जाओ, वहां से चोरी छिपे शराब आती है। इसी तरह हरियाणा बार्डर पर चले जाओ, वहां से चोरी छिपे दूसरी चीजें आ रही हैं। विदेशों में भी शराब बिकती हैं, इस देश में भी बिकती है। 1977 में हमने शराबबन्दी लागू की थी। 1980 में मैं सदन में आया तो फिर से छूट मिल गई, जैसा आज स्थिति में हैं। वैसे मैं शराब के प्रचलन को बढ़ावा मिले, इस पक्ष का तो नहीं हूं लेकिन इस देश में

(श्री बंशीलाल पटवा)

खाने-पीने वाले आदमियों ने तो छोड़ दिया और बाकी के लोग इतनी पीने लग गये हैं कि पीने-खाने वाले आदमियों के हिस्से में नहीं आती स्थितियां ऐसी विषम बनती जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी स्थिति है, दन तो अनुशासन से बंधे हुये हैं और आबकारी के मामले में प्रस्तुत मांग का समर्थन करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप कहीं भी चले जाइये, देशी दारू की दुकान इंग्लिस दारू की दुकान पनघट के पास चले जायें तो मिल जायेगी हैण्ड पम्प लगा हो पहुंच जाएं, तो मिल जायेगी, मन्दिर के पड़ौस में मिल जायेगी और सिनेमा हाउस के पास मिल जायेगी। जो कुछ है उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसमें हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं। पीना है तो उसको भी हम व्यवस्थित करें। जैसे अभी एक मान्यवर सदस्य ने उदाहरण दिया कि खेत पर पीना बन्द है। और भी कई बन्धन हैं लेकिन उन बन्धनों का पालन नहीं हो रहा है। शराब बिक्री के लिए भी गारण्टी सिस्टम! गारण्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके कारण करप्ट प्रेक्टिस पैदा हो रही है। आज ला एण्ड आर्डर की कई जगह प्राब्लम क्रीएट हो जाती हैं उसके पीछे भी नाजायज शराब का बिकना, अधिक नशा करना, यह सारी चीजें हैं। भांग वाली बात है, अफीम वाली बात है। इनमें एक सेण्ट्रल कानून इस तरह का बना है कि जिसमें जमानत होना भी मुश्किल है। तीन लाख रुपये, दो लाख रुपये, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा। यही नाजायज शराब के मामले में भी है। यह नारकोटिक्स डिपार्टमैण्ट इस तरह का डिपार्टमैण्ट है जहां पर करेक्टर वाले अधिकारियों की आवश्यकता है, काम्पीटेण्ट व्यक्ति की आवश्यकता हैं। आज व्यवस्था की आवश्यकता हैं। ऐसे कई उदाहरण मिल जायेंगे, जैसे किसी जमीन का झगड़ा है, हिस्सा हैं, तो वहां पर अफीम रख दी जायेगी। उसको नाजायज तौर पर गिरफ्तार किया जायेगा। उसमें बचत का कोई रास्ता नहीं, गुंजाइश नहीं। इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो सेण्टर को हमको लिखना चाहिए कि यह इस तरह का कानून है, नाजायज तौर पर इंस्पेक्टर्स हैं, गलत कार्यवाही करते हैं, सीधे-सादे, संभ्रान्त लोगों को फंसाते हैं। यह बुराई हमको मिनिमाइज करनी है। मिटा तो सकते नहीं, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक दूसरे के पूरक हैं। बुराई मिट जाय तो मेरे ख्याल से अच्छाई के मेजरमैण्ट को आपके पास कुछ मिलेगा नहीं। मेरा निवेदन है कि इसको मिनिमाइज किस तरीके से हम कर सकते हैं, यह मिनिमाइज कैसे हो सकती है इस बारे में हम सोचें। वह चाहे विदेशी शराब हो चाहे देशी शराब हो। कई जगह नाजायज शराब घरों में बनती है। वह नाजायज शराब ऐसी हैं जिसको पीने से कई लोग मर जाते है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने मर गये। यह एक व्यवस्था है उसको हम सुधारें। यह हमारी जिम्मेदारी है। आमदनी का जरिया है, ठीक हैं। आज की तारीख में जो भी स्थिति है, ठीक है। लेकिन इसको भी देखें कि मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, कि दुकाने कहां रहें, कि किसी सीमा में बांध सकें, कि लोग दारू का प्रयोग सीमाओं में करें, कि शराब का प्रचलन ज्यादा नहीं

(श्री बंशीलाल पटवा)

बढ़े। नेपाल में आप चले जाइये, मैं वहां रहा हूं 7-8 दिन। वहां दारू का बहुत प्रचलन है, गरीब ज्यादा है लेकिन गुण्डागर्दी, नहीं है। रात को दो बजे घूमा हूं, तीन बजे घूमा हूं और चार बजे भी घूमा हूं। केसीनो देखने भी गया हूं। दारू का खुलकर प्रयोग हो रहा है, और लेकिन गुण्डागर्दी नहीं है। किसी की बहू-बेटी की इज्जत को उछाला नहीं जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है। इस तरह की व्यवस्थ है। क्यों नहीं हम अपने प्रान्त में, अपने देश में इस तरह की व्यवस्था कर सकते है। दारू के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना नाजायज शराब पर हमें रोक लगायें। डिस्टिलरी चलती है, घरेलू डिस्टिलरी। नदी में माण्ड गाड़ देते है। वह सड़ता हैं, भले ही उसमें चूहा चला जाय, और चला जाय। ऐसी शराब से सारा धंधा होता है। इसको देखें। कई मामले हैं लेकिन आप घण्टी बजा देंगे और मुझे सेल्स टैक्स पर भी बोलना है।

जहां बिक्री कर मामला है, मेरा एक ही निवेदन है कि चाहे आक्ट्राय की दरें हों चाहे बिक्री कर की दरें हों, यह केवल राजस्थान में ही है कि आक्ट्राय की दरें म्यूनिसिपलिटीज में अलग-अलग हैं, बाइ-लॉज अलग-अलग हैं, रूल्स अलग अलग है। जिस तरह स्टेट्स में म्यूनिसिपल एक्ट-अलग अलग हैं उसी तरह सेल्स टैक्स की दरें अलग अलगहै। उससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। छोटे-छोटे कपड़े जो बच्चों को पहनाये जाते है उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। जूते-चप्पल के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात कही है। आदिवासी, चमार, रैगर, भील कभी कपड़े नहीं सिलाते। वह 5-7 रुपए में रेडीमेड कपड़ा ले जाते हैं और उससे अपने बच्चे का तन ढक लेते हैं। मेरी तो गुजारिश है, माननीय मुख्य मंत्री जी, प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं हैं, जन-भावनाएं हैं। हालांकि इस एग्जम्पशन के पीछे एक छिद्र बन जायेगा, लेकूना क्रीएट होगा। होगा, होगा। उसको हम रोके, लीकेज को बन्द करने का साधन जुटायें, लेकिन कम से कम इसको तो एग्जम्प्ट करें ताकि गरीबों को तन ढकने का साधन मिले। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि सेल्स टैक्स की दरों में फर्क है, टैक्स की चोरी बराबर हो रही है। कपड़े के छोटे व्यापारी इतनी टैक्स की चोरी नहीं करते जितनी टैक्स की चोरी, मैं आपको बताऊं मेरे जिले उपरमाल में हो रही है। उपरमाल में आप चले जाइये, वहां पर बिजोलियां पत्थर खान सहकारी समिति की आढ़त के नाम से बिक्री होती है, वह बिल काटती हैं। जितनी खानें चल रही हैं वहां से पट्टी और फर्शी निकाली जाती है। वहां पट्टी और फर्शी का एक ट्रक बारह हजार का बनता है। 12 हजार का ट्रक और बिल काटा जाता है दो हजार का, ढाई हजार का। चार रुपएं से छः रुपए तक उसकी रेट है। इस तरह से आप सारा कैलकुलेट करें, मान्यवर, वर्तमान में उसकी कीमत है 12 रुपए प्रति क्विण्टल और कर रहे हैं चार रुपए, छः रुपएं। एक ट्रक में 12 हजार का माल आता है; 12 हजार के सेल्स टैक्स की बजाय ढाई हजार का, दो हजार का बिल बनता है। उसमें एक हजार रुपए के टैक्स की चोरी प्रतिदिन एक ट्रक पर हो रही है। इस

(श्री बंशीलाल पटवा)

तरह से आप केलकुलेट करते जाइये, लम्बी-चौडी बात मैं नहीं करना चाहता लेकिन लम्पसम करीब सात करोड़ बीस लाख की की चोरी प्रति वर्ष है। करोड़ों रुपए के सेल्स टैक्स की चोरी ऊपर माल में इस लिए हो रही है कि सेल्स टैक्स के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। मेरा निवेदन है कि प्रथम बिन्दु पर, जिसने लाइसेंस ले रखा है, उनसे क्यों नहीं सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। एक पत्थर खान सहकारी समिति की आढ़त के नाम से अधिकांश बिल बने हैं, ठेकेदार की मार्फत कोई बिल नहीं बनता। भूतपूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर का नाम लेकर कहना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में प्रति वर्ष सात करोड़ बीस लाख के सेल्स टैक्स की चोरी निरन्तर हो रही है यह सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जो आढ़त की मार्फत धंधा करती है, बिचौलिये का काम करती है, जो करप्ट प्रेक्टिस फैला रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। इस तरह से टैक्स की जो चोरी हो रही है उसको आप रोकें। इसी तरह मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी की कई ऐसी चीजें हैं जिनकी दरों में सन्तुलन नहीं हैं, जिनके कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। कई प्रकार के एग्जम्प्शन ऐसे हैं जो आप आवट्राय की दृष्टि से दे देते हैं। हर कर्मचारी के बारे में नहीं कहता, हर सेक्टर में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन नीचे बैठा हुआ आदमी, टाइम पर यदि एग्जम्प्शन दिया जाता है तो इस तरह से वह मेनिपुलेशन करता है पैरा लिखने में, कागज लिखने में, कि उसका स्वरूप बड़ा व्यापक लगता है। मैं आपको बताऊं आसाम से धागा आता है। आसाम से सिंथेटिक्स के लिए धागा आता है, दूसरे कामों के लिए धागा आता है। आसाम की गवर्नमैण्ट टैक्स एग्जम्प्ट करती है अपनी टेरिटरी के अन्दर, लेकिन मेलिपुल्लेशन करके उस टैक्स एग्म्प्शन का फायदा राजस्थान में बराबर उठाया जा रहा है। मान लीजिए, अजमेर में माल आया है, अजमेर की बिल्टी बनी हुई है तो सेल्स इफैक्ट तो वहां हो गया। लेकिन वह धागा केवल कुर्ता बनाने के लिए नहीं आया, वह कपड़ा बनाने के लिए आया है। कपड़ा बनकर जब बाजार में जाता है तो उसका सेल्स टैक्स बनता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लिया जाना चाहिए। कई लीकेज हैं सेल्स टैक्स में।

राजस्थान में ऐसी बड़ी-बड़ी फर्में हैं जे के. सैंथेटिक्स है जिसमें 2 करोड़ 80 लाख रुपया बकाया है और इसी तरह से किसी में। किसी में 10 लाख, किसी में 30 लाख किसी में लाख यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से है, उनकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम सब समतावादी समाज की बात करते हैं परन्तु जब तक इस तरह के अधिकारी बैठे हुए है उन को जब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, काम्पीटेंटनहीं बनाया जाएगा, इनकी सर्विस मैं बैड रिमार्क नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि

(श्री बंशीलाल पटवा)

सारे अधिकारी ऐसे हैं किन्तु जो इस तरह के हैं, उन पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा ।

सेल टैक्स के लिए दूसरी स्टेट्स में और हमारी स्टेट में संतुलन बिठाना पड़ेगा और हमने यदि टैक्स में थोड़ी सी कमी की, मेरी व्यक्तिगत राय है कि टैक्स में यदि कमी की तो व्यापार भी बढ़ेगा और टैक्स की चोरी कम होगी । चोरी कम होगी तो मैं सोचता हूं कि इसमें आमदनी ज्यादा होगी । तो यह जो मैंने बात अपने विचार से कही है उसमें सुधार किया जाए, लीकेज बंद किया जाए और आबकारी वाले मामले में भी सुधार किया जाए इतना ही कहते हुए मैं दोनों मांगों का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्न सिंह जी ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में बोल लूंगा । जो हमारे दल के आदिवासी सदस्य हैं श्री दयाराम परमार....

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दयाराम परमार ।

**श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या–13 आबकारी पर चर्चा हो रही है । उस चर्चा में भाग लेते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की नशा बंदी की जो नीति है वह नीति न तो शराब बंद करने की है और न ही शराब चालू रखने की है । हमने इसको कानूनी रूप से तो कह दिया कि शराब बंद कर दी है पर दूसरी तरफ ठेकेदारों को ठेका देकर के शराब की बिक्री कर रहे हैं । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि शराब पीने वाले तो कम हो गए और नहीं पीने वालों की संख्या बढ़ गई । हम यह तो जानते हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति यों समझिए कि 90 पर्सेन्ट आदमी शराब पीते हैं और जब इतने आदमी शराब पीते हैं और शराब बिकती है और वह इस तरह से बिकती है कि ठेकेदार मनमर्जी से जो भी पैसा चाहे ले ले फिर सरकार किस तरह से नागरिकों की भलाई का काम करना चाहती है यह सोचना चाहिए । अंग्रेजी शराब के अलावा देशी शराब के ठेके भी हैं वह शराब भी बिकती है ।

मैं तो जिस एरिए से आया हूं और जिस समुदाय से आया हूं उनकी समस्याओं के बारे में जिक्र करना अधिक उचित समझता हूं ।

(4.45 म.प)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं ट्राइबल एरिए से आता हूं और ट्राइबल की संस्कृति से आप वाकिफ नहीं होंगे । माननीय मंत्री महोदया भी हमारी ट्राइबल संस्कृति से वाकिफ नहीं है कि हमारी संस्कृति में क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं ? आप सबको थोड़ा ज्ञान कम है । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ट्राइबल समुदाय में चाहे आप उसको संस्कृति मानो, आदत मानों या बुरी आदत मानो

(श्री दयाराम परमार)

लेकिन निश्चित रूप से शराब पीना एक रिवाज के रूप में चल रहा है और वह भी वर्षों से चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शराब ठेके की 105/– रुपये की बोतल हमारा आदिवासी नहीं खरीदता है। 40/–रुपये देशी बोतल की शराब हमारा आदिवासी नहीं खरीद पाएगा। हम लोग महुआ ...

श्री सम्पत सिंह (नगर) : महुआ में सस्ती मिलती है।

श्री दयाराम परमार : महुआ, आपका दूर है। हम लोग महुआ के नहीं हम महुए की दारू निकाल कर पीते हैं। हम महुआ फल की दारू निकालकर पीते हैं जो करीब 5/-रुपये की एक बोतल पड़ती है। वह दारू हमको बनाने में भी तकलीफ नहीं और उसको बनाकर पीने में भी तकलीफ नहीं। लेकिन सरकार की नशाबंदी नीति के कारण एक्साइज डिपार्टमेंट तो हमारे खिलाफ कार्यवाही करता ही है लेकिन इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट को और अधिकार दे रखा है कि वह भी कार्यवाही करे। पुलिस विभाग का सिपाही हमारे पास आएगा तो दारू फ्री पी जाएगा, एक-दो डण्डे भी लगा जाएगा, केस भी बना देगा और पैसे भी ले जाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करता चाहता हूं कि यदि हम शराब पीना आदिवासियों की संस्कृति का अंग मानते हैं तो निश्चित रूप से हमें महुए की दारू बनाकर पीने की छूट दी जानी चाहिए। यदि हम इनको छूट नहीं देते हैं तो आज हजारों आदिवासियों पर हजारों आदिवासियों पर अदालत में केस चल रहे हैं और दसों साल तक उनका फैसला नहीं होता है। वकीलों के पीछे घूमते हैं, कोर्ट में जाते हैं, आते हैं और वह बर्बाद होते हैं। मैं आपको एक बात निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा एक आदिवासी दूसरे के घर मेहमान बनकर जाएगा और अगर हमने उसको बढ़िया खाना खिला दिया तो उसकी कोई वकत नहीं लेकिन यदि हमने उसको दो घूंट दारू नहीं पिलाई तो वह अपनी खातिर तवज्जोह नहीं मानता है। तो उसकी खातिर तवज्जोह के लिए हमें उसको दो घूंट दारू पिलाना निश्चित रूप से आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य : महुए की दारू आपको ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको ट्रेडिशन आफ कस्टम मालूम पड़ रहे हैं। कृपया शांति से सुनें, हकीकत बयान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, अगर हमारा समाज उस दारू को उस रूप में असेप्ट कर चुका है कि अगर मेहमान आ जाए तो शादी हो तो और अगर कोई मर जाता है तो वहां भी दो बोतल दारू पिलाने की जरूरत समझी जाती है। तो समाज उसको असेप्ट कर चुका है और सरकार उसको यह कहे कि यह नशाबन्दी है। और नशाबंदी करके हमको सब तरह से परेशान किया जावे तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

(155)



(श्री दयाराम परमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह सोचती है कि हमको नशाबंदी करनी है तो हमारा महुए का जिससे हम शराब बनाते हैं महुआ राजस्थान में कहीं नहीं होता। महुआ गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और वहां से हजारों मन, लाखों मन आकर एक-एक व्यापारी के पास 10-10 लाख रुपये का महुआ का स्टाक होता है और बाजार में खुले आम बिकता है। जब आप यह जानते हो कि उससे शराब बनती है तो आप उसको गुजरात व मध्यप्रदेश से आने पर क्यों नहीं रोकते हो ? वहां से आकर, शराब बिकती है व्यापारी उसको बेचता है और वह आदमी उसको ले करके शराब बनाता है। अगर हमारी हकीकत में शराब बन्द करने की नीति है तो उस आने वाले महुए को आने से रोक दीजिए ताकि महुआ मिलेगी नहीं और आदमी शराब बनायेगा नहीं। गुजरात प्रदेश में महुआ पैदा होता है और वहां अप्रैल से लेकर 15 मई तक कोई भी व्यापारी अपने पास महुआ नहीं रख सकता। खरीदता है और उसके बाद 15 मई के बाद उसको अपनी दूकान से बाहर भेज देना पड़ेगा अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसकी नशाबन्दी है तो वह महुआ पास में ही नहीं रखने देते और हमारे यहां नशाबन्दी है तो हम ला करके महुए की व्यापार करवा रहे हैं और जब उसकी शराब बनती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सरकार को हमारे ट्राइबल एरिए की नशाबन्दी के मामले में गम्भीरता से सोचना चाहिए अगर बन्द कर देना है तो बाहर से आने वाला महुआ जो रा-मेटेरियल है उसको रोक दिया जावे और बन्द नहीं करना है तो उसको पीने के लिए छूट दे दी जावे, यही बात मुझे आपसे निवेदन करनी थी। मुझे आपने समय दिया, धन्यवाद।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि मांग संख्या 14 बिक्री कर और मांग संख्या 13 आबकारी के ऊपर विचार और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री रामस्वरूप।

**मांग सं. 13 एवं 14 पर विचार**

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : सभापति महोदय,....

**श्री सभापति** : माननीय रामस्वरूप, जनता दल । (अनुपस्थित)

माननीय श्री फूलचंद गुर्जर । (अनुपस्थित)

श्रीमती तारा भण्डारी ।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में आबकारी विभाग की मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं और वह भी हमारी एक महिला मंत्री जी के द्वारा यह भी एक संयोग है। माननीय सभापति महोदय, मैं भी राजस्थान से सुदूर इलाकों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं की पीड़ा को इस सदन में व्यक्त करना चाहती हूं । सभापति महोदय, राजस्थान की गरीब ग्रामीण महिलाओं की तकदीर मे पेट भर भोजन तो नही हैं, उनकी तकदीर में तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र तो नहीं है परन्तु सभापति महोदय, दारु के नशे में द्रुत गति द्वारा दी जाने वाली पीड़ायें, दी जाने वाली यातनायें भरपूर हैं।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : इसकी खिलाफत करो ।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : खिलाफत कर रही हूं । सभापति महोदय, पिछली सरकार हमारे राजस्थान प्रांत के गांवों को बिजली तो नहीं दे पाई, गांव में एक स्कूल तक नहीं खोल पाई, प्रत्येक गांव में स्वास्थ केन्द्र भी नहीं खोल पाई, प्रत्येक गांव में पेयजल की सुविधा नहीं कर पाई परंतु समापति महोदय, राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी और हाईवे पर चलने वाले हर ढावे पर दारू जरूर उपलब्ध करवा पाई है । यह बड़े खेद का विषय है कि ठेकेदारों को जो राजस्थान सरकार ठेके देती है उससे इनकी मोनोपोली एवं भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है । वह लोग मिलावट करके मनमाने दाम वसूल करके भारी भ्रष्टाचार करते हैं साथ ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी चौथ वसूल करने के चक्कर में इनको बढ़ावा देते हैं । यह ठेकेदार अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करते हैं । सभापति महोदय, ठेकेदारों ने नियमों को ताक में रखकर लाइसेंसों से अधिक अपनी दुकानें खोल रखी हैं। यह ठेकेदार अवैध दुकानों को खोलते ही हैं साथ में उस नगर पालिका क्षेत्र अथवा उस ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली पंचायत को नियमों में प्रावधान होते हुए भी आक्ट्रोय नहीं देते और आक्ट्रोय की भारी चोरी करते हैं । सभापति महोदय, यह शराब की दुकानें खोलने के समय किसी भी प्रकार से किसी भी नियम की पालना नहीं की जाती है । कहीं तो यह शराब की दुकान मन्दिर के पास में है, कहीं यह दुकान स्कूल के पास में है या कहीं राशन की दुकान के पास है या पनघट के पास में है इस बात का कतई विचार नहीं करके ठेकेदारों ने सार्वजनिक स्थानों पर मनमानी से अपनी दुकानें खोल रखी हैं । इस प्रकार की दुकानों के लिये प्रायः जनता ने भी कई बार शिकायतें की हैं लेकिन कमीशनखोरी में पड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी इस सम्बन्ध में न कोई कार्यवाही कर सके हैं न ही उन्होंने कोई कड़ा कदम उठाया है । सिरोही जिला राजस्थान के बोर्डर पर है वहां पर गुजरात में पूर्णतः शराबबन्दी होने के कारण हमारे यहां ठेकेदार सारी शराब को

(श्रीमती तारा भंडारी)

तस्करी करते हैं और अवैध आय करके नुकसान करते हैं। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इस दिशा में उन समस्त दुकानों का सर्वेक्षण करवाया जाए और जो अवैध दुकानें हैं, सार्वजनिक स्थानों के पास हैं और उन सीमा चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जावे जहां से यह तस्करी होती है। महोदय, अवैध शराब निकालने वालों ने भी इसे कुटीर उद्योग का रूप दे दिया है। इससे भी ठेकेदारों और इन अवैध शराब निकालने वालोंमें प्रायः ही झगड़े होते हैं और इनमें आपसी मनमुटाव रहता है। इनके आपसी मनमुटाव और रोष के कारण कई बार भारी झगड़ा फसाद हो जाता है और पिछले दिनों जो राजस्थान में मण्डावरी काण्ड हुआ है वह इसका ताजा उदाहरण है। अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी स्वार्थ के करण अवैध शराब निकालने वालों को बल मिला है और इसके बुरे नतीजे भी हम कई बार भोग चुके हैं। कई बार जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे शराब में जन्तु पड़ जाने से शराब जहरीली हो जाती है और उस जहरीली शराब से अनेकों मौतें हुई हैं। सभापति महोदय, इस अवैध धन्धे में रुकावट डालने वाले ईमानदारों अफसरों को भी कई बार सजा भुगतनी पड़ी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे सिरोही में एक आबकारी इन्सपैक्टर थे स्वर्गीय अर्जुन लाल। उनकी ईमानदारी के कारण उनकी पोस्टिंग बांसवाड़ा में की गई। लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारियों को उनके वहां रहने से उनके निजी स्वार्थों को आघात पहुंचा था। इसलिये अर्जुन लाल को बांसवाड़ा जाने के दूसरे ही दिन, ड्यूटी ज्वाईन करने के दूसरे ही दिन एक षडयंत्र में फंसाकर उसकी हत्या करवा दी गई। सभापति महोदय, आज अर्जुन लाल के दुधमुंहे बच्चे और उसकी विधवा पिछली सरकार की इस नाकाम हरकत के कारण आज भी सरकार को कोसते हुए अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं ....

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : आप शराबबन्दी की मांग करो।

**श्रीमती तारा भण्डारी** : कर रही हूं। सुनो तो सही।

सभापति महोदय, शराब के अवैध केस पकड़ने की भी मात्र खानापूर्ति की जाती है और टार्गेट एचीव करने के लिये खानापूर्ति करने के लिये गरीब आदिवासियों को फंसाया जाता है। उनको थाने में बुलाकर के बन्द करके मारपीट की जाती है। उन्हें अमानवीय यातनायें भी दी जाती हैं। आज सैकड़ों आदिवासी अपनी गरीबी से तो तकलीफ में हैं ही लेकिन इन कोर्ट के चक्करों में बर्बाद हो चुके हैं। उनके साथ बड़ा मजाक होता है। जबकि बेईमानी करने वाला ठेकेदार प्रभावशाली होने के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा यह सुझाव है कि बड़े-बड़े ठेकेदार जो शराब में मिलावट करने के लिए और दो नम्बर की कमाई करने के लिए जो अवैध भट्टियां स्वयं चलवाते हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जावे तथा ऐसे लोगों को दण्डित किया जावे। महोदय, यह कटु सत्य है कि राजस्थान के राजस्व में आबकारी आय का बड़ा भारी भाग है। मैं यह भी समझती हूं कि सरकार को जब तक इस आय का कोई विकल्प नहीं मिलेगा, पूर्ण शराबबन्दी करने

(158)



(श्रीमती तारा भण्डारी)

में असमर्थ रहेंगी। परन्तु सभापति महोदय, यह राज्य सरकार और माननीय सदस्यों के लिये भी चिन्तन का विषय है कि विनाश की जड़ें गहरी करके, जो आय आज हम कर रहे हैं उससे हम विकास के कितने सोपान चढ़ जायेंगे हम कब तक लोगों के स्वास्थय की कीमत पर इस आय को प्राथमिकता देते रहेंगे। मैं समझती हूं कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार शराब खोरी को बढ़ावा देना पसन्द नहीं करेगी। सभापति महोदय, केवल शराब की बोतलों पर शराब पीना हानिकारक है लिख देने से, या लेबल लगाने से नहीं चलेगा हमें इसके लिये उचित प्रयास करने होंगे। हमें शराब बन्दी लागू करने के लिये पहले जनजागरण हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं एवं धर्म गुरुओं का भी सहयोग लेना पड़ेगा। महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सरकार पूर्ण शराब बन्दी करने पर संवेदनशील पूर्वक विचार करें और एक टाईम बाऊंड प्रोग्राम बना कर के समयबद्ध कार्यक्रम तय करके इस नीति को लागू करने में अपना कदम उठाएं। सभापति महोदय, आप घण्टी तो बजा चुके हैं पर दो मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगी।

सभापति महोदय, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी रोष है। यहां तक कि उनके सर्विस रिकार्ड और वरीयता सूची भी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण कई योग्य पात्रों को अपनी पदोन्नति का अवसर खो जाने के कारण कोर्ट में शरण लेनी पड़ी है। इस प्रकार के जो योग्य-पात्र हैं उनकी अपनी वरीयता में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलने के कारण उनमें बड़ा भारी रोष है। मैं तो कहूंगी कि इन लोगों के सर्विस रेकार्ड तक गायब हैं। इस बात के लिये मैं मंत्री महोदया को भी निवेदन करना चाहती हूं कि आबकारी विभाग में काम करने वाले सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं, सारे अधिकारी बेईमान नहीं हैं। जो योग्य हैं उनकी आप वरीयता सूची की जाँच करवायें, सर्विस रेकार्ड तलब करवाएँ और जो योग्य पात्र हैं उनको पदोन्नति देकर न्याय करें।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बिक्री कर नीति के सम्बन्ध में जो नीति तय की है, जो छूट दी है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि हमारे वित्त मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी ने 20 रुपये तक के कपड़े पर टैक्स की छूट की थी उसे वापस लगा दिया गया है। इस बारे में मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, 20 रुपये तक का रेडिमेड वस्त्र पहनता है हमारा आदिवासी भाई, या पहनता है हमारा मजदूर भाई या वह बालक जो गांव में शिक्षण पाता है, गांव की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ता है वही लोग इस सस्ते कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और इस टैक्स का उन्हीं लोगों पर सारा भार पड़ने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने गरीब को गणेश मानकर अपना कार्य प्रारम्भ करने की नीति तय की है, उसी नीति के अन्तर्गत यह जो 20 रुपये के कपड़े पर लगने वाला टैक्स है वह गांव के गरीबों के ऊपर ही भार पड़ेगा। इसलिये इस पर एक बार पुनर्विचार कर यदि

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कर माफी दी गई तो हमारे गांव के गरीब बड़े आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो जनता पार्टी के राज में आमरण अनशन करने वाली थीं शराब बन्दी की मांग पर।

श्रीमती तारा भण्डारी : अभी भी कर देंगे जरूरत पड़ी तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो शराब पीने की मांग कर रहे हैं कि कुछ तो छूट देनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे तो शराब की बात से ही नशा आ रहा है। मैं शराब पीता नहीं हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने स्थान से बोलें ... (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री कर के सम्बन्ध में अन्य सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। यह बात सही है कि राजस्थान के अन्य विभागों के मुकाबले में सैलस टैक्स विभाग का अपने आपके अन्दर अच्छा स्तर रहा है। राजस्थान के अन्दर सैलस टैक्स डिपार्टमेन्ट की हमेशा एक उपलब्धि रही है और उसके बारे में जन-मानस में और जनता तक में यह बात बहुत कम उजागर सामने हुई है जिसके अन्दर बहुत बड़ा घपला कहीं हुआ हो। फिर भी मैं यह मानता हूं कि सैलस टैक्स के अन्दर नीचे के स्तर पर थोड़ी और सख्ती की आवश्यकता है ताकि अपने राज्य के खजाने के पैसे का दुरूपयोग न हो और उसके अन्दर मोनीटरिंग की बहुत आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में कई बार इस प्रकार के मसले उठ चुके हैं और कई बार चर्चा में यह मामले आ चुके हैं कि मनोरंजन कर की राशि जो सिनेमाओं से वसूल की जाती है वह राशि नगरपालिकाओं को दी जानी चाहिए। यह मामले कई बार सदन के अन्दर दोनों ही तरफ के सदस्यों ने उठाये हैं। यह भी प्रश्न आया कि जिस नगर पालिका क्षेत्र में जो भी सिनेमा चलते हैं उन सिनेमाओं के मनोरंजन कर की राशि उसे नहीं मिलती है तो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती है राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक होगा। अगर हम आज नगरपालिकाओं की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो यह आवश्यक कदम होगा कि वहां पर चलने वाले सिनेमाओं के मनोरंजन कर की राशि वहां की नगर पालिकाओं को दी जाए तो मैं सोचता हूं कि सार्वजनिक तौर पर राजस्थान विधान सभा के जीत कर आये एम. एल. एज पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की नगर पालिकाओं की स्थिति सुधरे, वहां के कर्मचारियों को सही समय पर तनख्वाहें मिल पाएं और वहां का विकास हो सके। यह तभी सम्भव होगा जब मनोरंजन कर की राशि नगरपालिकाओं को देंगे। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान सरकार इसको गंभीरता से लेगी।

(160)



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं माननीय श्री भैरोंसिंह जी व उनकी सरकार जब-जब राजस्थान में कोई मुद्दा आया है सामने उसमें हमेशा सैल्स टैक्स को माफ करने की बात कई बार उठी। सैल्स टैक्स पूरा माफ करके तो राजस्थान सरकार के खजाने को खाली नहीं किया जा सकता है, राजस्थान सरकार चल नहीं सकती है। यह बात सही है कि इसके अन्दर कठिन समस्या हमारे सामने है चाहे इधर बैठने वाले लोग हों या उधर के, गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक आप इसे उत्पादन शुल्क के रूप में नहीं बदलेंगे तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पायेगा। जहां किसी चीज का उत्पादन होता है अगर वहीं पर उसका टैक्स लग जाए तो राजस्थान सरकार को पैसा भी आ जायेगा, पैसा वसूल भी हो जायेगा और राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति के अन्दर भी कोई फर्क नहीं आएगा।

मेरा यह मानना है, खास तौर से बी. जे. पी. के माननीय सदस्यों ने हमेशा यह मामला उठाया है चाहे हमारी सरकार रही हो उस समय यह भी उठाया है और आज उनके सामने यह प्रश्न अपने आप होना चाहिए कि जिस बात को वह उठाते रहे हैं सैल्स टैक्स को उत्पादन शुल्क के रूप में बदलने के सम्बन्ध में। मैं सोचता हूं कि होने वाली चोरियों को रोकने में महत्वपूर्ण बात साबित करेंगे तो ठीक बात हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने रेडिमेड कपड़ों के सम्बन्ध में बात कही। रेडिमेड कपड़ा आज बाजार में जाते हैं, 20 रुपये का कोई कपड़ा मिलता है क्या? कोई चीज बाजार में, आज रुमाल खरीदने के लिए बाजार के अन्दर जायं तो 10-15 रुपये से कम नहीं मिलता है। आज इस प्रकार के हालात हैं ....

**श्री सम्पत सिंह :** रुमाल ?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** मेरे ख्याल ने खरीदा नहीं आपने।

**श्री सम्पत सिंह :** यह तो यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। यह तो यूथ कांग्रेस के जमाने की बात है।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** बहुत पुरानी हो गई बात। अब तो रेट बहुत बढ़ गई है।

आज हालात यह है कि 20 रुपए के अन्दर कोई कपड़ा उपलब्ध नहीं होता है। 20 रुपए का रेडिमेड कपड़ा, मेरे कहने का मतलब यह है कि 20 रुपये के कपड़े पर जो टैक्स लगाया गया है इसकी सीमा हमको कम से कम 50 रुपए तक बढ़ानी चाहिए। 50 रुपए तक की रेडिमेड कपड़े की वस्तु जो कम से कम साधारण तबके के गरीब आदमी, जो गांवों में रहते हैं, जो दूरदराज के एरिया में रहते हैं, उनको छूट नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि निर्धनों और गरीबों को बहुत बड़ा न्याय देने वाले नहीं हैं।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि 30 रुपये ही नहीं बल्कि 50 रुपये तक के रेडिमेड कपड़े पर टैक्स माफ करना चाहिए ताकि हम सही मायने में गरीबों के मसीहा, गरीबों के हित की बात सोचने वाले हैं। एक तरफ हम सिल्क पर, सिल्क की साड़ियों पर टैक्स माफ कर रहे हैं, सिल्क की साड़ियां कौन पहनता है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उन पर तो आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं और साधारण व्यक्ति के, गरीब आदमी के काम में आने वाली चीज पर आप टैक्स लगा रहे है। एक तरफ हम ऐसी चीज पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम माफ कर रहे हैं। इन सब बातों से साबित होता है कि जयपुर के या राजस्थान के व्यापारियों की मदद कर रहे हैं जो बैंगलोर से सिल्क लाकर प्रिंटिंग का काम भी करते हैं और यहां बाजार में बेचते हैं। सिल्क की खपत राजस्थान में कई जगहों पर है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 रुपये के रेडिमेड कपड़े पर टैक्स माफ कर देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सवाल आबकारी के सम्बन्ध में आपके सामने रखना चाहता हूं प्रश्न इस बात का है कि पहले हमारी आबकारी नीति क्या हो? इस बारे में गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। क्या आप बड़े ठेकेदारों को बढ़ावा देने की नीति रखेंगे या छोटे ठेकेदारों को बढ़ावा देने की सोचेंगे? इन दोनों बातों पर राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण साफ नहीं होगा तब तक इस नीति के ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत में नहीं समझता हूं आज हम देखते हैं कि राजस्थान के सभी जिलों के अन्दर, हर जिले के अन्दर ठेकेदार या उनके ग्रुप या पार्टनरशिप के माध्यम से जो ठेकेदार बैठे हैं और एक मोनोपोली है और उसका नतीजा क्या है कि आज पूरे जयपुर शहर और राजस्थान के किसी कौने में आप जाइये शराब के भाव मुंहबायें चल रहे हैं। अपनी मर्जी से ठेकेदार जो रेट लेना चाहता है वह लगा देता है। उस और कोई नियन्त्रण नहीं है राजस्थान सरकार आज कोई ठेका देती हैं आपकी तो कम से कम ठेके के साथ साथ यह भी फैसला करना चाहिए कि आपकी शराब बेचने की रेट यह होगी चाहे आप आज जो रेट है उससे बढ़ाकर रेट लगायें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कम से कम राजस्थान सरकार के खजाने में तो पैसा आयेगा। शराब पीने वाला तो शराब लेगा उसको पांच रुपए बढ़ जाने के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शराब पीने वाला शराब लेगा ऐसी स्थिति में आपने यह मोनोपोली बिजनस ठेकेदारों को देकर सही मायने में आप उनके तो पेट भर ही रहे हैं, उनको धनाढ्य बना रहे हैं लेकिन राजस्थान की जनता जो शराब के कन्जूमर हैं उनके ऊपर सही मायने में भार लाद रहे हैं। इसलिए आपको नई कोई पालिसी डिक्लेयर करें कम से कम उसके अन्दर आप एक बार फैसला करें कि इस रेट से ज्यादा कोई भी शराब की बोतलों के ऊपर रेट नहीं लगायेगा। आप जब तक यह फैसला नहीं करेंगे तब तक यह काम चलने वाला नहीं है और दूसरा फैसला राज्य सरकार को यह करना है कि वह

162



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर देना चाहती है या बड़े-बड़े ग्रुप बनाकर देना चाहती है। आज उसमें भी एक मोनोपाली बन गई है बड़े जो साधन सम्पन्न लोग हैं या ज्यादा जिनके पास नम्बर दो का पैसा है वह सही मायने में ज्यादा इस बिजनस के अन्दर कब्जा करते जा रहे हैं ऐसी स्थिति के अन्दर आप अपनी नीति को स्पष्ट करें कि आप आगे क्या करने वाले हैं। इस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि अगर छोटे-छोटे ग्रुप में करेंगे तो ज्यादा लोग इसमें कर पायेंगे। आपको भी कम्पीटीशन में पैसा ज्यादा मिलेगा यही मेरा मानना है कि कम्पीटीशन में पैसा ज्यादा मिलेगा। अभी-अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने कुछ विचार रखे। मैं उनसे नाइत्तफाकी तो नहीं करना चाहता। कुछ मुद्दों पर, उन्हीं विषय पर बात करना चाहता हूं। वह कह रही थी कि आज यहां पर कच्ची भट्टियां बहुत चल रही हैं। नाजायज शराब बहुत चल रही है। बेसिक मुद्दों को राजस्थान सरकार को समझने की आवश्यकता है। आज क्या है कि नाजायज शराब राजस्थान के गांव-गांव में बन रही है उसको रोकने का क्या प्रयत्न किया आपने ? इसको गम्भीरता से लिया क्या ? आज हालत यह है कि आपके जो भी आबकारी निरीक्षण के जो धावे बोलते हैं कितने बोलते हैं अगर ठेकेदार से वहां का इंस्पेक्टर मिला हुआ है तो धावा बोलता है अगर ठेकेदार से मिला हुआ नहीं है तो नहीं लगता। ठेकेदार ने उसको पैसा दो नम्बर का दे दिया तो वहां धावे मारने जाते हैं नहीं तो नहीं मारने जाते। आज हालत यह है कि एक तरफ ठेकेदार पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो दो नम्बर अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है और वह वहां पर जाते नहीं हैं। इसके लिए आपके पास न कोई विकल्प है न कोई साधन है न उसके पास गाड़ियां हैं। वह भी ठेकेदार की ही इस्तेमाल होती है। उसके अन्दर नतीजा यह होता है कि इसमें इस तरह से चलती है तो यह गलत काम भी होता है कुछ नाजायज मारे भी जाते हैं उनके चोटें भी आती हैं उसमें कई बार शरीफ आदमी भी मरे जाते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर आवश्यकता यह है कि इसको गम्भीरता से लेकर, आबकारी के धावे बोलने की नीति को भी राज्य स्तर के ऊपर बहुत गम्भीरता से डिपार्टमेंट को लेने की आवश्यकता है कि उनके पास पूरे साधन हो और वह अपनी तरफ से इंडिपेंन्डेंट तौर पर यह नहीं समझें कि जैसा आज की तारीख में राजस्थान में हो रहा है ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग पूरा ठेकेदारों के हाथ में सुपुर्द कर दिया। ठेकेदार जहां ले जाना चाहते हैं चले जाते हैं जहां नहीं ले जाना चाहते नहीं जाते हैं पर उनकी जो सहूलियत होती है उसी आधार पर चलती है। ऐसी स्थिति में इसको आप जब तक उनकी स्थिति नहीं बनायेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। दूसरा मुझे यह कहना है कि खास तौर से आप एक तरफ कच्ची भट्टियों की बात और नाजायज शराब की बात करें तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार को सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि राजस्थान सरकार को अपनी एजेंसीज को सुदृढ़ करना होगा अब गंगानगर शुगर मिल की क्या हालत है। गंगानगर शुगर मिल जो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

अपना प्रोडेक्शन कर रही है उसके अन्दर कितनी कमियां हैं। इसको कभी गम्भीरता से लिया है ? आज हालत यह है कि उनके पैंकिग सही नहीं लगते आज पैंकिग नहीं लगते हैं तो ठेकेदार उसके अन्दर मिलावट करता है। आज दूसरी तरफ जो पैंकिग उसके मुकाबले में गंगानगर शुगर मिल का आप मुकाबला करिए आज उसके पेकिंग बिल्कुल इस प्रकार के हैं कि जैसे कोई पैंकिग हुआ ही नहीं और उसका नतीजा क्या है कि उसके अन्दर दूसरी शराब या पानी मिलाकर लोग बेचते हैं। यह हालत किसने की हमारी गंगानगर शुगर मिल की। प्रोडेक्शन की जो स्थिति है उसके अन्दर पैंकिग सिस्टम है वह बिल्कुल बेकार हो चुका है उसको बहुत सुधारने की आवश्यकता है बल्कि यह भी आपको आवश्यकता है कि आज आप देखेंगे, कई मोहल्लों के अन्दर जो गरीब लोग मर रहे हैं उसके अन्दर एक मुख्य कारण यह भी है कि आपके गंगानगर शुगर मिल की बोतलें कभी साफ तक नहीं होती उसमें कीड़े मकोड़े तक मिलेंगे गन्दगी मिलेगी और हालत यह है कि चूहे की मींगणियां तक बोतलों के अन्दर मिल जाती हैं। अनुभव तो इसमें मेरा नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि यह जानकारी जरूरी है। .. (व्यवधान)

मैं बड़ा गम्भीर मामला बता रहा हूं। इन्होंने क्वालिटी उसकी गिराई है और उसका नतीजा यह हो रहा है। मामला काफी गम्भीर है क्या किया इस बात पर चलेंगे तो अपन सभी एक दूसरे से नंगे हो जायेंगे। बहुत लोगों से अपने फैसले हो जायेंगे आपस में इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति के अन्दर पैंकिग सिस्टम को आपको सुधारना चाहिए वहां की पूरी सफाई बोतलों की हो इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गलत चीज बाजार में नहीं जाये। एक मामला और कई बार इस विधान सभा में उठ चुका और कई बार चर्चा में आता है कि शराब के ठेकेदार खुली बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं इसकी गम्भीरता में कभी सोचा है, आपने इसलिए बेच रहे हैं कि जिसको बोतल पूरी नहीं चाहिए, उसको आधा चाहिये, क्वाटर चाहिए उस स्थिति में आपके आपके पास बोतल के अलावा कन्ट्रीलीकर है नहीं। गंगानगर शुगर मिल्स केवल आपकी बोतल बनाती है तो जो साधारण आदमी जो गांव में बैठा है उसको यदि एक चौथाई हिस्सा ही चाहिए तो उसको वह नहीं मिलता। अतः मजबूरी के अन्दर बोतल खोल कर उसको हिस्सा करके देना पड़ता है। यह जो नैतिक आवश्यकता है अगर इसकी गम्भीरता में नहीं जायेंगे तो यह अनियमिततायें होती रहेंगी फिर आपको पाबन्दी लगा देनी चाहिये कि आप खुली नहीं बेचें। यह खास तौर से मामले हैं और इसी प्रकार मैं आपसे आबकारी मन्त्री यह भी पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में बीयर के भाव क्यों बढ़े हुए हैं हरियाणा दिल्ली और आस पास में वहां आप जाइये, राजस्थान के अन्दर ही इसके भाव ज्यादा क्यों हैं। इसका कभी अन्तर आपस में किया क्या ? कितना अन्तर है राजस्थान और हरियाणा के अन्दर। हरियाणा, दिल्ली के अन्दर राजस्थान का बहुत अन्तर है यह अपने यहां यह क्यों है इसका कारण है इसको भी गम्भीरता से सोचना चाहिए।

(166)



(जनार्दनसिंह गहलौत)

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जैसे मैंने अभी जिक्र किया था आबकारी धावों की बात। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला कर रखा है। इनके निरीक्षण का काम पुलिस को सुपुर्द कर रखा है। कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसके अन्दर पुलिस को अधिकार दे रखे हैं। अगर राजस्थान का आबकारी विभाग इसके अन्दर असक्षम है तो आपको पुलिस को सोंप देना चाहिए। वैसे भी पुलिस का और इसका तो मिला जुला काम है और पुलिस वाला हर गांव में बैठा है। इन आबकारी के छापे मारने के लिए भी पुलिस के सहयोग के साथ, पुलिस को एक्ट में कोई परिवर्तन करना पड़े तो यह भी आप सोच सकते हैं मेरा एक सुझाव है। यह नहीं है कि आपके जो मन आये वह करें आपको इन दोनों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि इसके अन्दर दोनों में फायदा क्या है। सरकार का इन्सपेक्टर्स का खर्चा भी बच जायेगा। किसी ठेकेदार को अगर ठेका चलाना है तो पुलिस को तो उसको साथ लेकर चलना ही पड़ता है। तो दोहरी मार जो हो रही है, उस दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी आपका खर्चा बच जायेगा पुलिस के सुपुर्द कर दीजिए इस काम को। तो मैं सोचता हूं कि आपके यह सारे मामले ठीक हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं कह कर बैठ रहा हूं। आपने दो बार मेरी तरफ देखलिया, घंटी भी बजा दी, इसके लिए धन्यवाद। एक बात खास तौर से और मुझे कहनी है। आज राजस्थान के अन्दर जो भी कान्ट्रेक्ट और जिनके भी ठेके होते हैं उन पर आपको बहुत बड़ा नुकसान इस बात से हो रहा है, इसके बारे में गम्भीर चिन्तन करने की आवश्यकता है आपके इन धन्धों में काम करने वाले दो नम्बर के बेनामी लोग बहुत हैं। बेनामी लोग इतने हैं कि सही मायने में जब कान्ट्रेक्ट लेने आता है तो कोई नाम से उसको लगा जाता है। बोली बुल जाती है तो ठीक है उससे कम बुल गयी और उससे प्रथम पार्टी की हाइएस्ट रेट है और सैकिंड टेण्डर भी उसी के नाम है एक ही पार्टी अलग अलग नाम से कई बार टेण्डर लगा जाती है और उसमें कई बेनामी लोगों के नाम से पैसे जमा करा जाते हैं उसका नतीजा क्या होता है कि हमारी हाइएस्ट फीगर पर जो टेण्डर आया जो निविदा खुली उसको वह छोड़ देते हैं सोचते हैं कि इतना रुपया कारपिट होगा इससे छोटे में पांच लाख का फायदा होगा पचास हजार जा रहे हैं तो जाने दो। यह अक्सर होता है और इससे आबकारी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसके अलावा एक बात और हो रही है कि इन बेनामियों की वजह से कई जगह पैसा वसूल करना, अगर उसने गारंटी पूरी नहीं दी, गारंटी जब पूरी नहीं देता है तो उससे सही मायने में आप पैसे वसूल नहीं कर पाते यह सारे मामले इसलिए वाजिब हैं मेरे करौली क्षेत्र में भी दो चार मामले मेरे सामने हैं 85–86 से अन्दर करौली हिण्डोन और गंगापुर के एरिये के अन्दर एक कान्ट्रेक्ट दिया गया और उसके अन्दर जिन लोगों को, जिन नामों से यह दिया गया था उनकी समय पर गारंटी पूरी नहीं हुई और जब गारंटी पूरी नहीं हुई तो नतीजा क्या हुआ

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कि नाम भर दिया गया, दुर्गासिंह और प्रधान सिंह। दुर्गासिंह, प्रधानसिंह नाम का कोई आदमी हिण्डोन में है ही नहीं। काम करने वाला आदमी जिसने ठेका लिया वह तो नौकर बनकर काम करता रहा।

उसने अपने रिकार्ड में उसे नौकर दिखा रखा है और बेनामी लोगों ने दुर्गासिंह और प्रधान सिंह के नाम से ठेका ले रखा है क्योंकि वह अपने नाम से इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पहले वह सरकार से डिफाल्टर था डिफाल्टर होने के नाते दूसरा बेनामी लगा दिया और उसके चालानों पर वह नौकर बनकर साइन करता रहा। सही माइने में जब यह बात ध्यान में आई कि नौकर जो है उसके चालान के नाम से वह पुराना कान्ट्रेक्ट था उसके कुछ पैसे कोर्ट ने वसूल किये। इसी प्रकार की घटना 1985–86 में करौली में हुई। रामसिंह और भरतसिंह पार्टी के नाम से एक ठेका लिया गया जिसके जमानती मांगीलाल हरजरिया थे। नतीजा यह हुआ कि प्रोपर्टी का जब असेसमेंट करते हैं, जो जमानती होता है उसका असेसमेंट करते नहीं हैं। होता क्या है कि तहसीलदार 400–500 रुपये लेकर वेरीफिकेशन कर देता है। सरकार के डाक्यूमेंट पूरे हैं। नतीजा क्या होता है कि सरकार सोचती है कि तहसीलदार का वैरीफाई है, वह तहसीलदार 500 रुपये लेकर कर देता है वैरीफाई और देखा जाये तो पार्टी जिसकी हैसियत ही नहीं हो, जिसके नाम ठेका दिया हुआ है उसके घर में एक झोंपड़ी है। झोंपड़ी से वसूल कर लोगे क्या दस लाख रुपया, आप उसको ले जाओ, नीलाम कर दो झोंपड़ी को, पांचसौ रुपये की झोंपड़ी नहीं हैं, बेच दो। ऐसे लोगों के नाम पर ही ले लेते हैं तो इस प्रकार की घटना हुई। मुझे मालूम है कि चार-पांच लाख रुपये उसके जमानती जो हैं मांगीलाल हरजरिया के नाम एक ठेके के लिए नीलामी उसके घर की बोलने के लिए गये। उसके बाद शायद कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट से स्टे लेकर वह रुक गये। ऐसे कई मामले हैं राजस्थान में। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है जिसमें लोग दो नम्बर का बेनामी पैसा कमा रहे हैं। सरकार का एक्साइज विभाग उस पर कोई कण्ट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर राजस्थान सरकार की आय का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव शायद आपके कुछ काम में आए इसलिए दिये हैं। केवल मात्र क्रिटिसाइज की दृष्टि से मैंने डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लिया है। क्योंकि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक हम राजस्थान के विकास का काम कैसे कर पायेंगे। जब तक आर्थिक ढांचा ऊंचा नहीं उठेगा तब तक विकास के कामों की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ जाएगा। क्योंकि आर्थिक संकट है इस बात को भी हम सोचते हैं कि न तो शराब बन्द हो सकती है। इस सदन में कई बार चर्चाएं हो गई, कई बार बहस हो गई और बहसों के बाद भी कोई नतीजा नहीं है क्योंकि इसके बिना हमारे राजस्थान का आर्थिक ढांचा सुधर नहीं सकता। इसलिए हमारी मजबूरी है। यह सोचते हुए भी कि यह नीति ठीक नहीं है इसको बन्द करना

(166)



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चाहिए लेकिन वह सम्भव हो नहीं पाता। इसलिए माननीय मंत्री महोदय कुछ सुझाव मैंने आपको दिये हैं। शायद कुछ आपके काम आये और उनका सही हल निकले तो राजस्थान के अन्दर कुछ प्रगति होगी। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय श्री रमाकान्त शर्मा।

**श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 और 14 का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट हम बनाते हैं वह केवल मात्र आय व्यय का विवरण नहीं है। परन्तु बजट से इस बात का ज्ञान होता है कि सरकार व्यवसाय को कितना बढ़ाना चाहती है, उद्योगों को क्या प्राथमिकता देती है, किस प्रकार के विकासों को प्राथमिकता देती है। सच बात तो यह है कि किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहती है। परन्तु जब डाक्युमेंट्स को देखते हैं तो कई प्रकार के विरोधाभास सामने आते हैं। वित्त मन्त्री जी का जो बजट भाषण है उसके अन्दर बताया गया कि हम जैम इण्डस्ट्रियल पार्क को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए हम इस पर करों की छूट देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जैम इण्डस्ट्रीयल पार्क एक यूनिक चीज बना रहे हैं। उसको बढ़ावा तब ही मिल सकता है, उसकी प्रगति तब ही हो सकती है, वह बहुत अच्छी तरह तब ही स्थापित हो सकता है जब उसमें कुछ इन्सेन्टिव्ज हों, जब उसमें करों में कुछ छूट हो परन्तु उसी पैराग्राफ में यह कहा गया है कि हम जयपुर को एक बहुत बड़ा केन्द्र बनाना चाहते हैं रत्न उद्योग का, इसलिए छूट देना चाहते हैं। यानि केन्द्र बनाना चाहते हैं इसलिए छूट देना चाहते हैं तो फिर सबको छूट दे दी। फिर जो जैम इन्डस्ट्रीयल पार्क हैं वह बन नहीं सकेगा, उसकी स्थापना नहीं हो सकेगी। यहां तो बहुत बड़े-बड़े आदमी हैं, अपने घरों के अन्दर उन्होंने इण्डस्ट्री लगा रखी है, बहुत छोटे आदमी हैं उन्होंने भी अपने घरों के अन्दर अपनी इण्डस्ट्री लगा रखी है। जैसाकि कोई काम कर रहा है तो जैम इण्डस्ट्रियल पार्क में कौनसा नया इन्सेन्टिव है जिससे यह हो जाएगा जो आपने कर की छूट उसे वहां दी हुई है। कर की छूट उसे वहां घर में दी हुई है, कर की छूट उसके पास के बाड़े में दी हुई है तो फिर जैम इण्डस्ट्रियल पार्क में ही क्यों जाएगा वह। जैम इण्डस्ट्रियल पार्क का इस बढ़ावे के साथ में, इस इन्टेन्टिव के साथ में स्थापना नहीं हो सकती, उसका बढ़ावा नहीं हो सकता। यह एक प्रकार से कण्ट्राडिक्ट्री चीज है। रेडीमेड कपड़ों पर पहले छूट दी और यह सोचा गया कि इससे कर बचना होती है इसलिए शायद पुर्नविचार हुआ है। तो उस छूट को, जो समाप्त कर दिया था वह वापस यूं की यूं छूट रह जाए। बीस रुपये तक के जितने भी रेडीमेड कपड़े हैं। पर मेरा निवेदन यह है कि बीस रुपये से कम के जो कपड़े हैं वह यदि घरों में बनते हैं और छोटे-छोटे आदमी घरों में बनाते हैं हाथ से मशीन चलाकर बनाते हैं जब तो इसमें सारा एक प्रकार से बनाने वाले को इन्सेन्टिव है और एक प्रकार से बेचने वाले व्यवसायी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

को भी इन्सेन्टिव है। परन्तु मीलों के अन्दर चाहे बीस रुपये के बने और चाहे पचास रुपए के बने, चाहे सौ रुपए के बने उसके साथ के अन्दर यदि आपने छूट को वापस ले लिया तो फिर वैचना तो बराबर यूं की यूं रहेगी। फिर समझ में नहीं आता कि हम किस बात पर अड़ रहे हैं, किस बात को कह रहे हैं।

मेरा नम्र निवेदन होगा यदि इस छूट को वापस लेने की बात है तो जो घरों में बने हुए हैं, जो हाथ से बनाने वाले लोग-बाग हैं उनके ऊपर छूट दी जाए बाकी को नहीं दी जाए। एक बात में और बताना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान हैण्डीक्राफ्टस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश देश और विदेशों के अन्दर हमारे यहां के हैण्डीक्राफ्टस जा रहे हैं परन्तु बजट के अन्दर हैण्डीक्राफ्ट्स एक कोन्सियश सोचा ही नहीं गया। इस हैण्डीक्राफ्ट्स को हमें क्या बढ़ावा देना है, किस प्रकार से इस उद्योग को बढ़ाना है जिसके ऊपर लाखों लोग आश्रित हैं लाखों लोगों को इसके अन्दर और रोजगार मिल सकता है तो उस बात पर भी ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूं जो हम बजट के द्वारा करना चाह रहे थे वह ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितनी भी इण्डस्ट्री लगेगी उसमें जो रा मेटेरियल होगा उसमें हम सैल्स टैक्स में छूट देना चाहते हैं। एक इण्डस्ट्री लगती है तो उसको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत शुरू शुरू में होती है। यह जो छूट वाला मामला है इसके लिए प्रक्रिया यह है कि वह इण्डस्ट्री लगाकर के उत्पादन करके उसके बाद वह एप्लीकेशन देगा सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट को तो निश्चित मानिये एक केस नहीं मिलेगा जिसके अन्दर आपको 6 महीने 8 महीने नहीं लग जाए 6 महीने 8 महीने तो वह जूतियां घिसेगा, डिपार्टमेंट में जाएगा जब जाकर के कोई उसकी बात सुनेगा तब तक उसकी इण्डस्ट्री सिक इण्डस्ट्री हो जाएगी। इस इन्सेन्टिव के आधार पर वह सारा अपनी इकोनोमिक्स बनाएगा कि मैं इण्डीस्ट्री लगाऊंगा मुझे इतना पैसा इसमें से मिलेगा। वह पैसा होगा नहीं और कई कई मामलों के अन्दर जो लाखों रुपया होता है और जब इण्डस्ट्री चालू होती है उसके अन्दर किसी वक्त के अन्दर हजार रुपए भी नहीं होते तो इण्स्डट्री सिक हो जाती है। यदि इसको हम देना चाहते हैं तो जिस समय फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स लोन सैंक्शन करती हैं, उसके साथ ही यह छूट का भी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। यह मेरा सुझाव होगा विभाग को इस बारे में सोच लेना चाहिए। तब तो इसका कोई लाभ होगा नहीं तो कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स के सिस्टम से अन्दर हरियाणा में कुछ रेन्ज है, दिल्ली में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, गुजरात में कुछ है, शायद सम्भव नहीं है, हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम उनको कह सके कि सब जगह पर यूनिफार्म रेट्स हो परन्तु जब हम टैक्स के प्रयोजल बनाते हैं उस समय दसों साल का लेबरिंग स्टेट्स का पूरा ज्ञान होता है हमारे जो पिछले अनुभव है उन अनुभवों का भी ज्ञान होता है, उनका पूरा लाभ हम उठाते नहीं हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि कारों पर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

1986 के अन्दर दस प्रतिशत टैक्स था और 1987 के अन्दर वह 6 प्रतिशत कर दिया और 1987 के अन्दर कार जो बिकी 86 में 1200 और 87 में 3500 बिकी। जो सैल के अन्दर वृद्धि हुई वह तीन गुनी है और टैक्स जो घटा है वह आधे से भी कम तो जो सैल के द्वारा वृद्धि से सरकार को आय हुई वह 6 गुनी हुई। तो इसके बारे में यदि हम आगे भी इस बात को सोच सकें कि किस चीज के बारे में क्या टैक्स रखें और उसका मान लीजिए उस टैक्स में कमी करने की वजह से ज्यादा बेचान होता है या ज्यादा विक्रय होता है और सरकार को उतनी ही आय हो जाती है उस बारे में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा बिकेगी उससे व्यवसाय में ही वृद्धि नहीं होगी उससे हमारा आर्थिक विकास भी होता है। मध्यप्रदेश में एक मेला लगता है और मेला लगाकर के वो जीपें बेचता है कुल मिलाकर तीन या चार परसेन्ट टैक्स होता है। हमारे यहां 12 परसेन्ट टैक्स है। सारी राजस्थान में जितनी जीपें हैं सब वहां से आ जाती हैं और हम अपने 10 परसेन्ट के लिए बैठे रह जाते हैं और हमारी आय कुछ होती नहीं। बजट भाषण के अन्दर यह बताया गया कि एक्रेलिक और पोलियेस्टर धागे के उद्योग को बढ़ावा मिले इसलिए इस पर भी टैक्स कम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे उद्योग विभाग को बताना चाहिए था वित्त विभाग को कि एक्रेलिक और पोलिस्टर धागा है उसका तो राजस्थान में उद्योग में ऑलरेडी सेचुरेशन है। इसलिए किसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक उद्योग वाले हैं वह तो कन्साइनमेंट बेसिस पर धागा बनाकर दिल्ली, पटना, बम्बई, अहमदाबाद, सूरत भेजते हैं यह तो यहां पर नहीं बेचते। हमको तो कोइ टैक्स मिलता-मिलाता ही नहीं है। इस प्रकार की बात है। मैं इन टैक्स के वेरीयेशन्स पर नहीं जाकर, क्योंकि आपने घड़ी देखना शुरू कर दी है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी प्रक्रिया के अन्दर, मैंने अभी प्रगति विवरण के अन्दर पढ़ा, पिछले साल के अन्दर जो अपीलें दायर हुई, अपील आयुक्त के पास में 2992 और फैसले किये इन्होंने 2970,22 का घाटा रह गया। अब इनके पास में 4429 मामले हैं लम्बित और यदि इसी प्रकार चलते रहे तो थोड़े दिनों के अन्दर 10 हजार मामले लम्बित हो जायेंगे। नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इनका डिसीजन हो जाय तो पैसा आ जाय। शायद सोच-समझकर देरी करते होंगे और उसका नतीजा यह है कि आज सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट का पचास करोड़ रुपया बकाया है।

**एक माननीय सदस्य** : 200 करोड़।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : 200 होंगी, आपके हिसाब से, मैंने इसमें पचास पढ़ी है। इसलिए पचास बता रहा हूं इनके डाक्यूमेंट से। परन्तु यह बढ़ती गई तो पचास की जगह साठ करोड़ हो जाएगी। एक गरीब आदमी, किसान का यदि उसने बिजली के पैसे नहीं दिये तो फट से कनेक्शन कट जाता है और आदमी के पास में बड़ा आसान तरीका है उससे दो लाख रुपया ले लेते हैं, पांच लाख रुपये लेने थे।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उसने विभाग पर मुकदमा कर दिया, और चूंकी इनके पास शायद अपीलान्ट कमिश्नर कम हैं या कोई प्रक्रिया में बाधा है इससे निर्णय यह निकलता है कि यह मामले बढ़ते चले जाते हैं, बकाया बढ़ता जाता है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट आबकारी विषय पर भी लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात है। आबकारी के मामले के अन्दर यह बहुत सही है कि राज्य की बहुत बड़ी आय है और इसलिए यह संभव नहीं है, हम चाहे कितने ही गाल बजाते रहें, यहां हम नशाबन्दी, शराब बन्दी कर चुके हैं। दूसरी और यह बात भी सही है कि कई मुल्कों ने शराबबन्दी की बात की है, परन्तु सफल नहीं हुए हैं क्योंकि एक प्रकार के समाज दुनिया में ऐसी रचना हो गई, और हमारे देश के अन्दर भी समाज की ऐसी रचना हो गई कि आप प्रोहिबिशन करेंगे तो उसके ज्यादा दुष्परिणाम होंगे, शराब और ज्यादा फैलेगी। परन्तु राज्य के लिए आवश्यक क्या है, वह यह है कि राज्य के लिए आय कमाना इतना आवश्यक नहीं है इसके द्वारा, जितना कि उनके द्वारा यह सोचना कि गरीब लोगों के अन्दर शराब का प्रचार प्रसार इनके बजट और प्रक्रिया के माध्यम से न हो। इनकी मानसिकता के माध्यम से इसका प्रचार ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार तो यह कर सकती है, सरकार केवल मात्र आय को ही ध्यान में नहीं रखे। परन्तु इनकी जितनी प्रक्रिया होती है, पहले था गारण्टी सिस्टम, फिर बना दिया टेण्डर सिस्टम, फिर यह कह दिया कि दो साल का एक साथ टेण्डर लेंगे। तो मानसिकता के अन्दर केवल एक ही बात रही, आय। और जब मानसिकता के अन्दर एक मात्र आय रहती है तो दुरुपयोग होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार गरीब आदमी में होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देशी शराब 487 लाख बल्क लीटर बिकती है जबकि जो आई. एन. एफ. है वह कुल मिलाकर 173 लाख, यह जो हमारी आयवृद्धि करते रहे हैं यह गरीबों के शोषण से करते रहे हैं। हमारी नीतियां, हमारा टेण्डर सिस्टम, हमारा तरीका यह होना चाहिए था, जितने शहर के लोगों से, अमीर लोगों से जो कीमत पर शराब आप बेचना चाहते है, अच्छी शराब बेचना चाहते हैं, बाहर की शराब बेचना चाहते हैं उसके पैसे वसूल कीजिएगा बल्कि देशी शराब, जहर पिलाकर किसानों को, गांव के गरीब मजदूरों को, गरीब लोगों से, इन्हीं से क्यों आय बढ़ाना चाहते हैं। आय बढ़ाइये, परन्तु आय के अन्दर एकदम इतनी दिमाग के अन्दर बात नहीं होनी चाहिए कि हम उसके बारे में बिल्कुल आंख ही मींच लें कि किन लोगों से यह आय आ रही है। इसलिए हमारे तौर तरीकों में यह परिवर्तन होना चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था इसके अन्दर। लिखा है कि हम आई. टी. डी. सी. द्वारा बीयर की बिक्री करेंगे और उन्हें बाध्य कर दिया गया है कि पिछले साल से इस साल के अन्दर दस परसेन्ट अधिक बिक्री करेंगे। हमारे डाक्यूमेंट

(श्री रमाकांत शर्मा)

में, हमारी मानसिकता के अन्दर यह बात यदि यह बात हो कि इतना और अधिक शराब बेचेंगे। ठीक है कि एक प्रकार से आय का पूरक है। परन्तु सम्पूर्ण पूरक नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से खास तौर से आबकारी मंत्री महोदया, से निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग की मानसिकता के अन्दर बहुत ज्यादा, आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिससे इस प्रकार के जो घातक परिणाम हो रहे हैं वह नहीं हों। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री बाबूलाल खांडा।

**श्री बाबूलाल खांडा** (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 13, 14 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे बिक्री कर में जो संशोधन हुए हैं और जो छूट दी गई है उन सबकी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल एक ही आइटम पर अपने विचार रखना चाहूंगा। वह है गोटा। गोटा प्रकाश का प्रतीक है और महिलाओं के परिधान में काम आता है। कवि लोग गोटेदार ओढ़नी पर कवितायें लिखते हैं। कितना सुन्दर आइटम है गोटा। कह नहीं सकता कि सरकार का ध्यान गोटा इण्डस्ट्रीज की तरफ क्यों नहीं गया। यहां हमारे प्रदेश मे केवल दो जगह इण्डस्ट्रीज के कुटीर उद्योग हैं। अजमेर में और सीकर जिले के खण्डेला में। घरों में छोटी-छोटी जगह में कुटीर उद्योग लगाये हुए हैं। इसमें जो कच्चा माल काम आता है माण्डला या नायलोन जो आता उस पर बिक्री कर लगता है। फिर जब गोटान जाता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो बार टैक्स लगता है, डबल टैक्स लगता है जिससे गोटा मंहगा होता जा रहा है। जबकि सूरत में गोटा की काफी इण्डस्ट्रीज हैं, वहां पर गोटा पर टैक्स नहीं लगता है। वहां से माल यहां आता है तो वहां पर जो गोटा तैयार होता है उसे कौन खरीदेगा। लगभग दस हजार लोग इस कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं। गोटा का नाम मैंने अभी बताया, सबका ध्यान मैंने आकर्षित किया। मैं उम्मीद करूंगा कि गोटा इण्डस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिए इस पर जो बिक्री कर दो-दो बार लगता है उसे हटाया जाय।

दूसरी जो आबकारी की बात चली। हमारे माननीय पण्डितजी ने कहा कि महिला को आबकारी मन्त्री नहीं बनना चाहिए था और वह ब्राह्मण भी है। दरअसल मदिरा पर किसी जाति का लेबल नहीं होता है। मदिरा का दूसरा है हाला। हमारे समाज का स्वास्थ्य और सरकार की स्थिति का हाल हाला पर निर्भर करती है। सरकार चाहती है कि हम हाला की बिक्री करके राजस्व बढ़ायें लेकिन सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि इससे हमारा समाज का स्वास्थ्य कहां तक प्रभावित होता है। एक और बात जो वर्ग भेद या जाति भेद की बात कहीं, जितने भी हमारे सुधारक हुए हैं, वे जातियों को अलग-अलग नहीं बांटते। मैं यह कहना चाहूंगा, शायद पसन्द न आये, कि यह हाला मदिरा समाज को कम बांटती है, एक लाईन है सोचता हूं पसन्द आयेगी। "बैर बढ़ाती मन्दिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला" तो यहां

(श्री बाबूलाल खांडा)

तो सारी जातियों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इतनी बुरी चीज नहीं है। बुरी है इसकी सीमा तोड़ना। सरकार को यह चाहिए कि इसकी सीमा नहीं टूटे। मदिरा का इतिहास जो दूर सोमरस युग से प्रारम्भ हुआ है और हमारे समाज ने इसे अंगीकार कर लिया है। दस–बारह साल पहले राष्ट्रीय बहस चली थी नशाबन्दी पर कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 77 में हमारी जनता दल की सरकार बनी। मैं यह कहूंगा कि बड़ी भावुकता में आकर राजस्थान में नशाबन्दी लागू की। यह गलत निर्णय था और मैं बीकानेर था उस समय मुझे मालूम है। माननीय सभापति महोदय जो आसन पर बिराजमान है, उन्हें भी मालूम है कि बीकानेर में कितने अधिकारी थे जिनके पास ऊपर से पैसा आता था। सबने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया था कि इनको तो जरूरत है। इनको देना बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति उस समय हुई थी और मैं माननीय चन्दन मल जी बैद को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने दुबारा इसे लागू किया। यह हमारी आय का साधन है। हमें केवल विरोध करने के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिये। नशाबन्दी में भी नशा है। जो नशे के पक्षधर हैं उनमें तो नशा है ही लेकिन नशाबन्दी केवल अव्यवहारिक तरीके से हम इस पर अड़ते हैं तो इसे बन्द करना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं इसमें भी नशा है तो हमें व्यवहारिक दृष्टि से सोचना चाहिये। जहां तक शराब जो बिकती है। तीन तरह की शराब हमारे समाज को उपलब्ध कराती है सरकार, एक इंगलिश शराब, देशी शराब और एक और शराब है इल्लीगल जो बनती है, उसे ठर्रा कहते हैं। इंगलिश शराब, देशी शराब और ठर्रा शराब, मैं यह कहूंगा कि तीनों ही चीजें सरकार उपलब्ध कराती है। जो पहली तरह की है मुझे उन पर एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो ठर्रा है वह बहुत ही भयंकर चीज है और हमारा आबकारी प्रशासन मैं यह कहना चाहूंगा पूरी तरह असफल है इस ठर्रा को बन्द करने में। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उसमें ये दो केटेगरी की शराब की कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ठर्रा की समस्या जबरदस्त है और हर गांव में जगह-जगह ठर्रा बनती है और गांव के लोगों की इसकी लत पड़ रही है किन्तु इसको नियंत्रित करें तो मैं यह समझता हूं विशेषकर मेरे क्षेत्र को बहुत सहुलियत मिलेगी। लोगों को देशी ठर्रा की लत है उसमें एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, लोग बीमार होते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिये कि यह जो देशी शराब बनती है, यह जो ठर्रा बनता है, नाजायज बनता है, उसे रोका जाय। मेरे क्षेत्र में एक गांव है भोपालपुरा। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनको चाहिये कि भोपालपुरा गांव का नाम लिख लें अपनी पर्ची में, वह बहुत बड़ा बीहड़ है, बुहाना की बीहड़ उसके पास बसा हुआ है तो उस बनी में वह कुटीर उद्योग बना है, पूरी फैक्ट्री चलती है वहां मेरे खुद के गांव के लोग है, कम से कम

(172)



(श्री बाबूलाल खांडा)

30-40 प्रतिशत जाते हैं शाम को, सब गांव के लोग आते हैं वहां और जूम जमता है और यह बिकती है। आबकारी के जो निरीक्षक है, अधिकारी है, कोई ध्यान नहीं देते, पुलिस के अधिकारी है, कोई ध्यान नहीं देते। मैं गया तो मैंने देखा कि यहां जबरदस्त फैक्ट्री लगी हुई है। मेरे एक पूर्व विधायक । पीना कोई बुरी बात नहीं, मैंने कह दिया कि सीमा में पीजिये और उनको ठर्रा की आदत पड़ गई थी। उनके गांव में देखिये, छठी, पांचवी क्लास के बच्चे भी ठर्रा पीने लग गये है । मैं गया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे क्षेत्र का क्या होगा, हमारी नई पीढ़ी का क्या होगा, उनको इंगलिश उपलब्ध नहीं होती, बच्चों को वैसा करना भी नहीं चाहिये और उन्हें देशी शराब और ठर्रा उपलब्ध करया जा रहा है, भोपालगढ़ में कराया जा रहा है।

**श्रीमती विद्या पाठक** (आबकारी मंत्री) : माननीय सदस्य, मुझे गांव का नाम बता दें।

**श्री बाबूलाल खांडा** : भोपालगढ़ गांव है, आप नाम लिख लीजिये। मेरे वहां से यह सप्लाई होती है। मैं जिस समय भी चुनाव में जाता था तो मुझे यह कहा जाता था कि आप गांव में 5 बजे बाद मत जाइये, मैंने कहा क्या आपत्ति है तो देखा तो सब ठर्रा में बर्रे हुए बैठे हुए हैं तो यह सबसे बड़ी बीमारी है और दरअसल आबकारी विभाग की बदनामी का कारण यही है। एक तो हमारे राजस्व का घाटा होता है। और दूसरे हमारे समाज के स्वास्थ्य को खतरा होता है। इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये । आप निश्चित तौर पर राजस्व कमाइये, बढ़ाइये लेकिन हमारे समाज के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं बढ़ाइये मैं यह कहना चाहूंगा और विशेषकर मेरे क्षेत्र में यह सबसे बड़ी भयानक समस्या है। मैं जहां भी गया मेरे सूरजगढ़ क्षेत्र में ज्यादातर यह देशी चीज जो नाजायज शराब है, इसका जबरदस्त चलन है मेरा घर है सिघाना में। मुझे बताया गया हैं यहां पहाड़ी पर खूब निकलता है। अब पहाड़ी पर जाइये, ऊपर कई मटके रखे रहते हैं और वहां निकलती रहती है। मैं शाम को जब मेरे घर लौट रहा था तो 20-25-40 आदमी लोग झूमते आ रहे थे, मैंने कहा भाई इतनी तो अगर इंगलिश पीते तो भी इतना भयानक रूप से इनका हुलिया विकृत नहीं होता, यह क्या चक्कर है तो उन्होंने कहा कि साहब इंगलिश की बात छोड़िये, यहां तो जो देशी नाजायज ठर्रा है, ये सब लोग उसके शौकीन है और यह उसी बजह से रास्ते को अपने ढंग से रोका हुआ है तो मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मेरे क्षेत्र में कम से कम जो नाजायज शराब बनती है उसे रोकिये और रोकिये ही नहीं उसकी ऐसी व्यवस्था की जाय कि बन्द हो जाय। अगर आप बन्द नहीं करेंगे तो आप जानते हैं मैंने तो पानी के लिए भी माननीय भंवरलाल जी शर्मा को तंग किया था। मैं निश्चित रूप से हमारी आबकारी मंत्री जी को तंग करूंगा अगर बन्द नहीं होगी तो में निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इसे बन्द करवाइये आप

(श्री बाबूलाल खांडा)

और बाकी मैं इसका विरोधी नहीं हूं, विद्रोही नहीं हूं। आबकारी नीति अच्छी है, भावुकता में आकर इसे बन्द मत कीजिये। प्रोहीबिशन का, नशाबन्दी के जो पक्षधर हैं उनमें भी नशा है। मैंने पहले अर्ज कर दिया था, इसे अभी बन्द मत कीजिये लेकिन यह दूसरी बुराई है इसे बन्द कराइये। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी ने मुझे वक्त दिया मैं आभारी हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय नाथूराम अहारी।

**श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 व 14 के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। मैं पहले 13 के बारे में शराब के बारे में बात करूंगा। न मालूम इस शराब का ऐसा क्या स्वाद है कि माननीय पूर्व कुछ सदस्यों ने इस पर चर्चा की, समर्थन की तो सबके चेहरे बिल्कुल खुश नजर आ गये और बहुत राजी हो गये लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह चीज एक जहर है शराब जो है इसके कारण हमारे देश में संसार में कई ऐसी वारदातें होती हैं। जैसे एक्सीडेन्ट होते हैं तो मैं कहता हूं 90–95 प्रतिशत एक्सीडेन्ट इसी से होते हैं, लड़ाई-झगड़े भी होते हैं तो इसी से होते हैं, मार-पीट कहें तो इसी से होती है, मौतें कहें तो इसी से होती हैं जहरीली शराब पीने से मौतें होती हैं तो इसी से होती हैं। फिर भी न मालूम हमारे बुद्धिजीवी लोग इस देश का विकास करने के लिए यहां बैठते हैं। वे भी कोई इस तरह की दलीलें देते हैं, कोई इस तरह की बात कहकर के लोगों को बताते हैं कि इससे जो है देश को काफी टैक्सों में हानि होगी, काफी कुछ नुकसान होगा लेकिन हम लोग जो यहां आये हैं, चुनकर के इसलिए नहीं आये हैं कि हम अध्यक्ष की ओर ही देखें, हम विकास करने के लिए आये हैं, न कि देश के लोगों की, गरीब जनता की हालत खराब करने के लिए आये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो शराब के द्वारा टैक्स लिया जाता है, यह बहुत बुरा है, यह भी कहता हूं हालांकि जैसा खेरवाड़ा से आने वाले सदस्य ने कहा कि हमारे यहां प्रचलन में है लेकिन इसका फल क्या होता है। इससे जो है, आपने कहीं सुना होगा कि कुछ लोग बरबाद हो गये। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके पास अनाप-शनाप पैसा है, जो बड़े घराने के हैं, वे तो मैं यह कहता हूं डूबे रहे तो कोई बात नहीं लेकिन जो गरीब है, जिसको अपना होश सम्भालने की अक्ल नहीं है, अनुभव नहीं है। बरबादी का अनुभव नहीं है उन लोगों के लिए यह एक तरह से मौत की जड़ है। हमारे डूंगरपुर में बिल्कुल अल्प उम्र का आदमी शराब की लत से मर गया। कइयों के सुनते हैं कलेजे खराब हो गये। हमारे आदिवासियों में इसकी लत लग जाती है तो लोग-बाग जमीन, जेवर, कपड़े, अनाज यहां तक की आज शाम को पिसाने वाला अनाज और औरतों के पैरों के कड़ले तक बेच देते हैं हिन्दुस्तान में 95 प्रतिशत महिलाएं इस संकट से ग्रसित हैं अगर उनका वोट लिया जाय तो मैं कहता हूं 5 प्रतिशत भी इसके फेवर में नहीं होगी। मैं तो पुरजोर शब्दों

(श्री नाथूराम अहारी)

मैं कहता हूं कि इसको आप बन्द करिये लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको आप बन्द नहीं कर सकते इसलिए अगर बन्द नहीं कर सकते तो शहरों में चालू रखिये और गांवों में बन्द कर दीजिये। हम यहां विकास के लिए आये हैं। विनाश के लिए नहीं। आप एक तरफ तो कहते हो कि बच्चे तक पीने लग जाते हैं, उनकी आदत खराब हो जाती है और दूसरी तरफ कहते हो कि इसको चालू रखना चाहिये। यह दोनों तरफ कैसे हो लेते हो या तो चालू रखो या बन्द करो। मैं तो कहता हूं कम से कम हम इस हाउस में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आये हैं तो हमें इस शराब को बन्द कर देना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारा टैक्स कम पड़ जाएगा तो आपने बकरी, भेड़, ऊट, गधा, गाय और बैल पर टैक्स लगा दिया, बीस रुपये के रेडीमेट कपड़े पर लगा दिया। आपने कभी करोड़-पति और लखपति को मवेशी चराते हुए देखा है? आपको यह भी सहन नहीं हुआ। रेगिस्तान के जो लोग मवेशी पालते हैं उनके पास चारा लाने की व्यवस्था नहीं होती। उनके बच्चे पशुओं को चराने जाते हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। वह किस तरह से उन पशुओं को बचाते हैं यह आपके दिमाग में नहीं आता। यहां आकर बड़ी-बड़ी दलीलें देते हो कि हम गरीबों के हामी हैं, क्या हामी है? आपने भेड़ और गदहे पर भी टैक्स लगा दिया। आपने यह बहुत गलत किया है, इसको वापिस लेना चाहिए।

टैक्स वसूल करने के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कोई 200 करोड़ की वसूली बाकी है उसके लिये आपकी आंखें नहीं खुलती। जिनसे बाकी है उनसे वसूली करिये।

हम सामान लाने जाते हैं तो व्यापारी कहता है कि बिल बनवाओगे तो 10 प्रति-शत टैक्स लगेगा और नहीं बनवाओगे तो नहीं लगेगा तो कौन ऐसा मूर्ख है जो पैसे ज्यादा देने के लिए बिल बनवाना चाहेगा? तो इसके लिये सरलीकरण करें। हमारे रोड़वेज की गाड़ियों में टायर, स्टेपनी, पाने नहीं है और प्राइवेट बस का मालिक दूसरे साल नई गाडी खरीद लेता है। इसका आप सरलीकरण करें। ट्रांसफर पालिसी में भी नाजायज ट्रांसफर करके नाजायज पैसा बरबाद करवाते हैं.... (व्यवधान) यह सही है, आपको पता नहीं है। नियुक्तियों के बारे में 30-30 हजार लिये जाते हैं वह कौन लेता है? जन प्रतिनिधि या अफसर लेते है तो उनसे टैक्स लीजिये जिनके पास पूंजी है भले ही एम.एल.ए., जन प्रतिनिधि या अफसर हो।

**श्री डूंगरराम पंवार** : अफसरों से लेने की आदत पड़ी हुई है आपकी पार्टी को।

**श्री नाथूराम अहारी** : बैठे-बैठे बोलने के अलावा और कुछ तो है नहीं आपके पास कहने को। तो जो भी बुनियादी बात है उस पर नहीं जाते हो और गरीबों के काम में आने वाली छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगा देते हो। जो जमींदार लोग हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, समितियां बना कर काम में ले रहे हैं उनसे आप

(श्री नाथूराम अहारी)

लीजिए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ऊपर ऊपर की बात नहीं करके अन्दर घुंस कर जो भी इस तरह की बातें हैं उनको देख करके उन पर टैक्स लगाइये ताकि गरीबों का नुकसान न हो यही मुझे कहना है, । जयहिन्द, धन्यवाद।

**श्री डूंगरराम पंवार :** अन्दर किसके घुसना चाहते हो, पैसा लेने वालों के?

**श्री सभापति :** बीच में कमेन्ट्री न करें माननीय सदस्य। श्री हरीश झामनानी।

**श्री डूंगरराम पंवार :** कमेन्ट्री तो कोई आलस्य न आ जाय।

**श्री सभापति :** आप बैठे-बैठे न बोलिये। आप की यह खराब आदत है।

**श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 जून को जो प्रस्तावित बजट पेश किया उसमें करों के सरलीकरण और कई वस्तुओं पर कर मुक्ति की जो घोषणा की है उसका मैं स्वागतम करता हू। उनका बजट दिखाता है कि उनका रूझान छोटे-छोटे उद्योगों, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को उत्साहित करना, बढ़ावा देना, दस्तकारों हस्तशिल्पियों को पुरष्कृत करना है। यह सारा इस बजट में नजर आता है। फिर भी इसके संबंध में कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा।

बिक्री कर में हमारे पड़ोसी राज्यों में कुछ सरलीकरण है या कुछ कम दरें हैं उनका अध्ययन करने के लिए और वास्तव में यदि वह सही हैं तो राजस्थान में लागू हों इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें राज्य सरकार का वाणिज्य कर विभाग कर सलाकार, व्यापारी एवं उद्योगों के प्रतिनिधी इन सब का समावेश होकर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो तीन माह में पड़ौसी राज्यों के बिक्री कर की दरों के कानून में सरलीकरण के उपाय सरकार को बतावें।

अब प्रस्तावित बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्थगन आदेशों पर मियाद बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया हुआ है। उन्होंने अपोलेट ट्रिब्यूनल को प्रस्तावित बजट में एक से दो वर्ष के स्थगन आदेश के अधिकार दिये हुए हैं। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि जो दो वर्ष का उन्होंने प्रस्ताव किया है उसमें एक कठिनाई की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तीन तीन माह में उस स्थगन आदेश को वापिस बढ़ाने का प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि जब दो वर्ष का प्रावधान है तो 3–3 माह में पुनः दोहराने का औचित्य ठीक नहीं है।

रिफण्ड पर ब्याज की धारा 23 के संबंध में बजट में एक संशोधन है जिसमें लिखा है कि जिस समय अपील करेंगे तो अपील के निर्णय तक 12% का ब्याज दिया जाएगा जो पैसा जमा होगा उसको वापिस लौटाने पर। मेरा सुझाव है कि जब सरकार देरी से जमा कराने पर 24 प्रतिशत ब्याज लेती है तो वापिस करते हुए 12 प्रतिशत का

(176)



(श्री हरीश भामनानी)

क्या औचित्य है। यह ठीक नहीं है। एक समान होना चाहिए।

कर चुकता माल के संबंध में एक सुझाव है कि प्रस्तावित बजट में 15 लाख से ऊपर के व्यापारी के लिए रिटर्न भरने के संबंध में एक अनिवार्यता की है।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ओर कर मुक्त कर देंगे इसके लिए पूर्व में जहां सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्या नये प्रावधानों के अन्तर्गत वापिस रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता रहेगी? इसलिए इस प्रकार का जो प्रस्ताव है, उसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बातों की ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहता हूं। कई चीजों को कर मुक्त किया गया है, उनके साथ-साथ में कुछ और चीजें भी है, जिनके राजस्थान में कर मुक्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कि गुड़ हैं, गुड़ जानवरों के या गरीब लोगों के काम में आता है। अन्य राज्यों ने, गुजरात और महाराष्ट्र ने कर मुक्त कर रखा है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान में गुड जैसी वस्तु को भी कर मुक्त किया जाना चाहिए या इस पर ढाई परसेंन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से लकड़ी का कोयला, उसको भी महाराष्ट्र, तमिलनाडू और मध्यप्रदेश ने कर मुक्त कर रखा हुआ है, क्योंकि यह भी गरीबों के काम में आने वाली चीज है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको भी कर मुक्त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हार्ड कोक और शॉफ्ट कोक, यह या तो उद्योगों के काम में आता है या केवल हलवाइयों के काम में आता है। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार पूर्व सरकार ने सन् 86 से लेकर सन 89 तक इसको कर मुक्त कर रखा था। इस सरकार को भी इस प्रकार का विचार करना चाहिए। साइकिल सामान्य व्यक्ति के काम आने वाली चीज है।

(6.00 सांय)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गरीब से गरीब आदमी इसको काम में लेता है। थोड़ा सा पैसा होने के बाद व्यक्ति मोपेड को खरीदने का विचार करता है। इसलिए सामान्य काम में आने वाली साइकिल और इसके पार्टस को कर मुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। दवाइयां जीवन रक्षक एक चीज होती है। जीवन के लिए काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं में से एक है। मेरा सुझाव है कि इनको भी कर मुक्त किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। पापड़ और भुजिया उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कर मुक्त पूर्व में ही कर रखा है। लेकिन इसमें भी एक सुझाव देना चाहूंगा कि दिल्ली या राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में बेचने के लिए यदि भेजना होता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स की वसूली होती है। मेरा सुझाव है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस को भी कर मुक्त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। नये

(श्री हरीश भामनानी)

रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एक सुझाव है, पूर्व में पार्टनरशिप फोटो की कॉपियों के साथ में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि पार्टनरशिप फोटो कापियां लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन और जमानत लेने के साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करते हुए इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति करने के बाद में केवल जमानत की आवश्यकता होती है। बिना रकम जमा करवाये हुए अपील का प्रावधान होना चाहिए। अपील जब तक पैसा जमा नहीं करवाये तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि बिक्री कर की जो मांग है, उसमें इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए कि अपील बिना पैसे जमा करवाये हुए होनी चाहिए। टारगेट पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मार्च में जबरन कर वसूल करने के लिए प्रावधान कर रखा है। मेरा इस सम्बन्ध में घोर विरोध हैं। मेरा यह कहना है कि छोटे व्यापारियों से और छोटे-छोटे उद्यमियों से जबरन मार्च का, अप्रेल का, मई तक का पैसा वसूल करने टार्गेट पूरा करना ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि अप्रेल और मई माह में सरकार को जो कर प्राप्त होता है वह फरवरी और मार्च माह की तुलना में कम होता है। उनका कारण यही है कि मार्च में जबरन पैसा वसूल किया जाता हैं। यह नहीं ने न्यायसंगत हैं और न ही न्यायोचित है। इसलिए मेरी मांग और सुझाव है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। केवल मार्च तक के टैक्स का पैसा वसूल किया जाय अप्रेल मई तक के टैक्स का पैसा वसूल अग्रिम वसूल से नहीं किया जाए। इसमें भी विशेष रूप से लघु उद्योगों से इस प्रकार से कभी भी अग्रिम टैक्स नहीं वसूल करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। रिटर्न भरने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अंतिम माह, जो मार्च का होता है यह व्यापारियों के लिए बड़ा व्यस्तता का होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि केवल एक माह की छूट नहीं देकर के तीन माह की छूट अंतिम माह में मार्च माह में रिटर्न भरने के लिए छूट देने का प्रावधान होना चाहिए। स्व कर निर्धारित योजना 15 लाख तक की रिटर्न भरते हुये, 15 पर्सेन्ट का सरकार ने जो रिटर्न भरने के लिए प्रावधान किया है, 15 पर्सेन्ट जो बजट में प्रस्तावित है बड़ाकर के देंगे इसको स्व कर योजना के निर्धारण में लिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि इस पर सीमा पाबन्दी 15 प्रतिशत की नहीं लगाई जानी चाहिए। जमानत राशि दस हजार तक की प्रस्तावित है।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करे, माननीय सदस्य। एक मिनट बस।

**श्री हरीश भामनानी** : बहुत ही माकुल सुझाव दे रहा हूं मैं। मेरा सुझाव है कि जमानत की राशि पांच हजार रुपये तक की रखी जाए। ब्याज की दर मूल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मूल रकम है उससे अधिक ब्याज नहीं लगना चाहिए। एक अपीलैण्ट अधिकारी के सम्बन्ध में एक सुझाव है, अपीलैण्ट अधिकारी इसी विभाग से होता है। इसी विभाग से नहीं

(179)



(श्री हरीश झामनानी)

होकर के विधि विभाग के अन्तर्गत अपीलैण्ट कोर्ट होनी चाहिए। इस बिक्री कर विभाग से अपीलैण्ट कोर्ट नहीं होनी चाहिये। एक और सुझाव है जो व्यापारी जो उद्यमी बंधु वर्षभर में पूरा कर चुकाये, समय पर चुकाये, उसके लिए कोई रिबेट की योजना होनी चाहिए ताकि समय पर उनको कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करे, माननीय सदस्य। एक मिनट तो आपको दिया ही था।

**श्री हरीश झामनानी** : एक मिनट। एक स्थगन–आदेश के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार एक तरफ तो सस्ता सरल, सुलभ न्याय देने के लिए बचनबद्ध है, दूसरी अजमेर में जो असेसमेंट टाइम के समय में जो कर निर्धारित किया जाता है, उसके स्टे के लिए जयपुर में डिप्टी कमिश्नर के पास में आकर के स्टे लिया जाता है। इसको लेने के लिए वकील को और करदाता को भी साथ-साथ में आना पड़ता है बहुत खर्चा होता है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जब अपीलैण्ट कोर्ट वहां है जो निर्धारित कर को कम करना, बढ़ाना कर से मुक्त करने का प्रावधान कर सकती है तो क्यों नहीं उसको स्टे करने के लिए अधिकृत किया जाता है? यदि इसको करने में कोई असुविधा है तो मेरा सुझाव है कि महीने में दो बार डिप्टी कमिश्नर जो स्टे दे सकते हैं उनका अजमेर में कैम्प लगानें की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री हेतराम जी बेनीवाल।

**श्री हरीश झामनानी** : आखिर है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि प्रस्तावित बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साक्षात्कार को बढ़ावा देने की दृष्टि से, बच्चों को सस्ती शिक्षा देने के सम्बन्ध में ज्यामेट्री बाक्स, स्याही, पेंसिल, शापर्नर, इन सब को कर मुक्त करने के लिए प्रावधान किया है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इन सब चीजों को निरक्षरता को दूर करने की दृष्टि से, बच्चों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, जब सब को कर मुक्त किया हुआ है पेन की रिफिल को जो कि पूर्व से कर मुक्त है, बाकी केवल पेन को भी कर मुक्त करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

**श्री हेतराम बेनीवाल** (सांगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिक्री कर के सिलसिले में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। राज्य सरकार ने जो बिक्री कर से आमदनी इस बार बजट में दिखाई है और जो छूट दी है, उस सारी छूट का मामला तो यह है कि एक ड्रामा है। दस करोड़ का टैक्स लगाया, आठ करोड़ छोड़ दिये, वहीं के वहीं हैं। मैं यह समझता हूं, जिस बात को मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि साइंटिफिक अप्रोच हमारी होनी चाहिये टैक्स के बारे में, सांइटिफिक अप्रोच का मतलब जो आदमी इस बजट को जिस दृष्टिकोण से देखता है वह इसकी साइंटिफिक व्याख्या वैसे ही करता है। अगर किसी सेठ या पूंजीपति ने कारखाना लगा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रखा है, वह हमारी विधान सभा में कोई है तो वह उसी दृष्टिकोण से बात करेगा, जो कारखाने के लिहाज से ठीक हो वही कहेगा कि यह उद्योग ओरिएन्टेड है, मजदूर काम करेंगे, मजदूरों को काम मिलेगा इसलिये इस पर टैक्स माफ होना चाहिये। निश्चित बात है, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब यह है कि जिसको मुनाफा किसी धन्धे से ज्यादा हो, किसी चीज के बेचने से ज्यादा हो उस पर टैक्स की रेट ज्यादा हो और जिसको कम हो उस पर कम हो। इस दृष्टिकोण से बिल्कुल उल्टे ढंग से राजस्थान में बिक्री कर लगा है। अगर ज्यादा कमाई किसी को होती है तो उन लोगों को होती है जो पिक्चर ट्यूब, टेलीविजन, चिप्स बेचते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चिप्स का उद्योग पनप रहा है। मैं समझता हूं, चिप्स कौन इस्तेमाल करते हैं? चिप्स को इस्तेमाल करने वाले करोड़पति, अमीर लोग, बड़े-बड़े जागीरदार और बड़े-बड़े सेठ होते हैं। और चिप्स धन्धा क्या है? मामूली पत्थर को घिस कर हम उसको चिप्स बनाते हैं। राजस्थान की सरकार अगर वास्तव में गरीबों और किसानों की तरफ देखने वाली सरकार है तो उसको चाहिये कि चिप्स पर टैक्स बढ़ाये, दुगना करे, तीन गुना करे। टेलीविजन और पिक्चर, खास तौर से रंगीन टेलीविजन, उनकी क्या आवश्यकता है? रंगीन टेलीविजन की, इन पर बढ़ाइये। विलास की बहुत सी चीजें हैं जिन पर एक पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया है। जो रत्न पर टैक्स छोड़ा है, इस बहाने से कि यहां के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये में जो हार बिकते हैं उन पर आपने पैंतीस हजार रुपये छोड़ दिये। डेढ़ लाख रुपये के हार पर आपने पैंतीस हजार रुपये उसकी जेब में डाल दिये। यह उस सेठ की जेब में गये हैं जिसकी धर्मपत्नी डेढ़ लाख का हार पहनती है।

बिक्री कर को वसूल करने की असंगतियों में मैं नहीं जाता, वसूली के बारे में बहुत बोल चुके। मुझे तो यह कहना है, मेरी यह राय है कि निश्चित तौर पर कुछ लोगों पर बिक्री कर लगना चाहिये और बढ़ कर लगना चाहिये। जिन चीजों पर घटना चाहिये वह ऐसी चीजें हैं जिनको हम सारे उपयोग करते हैं, कन्ज्यूमर गुड्स हैं। किसान के लिए इधर वाले सारे साथी बहुत ज्यादा गर्व से बोलते थे, आपने राजस्थान के किसान को एक पैसे की इस टैक्स में रियायत नहीं दी है। हमारे पड़ौस के प्रान्तों में, हरियाणा और पंजाब, दोनों में डीजल, पेस्टीसाइड, बीज और खाद पर एक पैसे के टैक्स नहीं लगाया। आज मेरा सारा गंगानगर जिला पंजाब और हरियाणा से खाद और पेस्टीसाइट खरीद कर लाता है। एक पैसे की बिक्री यहां के लालाओं को नहीं होती, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इन चीजों पर आठ-आठ, दस-दस प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा रखा है। अगर हम वाकई राजस्थान के किसान का भला चाहते हैं और राजस्थान के किसान की बात करते हैं तो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर को चाहिये कि बिक्री कर में उन किसानों को छूट दें। जिन चीजों को किसान इस्तेमाल करते हैं उनमें छूट दें। मुझे बिक्री

(180)



(श्री हेतराम बेनीवाल)

कर के बारे में यही कहना है। मैं नहीं चाहता कि बिक्री कर कम वसूल हो, ज्यादा वसूल हो पर जिनके पास पैसा है उनसे वसूल हो।

दूसरी बात मुझे आबकारी नीति के बारे में कहनी है। मैं यह समझता हूं कि इस तरह की यूटोपिया बातों से कोई मतलब नहीं कि हम शराब को बंद करें। वास्तव में किसी रूप में शराब बन्द हो नहीं सकती। आज के युग में शराब बंद करने की बात यूटोपिया बाते हैं, कुछ लोगों ने किया है। मुझे तो यह कहना है कि इस शराब की जो बिक्री है गंगानगर जिले में इसकी डिस्टलरी है और उसमें जो भ्रष्टाचार है, वह मामूली नहीं है। वहां एक बहुत बड़ा टैंक भरा हुआ है स्प्रिट का और उस टैंक से पलो करके बोतलों में शराब भरते हैं। एक गैलन स्प्रिट 32 गैलन शराब बनाती है। आप यह समझिये कि अगर एक गैलन स्प्रिट भी गायब हो जाय तो 32 गैलन शराब बन गई। वहां सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है कि पेरेलल स्प्रिट निकलती रही और यह स्प्रिट पड़ौस के प्रांतों में, दूसरी जगह शराब बनने के लिये जाती रही। क्योंकि इसका कोई पता नहीं लगता। स्प्रिट इतनी सस्ती चीज है, इतने कम पैसे में मिलती है कि आपकी बोतल पर ज्यादा से ज्यादा पन्द्रह-बीस पैसे कीमत पड़ती है, जो आप छह रुपये में, सात रुपये में ग्राहक को बेचते हैं। हमारे एक्साइज टैक्स में सबसे बड़ा कमी का कारण कोई है तो यह भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज–मैं कहना चाहूंगा, ठेके के मामले में जो कांग्रेस की पालिसी थी, कांग्रेस ने उन बड़े-बड़े ठेकेदारों को अपने राजनैतिक लाभ के लिये पाला, पूरे का पूरा जिला या पूरे का पूरा डिवीजन एक ठेकेदार को दिया। मुझे आज इस हाउस में कहते हुये अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस के नेता उन शराब के ठेकेदारों से मिले होते थे। कई जगह तो कांग्रेस के कई प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष ही ठेकेदार होते थे। कांग्रेस के बहुत से एम. एल. ए. शराब के ठेकेदारों से मिल कर शराब का ठेका लेते थे। आपकी नई सरकार बनी है, आपसे निवेदन है कि जो यह राजनैतिक घुसपैठ है, यह शराब के ठेकों में नहीं होनी चाहिये। मुझे डर इस बात का है कि अभी तो अप्रेल चला गया, अगला एक अप्रेल जब तक आयेगा, आप में से कई अनुभवी ठेकेदार हैं हमारे यहां, आपके दल में भी बैठे हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह घुसपैठ शुरू हो जाये। इसके लिये मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि इस बात को तोड़ दीजिये कि जिले के पैमाने पर एक आदमी ठेका लेगा। मेरे जिले का दस करोड़ का ठेका है। दस करोड़ रुपये की शराब का ठेका यह है कि जितनी शराब वह ज्यादा खरीद लेगा वही ठेका है और कोई ठेका नहीं। डिस्टलरी से शराब कितनी उठायेगा, इस बात का ठेका होता है। मैं दस करोड़ की उठाऊंगा, दूसरा ठेकेदार आ गया–वह ग्यारह करोड़ की उठायेगा। ऐसे मोनोपोलिस्ट ठेकेदार हैं, वह दस-पन्द्रह आदमी आपस में पूल करके उस सारे इलाके का ठेका लेते हैं। आप यह करिये कि जो पूरा जोन है, सारे जिले में पन्द्रह-बीस जोन बना दीजिये और पन्द्रह-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बीस को नीलाम कर दीजिये, बीस करोड़ रुपये नहीं बचे तो मेरी जिम्मेदारी। जो पांच-दस आदमी मिलकर सारे इलाके का ठेका लेते हैं, आप उसके बजाय उस को जोन्स में बांट कर उस इलाके का ठेका दीजिये। निश्चित तौर से दुगनी आमदनी होगी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं अन्य जिलों की तो नहीं कहता, मेरा पूरा जिला ऐसा है कि जितनी आप शराब सप्लाई करते हैं लगभग उतनी ही उद्योग से सप्लाई होती है। यह गृह उद्योग बना रखा है लोगों ने। चूंकि बोर्डर का इलाका है, पंजाब का बोर्डर पास में है, पहले तो यह हालत थी कि पाकिस्तान वाले भी यहीं से शराब ले जाते थे। श्री बूटा सिंह जी, माफ करें, मैं नाम ले रहा हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई जरूरत नहीं है।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : जरूरत नहीं है, हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री हैं। ट्रक भर कर हमारे यहां से शराब पाकिस्तान की तरफ जाती थी और पाकिस्तान से हथियार आते थे। अब यह स्थिति है कि वह जो पेरेलल उद्योग है, यह पनपा है। आपकी मशीनरी इसमें बिल्कुल नाकामयाब है। आपके एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो उनसे मिला हुआ न हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज गंगानगर जिले में, खास तौर से जो बोर्डर के इलाके हैं, उनमें अफीम और शराब, नाजायज शराब जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की शराब नहीं है, एक-एक ड्रम भरे हुए हैं। लोगों ने इस तरह की डिस्टलरीज बना रखी है कि दो सौ-दो सौ लिटर डिस्ट्रीलेशन अपने घरों में करते हैं। जब दो सौ लिटर का डिस्ट्रीलेशन एक परिवार में होता है, इसका मतलब पूरा गांव, पूरा इलाका और आपका पूरा प्रशासन उनके पास है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसी तरह से वहां पोस्त और अफीम....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप देखना चाहें तो हाइवे पर जितने भी अड्डे हैं, चाय की दुकानें हैं, उन सारी दुकानों पर अफीम और पोस्त मिलती है। दो-दो तीन-तीन क्विंटल अफीम मिलती है, एक दो चार किलो नहीं। तराजू से तौल कर देते हैं। सादुलशहर और संगरिया दो ऐसे शहर हैं जिन शहरों के अन्दर दो-दो, तीन-तीन क्विंटल अफीम लेकर बांटते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस के अधिकारी एक्साइज डिपार्टमेंट तो खैर है ही, एक्साइज डिपार्टमेंट को इसके बारे में कोई एतराज नहीं है। मेरी समझ में शायद ही एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने किसी दुकान पर छापा मारा हो या किसी नाजायज शराब की दुकान पर छापा मारा हो। ठेकेदार ही हैं जिनको दिलचस्पी है कि यह बन्द हो और वह इसमें असमर्थ है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले में सख्ती करें और इनको बंद करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

माननीय श्री शांति लाल (अनुपस्थित)

माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल (अनुपस्थित)

माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह।

**श्री नत्थी सिंह** : आप एक दफा बांह क्यों चढ़ाते हैं ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, घड़ी देखने के लिए।

**श्री दिग्विजय सिंह** : घड़ी सामने लग रही है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : वह घड़ी धोखा दे चुकी है, एक बार।

**श्री दिग्विजय सिंह** : इसीलिए तो उसको बदल दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको तो इसी से चलना है।

**श्री सम्पत सिंह** : यांके ब्याह में मिली है उससे ही चलेला।

**श्री प्रद्युम्न सिंह (राजा खेड़ा)** : मैं उसी से चलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी के बारे में मंत्री महोदया को आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पिछले दिनों ही यहां विधान सभा में एक प्रश्न उठा था मद्यनिषेध के बारे में और उस वक्त जो प्रश्न हुए थे उन्हीं बातों को पुनः दोहराना चाहता हूं। अब जहां तक शराब का सवाल है मैं स्वयं प्रोहिबिशन के खिलाफ हूं। मैंने 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त मैं ही इसके अन्दर अगुवा था और मैंने कहा था कि इसको समाप्त करना चाहिए लोग जहर पीकर मर रहे हैं, कोरे ढोंग के अन्दर कुछ नहीं रखा हुआ है। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। खैर मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ–साथ जिन्होंने नियम विरुद्ध दुकानें खास तौर से नेशनल हाइवेज पर जो चल रही हैं। इससे एक्सीडेण्ट बहुत बढ़ रहे हैं। आपके मंदिरों के पास, औषधालयों के पास, हास्पिटल के पास, इस किस्म की दुकानें खुल गयी हैं कि उनको आपको निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। आज हालत यह हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आमदनी के नाम पर ठेकेदार इस किस्म की बातें अपने अधिकारियों से कहते हैं कि हमारी आमदनी नहीं है, अगले साल ठेके की कीमत घट जायेगी इसलिए हमारे ऊपर पाबन्दी न लगायी जाय, उससे बड़ा अहित हो रहा है। कभी कभी तो हम स्वयं आंख मींच लेते हैं रेवेन्यू के लालच के अन्दर लेकिन उससे समाज का बड़ा अहित हो रहा है। इन चीजों को तो हमें कम से कम रोकना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा मेरी उनसे सहमति है कि आज देशी शराब की दुकानों में बैठकर लोग शराब पीते हैं और वहां से निकलकर बाजार के अन्दर गांव के अन्दर आकर जिस प्रकार का उत्पात मचाया करते हैं उसका भी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एनफोर्समेण्ट बहुत सख्ती से होना चाहिए और नियमों को लागू करना चाहिए। यह बहुत छोटा-सा सुझाव आबकारी के बारे में था।

मंत्री महोदया ने कहा है कि आदेश पांच-सात दिन पहले निकाल दिये, उन्होंने तीन तारीख भी बतायी थी। मैं कामना करता हूं कि आप जैसी होशियार और काबिल मंत्री उन आदेशों की कड़ाई से पालना करवा सकेंगी। ऐसी मेरी उम्मीद है।

दूसरी बात, मैं बिक्री कर के बारे में कह रहा था। बी. जे. पी. के मेनीफेस्टो में यह कहा गया है कि हम चुंगी और बिक्री कर को समाप्त कर देंगे। इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? आप किस प्रकार से इसको समाप्त करने जा रहे हैं या यह कोरा चुनावी वायदा था जिसके पीछे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी तो इस बात को साफ करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता के अन्दर निश्चित तौर पर इस बात का भ्रम फैला हुआ है कि निकट भविष्य के अन्दर बिक्री कर समाप्त होने वाला है। मैं इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करवाना चाहूंगा क्या राजस्थान सरकार का इरादा सैल्स टैक्स को समाप्त करने का है या नहीं? 1977 के अन्दर भी यह बात कही गयी थी, उस वक्त एल. के. झा कमेटी की रिपोर्ट आने की बात कहकर बराबर सरकार इस बात को टालती रही। मैंने उस वक्त भी पूछा था जब मास्टर श्री आदित्येन्द्रजी यहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एल. के. झा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फैसला करेंगे। उस समय इसको लेकर बचने की चेष्टा की थी। इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? नहीं है, तो साफ कहें जिससे लोगों को जो उम्मीद बंधी हुई है कि सैल्स टैक्स और चुंगी समाप्त होने वाली है वह होगी या नहीं होगी? इसके बारे में निश्चित रूप से यहां पर घोषणा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उन के व्यापारियों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रही है, क्योंकि कई चीजों की राजस्थान के अन्दर सैल्स टैक्स की दरें ज्यादा है और पड़ौसी राज्यों के अन्दर रेट्स कम हैं। इसके कारण वहां से चोरी छिपे माल आता है और अपनी स्टेट के अन्दर आकर बिकता है इससे अपने को भी सैल्स टैक्स की हानि हो रही है। मैं चाहूंगा कि ऐसे कौन से आइटम हैं जिनकी रेट्स पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर ज्यादा हैं उनके बारे में और उनको युक्तिसंगत आपको बनाना पड़ेगा। इन को पेरिटी के ऊपर लाना पड़ेगा। सवाल यह पैदा होता है कि इसको कैसे करें? इनको या तो भारत सरकार इन्टरविन करके कराये या कम से कम आपकी जोनल स्टेट्स हैं, जो अपनी नॉर्थ जोन कौंसिल की स्टेट्स हैं इनके बारे में एक फैसला कर लीजिए। क्योंकि यह बड़ा अजीब मामला है। इसलिए जब तक इन स्टेट्स की बैठकर मीटिंग नहीं होगी, कैसे फैसला होगा? या तो पैरिटी हो, दोनों की एक रेट हो, नहीं तो उन राज्यों के मुकाबले में आपको रेट्स करनी होंगी। नहीं तो व्यापारियों को बहुत घाटा हो रहा है और बिक्री कर की जबर्दस्त चोरी हो

(184)



(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रही है। इसको आप रोकने का प्रयत्न करें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जो चैक पोस्ट हैं, खास तौर से इण्टर स्टेट बोर्डर के ऊपर जो चैक पोस्ट हैं वहां भयंकर रूप से सैल्स टैक्स की चोरी हो रही है। आप इसके लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? सरकार क्या करने वाली है? मैं बरैठा उदाहरण दूं, माउण्ट आबू का उदाहरण दूं। मैं माउण्ट आबू रोड के अन्दर पिण्डवाड़ा उप चुनाव के समय रहा था और वहां क्या होता है इसका मुझे अनुभव है, जो मैंने देखा है। वहां पर भयंकर रूप से सैल्स टैक्स की चोरी होती है भरतपुर में है, धौलपुर के अन्दर हमारे बरैठा की पोस्ट है आबू रोड के अन्दर चैक पोस्ट है। इसके ऊपर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके अन्दर कितनी बड़ी सैल्स टैक्स की चोरी है। इसको आपको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जिससे राजस्थान की राजस्व आय बढ़े।

दूसरी बात, जिसको भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी रेफरेंस देकर कहा। मध्यप्रदेश मे आटोमोबाइल फेयर के नाम पर जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियों के नाम पर मेले लगते हैं उनमें खाली गाड़ियों की बिक्री नहीं होती है, कोई यह सोचे कि इसके अन्दर मोटर व्हिकल्स की बिक्री होती है ऐसा नहीं है। स्कूटर वहां पर, आटो साइकिल वहां पर और अब तो वहां पर रेफ्रीजरेटर, टी. वी., मिक्सी, जितने इलेक्ट्रोनिक्स के इक्विपमेण्टस हैं उन सब की वहां धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। दूर-दूर के लोग, गाड़ियों का तो यह हाल है कि जयपुर से जाकर लोग मध्यप्रदेश से गाड़ी खरीदकर लेकर आते हैं। अकेले ग्वालियर का मेला नहीं है। राउण्ड दी इयर 6 महीने तक इस प्रकार के मेले चलते रहते हैं। कहीं इन्दौर में लग रहा है, कहीं भोपाल में लग रहा है, कहीं शिवपुरी में लग रहा है और कहीं ग्वालियर में लग रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान को हो रहा है। इसके बारे में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर और जब बजट भाषण मुख्य मंत्रीजी ने दिया था उस वक्त भी मैंने इसकी चर्चा की थी। उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। पता नहीं क्या विचार किया और क्या निर्णय लिया? इससे राजस्थान को दोहरा नुकसान हो रहा है। गाड़ी ही वहीं खरीदी जाती है वहीं पर गलत एड्रेस देकर लोग रजिस्ट्रेशन भी वहीं से कराकर लाते हैं। इस प्रकार दोहरी मार राज्य सरकार को पड़ रही है। बिक्री कर की मार पड़ रही है, रोड टैक्स और व्हिकल टैक्स जो होता है वह भी अपन को प्राप्त नहीं हो रहा है। आप अंदाजा करिए। 50-50 करोड़ की एक मेले के अन्दर बिक्री हो रही है और राजस्थान के अन्दर गाड़ियां धड़ल्ले से चली आ रही हैं। आज मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रेशन की कितनी गाड़ियां आ रही हैं इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है और राजस्व की हानि हो रही है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? वह भी यहां पर स्पष्ट करने की घोषणा करें।

(श्री प्रद्युम्न सिंह जी)

इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्रीउपाध्यक्ष** : श्री चुन्नीलाल खण्डार। (अनुपस्थित) श्री कन्हैयालाल मीणा।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी के बारे में काफी कुछ माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं भी कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा। आबकारी की जो नीति है वह गरीबों की न होकर पूंजीपतियों की नीति है। राजस्थान को मात्र 50-55 सेक्टरों में ही बांट रखा हैं। अतः इस नीति को तोड़कर इसको वास्तविक बनाना चाहिए और हर दुकान की निलामी क्षेत्रीयता के आधार पर होनी चाहिए। इसमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा आय भी ज्यादा होगी। क्योंकि पूरे राजस्थान में ठेके तो पूंजिपति ही ले सकते हैं जो अपनी मर्जी से ठेकेदारों से सांठगांठ करके सस्ते में ठेके छुड़वा लेते हैं।

राजस्थान का जो शराब का ठेका है, वह 4-5 व्यक्तियों के हाथों में ही रह जाता है और छोटे जो गरीब व्यक्ति होते हैं, कई बेरोजगार जो स्नातक हैं, उनको छोटी दुकानों पर खाली सैल्समैनशिप के अलावा या पल्लेदारी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बड़े ठेकेदार हैं, अपने बल से जनप्रतिनिधियों को और पुलिस वालों को भी साम, दाम, दण्ड, भेद से डरा करके अपने दवाव में रखते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि यह लोग भी इनके खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं। आप एक लाइसेंस की दुकान जहां खोलते हैं, उसके अड़ौस-पड़ौस में सैंकड़ों दुकानें ऐसी लगा लेते हैं, जो मन्दिरों, मस्जिदों, धर्मशालाओं आदि की जगह होती हैं और दरें भी अपनी मन-मर्जी से वसूल करते हैं, इस पर भी नियंत्रण होना आवश्यक है। बाहर से बनने वाली जो शराब के गोदाम हैं, उनको शहर से बाहर ही रखते हैं। जिससे लाखों रुपयों की चुंगी की चोरी भी होती है। यह बड़े पूंजीपति ठेकेदार चुंगी की चोरी भी लाखों रुपयों की करते हैं, अतः इस पर भी नियंत्रण होना चाहिये। मैं शराबबन्दी का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि अगर शराबबन्दी कर देते हैं तो गांवों में देशी शराब इतनी निकलती है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अभी एक गांव हमने शराब का ठेका बन्द कर दिया, लेकिन उस शराब के ठेके को बन्द करने से दुगुनी देशी दारू गांव-गांव में निकलना चालू हो गई और जो आबकारी इंस्पेक्टर समझो, जो ठेकेदार हैं, उनसे भी वह लोग मिल लेते है, कई गरीबों को उसमें नाजायज परेशान करते हैं, उनकी मन्थली बन्ध जाती है, जिसकी वजह से ठेकों से भी ज्यादा आय होती है। इस प्रकार से सरकार को भी काफी घाटा हो सकता है। अतः मैं इसको बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं। परन्तु शराब का विकेन्द्रीकरण जरूर होना चाहिये। बस मैं इतना ही कहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

**श्री मदन दिलावर** (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, शराब खराब है, शराब मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसे नारे सरकार देती आई है, परन्तु शराब निरन्तर रूप से

(श्री मदन दिलावर)

लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। मैं यह नहीं कहूंगा कि शराब बिल्कुल बन्द होनी चाहिये, क्योंकि आबकारी विभाग से काफी रेवेन्यू मिलती है और उससे प्रान्त का विकास होता है। परन्तु मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्व की कीमत पर मानव जीवन से नहीं खेला जाना चाहिये। हम देखते हैं कि शराब की दुकानें कानूनन जहां निषेध हैं, वहीं लगायी जाती हैं, हरिजन बस्तियों में शराब की दुकानें लगाना निषेध है, परन्तु शराब की अधिकतर दुकानें हरिजन बस्तियों में ही मिलती हैं। कारण समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों, अधिकारी इसका पालन नहीं करते या तो उनसे मोटी रकम मिलती हैं, या और कोई राज इसके पीछे रहा हो दूसरी बात है, मन्दिरों के पास और सार्वजनिक स्थानो पर भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये। परन्तु जिस प्रकार से केले का ठेला होता है, मेनचौराहे पर। इस प्रकार से शराब की दुकान मुख्य चौराहों पर मिलती हैं और लिखा जाता है कि यहां शराब मिलती है, बहुत सस्ती है बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ लोग कम शराब पियें, इसका निषेध करें, इसके लिए प्रचार-प्रसार करते हैं और काफी पैसा सरकार का खर्च होता है। समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो शराब ज्यादा बिके और दूसरी तरफ लोग शराब न पियें दोनों में विरोधाभास होते हुए भी दोनों नीतियों को लागू किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, ड्राई एरियाज में भी शराब धुंआधार तरीके से बिकती है। जैसे किशनगंज और शाहबाद मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास लगे हुए हैं, वह ड्राई एरिया है, शराब नहीं बिकनी चाहिये, परन्तु सैंकड़ों की संख्या में अवैध दुकाने देखी जा सकती हैं। अधिकारी वहां है, जिनके पास उनको बन्द करवाने के लिए पूरा इन्तजाम हैं, शराब वहां न बिके, इसके लिए। परन्तु अधिकारी लोगों की जानकारी में होते हुए भी शराब की दुकानों को चलवाते रहते है। एक और बात है कि कच्ची शराब पर हमने बिल्कुल पाबन्दी नहीं लगाई है। कच्ची शराब भी धड़ाधड़ बिकती और बनती है, जिससे सैंकड़ों लोग बिना मौत मर जाते हैं। दूसरे प्रान्तों से शराब आकर हमारे प्रान्त में बिकती है, जिससे काफी राजस्व की हानी होती है और हमारी सरकार को इसको भुगतना पड़ता है विकास में जो पैसा मिलना चाहिये, वह उतना नहीं मिल पाता है। अफीम और अन्य मादक द्रव्य हमारे क्षेत्र में शराब की आड़ में काफी बिकते हैं। शराब के ठेकेदार बड़े-बड़े लोग जीप या ट्रक में शराब भर कर ले जायेंगे और कहेंगे इस प्रकार शराब जा रही है लेकिन उसमें कहीं अफीम छिपी रहेगी, कहीं गांजा, चरस, भांग और ब्राउन शुगर, पता नहीं क्या-क्या, मुझे तो नाम भी पता नहीं हैं, इतने मादक द्रव्य वह छिपाकर ले जाते हैं और धड़ाधड़ नौजवानों को नशा करवाते हैं और उनकी ज़िन्दगियां खराब करते हैं। मेरा निवेदन है कि इन पर तुरन्त पाबन्दी लगाई जानी चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करना चाहिये। मुझे यह भी जानकारी हैं कि प्रावधान हैं, परन्तु अधिकारी इनका पालन क्यों नहीं करते हैं? यह ठेके देने की जो नीति है, बड़े-बड़े

(श्री मदन दिलावर)

क्षेत्र बनाकर के बड़े-बड़े लोगों को ठेका दिये जाते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि पंचायत को एक इकाई मानकर के शराब के ठेके दिये जाये तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा पढ़े-लिखे लोग भी इससे कुछ लाभ उठा सकेंगे और जो एक बेरोजगारी का हब्बा है, उसमें भी कुछ कमी आयेगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** फिर तो हर गांव और ढाणी में कर देना चाहिये, बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी।

**श्री मदन दिलावर :** उपाध्यक्ष महोदय, अफीम के बारे में मेरा एक निवेदन है कि अफीम काश्तकारों को, जो बोने के लिए हम देते हैं, वह बहुत छोटे-छोटे क्षेत्रफल में बोने के लिये देते हैं, इसमें मेरा एक निवेदन है कि लघु सीमान्त कृषक, जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, इनको कम से कम एक-एक बीघे में अफीम बोने के लिये इतनी दें। यह केन्द्रीय सरकार से हम निवेदन करें और छोटे-छोटे काश्तकार ही अफीम बोयें इसके लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति दिलायें, इतना ही मेरा कहना है।

**श्री उपाध्यक्ष :** धन्यवाद श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस शराब के ऊपर सदन में काफी बहस हो चुकी है। शराब का जो प्रचलन है, विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ताईद की है कि यह प्रचलन अगर बंद भी कर दिया जाता है तो इससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन राज्य किस प्रकार की नीति अपनाकर शराब का प्रचलन जारी रखें, यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। आज शराब की कीमतों में, चाहे वह देशी मदिरा हो चाहे विलायती मदिरा हो, भावों में बड़ा अन्तर है। किसी शहर में एक बोतल के 120 रुपये लगते हैं तो पड़ौस के शहर में उसके 100 रुपये लगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो उसकी कीमत 70 रुपये हो जाती है और किसी-किसी स्पाट पर तो 40-45 रुपये में ही बोतल की बिक्री होती है। शराब का बनना-करना सरकार के ऊपर निर्भर हैं। उपभोक्ता अधिनियम भी भारत सरकार ने बना रखा है। मेरा निवेदन है कि पूरे स्टेट में कम से कम समान कीमत तो हो। पूरे स्टेट में एक कीमत होना जरूरी है, चाहे वह देशी मदिरा है चाहे वह इंगलिश है। सरकार एक नीति के अनुसार इसकी एक कीमत करे। इसी के साथ मेरा एक निवेदन और है कि वह जो ठेका सिस्टम है इस ठेका सिस्टम को बंद करके राज्य सरकार इस काम को करे। दिल्ली और बहुत-सी दूसरे स्टेट्स में सरकार ही इसकी बिक्री करती है। इससे हमारे हजारों बेरोजगार नौजवान धन्धे पर लग जायेंगे। आजकल आपने मोनोपोली सिस्टम चला रखा है ग्रुप सिस्टम। हर जिले में मोनोपोली है। एक ठेकेदार पूरे ग्रुप को डील करता है। उसके साथ सबलैटिंग होती है दुकानों की। सबलैटिंग ही नहीं, अभी ढाणियों की जो बात कर रहे थे, ढाणी-ढाणी में वह ठेकेदार बोतलें रखने के लिये एजेण्ट नियुक्त करता है। जिस प्रकार थाने का एरिया होता है, कोर्ट का एरिया होता है, तहसील का एरिया होता है उसी प्रकार

(श्री हीरासिंह चौहान)

ठेकेदार भी अपना एरिया समझता है। अगर गांव के लोग विरोध भी करते हैं कि हम शराब का प्रचलन नहीं रहने देंगे, तो जबर्दस्ती वह दुकानें खोलते हैं। जितने भी आबकारी के इंस्पेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं वह तो ठेकेदारों के नौकर हैं। जैसा ठेकेदार कहता है वैसा वह धन्धा करते हैं। इसके अलावा इनके हाथ–पैर चलते नहीं। ठेकेदार कोई भी नाजायज धंधा कर रहा है, चाहे शराब पकड़नी है, किसी को गलत तंग करना है, जिले के अन्दर आबकारी के लोग ठेकेदार के कहने पर चलते है, उन्हीं के अनुसार सारे काम होते हैं। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में चेंज की जरूरत है। एक तो बोतलों की कीमत एक हो और जहां तक हो सके, इस मोनोपोली को खत्म करना बहुत जरूरी है। सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से चिन्तन करे, मनन करे, प्रोस और कोंस देखे, अपनी लाभ–हानि देखकर इसको शुरू करे, इसमें तरह तरह की विकृतियां आ गयी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देशी शराब में–पाइनेपल हो, प्लेन हो या गुलाब हो, यह इतनी थर्ड क्लास वाइन बनती है कि मनुष्य के शरीर के लिए इंजूरियस होती हैं। जहां यह बनती है....

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : आपको क्या मालूम ?

**श्री हीरासिंह चौहान** : हां, मुझे अनुभव है। हजारों लोग प्रयोग में लेते हैं। इसकी शुद्धता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल देशी शराब की बोतलों की सफाई भी नहीं होती है और न उनमें कार्क सिस्टम है। उनका कार्क आसानी से खुलता है। किसी चीज का विक्रय करना है तो देशी शराब का पव्वा, अद्धा भी मिलना चाहिए, उनका कार्क भी बड़ा टाइट होना चाहिए ताकि कोई भी उपभोक्ता, जो उसको परचेज करता है, यह महसूस कर सके कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, भले ही इसकी कीमत आप बढ़ा दीजिए। हरियाणा स्टेट ने इसकी किमत कम की तो राजस्थान में भी आपने नकल की, कि देशी शराब की वकालत बहुत होती है लेकिन प्रचलन कम होता है इसलिए इसकी कीमत कम की है। लेकिन इसकी कीमत के साथ इसमें जो गुण थे, जिस प्रकार यह बननी चाहिए उसमें भी कमी ले आये बहुत। डिस्टिलरी में किस प्रकार इसका उत्पादन हो, किस प्रकार कार्क वगैरह लगायें और बोतलों को साफ करके किस प्रकार बिक्री के लिए लाया जाना चाहिए, यह तय होना चाहिए, उपभोक्ता अधिनियम की बराबर इसमें पालना की जानी चाहिए। पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था कि अजमेर के उपभोक्ता संघ ने सैशंन कोर्ट में एक दावा किया है कि इसकी कीमत जगह जगह भिन्न–भिन्न प्रकार की क्यों है। कोई उपभोक्ता है तो उपभोक्ता मांग करेगा। उसकी कीमत अंकित होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन सब पर सरकार गम्भीरता से सोचे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह इसके विज्ञापन है, विज्ञापन के साथ बोतल होती है। शराब का सेवन हानिकारक है, यह तो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता है।

(हीरासिंह चौहान)

इसके विज्ञापन के जो पोस्टर दिये जाते हैं, उनका बहुत प्रचलन नहीं होना चाहिए। आम जगह इसका विज्ञापन नजर आता है, जो अश्लील रूप से बताया जाता है। इसके उपयोग पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। एक का नाम है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट कैसा नाम है?

**श्री सम्पत सिंह :** बढ़िया है, पीने के बाद हो जाता है।

**श्री हीरासिंह चौहान :** इन नामों को भी हटाया जाना चाहिए। मुझे अभी माननीय श्री सम्पत सिंह जी ने कहा। कहीं कहीं तो लिखा हुआ है "चिल्ड बीयर सोल्ड हियर।" बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर। बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका अपने आने वाली जनरेशन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। वह सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज होगी, इसका सेवन करना चाहिए। इसको रोकने के लिए विज्ञापनों को रोका जाना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। आबकारी नीति को चालू रखें क्योंकि हमारे राज्य को इससे बहुत आमदनी होती है, लेकिन 1977 में इसको रोका गया था, तीन साल तक रोका गया था। पहले की सरकार भी हर साल एक, एक जिला बन्द करती थी, इस प्रकार करके पूरा राजस्थान बन्द हो गया था, लेकिन उसके बाद वापस शुरू हो गया। आवश्यकता थी, शुरू हो गया। लेकिन फिर भी आजकल इसकी बिक्री का जो तौर–तरीका है इसमें चेंज करना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि 1973 से पहले एक्साइज के जितने भी मुकदमे बनते थे वह कम्पाउण्ड हो जाया करते थे। मामूली मुकदमे, कहीं अद्धा मिल जाता, कहीं पव्वा मिल जाता। ठेकेदार मुकदमे बनवाते हैं। इसमें जनता परेशान होती है, कोर्ट में जाती है। इनको कम्पाउण्ड करने के लिए एक्साइज एक्ट में कोई धारा वापस एड करनी चाहिए जो उसकी नेचर तय करदे कि इस प्रकार की क्वाण्टिटी और क्वालिटी का माल मिले। हजारों लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, वर्षों तक जाते हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता, क्योंकि डाईरेक्ट काग्निजेंस का केस बनता है, वारण्ट का केस बनता है जिसके कारण कई वर्षों तक उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कम्पाउण्डेबल बनाने से स्टेट को इनकम हो, उसकी सेल्स टैक्स प्राइस तय कर देनी चाहिए कि इतनी मात्रा में कोई मिलता है तो हजार–पांच सौ रुपये देन एण्ड देयर जुर्माना होगा। एक्साइज केस पकड़ने के लिए आबकारी दल जाता है, अकेला एक्साइज का इंस्पेक्टर भी नहीं जाता है या थानेदार वगैरह भी जाते हैं, इनको भी पावर है। यह नियम बनाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यह मुकदमे मोस्टली गरीब लोगों पर ही बनते हैं। बड़े लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता है, गरीब पर ही मुकदमे बनते हैं। क्योंकि उन्होंने तय कर रखा है कि एक्साइज इंस्पेक्टर को एक साल में इतने मुकदमे बनाने पड़ेंगे। इसलिए एक्साइज इंस्पेक्टर किसी न किसी प्रकार से गलत है, सही है, झूठे मुकदमे बनाता है। मेरा निवेदन है है कि इस नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए। इससे स्टेट की इनकम और

(190)



(श्री हीरासिंह चौहान)

बढ़ेगी । इसके लिए केस को कम्पाउण्डेबल बनाना चाहिए, जिससे लोगों के गलत चालान होने से थोड़ी रूकावट आयेगी । (व्यवधान)....

इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रुप सिस्टम को तो कतई खत्म किया जाना चाहिए । एक तरफ तो हम चाहते हैं । कि समाजवाद आये और दूसरी तरफ इससे एकाधिकार हो रहा है । पहले जो शराब के ठेके होते थे उनकी जगह-जगह नीलामी की बोलियां होती थी । इससे भाव तय रहते थे । पूरा का पूरा ग्रुप आजकल होने से इसके भाव तय नहीं रहते । सरकार इसका विक्रय हाथ में न ले, लेकिन ग्रुप सिस्टम को तो कम से कम, कम जरूर किया जाय । कौन आदमी बोली देने के लिए काम्पीटेण्ट हो, यह जरूर तय कर दिया जाना चाहिए, कि उसकी माली हालत ठीक हो । क्योंकि पहले छोटे-छोटे ठेकेदार ठेके लेते थे, लेकिन वह जितना ठेका होता था उतनी राशि सरकार को जमा नहीं करा पाते थे । इससे सरकार की कई प्रकार की और कार्यवाहियां होती, फिर नीलामी होती और सरकार को कई प्रकार के व्यवधानों का सामान करना पड़ता था । पूरी की पूरी राशि एक साथ तय कर दी जाय, बहुत से लोग आजकल पूरी की पूरी राशि एक साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस मोनोपोली को किसी न किसी प्रकार बन्द किया जाना चाहिए। ठेका सिस्टम और पूरे स्टेट में भाव एक समान रहें, इसके ऊपर गम्भीररता से विचार करना चाहिए । मुझे समय दिया, धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री दिलसुख राय ।

**श्री दिलसुख राय** (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या 13 और मांग संख्या 14 पर जो चर्चा हो रही है उसके बारे में मैं भी मेरे सुझाव रखना चाहता हूं । बिक्री कर के बारे में मेरे साथी पहले भी बोले थे, गोटा उद्योग पर जो टैक्स लगाया है उसमें छूट दी जाय । गोटा उद्योग कोई करोड़पतियों का तो है नहीं । हमारे सीकर में खण्डेला में छोटे-छोटे परिवारों ने अपने घर पर मशीनें लगा रखी हैं । अगर टैक्स में रियायत दी जायेगी तो गरीब आदमियों को राहत मिलेगी । दूसरी बात है, किसी को शायद मालूम है या नहीं है कि मेरे खुद के पैट्रोल पम्प है । आयल कम्पनियां जितनी हैं, मैं बताऊं कि यहां से टैंकर लारी लेकर जाती हैं भरकर और नगरपालिका सीमा में 3 पैसे पर लीटर टैक्स के रूप में म्युनिसपैलिटी वसूल करती है । तेल कम्पनियों ने क्या कर रखा है कि 3 पैसे पर लीटर के हिसाब से बिल में ही लगा देते हैं और उसके ऊपर जो टोल टैक्स होता है उस पर भी सेल टैक्स लेते हैं जिससे गरीब किसान पर, काश्तकार पर और गाड़ी वालों पर और आम जनता पर उसका भार पड़ता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में तेल कम्पनियों से बात करके कुछ न कुछ व्यवस्था कराए कि जो टोल टैक्स है उस पर सैल टैक्स नहीं लगना चाहिए ।

(श्री दिलसुख राय)

आबकारी के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दे दिये है। मैं भी एक-दो बाते बताना चाहता हूँ। गांवों के अंदर कोई भी अधिकृत दुकान नहीं है। कोई भी गांव में और देहात में ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में शराब की दुकान न लगी हुई हो। गांव वाले एतराज करते हैं तो ठेकेदार क्या करते हैं कि दूसरे गांव से किसी आदमी को लाकरके बैठा देते हैं। वह यहीं बैठकर शराब बेचे। गांव वाले मना करते हैं तो ठेकेदार पुलिस वालों से मिल करके, क्योंकि पुलिस वाले और ठेकेदार तो मिले हुए ही होते हैं, उन पर जबर्दस्ती केस बनवा देते हैं कि नहीं रखेंगे आप गांव में नहीं रखेंगे तो पड़ौस में रखवा देंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि गांवों के अंदर जो अवैध दुकानें हैं उनको तुरन्त बंद करवाया जाये और यदि बन्द करवाने का विचार नहीं रखते हैं तो पंचायतों को ऐसे अधिकार दिये जावें कि जैसे म्युनिसिपलिटी टैक्स लेती हैं तो पंचायत भी उन पर टैक्स लगाए। उन पर टैक्स लगाने के बजाय यही अच्छा रहेगा कि गांवों के अन्दर कोई अधिकृत दूकान नहीं है तो वो दुकान नहीं लगा सकते ऐसा कोई गांव बचा नहीं है जोहमारे सीकरजिले में तो जहां अवैध शराब की दूकान नहीं हो तो जो गांवों में अवैध शराब निकालते उनको क्या दोष जब ठेकेदार ही अवैध दूकान चला रहे हैं। वह वहां लगा रखी है तो फिर सरकार की तरफ से गांवों में जो लोग निकालते हैं उनको भी छूट दे दी जावे ताकि टैक्स की चोरी तो नहीं होगी, कोई झूठे मुकदमे नहीं होंगे, इतना ही कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र पारीक।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आबकारी एक्ट में काफी परिवर्तन कर के आबकारी तस्करी में काफी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी जिस तरह से आज शराब का और अन्य मादक पदार्थों का सेवन और प्रचलन जिस प्रकार बढ़ा है वह काफी बड़ी चिन्ता का विषय है लेकिन क्योंकि सरकार की आय के मद में आबकारी विभाग से काफी बड़ी राशि मिलती है इसलिए इसे बन्द करने की या ऐसी कोई चर्चा....

**श्री सम्पत सिंह** : बहुत टाइम लेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो एक मिनट ही बोलेंगे, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ?

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ऐसी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा जिनसे हो सकता है कि आबकारी विभाग को और सरकार को कुछ आर्थिक हानि हो लेकिन आज उसका औचित्य बहुत अधिक बढ़ गया है।

आबकारी विभाग में जहां ठेकेदार स्वयं ही लोगों की जहां-जहां अवैध शराब की भट्टियां चलती है वहां-वहां छापे मारते हैं। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि ठेकेदार स्वयं मौके पर पहुंचते हैं और उस आदमी को जिसके घर पर यह अवैध शराब पकड़ी जाती है उसके साथ बुरी तरह से स्वयं ही मार-पीट कर लेते हैं और कई बार तो कई संगीन केस होते-होते बचते हैं। इस विसंगति से बचने के लिए मेरा

192



(श्री राजेन्द्र पारीक)

आपके मार्फत् सरकार को यह सुझाव है कि आबकारी विभाग में फोर्स की संख्या और बढ़ाई जाय। हो सकता है कि इससे सरकार को कुछ आर्थिक हानि तो होगी लेकिन इस तरह की फोर्स बढ़ाने से आए दिन के जो क्लेश और झगड़े बढ़ रहे है, इनमें कुछ राहत मिलेगी और इससे काफी फायदा भी मिलेगा। क्योंकि ठेकेदार स्वयं अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में निरंकुश होते जा रहे हैं जिससे कई बार तो बड़े-बड़े हादसे होते हैं और उन हादसों में गोलियां तक चलती है। गांवों में जब इस तरह की हरकतें जहां कहीं भी होती है तो परमानेंट दुश्मनियां बनती हैं। तो मेरा आपके मार्फत सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि थोड़ी-बहुत फोर्स बढ़ाने से यदि खर्चा बढ़ता है तो भले ही बढ़े लेकिन समाज में इस तरह की होने वाली आंतक की जो कार्यवाहियां है उन पर कहीं न कहीं रोक लगेगी।

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि आबकारी विभाग के अधिकारीगण जहां कहीं जाते हैं और शराब जिस जगह से पकड़ी जाती हैं, जिस जगह से मेरा मतलब है जिस कम्पाण्ड में, जिस खेत में या जिस जमीन पर भले ही उस जमीन का मालिक शराब के नशे की बात तो दूर बल्कि छूता तक नहीं है उसका किसी बात से नजदीक से कोई वास्ता तक नहीं है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी उस आदमी को उस पर्टीकुलर केस में इन्वोल्व कर लिया जाता है। ऐसे हादसे आये दिन हो रहे है और यह इतनी बड़ी विसंगति है कि जिस आदमी का किसी बात से कोई लेना-देना नहीं है उस आदमी को अन्य किसी ऐसे केस में फंसा करके उसको परेशानी में डाल दिया जाता है। यह स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिये आपके जिला आबकारी अधिकारियों को जिस आदमी की जमीन पर मामला पकड़ा गया है उसकी आइडेन्टिटी क्या है? क्या समाज में वो एक तरह से दुष्चरित्र है या समाज में इस तरह की कार्यवाही में वो लिप्त है? जब स्वयं आबकारी अधिकारी को यह पता है कि समाज में यह आदमी प्रतिष्ठित है, समाज में इस आदमी की अपनी एक पहचान है तो उनको स्वयं इस बात का निर्णय कर लेना चाहिये। लेकिन वह अपने निश्चित कानूनों की आड़ में और उनकी दुहाई दे कर ऐसे लोगों को भी फंसा देते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि आपके जिला आबकारी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिये जाने चाहिये कि एसे मामलों में वह लोकल आदमियों को जिनकी केवल जमीन पर किसी ने किसी ने घड़ा दबा दिया, कनस्तर दबा दिया और उससे उनका कोई लेना-देना नहीं तो ऐसे मामलों में वो बहुत सतर्कता बरते।

दूसरा मेरा यह कहना है कि आये दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यह बड़ा सीरियश मैटर है। हाईवे के हर एक किलोमीटर के बाद और बड़ी बात हो गई हर 50 गज के बाद जगह-जगह ठेका देशी शराब के बोर्ड्स लगे हुए हैं। कम से कम- हाइवे को 2–3 किलोमीटर छोड़कर शराब के ठेके आथोराइज्ड हैं तो भी, हर बार में यह कहा जाना कि हमारी इससे रेवेन्यू की

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कमी आ जाती है। ठेकेदार का बार-बार यह कहना कि फिर मैं पूरी शराब नहीं उठा पाऊंगा, सारी बातें ठीक हैं लेकिन कम से कम मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना बड़े वाजिब तौर से जरूरी है। बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स महज इसलिए होते हैं कि रास्ते चलते ट्रक वाले को और बस वाले को हाइवे पर शराब की दुकान दिख जाती है। एक मिनट के लिये वह वाहन वहां रोकता है, शराब पीता है और चल देता है इसके लिये भी सरकारी नीति होनी चाहिये कि हाइवे से एक किलोमीटर अंदर इंटीरियर में ही शराब की दुकान लग पायेगी. हाइवे पर शराब की दुकान नहीं लगेगी।

इसके बावजूद मैं आपसे सेल्स टैक्स के बारे में एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। सरकार ने टेंट पर बजट में जो टैक्स लगाया है यह आज की तारीख में गरीब के प्रति घोर अन्याय का सा काम करेगा। या तो सरकार को यह चाहिये था कि वह निश्चित अमाउण्ट फिक्स कर देती कि 1000/– रुपये के ऊपर का जो टेंट लगायेगा उस पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा या 2000/– से ऊपर का टेंट लगायेगा उस पर टैक्स लगेगा। सरकार ने कोई सीमा तो निश्चित की नहीं। जिस आदमी को एक छोलदारी लगानी है। उस पर भी टैक्स लगेगा जिस आदमी को 20,000/– का काम कराना है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। सरकार को यह पता है कि छोटे-छोटे टेंट लगाने में आदमी को 1000 रुपये का 1500 रुपये का उसका अपनी हैसियत के हिसाब से भी नहीं तो कम से कम समाज में जिस जगह पर वह रहता है मजबूरी में कई बार ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं। सरकार को मानवीय और संवेदनशील होकर इस विषय पर विचार करना चाहिये कि सरकार एक अमाउण्ट तो कम से कम ऐसा फिक्स कर ही दे, मैं तो यह कहूंगा कि इसे समाप्त ही कर दे। समाप्त नहीं भी करे तो कम से कम इसमें अमाउण्ट जरूर फिक्स कर दे कि 2000/– रुपये के ऊपर टेंट या छोलदारी लगायेगा तो उस पर टैक्स की लाइवलिटी बनेगी।

सरकार ने 20/– रुपये के जूते और 20 रुपये के कपड़ों पर जो टैक्स लगाया है। न्याय की बात है कि सरकार को इसको विदड्रा करना चाहिये। इससे सरकार को आमदनी क्या होगी यह तो अलग बात है लेकिन सरकार की स्वयं की छवि गरीब विरोधी बनती जा रही है। बार-बार यह कहना कि गरीब को गणेश मानकर, मैं तो आपसे यह अर्ज करूं कि यह जो गरीब को गणेश मानकर बात कही जा रही है यह तो एक तरह से व्यंग्य कसा जा रहा है। "गोबर गणेश" आपने सुना होगा यह उसी तरह की वार्ता है। यदि गरीब को ही मानना है तो 'भैंरू' को मानिये। क्योंकि गांव का जो देवता है ग्रामीण इलाके का देवता है वह तो भैंरू है। यदि पूजना ही है तो उस गरीब को भैंरू मानकर पूजो।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 20/–

(श्री हरीश भामनानी)

के जूतों के ऊपर कर मुक्ति के संबंध में नया प्रावधान हो गया है उसे मुक्त कर दिया है। शायद इनको जानकारी नहीं है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा माननीय मंत्री महोदय ही करें तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि विधान सभा के सदस्यों को ऐसे पावर्स नहीं दिये गये हैं कि वो बजट में अपनी मर्जी से टैक्स एक्जपशन की ये सारी की सारी घोषणायें कर दें। यदि बी. जे. पी. ने ऐसे पावर्स अपने सदस्य महानुभावों को दे दिये हैं तो मैं तो मेरी पार्टी की ओर से पूरी सरकार को इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि समय आने वाला है हम लोग भी अगली बार सरकार का गठन करेंगे।

(7.00 सांय)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दें उसके पहले मैं कुछ निवेदन कर दूं, नहीं तो फिर बीच में सवाल पूछने पड़ेंगे ?

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : माननीय श्री कल्लाजी, आप बाद में सवाल पूछ लेना।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : नहीं, माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें तो उन बातों को भी अपने जवाब में शामिल कर लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग जब विरोध पक्ष में बैठा करते थे तब राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों के बारे में कहा करते थे कि राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों पर मनोरंजन कर नहीं लगाया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को आप कर मुक्त रखेंगे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** (स्वायत्त शासन मंत्री) : जिसको आप देखेंगे उसको मुक्त कर देंगे।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : एक अन्त-र्राज्यीय व्यापार होता है, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया ऑटोमोबाइल्स एवं अन्य चीजों के बारे में और इस बजट में थोड़ी बहुत भी कोई अच्छाई की बात है तो कह सकता हूं कि विभाग ने मेहनत की है, एक्सरसाइज की है कि उन्होंने हमारे पड़ौसी राज्यों में जो बिक्री कर की दर है वह बिक्री दर यहां पर भी समान लाने की कोशिश की है।

मैं चाहता हूं कि क्या वित्त राज्य मंत्रीजी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठ कर हमारे पड़ौसी राज्यों में जो वस्तुओं पर बिक्री कर की दर है वह बिक्री कर की दर हमारे प्रदेश में लागू करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे यहां उन वस्तुओं के व्यापार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। और पड़ौसी राज्यों से वस्तुऐं यहां आयात नहीं की जा सकें।

तीसरी बात, बकाया जो हमारा बिक्री कर है उसको वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिक्री कर का बकाया समय-बद्ध कार्यक्रम बनाकर यह वसूल करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : माननीय उपा-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट और कह देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो इतने पुराने सदस्य हैं हाउस का मूल्य समझते हैं।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : श्री कल्लाजी, आप बाद में प्रश्न पूछ लेना।

## मांग संख्या 14 का पारण

**श्री शान्तिलाल चपलोत** (वित्त, आबकारी एवं करारोपण राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990–91 के लिये बजट में जिस प्रकार के नये कर प्रस्तावित किये गये थे उनके बारे में 100 रुपये प्रतिदिन वाले जो होटल्स हैं, बड़े लोग जिनका उपभोग करते हैं आलीशान होटलों में रहते हैं, लग्जरियस जिनकी लाइफ है ऐसे लोगों पर हमने टैक्स लगाकर गांव की ग्रामीण जनता का भला करने का निश्चय किया है। उसके लिए हम स्वर्गीय श्री जयप्रकाशजी के शब्दों में "समग्र क्रांति" के भाग बनना चाहते हैं, राजस्थान का काया कल्प करना चाहते हैं, समग्र क्रांति के जरिये इस गरीब जनता का उत्थान करना चाहते हैं। इसलिये इन आलीशान भवनों पर, आलीशान होटलों पर जिनमें बड़े-बड़े लोग ढाई-ढाई हजार रुपये तक का किराया देकर रहते हैं उसको हमने टैक्स किया है जो 100 रुपये से ज्यादा है ऐसे लोगों पर टैक्स किया है। किसी भी मध्यम श्रेणी के लोगों पर, किसी भी गरीब व्यक्ति पर इसका भार पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। इससे हमारा ऐसा अन्दाज है कि....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : + + + कि इन होटलों को आपने किस श्रेणी में मान लिया.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि आलीशान भवनों पर कराधान किया, मैं कहता हूं कि इस बजट स्पीच में 10 लाख रुपये के मकान पर 37,505/– रुपये की छूट दी गई है, आप क्या समग्र क्रांति लायेंगे? गरीबों पर टैक्स लगाया है.... (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : आपको छूट नहीं मिली दिखती है ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि मंत्री महोदय का यह कहना 'समग्र क्रांति' नहीं है यह "समग्र भ्रांति" है। गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य माननीय कल्ला साहब। आपको तो दाद देनी चाहिये। नये-नये मंत्री बने हैं। धाराप्रवाह बोल रहे हैं। धाराप्रवाह की दाद दीजिये और कुछ नहीं तो। एनक्रेज कीजिये उनको.... (व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(196)



**श्री राजेन्द्र पारीक** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समग्र क्रांति की बात कर रहे हैं यह समग्र क्रांति नहीं बल्कि समग्र भ्रान्ति है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अच्छा, बैठिये आप। आप वही कहिये।

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आलीशान भवनों से अर्थ उन बड़ी होटलों से है जो करोड़ों-अरबों रुपयों की लागत से बनाई गई है और गरीब की कोस्ट पर बनाई गई है, उन होटलों में जो रहेंगे वह उस प्रकार का टैक्स देने में सक्षम है और उन्हीं को हमने टैक्स किया है।

इसी तरह से वीडियों फिल्म है उनके प्रदर्शन पर कहीं भी रोक नहीं है। इन वीडियो फिल्मों के चलने से राजस्व में बहुत घाटा हो रहा है। सिनेमा से जो एन्टरटेनमेंट टैक्स मिलता था उसमें भी कमी आई है। और वह लोग वीड़ियो के जरिये 400–500 लोगों को फिल्म दिखाते हैं, फिल्म इण्डस्ट्री गिर रही है वह तो गिर रही है, पर उनसे भी उनको एन्टरटेनमेंट तो होता ही है, तो ऐसे लोगों के लिये जो इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं उन वीडियो फिल्मों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। इससे हमें एक करोड़ रुपये राजस्व की आमदनी होगी, क्योंकि यह करारोपण भी है।

मुझे अभी सेल्स टैक्स के बारे में भी जबाव देना है। इसलिये इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। इसी प्रकार से कुछ लीजिंग की गतिविधियां हैं, केसेट्स हैं, टेलीविजन है, वीडियो केसिट्स, रिकार्डर इन सब पर भी हमने कर भार किया है और उससे हमें फिर एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की गुंजाइश है.... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सेठ और कोई भी धन्ना सेठ....

**श्री मदन दिलावर** : आप पर लग गया दिखता है, सारा ले लेंगे सारा....अपर टैक्स लग गया दिखता है.... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** : यह गरीब विरोधी बजट है पूरा का पूरा।

**श्री हेमराज मीणा** : आप गरीब हैं क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो कम से कम को-आपरेट करिये।

**श्री हेमराज मीणा** : आप मंत्रीजी को सक्षम नहीं समझ रहे हैं ?

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : उनका भी मैं उतर दूंगा ...

**श्री राजेन्द्र पारीक** : आप उनको सक्षम नहीं समझ रहे हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : आप मंत्रीजी को सक्षम नहीं समझते हैं, वह तो बहुत अच्छा जबाव दे रहे हैं, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं पता नहीं क्यों पैरवो कर रहे हैं ?.... (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर सर...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी पाइन्ट ऑफ आर्डर। अब काहे के लिये पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं, कौन से नियम के तहत उठा रहे हैं ?

**श्री मोहनलाल चौहान** : रूल में है।

**श्री उपाध्यक्ष** : कौन से रूल में ?

**श्री मोहनलाल चौहान** : सदन की परम्परा है। सदन की परम्परा रही है कि जब मंत्रीजी द्वारा उत्तर दिया जाता है तो बाद में विपक्ष के माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, तो दोनों ही तरफ से कर रहे हैं। उधर भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं। यह सब पर लागू होता है। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने बड़ी चिन्ता प्रकट की है कि हमने खच्चरों पर टैक्स लगाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खच्चरों पर, गधों पर, घोड़ों पर, पशुओं पर ...

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : आज बिक्री कर के ऊपर मांग हो रही है....

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा में बात आई है उनका जबाव दे रहे हैं।

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : अभी आप सुनिये। आपको शिक्षित होने की बहुत जरूरत है। अभी बहुत समय लगेगा आपको.... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खच्चरों पर टैक्स नहीं लगाया है। पशु मेले लगते हैं। पशु मेलों में उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, कैटलशेड्स हों पानी की अच्छी व्यवस्था हो तब वह ठीक ढंग से आ जा सकें रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए टैक्स नहीं लगाया है, उसके लिए निःशुल्क है। ... (व्यवधान) नाथूलालजी अहारी जो बांसवाड़ा जिले से आते हैं उन्होंने इस प्रकार की क्वेरिज उठायी थी इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं।....

**श्री उपाध्यक्ष** : जो सदस्य हैं, उन्हीं का जवाब दीजिये। जो अनुपस्थित हैं जो बोलकर चले गये हों, उनका जबाव क्यों देते हो आप....(व्यवधान)

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गरीब के मूंज और बाण....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि सब सदस्यों को बहुत जल्दी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो हमारी मांग है। मांग संख्या–14 उसको पारित करने के लिए माननीय सदस्य हमारा अनुरोध स्वीकार करें, हम पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी इस मांग को पारित करने में सहयोग करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि मांग–14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13 करोड़ 83 लाख 40 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या–14 बिक्री कर स्वीकार की गयी।

माननीय आबकारी मंत्री महोदय।

**मांग संख्या 13 का पारण**

**श्रीमती विद्या पाठक** (आबकारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सदन यह तय कर ले कि 10 मिनिट इस डिमाण्ड का जवाब सुनना है तो फिर शांति से सुनें और अगर पास ही करनी है तो सदन की इच्छा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी क्या इच्छा है?

**श्री रामस्वरूप मीणा** : जो + + + हुआ है वह हमारी समझ में नहीं आया?

**श्रीमती विद्या पाठक** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं एक ऐसा विभाग जो बहुत खुला हुआ भी नहीं है, जनता के सीधे सम्पर्क का भी नहीं है, उसमें इतनी रूचि ली माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं सोचती हूं कि अगर हम लोग जानकारी रखने का इतना इण्ट्रेस्ट बनाये रखेंगे तो विभागों में सुधार निश्चित रूप से आयेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो यहां स्पष्ट हुई कि आबकारी विभाग से संबंधित है जो नशे की वस्तुओं से संबंधित विभाग जिसमें शराब भी है, विदेशी शराबी भी है, भांग वगैरह और जो दूसरी इस तरह के नशे की चीजें हैं। डोडा पोश्त वगैरह भी हैं। यह सारी चीजें सोशन सैंक्शन प्राप्त नहीं करती हैं। किसी भी माननीय सदस्य ने इसके पक्ष में बोलकर नहीं कहा है। इसका मतलब यह है कि यह एक बुरी आदत तो है सोशन सैंक्शन इसको नहीं है परन्तु फिर भी यह मानव के साथ नेसेसरली जुड़ गयी। बहुत सी सरकारों और स्वयं राजस्थान की सरकार ने भी एक बार प्रोहिबिशन चालू करके देख लिया। विदेशों में भी चालू हो गया पर मानवोचित कमजोरी है उसका तो कोई जवाब नहीं और इसलिए यह सारी चीज रेग्युलेट हो सके इसके लिए विभाग चिंतित है। माननीय सदस्यों ने बहुत सी अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। और मैं उन से निवेदन करना चाहती हूं कि इस विभाग के प्रति बिना किसी तरह का इन्वाल्वमेण्ट रखे हुए अब जब सरकार इसमें ट्रेड कर रही है तो आब्जेक्टिवली इनकम एक साधन है परन्तु नागरिकों की कास्ट पर नहीं। यह मेरा निरन्तर लक्ष्य रहेगा। ट्रेड के सिद्धांत पर, प्योरली सिर्फ ट्रेड के सिद्धांत पर ही चलते रहें, ट्रेड

---

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपनोपित किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

के सिद्धांत पर यह व्यापार चलता रहे। सरकार की आमदनी बढ़ती रहे पर साथ ही इण्ट्रेस्ट उन लोगों का भी कवर होता रहे जो या तो इसको कन्ज्यूम करते हैं या इसके ऐसे स्थानों के आस-पास रहते हैं उनको इस चीज से व्यवधान और तकलीफें होती हैं वह तकलीफें भी न हों। जो ठेकेदार इसका ठेका लेते हैं उनका एकाधिपत्य तो न हो, उनकी सोल मोनोपोली ऐसी न बन जाये कि वह समाज पर छा जाये परन्तु साथ ही सरकार की आमदनी के लिए छोटे ठेके देकर मेनेजेबल बनाकर प्रशासन को अधिक चुस्त बनाकर और जितनी इलीसीट डिसटीलेशन वगैरह के बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन सारी चीजों को, सारी जो लीकेज एण्ड फिलफरेज हैं उसको हम लोग प्लक करें, उसकी रोकथाम करके और जितना समाज के हित में, रेग्युलेट किया जा सकता है उसको अधिक से अधिक बनाने का प्रयास किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जनरली एक चिन्ता व्यक्त की है और वह यह है कि अवैध जगह पर दुकानें खोली हुई है। पिछली बार एक प्रश्न आया था उसमें भी मैंने जवाब दिया था बहुत शोर्ट वे में बताना चाहूंगी कि इस तरह के नियम बने हुए हैं, सरकार की तरफ से नियम बने हुए हैं, एक्साइज रूल्स बने हुए हैं। एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत। इस तरह टेम्परेन्स प्रोग्राम भी केन्द्र की तरफ से जो भी सरकार, राजस्थान सरकार उसको ईम्प्लीमेण्ट करती है उसमें स्पेसीफाईड है कि किन-किन स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह के स्थानों पर दुकानें बनी हुई है तो सरकार उसको हरगिज सहन नहीं करेगी। मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस समस्या के प्रति एलाइव रहते हुए अभी कुछ ही दिन पहले एक प्रश्न के आने पर एक आदेश इस तरह के निकाले है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर है उनको इस चीज के लिए पावन्द किया है कि वह पूरा सर्वे करके दो महीने के भीतर व्यवस्था कर दें कि इस तरह की अनाधिकृत स्थानों पर कोई दुकानें न हों। दुकानें समय पर खुलें, ड्राई डेज के दिन निश्चित रूप से बन्द हों और उसकी पालना कड़ाई से की जायेगी वर्ना सीनियर अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा। साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि इस तरह की भी व्यवस्था सरकार करे, जो कि करेगी कि इन दुकानों पर एक डिसप्ले होना चाहिए, जिससे सारे नागरिक उससे इन्फोर्मड रहें। खुलने का समय कौन सा होगा, वहां क्या-क्या चीज की बिक्री हो सकती है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूं माननीय सदस्यों से की शराब की दुकान हो, या भांग की दुकान हो। काफी पोसिबिलिटी इसकी है कि उसमें दूसरे ड्रग्स, इनडोक्सीकेन्स, दूसरे कोण्ट्राबेण्ट मौजूद रह सकते है और इसलिए वह दुकान क्या रखने की अधिकृत है, इसका भी डिसप्ले सरकार की तरफ से आदेश द्वारा बहुत जल्दी आपको लगेगा कि इसमें सुधार हो रहा है।

अभी माननीय सदस्यों ने और भी कई चिन्ताएं व्यक्त की हैं उसमें विशेष तौर से जनजाति के लिए है। जनजाति क्षेत्रों में यह विभाग है इसकी दिक्कत हमें लोगों को आती है। विभाग उदयपुर में है और जवाब

(200)



(श्रीमती विद्या पाठक)

हम लोग यहां बैठकर आपलोगों को देते हैं। इसके लिए हम तो यह चाहते थे कि जयपुर में हो पर आप भी इससे एग्री करेंगे कि बहुत सारे निर्णय नहीं लिये जा सकते। पोलिटिकली भी नहीं लिये जा सकते, प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा होता यह यहां हो, मगर जहां एक सुविधा या स्थान बन गया तो यह स्वाभाविक है कि उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। परन्तु जनजाति क्षेत्रों में जनजाति के लोगों का एक्सप्लायटेशन ना हो, इसके लिए गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से रिजर्व प्राईस पर शराब की दुकाने खोली जाये, इसकी व्यवस्था की गई है। वह प्रमुख रूप से इसलिए कि अगर इलीसीट डिस्टीलेशन होता है। अगर वहां कोई जहरीली शराब बनाते हैं, कन्ज्यूम करते हैं या ठेकेदार ही इन गरीब आदिवासियों के माध्यम से प्रलोभन या डरा धमका कर इस तरह का डिस्टीलेशन शुरू कर देते हैं यह व्यवस्था न बन पाये इसलिए वहां सस्ती शराब मिलें और समुचित मिले और इस तरह से एक्सप्लायटेशन उनका न हो ऐसी व्यवस्था की गयी है। फिर भी यदि कोई सुझाव आप लोग इसके इम्पुजमेंट के लिए देंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। साथ ही अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी यह कहती हूं बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, नशा भी करते हैं और इसमें कई अधिकारी भी हो सकते हैं आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं परन्तु इस तरह का अगर कोई होता है तो वह कानून से ऊपर नहीं है अगर मेरा रिश्तेदार इसमें इनवाल्व है तो यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि उसके लिए सरकार कोई सिफारिश कभी नहीं करेगी और जो किसी सामान्य नागरिक के साथ हो सकता है उसका अधिकार उनको भी है उतना अधिकार और दंड की भागीदारी उनकी भी है। सरकार की तरफ से कभी इस विषय में भेदभाव नहीं होगा। मैं पहले ही मंत्री बनते ही माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र के द्वारा सूचित कर चुकी हूं कि मेरे कौन कौन रिश्तेतार किस किस पोजिशन में है और मेरे विभाग, सरकार के किसी विभाग से सम्बन्धित कोई भी बात हो तो उनको सूचित किया जाये उनको कान्फीडेंस में ले कर ही कोई कार्यवाही की जाये इसलिए यह एप्रीहेंशन किसी के मन में नहीं रहे कि मैं इस पोजीशन का किसी भी तरह इस्तेमाल करने वाली हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों का एकाधिपत्य न हो इसके विषय में चर्चा हुई, लोकेशन के विषय में मैंने अभी निवेदन किया उसके लिए समुचित कार्यवाही सरकार करने जा रही है साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो शराब राजस्थान के बाहर चली जाती है। अंग्रेजी शराब बाहर से आती है, राजस्थान में नहीं बनती, उस पर सरकार समुचित टैक्स लेती है परन्तु जो शराब यहां से बाहर जाती है जैसे गुजरात जाती है ड्राई एरिया है तो इससे स्टेट को कोई लाभ नहीं होता उससे जो इनकम होती है जिसका एक्साइज है वह निर्धारित रूप से पूरा मिलता रहता है। साथ ही मैं यह भी निवेदन

(श्रीमती विद्या पाठक)

करना चाहूंगी कि महुआ के विषय में छूट दिए जाने के विषय में जैसा माननीय सदस्यों ने कहा तो मैंने जैसा निवेदन किया इसमें उन्हीं का एक्सप्लायटेशन ज्यादा हो सकता है उनका शोषण पुलिस के द्वारा भी हो सकता है उनका शोषण ठेकेदारों के द्वारा भी किया जा सकता है इसलिए इस पर बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। आपके सुझाव मैं आमंत्रित करती हूं। मंडावरी कांड में जैसा आपने अभी कहा, उसकी मैंने जानकारी ली है। मंडावरी कांड में किसी विभागीय अधिकारी को शामिल होना नहीं पाया गया। अगर ठेकेदार वहां होंगे तो वहां पुलिस भी मौजूद थी तो जो कानून का शिकंजा कहीं भी है तो उन लोगों पर भी जो प्रदेश का, देश का कानून है वह लागू होगा उसके लिए हमें किसी भी स्थिति में डिफेंस में रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों की बात बताई मुझे बहुत अफसोस हुआ यह देखकर कि भोपालपुरा, सूरजगढ़, सीकर एरिया में और सिंघाना में छोटे-छोटे बच्चों तक को शराब की लत पड़ गयी। इतनी इजी एवेलिलिटी और वह भी डिस्टीलेशन की हो इस तरह की जानकारी अगर अन्य भी माननीय सदस्य देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसकी समुचित रूप से जांच होगी। नीतिगत जो आप लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं जो अगला सेटलमेंट होने वाला हैं फरवरी में तब तक नियमों में बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता पर सरकार कमीटेड है कि वेलफेयर, कन्जूमर से लेकर स्टेट के खजाने का भी, आम नागरिक का भी, किसी का शोषण न हो उसमें नियमों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई, अगर प्रापर कन्ट्रोल और आथोरिटी रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेक्चर को बदलना पड़ा तो उसमें सरकार को कोई संकोच नहीं होगा। यह सारी चीज प्रोसेस में हैं। मुझे यह इन्स्ट्रक्शन्स मिली है हमारी पार्टी की तरफ से भी, माननीय उपाध्यक्ष की तरफ से भी कई ड्राई डे है आज बहुत लोग जाना चाहेंगे। हर चीज का मैं जवाब दे सकती हूं, देना चाहती हूं मगर कटमोशन्स आपके जितने आये हैं, उनमें से जो नीतिगत है उन सुझावों का मैं स्वागत करती हूं। जो स्पेसिफिक है उन पर कार्यवाही करके आपको सूचना दी जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों को निवेदन (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : एक बात जो मुख्य थी उसको सख्ती से बरता जाये। यह पति है जो शराब पी करके पत्नियों को बहुत परेशान करते हैं इसमें सख्ती से कानून बना दिया जाये।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने 13 सूत्री टेम्प्रेंस प्रोग्राम का जिक्र किया मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या आप राजस्थान में मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, शिक्षण संस्थाएं और जो सार्वजनिक स्थान है, चिकित्सालय है वहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शराब की दुकानों को हटाने के लिए कोई कार्य करने जा रही है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : इसके लिए रूल्स बने हुये हैं। माननीय सदस्य, उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। दो महीने बाद आप बात करिये अगर उन स्थानों पर जो अवैध है और अनसेक्शन्ड है अगर हमको मिलती है तो कार्यवाही करेंगे। मांग संख्या 13 को पारित किया जाये यह मैं निवेदन करना चाहती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या–13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 22, 95, 10, 000/— (बाईस करोड़ पिचानवे लाख दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–13 आबकारी पारित की गयी।

सदन की कार्यवाही दिनांक 16 जुलाई, 1990 के म. पू. 11 . 00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 7 . 25 बजे सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 1990 के म. पू. 11 . 00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

## परिशिष्ट—1

**तारांकित प्रश्न संख्या 131 (स्थगित प्रश्न दिनांक 3 जुलाई, 1990) की सूची**

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों में अनियमितायों की शिकायतों की सूची

| क्र. सं. | नाम जिला | नाम पंचायत समिति | नाम ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | — | — |
| 2. | अलवर | -- | — |
| 3. | बांसवाडा | बागीदोरा, कुशलगढ़, तलवाड़ा, पीपलखूंट घाटोल एवं आनन्दपुरी | अनुपलब्ध |
| 4. | बाड़मेर | सिणधरी, चोहटन, बालोतरा, बाड़मेर, शिव | आडेल, बारवासर, पचपवरा, पादी का पार, वासियान, गिराब |
| 5. | भरतपुर | सेवर, कुम्हेर, नगर, नदबई, कांमा, बयाना, वैर, रूपवास | सेवर, छकरन, मुढोता, मडरपुर, बहनेरा, माढोनी, मुरवारा, हेलक, अजान, कुम्हा, अवार, भटावली, लाडमका, पहाड़ी, भटपुरा, जालूकी, ऐवेरा, पीगोंरा, अखेहगढ़, तलछेरा, करीली, डहरा, उचेड़ा, नारौली, पालीडांग, तुतीपुरा, उमरेड, कैर, ब्रहमबाद, सैंथलो, लखनपुर, सुहास, इटागढ़ा, बडाराकलां, खानसरंवापुर, नयाबॉस, डमरियां, बछामदी, कुम्हा, मोरोलीकलां, करीली, |
| 6. | भीलवाड़ा | — | — |
| 7. | बीकानेर | कोलायत, नोखा | गिराजसर, उदासर |
| 8. | बूंदी | — | — |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | डूंगला, प्रतापगढ़, | अनुपलब्ध |

(204)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | चूरू | सुजानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़, श्रीडूंगरगढ़, राजगढ़, तारानगर, चूरू, | बाढसर, लालगढ, गिवरसर, हरासर, पिचकराईताल, काकलासर, देराजसर, भीजासर बड़ा, मालसर, दाउदसर, लोहा, सूडसर, पुनरासर, मोमासर, बराजसर, उदरासर, लखासर, शेरूणा, धणाऊ, ददरेवा, चांदगोठी, पहाड़सर, राधाछोटी, मगेला, मुलखनिया छोटा, नोरगपुरा, पुनरास, साहवा, गाजवास, ढाढर खीवासर, दूधवाखारा पिथीसर, खण्डवा, इन्द्रपुरा |
| 11. | धौलपुर | बसेड़ी | पिपरोन |
| 12. | डूंगरपुर | — | — |
| 13. | श्री गंगानगर | हनुमानगढ़ | डबलीराठान |
| 14. | जयपुर | आमेर, गोविन्दगढ़, जमवारामगढ़, दौसा, लालसोट, बस्सी, चाकसू, सांगानेर | देवगुड़ा, खेजरोली, निवाणा, नागलवरणा, गठवाणी, धर्मपुरा, लवाण, रामगढ़ पचवारा, बेनाणा, बठला, गढ़, चन्दलाई, ठी. गुजरोन, गि. लालपुरा, कोटखावदा, ठी. मिणान, मोहनपुरा |
| 15. | जैसलमेर | सम, सांकड़ा, | चौक, राजगढ़ |
| 16. | जालौर | — | — |
| 17. | झालावाड़ | — | — |
| 18. | झुंझुनू | अलसीसर, चिडावा, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़, गुढ़ाना | कोदेसर, गोवला, नयासर, पांतसरी, खिरोड़ टोंकछिलरी, दाबड़ीबलोदा, कसेरू, तंकराना, देवरोड़, बेरी, काजड़ा, सहीकला, बूसावताखुर्द |
| 19. | जोधपुर | भोपालगढ़, बाप, बिलाडा, बालेसर, फलोदी, लूणी, शेरगढ़, मण्डोर, ओसियां | अनुपलब्ध |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | कोटा | खेराबाद, छबड़ा, लाडपुरा, इटावा, अटरू, सुलतानपुर, अन्ता, शाहबाद, किशनगंज | मोड़क, जलमी, चांचोड़ा, माकड़-खेड़ी, मेता, अटरू, बूढ़ादीत, कवाई, रायथल, कुण्डी, बहराई, कुलीजेरा, अटरू, नाहरगढ़, पलाहृता, बड़गांव, शाहबाद। |
| 21. | नागौर | मुण्डवा, डेगाना, लाडनूं, जायल, डीडवाना, मकराना, नागौर, कुचामन, रिहां, परवतसर, मेड़ता | संखवास, मन्दीयाणा, पांचोड़ी, विरला, ढींगसरी, दुगसताऊ, दोतीणा, देह, खाटबड़ी, सरपालिया, कोलियां, तोशीणा, रामसिया, रावड, इन्दोखा, छीला, भावंता, जसरासर, बजोली, बिल, खोखर, खाटूबड़ी, देह, जारोडा, मेड़तारोड, पादूकलां, मादवा |
| 22. | पाली | — | — |
| 23. | सवाई माधोपुर | — | — |
| 24. | सीकर | — | — |
| 25. | सिरोही | — | — |
| 26. | टोंक | — | — |
| 27. | उदयपुर | — | — |

200

## परिशिष्ट–2

### तारांकित प्रश्न संख्या 112 (स्थगित प्रश्न दिनांक 2 जुलाई, 1990) की सूची

वन विभाग को आवंटित भूमि का तहसीलवार विवरण

| क.सं. | नाम तहसील उपनिवेशन | आवंटित क्षेत्रफल (एकडों में) | | | | आवंटित भूमि में से कृषि योग्य हुई भूमि का विवरण (एकड़ों में) | | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कमाण्ड | अनकमाण्ड | बारानी | योग | कमाण्ड | अनकमाण्ड | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | छतरगढ नं. 1 | 614 | 33984 | – | 34598 | 581 | 5766 | 6347 | – |
| 2. | छतरगढ नं. 2 मु. खाजुवाल | 1261 | 67622 | 1369 | 70252 | 1261 | – | 1261 | |
| 3. | पूगल | 1536 | 67238 | 508 | 69282 | 1225 | 5151 | 6376 | |
| 4. | कोलायत नं. 1 | 165 | 145 | 21165 | 21475 | – | – | – | |
| 5. | कोलायत नं. 2 मु. बज्जू | 243 | 609 | 3018 | 3870 | 10 | – | 10 | |
| 6. | कोलायत नं. 3 मु. बज्जू | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7. | कोलायत नं. 4 मं. बीकमपुर | 1233 | 1765 | 22098 | 25096 | – | – | – | |
| योग :– | | 5052 | 171363 | 48158 | 224573 | 3077 | 10917 | 13994 | |

## परिशिष्ट-3

### समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

**रूपवास में मंडी सड़कों का निर्माण**

336. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) :एवं **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से 1989 के दौरान तहसील रूपवास में कृषि उपज मंडी के माध्यम से किन-किन सड़कों पर कार्य पूर्ण कराया गया ?

(2) अपूर्ण रही सड़कों का कार्य सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1980 से 1989 के दौरान कृषि उपज मण्डी के माध्यम से तहसील रूपवास में निम्न सड़कों का कार्य पूर्ण कराया गया है—

(1) खोरिया मोड़ से भवनपुरा

(2) सम्पर्क सड़क ककरूआ

(3) रूदावल से माड़ापुरा

(2) अपूर्ण रही सड़क के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1991-92 तक कार्य पूर्ण हो पायेगा।

**संगरिया क्षेत्र में पशु चिकित्सालय**

337. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कितने गांवों में पशु चिकित्सालय हैं ? उनमें कितना स्टाफ है और उन पर सालाना कितना व्यय होता है ? विगत 3 वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मनीवाली किशनपुरा नुकरा बोलावाली लबां और नगराना गांवों में पशु चिकित्सालय खोलना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) इन गांवों से मौजूदा पशु चिकित्सालय कितनी दूर है ? किन-किन पशु चिकित्सालयों में बीमार पशु रखने की व्यवस्था है ?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 7 पशु चिकित्सालय स्थापित हैं। पशु चिकित्सालयों में स्टाफ पेटर्न व उन पर सालाना व्यय के सम्बन्ध में सूची संलग्न है।

(2) ग्राम मनीवाली में वर्ष 1989-90 में एक पशु औषधालय खोला जा चुका है। अन्य गांवों में इस वर्ष नये चिकित्सालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) इन गांवों से, वर्तमान में स्थापित पशु चिकित्सा संस्थाएं 8-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पशु चिकित्सालय संगरिया में बीमार पशु रखने की व्यवस्था है।

| क्र.सं. | नाम संस्था | पदों का विवरण | | | | | | गत तीन वर्षों के व्यय के आंकड़े | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स. श. प. चि. (वी.ए.एस.) | प. चि. सहा. (वी.ए.) | प. ध. सहा. (एल.एस.ए.) | जलधारी | सईस | स्वीपर | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90 |
| 1. | संगरिया | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,49,010 | 1,50,270 | 1,50,530 |
| 2. | सादुलशहर | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38,220 | 1,39,480 | 1,40,740 |
| 3. | लालगढ़ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08,150 | 1,08,880 | 1,36,880 |
| 4. | गणेशगढ़ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81,020 | 81,620 | 83,220 |
| 5. | मालारामपुरा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,220 | 91,120 | 92,020 |
| 6. | ढाबा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,480 | 93,380 | 94,280 |
| 7. | दलियावाली | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94,580 | 1,12,080 | 1,13,340 |

**बिलाड़ा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत**

338. **श्री मिश्रीलाल चौधरी** (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निर्मित पक्की सड़कों का डामर हट चुका है एवं रोड़ी निकल आई है ?

(2) यदि हां, तो इन खस्ता हालत सड़कों के मार्गवार नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निर्मित केवल दो पक्की सड़कों का डामर कुछ जगह पर से हट चुका है एवं रोड़ी निकल आई है।

(2) सूची "अ" संलग्न है।

(3) उक्त दो सड़कों की मरम्मत जनवरी, 1991 तक करवा दी जायगी।

(4) जी हां। बिलाड़ा विधान सभा-क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ना योजना अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(210)

**तारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची**

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में टूटी सड़कों की सूची

| क्र. सं. | कार्य का नाम | लम्बाई स्वीकृत (रिनेवल प्रोग्राम) | रिनेवल प्रोग्राम में स्वीकृत राशि | तकनीकी स्वीकृति | रकम | निविदा सूचना प्राप्त की तारीख | दर | कार्य का आदेश देने का माह | कार्य शुरू करने की तिथि | कार्य समाप्त करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिलाड़ा से हरियाड़ा लम्बाई 26 किमी. | 0/0 से 8/0 (8 किमी.) | 3.00 | अ.अ.प्र/6 दिनांक-21-5-90 | 2,50.300 | 20-6-90 | दर 1.10% न्यूनतम | जुलाई, 90 10-7-90 | 25-7-90 | 24-11-90 |
| 1. | पीपाडसिटी से पीपाड़ रोड़ वाया रतकुड़िया लम्बाई 26 किमी. | 1,11/0 से 26/0 (16 किमी.) | 5.50 | अअप्र/ दि. 29-5-90 | 4,93,300 | 20-6-90 | 2.03% अधिक | जुलाई, 90 10-7-90 | 25-7-90 | 26-1-90 |

**सरपंच, चांदसेन (लालसोट) द्वारा नामान्तकरण में अनियमितता**

339. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत चांदसेन के सरपंच के विरुद्ध जीवित विधवा महिला जानकी देवी को गलत तरीके से मृत घोषित कर नामान्तकरण तस्दीक करने के मामले में दोषी पाये जाने पर जिलाधीश जयपुर द्वारा विकास विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो कब तथा अब तक सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंच का उक्त कृत्य अयोग्यता एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का सरकार का विचार है और कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। जानकी देवी से संबंधित कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुए ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

**नागौर में जिला एवं सत्र न्यायालय**

340. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में किस-किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित नहीं हैं, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर में जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं है ? यदि हां, तो वहां कब तक जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित कर दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान में नागौर, चित्तौड़, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिला मुख्यालयों पर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यही है कि प्रत्येक जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित हो परन्तु यह नीति नहीं है कि वो जिला मुख्यालय पर ही स्थित हो। परिस्थितियों एवं प्रशासनिक कारणों से यह जिला मुख्यालय से अन्य स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है।

(2) जी हां। नागौर जिले का जिला और सत्र न्यायालय आरम्भ से ही मेड़ता में स्थापित है और इसके स्थान को बदलने के कोई नये कारण उत्पन्न नहीं हुए हैं अतः इसे नागौर में कायम करने का सरकार को कोई विचार नहीं है।

**दौलतपुरा ग्राम (डीडवाना) में जवाहर योजना में अनियमिततायें**

341. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उम्मेद सिंह)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति डीडवाना के सरपंच द्वारा जवाहर रोजगार योजना में मिली राशि में गबन घोटाले किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?

(2) क्या उक्त सरपंच द्वारा कराये जा रहे बालिका विद्यालय भवन के निर्माण में पत्थर दौलतपुरा किले के लगाये जा रहे हैं, जो पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति है जबकि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार सरपंच द्वारा ठेके पर कराये जा रहे सभी कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जवाहर रोजगार योजना में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के आधार पर निर्माण कार्य ग्राम सभा व फिर पंचायत द्वारा निर्णय लेकर करवाने चाहिये? यदि हां, तो उक्त आधार पर निर्माण कार्य नहीं कराने के लिये दोषी सरपंच के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति डीडवाना के सरपंच के विरुद्ध दिनांक 8-9-89 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो कि गबन, घोटाले से सम्बन्धित नहीं थी, बल्कि निर्माण कार्य निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करवाने एवं कार्य ठेके पर देने से सम्बन्धित थी, जो कि जांच करने पर सही नहीं पाई गई। निर्माण कार्य सार्वजनिक उपयोग के लिए करवाये गये थे एवं कार्य ठेके पर न देकर ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित करवाये गये तथा पंचायत क्षेत्र के मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर मजदूरी पर लगाया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर ग्रामों की आवश्यकतानुसार निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कराये गये एवं पंचायत समिति स्तर पर गठित कमेटी द्वारा उनका अनुमोदन करा कार्य आरम्भ कराये गये।

### पर्यटन विकास योजनायें

342. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1989 में अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में अजमेर में पर्यटन विकास की क्या योजनाएं प्रस्तावित है? उनकी क्रियान्विति कब तक करदी जायेगी?

(श्री हरीश भामनानी)

(3) क्या अजमेर में पुष्कर राज ख्वाजा साहब की दरगाह के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या तारागढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये उसे सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ हुआ था ? यदि, हां, तो इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ? कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

(5) क्या सरकार अजमेर व पुष्कर में पर्यटन विकास की दृष्टि में यात्रियों की आवास सुविधा हेतु यात्री निवास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 में इन शहरों में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या निम्नानुसार रही : –

| | |
|---|---|
| अजमेर – | 8097 |
| जयपुर— | 155361 |
| कोटा -- | 2534 |
| जोधपुर— | 44317 |
| बीकानेर— | 11354 |
| उदयपुर— | 67529 |

(2) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अजमेर के अनासागर हेतु 2 पैंडल नौकाओं के क्रय हेतु 40 हजार रु. की राशि स्वीकृत की गई है। ये नौकाएं चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवा दी जावेंगी।

(3) जी हां, पिछले तीन वर्ष के पर्यटक आगमन समंक निम्न प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1987 | 6657 |
| 1988 | 7553 |
| 1989 | 8097 |

(4) जी हां। तारागढ़ को सड़क से जोड़ने के कार्य पर अब तक 37.34 लाख रु. खर्च हो चुके हैं। इस सड़क निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत होने पर ही यह कार्य पूर्ण हो सकेगा।

(5) जी हां, राज्य सरकार अजमेरमें एक यात्री निवास के निर्माण करने का विचार रखती है। यात्री निवास के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा एक योजना तैयार कर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अजमेर में यात्री निवास के साथ-साथ एक यात्रिका भी बनाये जाने की योजना के कारण पुष्कर में यात्री निवास बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यात्रिका निर्माण के प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

## जालौर जिले में केरोसिन वितरण

343. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालौर जिले में 1 अप्रेल, 1990 से 30 जून, 1990 तक की अवधि में केरोसिन के थोक विक्रेताओं के कितने

(214)



(श्री प्रेमसिंह दहिया)

निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त थोक विक्रेताओं के निरीक्षण में अनियमिततायें व गैर कानूनी गतिविधियां पाई गई ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों के विरुद्ध क्या विभागीय व न्यायिक कार्यवाही की गई ?

(3) थोक विक्रेताओं को केरोसिन आवंटन एवं वितरण क्षेत्र किन आधारों पर निर्धारित कर आवंटित किया जाता है ?

(4) क्या थोक विक्रेता का लाइसेन्स नियमों के उल्लंघन करने पर निरस्त या निलम्बित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है ?

(5) गत 5 वर्षों में केरोसिन के कितने थोक विक्रेता नियुक्त किये गये ? क्या राज्य सरकार बागोडा एवं रानीवाड़ा तहसील हेतु पृथक् से केरोसीन थोक विक्रेता नियुक्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में 1 अप्रेल, 1990 से 30 जून, 1990 तक की अवधि में केरोसीन थोक-विक्रेताओं के दो निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किये गये।

(2) जी हां। मैं. श्यामसुन्दर प्रेमप्रकाश जालौर एवं मैं. सूरज आयल स्टोर, भीनमाल के विरुद्ध अनियमितता पाये जाने पर मैं. श्यामसुन्दर प्रेमप्रकाश, जालोर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में 750/– रु. प्रतिभूति राशि जब्त की गई एवं मैं. सूरज आयल स्टोर, भीनमाल के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12-6-90 को पुलिस थाना, भीनमाल में दर्ज कराई गई तथा अनुज्ञापत्र अधिकारी द्वारा इस फर्म के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

(3) केरोसीन थोक विक्रेताओं के वितरण क्षेत्र सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। थोक विक्रेताओं को केरोसीन का आवंटन सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा हिस्टोरिकल फीगर एवं जिले के आवंटन के आधार पर किया जाता है। जिले का आवंटन, केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन, मांग व आबादी के दृष्टिगत किया जाता है।

(4) जी हां। थोक विक्रेता के लाइसेन्स निरस्त या निलम्बित अवधि में लाइसेन्सिक ओथोरिटी द्वारा सम्बन्धित तेल कम्पनी के सेल्स आफिसर से सम्पर्क कर जिले में कार्यरत कम्पनी के अन्य थोक विक्रेता से उस क्षेत्र के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।

(5) जालौर जिले में गत पांच वर्षों में केरोसीन के दो थोक विक्रेता नियुक्त किये गये हैं। तहसील बागोड़ा एवं रानीवाड़ा क्षेत्र में केरोसीन वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में विवरण चाहा गया है। जिसके प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वैसे वितरण सम्बन्धी कोई शिकायत/कमी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

**सहायक निदेशक कृषि पाली द्वारा अनियमिततायें**

344. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली डा. जे. के. जैन के विरुद्ध फर्जी काश्तकारों की सूची बनाकर हजारों रुपये के घपले की शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसी शिकायत का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि डा. जैन के सेवा काल में उनके विरुद्ध इस प्रकार के कई घपले की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उनके विरुद्ध जांच अधिकारी उन्हीं के समकक्ष स्तर के हैं ? यदि हां, तो क्या वे नियमों के अन्तर्गत जांच करने में सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार अन्य जांच अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(4) क्या उनके विरुद्ध जांच कर रहे जांच अधिकारी पर पक्षपात करने की रिपोर्ट भी विभाग में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या राज्य सरकार उनको तत्काल निलम्बित कर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां । गत वर्ष श्री जैन के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से 12 शिकायतें (सूची संलग्न है) प्राप्त हुई ।

(2) जी हां । बिन्दु संख्या एक में वर्णित शिकायतें के अतिरिक्त निम्न अन्य अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण श्री जैन के विरुद्ध हैं :—

1. ऋण स्वीकृति में अनियमिततायें ।
   (जब वे कृषि अधिकारी के पद पर पंजाब नेशनल बैंक, भीलवाड़ा में कार्यरत थे)

2. वर्ष 81–82 में एक कृषि पर्यवेक्षक की अनियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।
   (जब वे जिला कृषि अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर कार्यरत थे)

3. वर्ष 1986 में अपने उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में ।
   (जबकि वे सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली के पद पर कार्यरत थे)

4. वर्ष 1988 में फर्जी वाउचरों को प्रमाणित करने, फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने, प्रदर्शन आयोजित नहीं करने एवं अपने पद के दायित्वों के प्रति उदासीन रहने के सम्बन्ध में ।
   (जब वे सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) पाली के पद पर कार्यरत थे)

(216)



(कृषि मंत्री)

(3) जी नहीं । मनोनीत प्राथमिक जांच अधिकारी उनसे उच्च स्तर के हैं, और इसलिये दूसरे अधिकारी से पुनः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(5) जांच रिपोर्ट आने पर यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जावेगी ।

---

**सूची शिकायत कर्त्ता**

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति, पाली दिनांक 21-4-89
2. एक गरीब ग्राम सेवक
3. श्री मंगलाराम चौधरी, अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति, पाली दिनांक 24-4-89
4. दैनिक अखबार "मनदर्शी" दिनांक 1-9-82 का अंश (पाली जिला कृषि अधिकारी द्वारा चौथ की वसूली, खाद बीज वितरकों को परेशानी)
5. अखबार का अंश दिनांक 30-3-89 (जलते दीप) "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे"
6. अखबार का अंश दिनांक 21-4-89
7. अध्यक्ष, सरकारी समितियां, व्यवस्थापक, यूनियन यूनिट, पाली दिनांक 10-6-87
8. श्री पी. आर. चौधरी, अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति, पाली दिनांक 10-10-88
9. श्री एम. आर. चौधरी, अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति, पाली दिनांक 20-8-88
10. अखबार अंश दिनांक 4-12-88 कृषि में काम आने वाले यूरिया की उद्योग में बिक्री ।
11. अखबार अंश दिनांक 14-11-88 सहायक निदेशक, कृषि को हटाने की मांग तेज हुई ।
12. श्री हिम्मत मल गांधी, चेयरमैन, फर्टीलाईजर सीड्स एण्ड पेस्टीसाइटस डीलर्स एसोशियेशन सुमेरपुर दिनांक 25-11-82

---

**तारांकित प्रश्न संख्या 345**

**(स्थगित)**

**जयपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में जांच सुविधाएं**

346. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मेडिकल कालेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध है ?

(2) क्या यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि अधिकांश चिकित्सक मरीजों की जांच निजी क्लिनिक से करवाने को मजबूर करते हैं जबकि सम्बन्धित जांच व्यवस्था अस्पतालों में ही उपलब्ध है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(3) यदि हां, तो उक्त प्रवृत्ति को रोकने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस आशय की शिकायतें यदा-कदा राज्य सरकार को प्राप्त होती रही है।

(3) चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इस बारे में समय-समय पर परिपत्र जारी कर निर्देश प्रसारित किये जाते रहे है।

इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में प्रमुख स्थानों एवं वार्डों में जन-साधारण की सूचना हेतु पट्टिकाएं लगाई हुई है जिसमें अंकित किया हुआ है कि सभी जांच सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है। यदि कोई चिकित्सक बाहर से जांच कराने हेतु सलाह दे तो प्रशासन को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भी उक्त चिकित्सालय को दिनांक 5-7-1990 को निर्देश जारी किये है कि इस बारे में पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें यदि किसी कारण कोई परीक्षण चिकित्सालय से बाहर से कराना आवश्यक हो तो उसका अलग से रिकार्ड रखा जाए।

**लिवाली ग्राम (बामनवास) के सरपंच द्वारा अनियमितता**

347. **श्री कुंजी लाल (बामनवास)** : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बामनवास द्वारा ग्राम पंचायत, लिवाली के ग्राम लिवाली में जवाहर रोजगार योजना के तहत विद्यालय भवन बनाने हेतु राशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंच पंचायत लिवाली ने उक्त राशि शाला भवन के निर्माण पर व्यय न करके एनीकट निर्माण में व्यय कर दी ? यदि हां, तो क्यों तथा सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या यह भी सही है कि ग्राम लिवाली में एनीकट बनाने हेतु पृथक् से एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, जो उक्त राशि किन-किन तिथियों में भुगतान हेतु दी गई एवं एनीकट कार्य की देख-रेख किस कनिष्ट अभियन्ता से कराई गई। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत लिवाली ने उक्त राशि शाला भवन के निर्माण पर व्यय न करके एनीकट निर्माण में व्यय कर दी। पंचायत समिति बामनवास द्वारा प्रा. शाला निर्माण के स्थान पर

(२०७)



(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

एनीकट निर्माण की संशोधित स्वीकृति बाद में जारी कर दी गई थी। अतः सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह भी सही है कि ग्राम लिवाली में एनीकट बनाने हेतु 1.00 लाख रुपये की राशि पृथक से स्वीकृत की गई थी क्यों कि एनीकट निर्माण लिवाली का तकमीना 1,93,200/-रुपये का था। इसका भुगतान पंचायत समिति द्वारा राशि 50,000/-रुपये दिनांक 8-3-90 व राशि 50,000/-रुपये दिनांक 29-3-90 को किया गया है। एनीकट निर्माण का कार्य पंचायत समिति बामनवास के कनिष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में करवाया जा रहा है।

(3) एनीकट का निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार ही करवाया गया है। इसलिये सरपंच के खिलाफ जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

**तारांकित प्रश्न संख्या 348**

**(स्थगित)**

**नागौर जिले के राहत कार्यों का भुगतान**

349. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : एवं **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला नागौर में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में अकाल राहत के अन्तर्गत कितनी धनराशि का भुगतान बकाया रहा था? यह बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में भुगतान से वंचित कर कितनी राशि किस-किस विभाग में जमा कराई गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि का अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) सहायता विभाग द्वारा श्रमिकों को भुगतान हेतु पूरी राशि जिला कलक्टर नागौर को मय आवश्यक निर्देशों के उपलब्ध करा दी गई थी। पुनः जिला कलक्टर नागौर को इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 15-5-90 के जरिये सूचित किया गया था। विभाग द्वारा कोई बकाया भुगतान देय नहीं है क्योंकि भुगतान हेतु समस्त राशि कलक्टर को उपलब्ध कराई जा चुकी है। निर्देशों से संबंधित वितंतु संदेश एवं पत्र दिनांक 15-5-90 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" "ब")

(2) विभाग ने कोई राशि भुगतान से वंचित कर किसी दूसरे विभाग में जमा नहीं कराई।

(3) विभाग द्वारा कोई बकाया भुगतान देय नहीं है क्योंकि भुगतान हेतु समस्त राशि कलक्टर को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

परिशिष्ठ–"अ"

Bud/APA/87/38991–9024 of May 25, 1988

**WIRELESS**

From,

Relief Secretary
Rajasthan,
Jaipur.

To : All Collectors.

**No. F2 (1)(41)RS/Acts/Bud/APA/87/38991–9024 May 25, 1988**

Please refer to this Department letter No. 59258–90 Dated 2-11-1987 regarding probable allocation of material component. As the Finance Department is not in a position to provide funds for material component as stipulated vide above letter you are requested to restrict your commitment and liabilities to the amount actually being made available to you. The liabilities of past Drought should also be not out of this actual allocation. Please ensure that no unpaid liabilities remain towards and of current Drought operations in Hope of getting extra material component. Please acknowledge receipt.

Relief Secretary
Sd–
Relief Secretary

Forwarded the incharge, wireless Jaipur for early transmission of the above message.

राजस्थान सरकार
सहायता विभाग

पत्रांक : एफ 2 (1) 41 (21) सग्रा/लेखा/बजट/एपीए/87/7740

जिला कलक्टर,
नागौर। जयपुर, दिनांक 15-5-90

विषय :—श्रम एवं सामग्री मद में अधिक व्यय के बाबत।
प्रसंग :—इस विभाग के पत्र एफ 2(1) 41 (21) लेखा/बजट/एपीए/87/17541 दि. 10-11-89 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उक्त विषय, प्रसंग एवं आपकी दूरभाष पर सहायता सचिव महोदय से हुई वार्ता के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग ने प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको पूर्व में ही अवगत करा दिया था कि इस विभाग में उक्त प्रकरण को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है क्योंकि सामग्री मद में अधिक खर्चे को सम्बन्धित अभिकरण/विभाग स्वयं अपने मद से वहन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि आपके कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों के विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि आपके जिले में श्रम मद में विभिन्न अभिकरणों के पास 33.60 लाख रुपये की बचत रही है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राशि आवंटन का प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक सामग्री पर किए गए अधिक व्यय का प्रश्न है, इस क्रम में विभागीय वितन्तु संदेश दिनांक 25-5-88 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि सामग्री मद में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता।

अतः श्रम व सामग्री मद में आवंटन से अधिक किए गए व्यय के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन के क्रम में इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

भवदीय,
(एस. आर. गुप्ता)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## परिशिष्ट–4

**अतारांकित प्रश्न संख्या 512 की सूची :—**

| क्र.सं. | प्रवर्तन निरीक्षक से प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति व्यक्तियों के नाम | जाति संवर्ग | पदस्थापन जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा | सामान्य | जयपुर |
| 2. | श्री ओम प्रकाश वर्मा | ,, | अलवर |
| 3. | श्री गिरधारी लाल | ,, | नागौर |
| 4. | श्री विद्या प्रकाश जैन | ,, | भरतपुर |
| 5. | श्री गुलाब चन्द जैन | ,, | भीलवाडा |
| 6. | श्री रघुनाथ गुप्ता | ,, | खाद्य विभाग (मु.) |
| 7. | श्री रामलाल टिक्कीवाल | ,, | ,, |
| 8. | श्री बृजराज सिंह | ,, | कोटा |
| 9. | श्री लेखराज हरजानी | ,, | अलवर |
| 10. | श्री आनन्द प्रकाश जोशी | ,, | पाली |
| 11. | श्री मोहन लाल बैरवा | अनु. जाति | बून्दी |

## परिशिष्ट–5

**अतारांकित प्रश्न संख्या 513 की सूची :**

गत 3 वर्षों में हत्या किये गये भेड़ पालकों का विवरण

| क्र.सं. | नाम भेड़ पालक | निवास स्थान | हत्या का स्थान | हत्या का दिनांक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री पेसा पुत्र मूल रेबारी | ग्राम–बिठला (जालौर) | खडीपुर (बूंदी) | 31-7-87 | — |
| 2. | श्री हीरा रेबारी | ग्राम–सिराना (पाली) | घनेश्वर (बूंदी) | 1-8-87 | — |
| 3. | श्री केसा रेबारी | ग्राम–सेखवाली (जालौर) | घनेश्वर (बूंदी) | 1-8-87 | — |
| 4. | श्री बाला रेबारी | ग्राम–बीठीयां (जालौर) | घनेश्वर (बूंदी) | 1-8-87 (घायल) | दिनांक 6-8-87 को चिकित्सालय, बूंदी में मर गया । |
| 5. | श्री ठाकरिया रेबारी | | विजयपुर (चित्तौड) | 27-9-88 | — |

नोट :– उक्त रेवड़ों के भेड़ पालकों के 2000/- रुपये भी लूट लिए गये ।

## परिशिष्ट–6

**अतारांकित प्रश्न संख्या 514 की सूची**

| क्रमांक | जिला | बजट 1988–89 | बजट 1989–90 | बजट कुल | कुल व्यय (टेलीफोन) 1988–89 | कुल व्यय (टेलीफोन) 1989–90 | कुल योग (टेलीफोन) व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अजमेर | 1,16,000 | 1,60,000 | 2,76,000 | 89439.50 | 133592 | 223031.50 |
| 2. | अलवर | 50,000 | 73,000 | 1,23,000 | 32672 | 47152 | 79824 |
| 3. | बांसवाड़ा | 80,000 | 91,000 | 1,71,000 | 15622 | 20304 | 35926 |
| 4. | बाड़मेर | 35,000 | 53,000 | 88,000 | 32628 | 56501 | 89129 |
| 5. | भरतपुर | 43,5000 | 41,500 | 85,000 | 12697 | 59801 | 72498 |
| 6. | भीलवाड़ा | 25,000 | 91,000 | 1,76,000 | 41102 | 60024 | 101126 |
| 7. | बीकानेर | 1,86,000 | 2,66,500 | 4,52,500 | 125206 | 178128 | 303334 |
| 8. | बून्दी | 7,000 | 12,000 | 19,000 | 3010 | 3226 | 6236 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 76,000 | 78,000 | 1,54,000 | 29954 | 39862 | 69816 |
| 10. | चूरू | 78,000 | 50,000 | 88,000 | 12598 | 21514 | 34112 |
| 11. | धौलपुर | 8,500 | 29,000 | 37,500 | 7803 | 19640 | 27443 |
| 12. | डूंगरपुर | 12,000 | 20,000 | 32,000 | 16449 | 19226 | 35675 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | गंगानगर | 79,100 | 91,500 | 1,70,600 | 58208 | 56796 | 115004 |
| 14. | जयपुर | 1,74,373 | 1,69,600 | 3,43,973 | 858221.70 | 884485 | 1742706.70 |
| 15. | जैसलमेर | 15,500 | 36,500 | 52,000 | 19332 | 35128 | 54460 |
| 16. | जालोर | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 15401 | 26051 | 41452 |
| 17. | झालावाड़ | 25,000 | 31,000 | 56,000 | 8770 | 10025.50 | 18705.50 |
| 18. | झुन्झुनू | 7,000 | 34,000 | 41,000 | 22537 | 67002 | 89539 |
| 19. | जोधपुर | 2,85,500 | 3,08,500 | 5,92,000 | 232872.50 | 215678 | 448550.50 |
| 20. | कोटा | 2,40,000 | 2,31,000 | 4,71,000 | 105442.50 | 132692.50 | 238134 |
| 21. | नागौर | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 17019 | 19679 | 36698 |
| 22. | पाली | 45,000 | 53,000 | 98,000 | 39452 | 130854 | 170306 |
| 23. | सवाई माधोपुर | 1,29,000 | 1,25,000 | 2,54,000 | 27739 | 27799 | 55538 |
| 24. | सीकर | 47,000 | 9,000 | 86,000 | 15821 | 20392 | 36213 |
| 25. | सिरोही | 11,000 | 37,000 | 48,000 | 10985 | 26674 | 37659 |
| 26, | टोंक | 85,000 | 79,000 | 1,64,000 | 32167 | 27859 | 60026 |
| 27. | उदयपुर | 2,67,500 | 3,74,500 | 6.42,000 | 263998 | 262444.50 | 526442.50 |
| | कुल योग : | 21,85,973 | 26,14,600 | 48,00,573 | 2147146.20 | 2602528.50 | 4749674.70 |

225



## परिशिष्ट—7

**अतारांकित प्रश्न संख्या 522 की सूची :—**

ग्राम पंचायत पारसोला, आड व गोपालपुरा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का आवंटन व व्यय राशि की सूची —

स्टेटमेन्ट नं. 1

| क्र. सं. | नाम स्वीकृत कार्य | स्वीकृत राशि | लागत व्यय | कार्य की स्थिति जो मौके पर है | दुरूपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **ग्राम पंचायत पारसोला** | | | | |
| 1. | प्रा. वि. पारसोला मरम्मत कार्य | 3600/- | 3528 . 50 | पूर्ण | नहीं |
| 2. | काईन गृह निर्माण कार्य | 10000/-- | 9924 . 00 | पूर्ण | नहीं |
| 3. | कन्या उ. प्रा. वि. पारसोला | 45000/ | .... | कार्य प्रगति पर है | नहीं |
| 4. | नाली निर्माण पारसोला | 32000/ | 32000/ | पूर्ण | नहीं |
| 5. | शौचालय निर्माण (एक सेट) | 1200/ | – | कार्य प्रगति पर है | नहीं |
| | **ग्रामीण गृह निर्माण कार्य :-** | | | | |
| 6. | श्री प्रभूलाल/धुलिया मेघवाल | 1608/ | 1593/ | पूर्ण | नहीं |
| 7. | श्री रामा/नगजी बलाई | 1608/- | 1593/ | पूर्ण | नहीं |
| 8. | नाथू/रामा बलाई | 1608/ | 1593/ | पूर्ण | नहीं |
| **2.** | **ग्राम पंचायत आड** | | | | |
| 1. | उ. प्रा. वि. मानपुर बरामदा मरम्मत कार्य | 4000/– | – | कार्य प्रगति पर है | नहीं |
| 2. | पंचायत वन मरम्मत कार्य | 2200/- | 1110/— | — —"— — | नहीं |
| 3. | सा. वानिकी कार्य मानपुर | 21000/– | 15831/— | पूर्ण | नहीं |
| 4. | उ. स्वा. केन्द्रभवन निर्माण | 25000/– | — | कार्य प्रगति पर | नहीं |
| 5. | खुर्रा निर्माण ग़ालरफला से रणफला कार्य | 25000/- | 8060/– | — "— — | नहीं |
| | **ग्रामीण आवास भवन :—** | | | | |
| 6. | श्री देवला/दंडगा मीणामानपुर | 1608/-- | 1590/-- | पूर्ण | नहीं |

226



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. "प्रेमचन्द/रूपा मीणा ग्राड | 1608/-- | 1590/-- | | पूर्ण | नहीं |
| 8. "नाथिया/चमना मीणा अतरोल | 1608/-- | 1590/-- | | पूर्ण | नहीं |

**(3) ग्राम पंचायत गोपालपुरा**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. प्रा. वि. करसेलिया मरम्मत कार्य | 2000/-- | -- | कार्य प्रगति पर है | नहीं |
| 2. प्रा. वि. सेमलिया मरम्मत कार्य | 2000/-- | -- | " | नहीं |
| 3. पंचायत भवन मरम्मत | 1500/-- | -- | " | नहीं |
| 4. सा. वानिकी कार्य गोपालपुरा | 18600/-- | -- | कार्य नहीं चला | नहीं |
| 5. प्रा. वि. ग्राक्या खेडी | 18000/-- | -- | कार्य प्रगति पर है | नहीं |
| 6. प्रा. वि. सेमलिया अपूर्ण कार्य | 15000/-- | -- | —"— | नहीं |
| 7. प्रा. वि. जगलावदा मरम्मत कार्य | 2000/-- | -- | —"— | नहीं |
| 8. प्रा. वि. गोपालपुरा मरम्मत कार्य | 1000/-- | -- | —"— | नहीं |
| **ग्रामीण आवास गृह निर्माण :—** | | | | |
| 9. श्री जीवना/पंजिया मीणाजगलावदा | 1608/-- | -- | —"— | नहीं |
| 10. "तोलिया/वेस्ता मीणा —"— | 1608/-- | -- | —"— | नहीं |
| 11. "थावरा/होमला मीणाग्राक्याखेडी | 1608/-- | -- | —"— | नहीं |

ह.

अति. कलेक्टर (विकास)
जि. ग्रा. वि. अ., उदयपुर

---

## परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूची :—

### ग्राम पंचायत वार स्वीकृत वानिकी कार्यों की सूची

| क्र. सं. | पंचायत समिति का नाम | पंचायात का नाम | स्थल | क्षेत्रफल (है. में.) | स्वीकृत राशि | व्यय की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | खारची (मारवड़ जंक्शन) | 1. आऊवा | आऊवा | 20 | 1.51 | 0.89 |
| | | 2. भीमालिया | भीमालिया | 16 | 1.21 | 0.83 |
| | | 3. चवाड़िया | चवाड़िया | 10 | 0.76 | 0.90 |
| | | 4. बिठुड़ाकलां | बिठुड़ाकलां | 20 | 0.53 | 0.38 |
| | | 5. चवाड़िया | जोगड़ावास | 8 | 0.213 | 0.16 |
| | | 6. वोपारी | वोपारी | 8 | 0.213 | 0.17 |
| | | 7. बोरीमादा | बीचलीनिमड़ी | 8 | 0.213 | 0.17 |
| | | 8. जोजावर | जोजावर | 8 | 0.213 | 0.17 |
| | | 9. चिरपटियां | चिरपटियां | 8 | 0.213 | 0.07 |
| | | 10. मांड़ा | माड़ा | 8 | 0.213 | शून्य |
| | | | | 114 | 5.29 | 3.34 |

ग्राम पंचायतवार स्वीकृत वानिकी कार्यों की सूची (लगातार)

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | देसूरी | 1. देसूरी | देसूरी | 12 | 0.91 | 0.66 |
| | | 2. केसूली | केसूली | 8 | 0.60 | 0.49 |
| | | 3. नाडोल | नाडोल | 8 | 0.60 | 0.43 |
| | | 4. नारलाई | नारलाई | 8 | 0.60 | 0.44 |
| | | 5. कोटड़ी | कोटड़ी | 10 | 0.76 | 0.16 |
| | | 6. धाणेराव | धाणेराव | 25.5 | 0.68 | 0.19 |
| | | 7. सिन्दरली | सिन्दरली | 8 | 0.21 | 0.09 |
| | | 8. नाडोल | नाडोल | 7.5 | 0.20 | 0.08 |
| | | 9. कोटडी | कोटडी | 7 | 0.20 | 0.08 |
| | | | | 94 | 4.76 | 2.62 |
| 3. | रानी | 1. चांचोडी | चांचोडी | 8 | 0.60 | 0.15 |
| | | 2. ठुठारिया | भादरलाऊं | 6 | 0.45 | 0.10 |
| | | 3. खौड | खौड | 6 | 0.45 | 0.19 |
| | | 4. बरकाना | बरकाना | 5 | 0.38 | 0.12 |

**ग्राम पंचायतवार स्वीकृत वानिकी कार्यों कीसूची (लगातार)**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. सालरिया | सालरिया | 8 | 0.60 | 0.13 |
| | | 6. सेपटावा | सेपटावा | 8 | 0.60 | 0.14 |
| | | 7. पादरली तुर्कान | इटन्दरा मेडितियान | 8 | 0.213 | 0.12 |
| | | 8. मांडल | मांडल | 8 | 0.213 | 0.04 |
| | | 9. सिवास | सिवास | 8 | 0.213 | 0.15 |
| | | 10. रावडिया | किशनपुरा | 8 | 0.213 | 0.01 |
| | | | | 73 | 3.93 | 1.15 |

229

230

## परिशिष्ट-9

### अतारांकित प्रश्न संख्या 540 की सूची

| कलक्टर जयपुर का पत्रांक<br>1 | आरोपों का विवरण<br>2 | विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण<br>3 |
|---|---|---|
| (1) 24-6-83 | नामान्तकरण गलत तस्दीक किया जाना । | कलेक्टर जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24-6-83 द्वारा श्री बंशीधर सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत नागंल जैसा बोहरा के विरुद्ध जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4-5-87 द्वारा श्री बंशीधर सैनी, सरपंच नागंल जैसा बोहरा को निलम्बित किया गया । एवं उसके विरूद्ध धारा 420,467 के अन्तर्गत दिनांक 17-4-84 को पुलिस थाना झोटवाड़ा में केस दर्ज कराया गया एवं पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया । प्रकरण न्यायालय में अभी तक विचाराधीन है । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5-4-89 द्वारा उक्त सरपंच के विरूद्ध विभागीय जांच उपखण्ड अधिकारी जयपुर से करवाई जा रही है; जिसका रिकार्ड न्यायालय में पेश हो जाने से जांच उपखण्ड अधिकारी जयपुर के यहां विलम्बित है । |
| (2) 4-9-85 | काम के बदले अनाज योजना में धनराशि का दुरुपयोग किया जाना । | कलेक्टर जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 4-9-85 द्वारा श्री बंशीधर सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत, नांगल जैसा बोहरा के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट भिजवाई गई । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5-2-88 द्वारा उक्त सरपंच को चेतावनी देते हुए उनके विरूद्ध चल रहा प्रकरण समाप्त कर दिया गया । |
| (3) 2-11-85 | अनियमित रूप से भूखण्ड आवंटित किया जाना । | कलक्टर जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2-11-85 द्वारा श्री बंशीधर सैनी, सरपंच, ग्राम पंचायत नांगल जैसा बोहरा के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट भिजवाई गई । इस प्रकरण की विभागीय जांच करने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1-9-86 द्वारा अति. जिला विकास अधिकारी जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, परन्तु अति. जिला विकास अधिकारी का पद समाप्त हो जाने से पुनः आदेश दिनांक 5-4-89 द्वारा उप खण्ड अधिकारी जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (4) 2-9-87 | राज्य सरकार द्वारा भूखण्ड आवंटन पर पाबंद लगाने के बावजूद 238 भूखण्ड अनियमित रूप से कम राशि में विक्रय किया जाना, भूखण्ड विक्रय की पत्रावलिया जांच में प्रस्तुत न किया जाना, सिवाय चक्र भूमि में भूखण्ड विक्रय किया जाना एवं भूखण्ड अभिलेखों पर संख्या अंकित न किया जाना। | कलक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2-9-87 द्वारा श्री वंशीधर सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत नांगल जैसा बोहरा के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9-5-88 द्वारा उक्त सरपंच के विरूद्ध विभागीय जांच करने हेतु उप खण्ड अधिकारी जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। |

# परिशिष्ट-10

## अतारांकित प्रश्न संख्या 544 की सूची

माण्डलगढ़ क्षेत्र उपरमाल में इमारती पत्थर की निकाले जाने वाली पट्टियों व फरसी पर सन् 1985 से मार्च 1990 तक बिक्री कर प्राप्ति की स्थिति (रू. लाखों में)

| क्र. सं. | नाम माह | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रेल | 4 63 | 4.96 | 6.50 | 6.34 | 7.47 |
| 2. | मई | 5.35 | 4.91 | 6.67 | 6.66 | 7.72 |
| 3. | जून | 5.98 | 5.78 | 6.68 | 6.09 | 9.14 |
| 4. | जुलाई | 4.02 | 4.00 | 5.88 | 4.02 | 6.10 |
| 5. | अगस्त | 1.77 | 2.00 | 3.61 | 3.28 | 3.76 |
| 6. | सितम्बर | 3.24 | 3.41 | 3.52 | 3.02 | 3.41 |
| 7. | अक्टूबर | 2.33 | 3.75 | 3.91 | 3.30 | 4.59 |
| 8. | नवम्बर | 2.77 | 4.14 | 5.04 | 3.78 | 5.04 |
| 9. | दिसम्बर | 4.10 | 4.05 | 5.87 | 5.88 | 7.26 |
| 10. | जनवरी | 4.79 | 4.61 | 6.15 | 7.47 | 7.04 |
| 11. | फरवरी | 4.51 | 4.89 | 8.33 | 8.52 | 8.37 |
| 12. | मार्च | 6.00 | 9.19 | 2.49 | 7.97 | 9.01 |
| | योग | 48.49 | 55.69 | 64.65 | 66.33 | 78.91 |

**बिलों में पट्टियों की क्रय कीमत पर कर राशि वसूल होने से चैक पोस्टों पर अन्तर कर वसूल किये जाने का विवरण।**

| क्र. सं. | माह का नाम | 1985-86 मामलों की संख्या | 1985-86 अन्तर कर राशि | 1986-87 मामलों की सं. | 1986-87 अन्तर कर राशि | 1987-88 मामलों की सं. | 1987-88 अन्तर कर राशि | 1988-89 मामलों की सं. | 1988-89 अन्तर कर राशि | 1989-90 मामलों की सं. | 1989-90 अन्तर कर राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अप्रेल | 290 | 5798.00 | 385 | 11832.00 | 580 | 18270.00 | — | — | 463 | 30,520.00 |
| 2. | मई | 338 | 6724.00 | 456 | 14912.00 | 409 | 15952.00 | — | — | 260 | 17,550.00 |
| 3. | जून | 664 | 13313.00 | 575 | 18961.00 | 405 | 16862.00 | — | — | 321 | 23,180.00 |
| 4. | जुलाई | 266 | 5766 00 | 308 | 10486.00 | 386 | 11474.00 | — | — | 153 | 09,895.00 |
| 5. | अगस्त | 67 | 1668.00 | 197 | 5518.00 | 221 | 6786.00 | — | — | 115 | 6,240.00 |
| 6. | सितम्बर | 116 | 3227,00 | 274 | 8625.00 | 263 | 14040.00 | — | — | 189 | 10,750.00 |
| 7. | अक्टूबर | 139 | 3451.00 | 1259 | 35199.00 | 311 | 11571.00 | — | — | 204 | 12,520.00 |
| 8. | नवम्बर | 169 | 4732.00 | 836 | 20628.00 | — | — | — | — | 182 | 11.750.00 |
| 9. | दिसम्बर | 265 | 8881.00 | 1335 | 32215.00 | — | — | — | - | 248 | 17,250.00 |
| 10. | जनवरी | 333 | 11225.00 | 888 | 21051.00 | — | — | 353 | 19060/- | 328 | 21,935·00 |
| 11. | फरवरी | 364 | 10322 00 | 711 | 17212.00 | — | — | 316 | 09045/- | 256 | 18,110.00 |
| 12. | मार्च | 750 | 26971.00 | 525 | 27450.00 | — | — | 553 | 38465/- | 473 | 33,475.00 |
| | योग :— | 3770 | 1,02,078.00 | 7749 | 2,24,089.00 | 2575 | 94,955/- | 1222 | 66,570/- | 3192 | 2,13,155.00 |

टिप्पणी : माह नवम्बर 1987 से दिसम्बर 1988 तक अन्तर कर की वसूली माइनिंग विभाग द्वारा की गई है। माइनिंग विभाग ने माह नवम्बर 87 से दिसम्बर 88 तक अन्तर कर की राशि रूपये 74,819 00 की वसूली की है।

# परिशिष्ट–11

## अतारांकित प्रश्न संख्या 551 की सूची

| क्र.सं. | सड़क का नाम | प्रशासनिक स्वीकृत राशि लाखों में | प्रशासनिक स्वीकृत लम्बाई किमी. | जून, 90 तक किये गये कार्य का विवरण | | | शेष कार्य | | मई, 90 तक का व्यय लाखों में | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | डामर की सड़क किमी. | डब्ल्यू. बी. एम. की सड़क किमी. | पुलियाओं की संख्या | डामर की सड़क किमी. | पुलियाओं की संख्या | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | बालेर से उटिगिर | 72.30 | 16 | 10.50 | — | 18 | 6.10 | — | 87.27 | |
| 2. | उटिगिर से करनपुर | 72.30 | 16 | — | 3.00 | — | 13.10 | 55 | 22.43 | |
| 3. | करनपुर से रोधई | 210.18 | 28 | — | 14.00 | — | 24.35 | 71 | 110.25 | |
| 4. | रोधई से मण्डरायल | 60.00 | 14 | 8.00 | 1.35 | 21 | 23.50 | 1 | 52.62 | |
| 5. | मण्डरायल से ओंड़ | 68.00 | 15 | 12.00 | — | 51 | — | — | 80.81 | कार्य पूर्ण |
| 6. | ओंड से भौंमपुरा | 67.00 | 7 | 2.00 | — | 33 | 6.50 | 20 | 50.70 | |
| 7. | कैलादेवी से करनपुर | 123.40 | 24 | 14.50 | 3.00 | 57 | 8.50 | 9 | 93.76 | |
| 8. | कैलादेवी चौबे की बहादरपुर लगरा | 119.62 | 30 | – | — | 14 | 29.25 | 34 | 42.79 | |
| 9. | ओड से चदेलीपुरा | 62.35 | 10 | 4.00 | — | 12 | 4.40 | 24 | 46.17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | चदेलीपुरा तीन पोखर लांगरा | 75.10 | 24 | — | — | — | 24.00 | — | — | स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है |
| 11. | चदेलीपुरा-सरमथुरा | 62.93 | 14 | 3.10 | — | 7 | — | — | 15.74 | |
| | कुल योग : | 993.18 | 198 | 54.10 | 21.35 | 213 | 118.55 | 174 | 602.54 | |

(23)



## परिशिष्ट-12

**अतारांकित प्रश्न संख्या 553 की सूची :—**

दिनांक 31-3-90 को जिला नागौर में स्थित विभिन्न न्यायिक न्यायालयों की सूची तथा उनमें लम्बित मुकदमों की संख्या बाबत विवरण :—

| | |
|---|---|
| 1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता | 1623 |
| 2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर | 965 |
| 3. सिविल जज कम चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, नागौर | 1874 |
| 4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता | 895 |
| 5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर | 1187 |
| 6. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता | 1072 |
| 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता | 758 |
| 8. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर | 2312 |
| 9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर | 1630 |
| 10. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर | 516 |
| 11. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां | 1721 |
| 12. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना | 1104 |
| 13. अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना | 622 |
| 14. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना | 1991 |
| 15. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना | 1575 |
| 16. मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनू | 778 |
| कुल | 20623 |

## परिशिष्ट–13

### अतारांकित प्रश्न संख्या 555 की सूची:-

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सड़कों से नहीं जुडने वाले 9 गांवों की सूची :—

| | |
|---|---|
| 1. गुल्लाना | (1544) |
| 2. गुढ़लिया | (1612) |
| 3. धनावर | (1616) |
| 4. अरनियां | (1841) |
| 5. उनवारा गांव | (1694) |
| 6. वैजूपाडा | (1761) |
| 7. हिंगोटा | (2123) |
| 8. मांवता–मांवती | (1578) |
| 9. स्यालावास कलां | (3222) |

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सड़कों से जोड़े गये 10 गांवों की सूची

| | |
|---|---|
| 1. वसवा (9620) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 2. बडियाल कलां (4171) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 3. कोलाना (1802) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 4. लोटवाडा (1912) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 5. गुढ़ा कटला (1740) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 6. बांदीकुई (2543) | बी टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 7. अनन्तवाड़ा (3252) | डब्ल्यू. बी. एम. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 8. बिवाई (2094) | डब्ल्यू. बी. एम. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 9. साल्यावास खुर्द (2143) | बी. टी. रोड से जुड़ा हुआ है। |
| 10. करवावर (1704) | डब्ल्यू. बी. एम. रोड से जुड़ा हुआ है। |

(कोष्ठक में 1971 की जनगणना के अनुसार गांव की आबादी दर्शायी गई है)

## परिशिष्ट-14

**अतारांकित प्रश्न संख्या 556 की सूची**

| क्रमांक | खाता संख्या | नाम कर्मचारी |
|---|---|---|
| 1. | 49891 | सर्वश्री अब्दुल अजीज खाँ |
| 2. | 54695 | रूपचन्द |
| 3. | 115339 | दशरथ सिंह |
| 4. | 124635 | केदार नाथ माहेश्वरी |
| 5. | 126261 | लक्ष्मी नारायण शर्मा |
| 6. | 126641 | निरंजन प्रसाद टांक |
| 7. | 129253 | श्रीमती शान्ति देवी |
| 8. | 130192 | तपोधन पारीक |
| 9. | 135591 | हीरा लाल |
| 10. | 138001 | श्रीमती क्लेरन मैन्सस |
| 11. | 140215 | नीलकण्ठ |
| 12. | 141446 | मोहम्मद शरीफ |
| 13. | 142166 | ललित कुमार शर्मा |
| 14. | 145158 | श्रीमती बसन्ती देवी |
| 15. | 155569 | धनपत राम जैन |
| 16. | 182940 | आशुतोष सक्सैना |
| 17. | 188595 | राधा मोहन पारीक |
| 18. | 190724 | शंकर लाल |
| 19. | 398595 | भंवर सिंह |
| 20. | 402413 | किशन सिंह |
| 21. | 316235 | बशीर खाँ |
| 22. | 519297 | जे. के. कोहली |
| 23. | 520528 | महादेव |
| 24. | 113997 | चौथमल |
| 25. | 115138 | लक्ष्मण सिंह |
| 26. | 115800 | दया सिंह |
| 27. | 115832 | घनश्याम |
| 28. | 116962 | एम. जी. विद्यार्थी |
| 29. | 119336 | प्रहलाद सिंह |
| 30. | 120340 | जगदीश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | 124262 | सर्व श्री भगवान सहाय |
| 32. | 124995 | दीप सिंह |
| 33. | 127308 | मनसुख लाल |
| 34. | 127772 | श्री कृष्ण शर्मा |
| 35. | 128584 | मदनसिंह |
| 36. | 129568 | रतन लाल |
| 37. | 131388 | गोवर्धन लाल |
| 38. | 131668 | लादूराम शर्मा |
| 39. | 132022 | राधेश्याम शर्मा |
| 40. | 133792 | मोहन लाल चौहान |
| 41. | 136004 | स्व. श्रीमती मोहनी देवी |
| 42. | 138869 | जगदीश अजमानी |
| 43. | 143633 | गोकुल चन्द |
| 44. | 143748 | रामस्वरूप अग्रवाल |
| 45. | 146949 | चुन्नी लाल शर्मा |
| 46. | 147051 | वासुदेव शास्त्री |
| 47. | 169523 | हरिशंकर |
| 48. | 15777 | कुन्दनलाल नैनावत |
| 49. | 45830 | एल. एन. खत्री |
| 50. | 63605 | जुगल किशोर |
| 51. | 67454 | श्रीमती लक्ष्मी दास |
| 52. | 86850 | हरनारायण |
| 53. | 104667 | मन्ना लाल |
| 54. | 105291 | स्व. बृज मोहन लाल |
| 55. | 108435 | वसन्ती लाल |
| 56. | 113508 | घनश्याम पुरोहित |
| 57. | 6709 | महेन्द्र सिंह कच्छावा |
| 58. | 86463 | कन्हैया लाल |
| 59. | 107212 | श्याम सुन्दर भार्गव |
| 60. | 114312 | छोटूराम |
| 61. | 114687 | दशरथ सिंह |
| 62. | 119585 | प्रभू राम |
| 63. | 120666 | रामश्वर प्रसाद |
| 64, | 123427 | श्रीमती कमला शास्त्री |

(240)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 65. | 125397 | सर्वश्री स्व. बशीर खाँ |
| 66. | 126679 | हनुमान प्रसाद शर्मा |
| 67. | 132647 | जगदीश प्रसाद शर्मा |
| 68. | 139986 | स्व. राजेन्द्र कुमार शर्मा |
| 69. | 148585 | जगदीश प्रसाद माथुर |
| 70. | 149253 | स्व. रामेश्वर लाल गौतम |
| 71. | 182323 | भोपाल सिंह |
| 72. | 160098 | स्व. ओ. पी. सांघी |
| 73. | 260668 | मदन लाल |
| 74. | 500030 | कैलाश नारायण शर्मा |
| 75. | 510291 | एस. एस. व्यास |
| 76. | 149664 | राम सिंह |
| 77. | 149910 | रामधन शर्मा |
| 78. | 156530 | सिद्धकरण जैन |
| 79. | 185130 | भवर लाल पारीक |
| 80. | 507698 | लल्लू राम गुप्ता |
| 81. | 348504 | बद्री प्रसाद शर्मा |
| 82. | 418127 | मदन लाल शर्मा |

## परिशिष्ट–15

**अतारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची :—**

परबतसर उपखण्ड के अन्तर्गत अपूर्ण पुलियाओं एवं रपटों की सूची

| क्र.सं. | सड़क का नाम जिस पर पुलिया या रपट स्थित है। | पाईप पुलिया की संख्या जो अधूरे हैं। | रपटों की संख्या जो अधूरी है। | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | परबतसर-बिदियाद | 2 | – | दीवार ऊंची उठानी, कोपींग, टीपे करनी, कैरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| 2. | खोखर–रूणीजा सड़क | – | 2 | कोपिंग व टीपे करनी, केरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| 3. | पीपलाद–बस्सी सड़क | 1 | 3 | दीवर ऊंची उठानी पाईप लगाने कोपिंग, टीपे करनी केरेज वे में कंकरीट करना है। रपटों पर कोपिंग, टीपे, केरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| 4. | मायापुर–बेंवाल–नरवर | 2 | 2 | –वही– |
| 5. | लेगा की ढ़ाणी–रीड–खुरिडायस सड़क | – | 3 | कोपिंग, टीपे, केरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| 6. | भंकरी–जावला | 2 | -- | दीवार ऊंची उठानी, पाईप लगाना, कोपिंग, टीपे करना, केरेज वे में कंकरीट करना है। |
| 7. | केंवलाद–राबड़ियाद सड़क | 1 | 3 | दीवार ऊंची उठानी, पड़े हुए पाईपों को लगाना, कोपिंग टीपे करना, केरेज वे में कंकरीट करना है। रपटों में कोपिंग टीपे, केरेज वे में कंकरीट करना है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | बागोट–बड़ु सड़क | – | 2 | रपटों में कोपिंग, टीपे, केरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| 9. | भाढवा–हुलढाणी | – | 1 | रपट में कोपिंग, टीपे, केरेज वे में कंकरीट करनी है। |
| | योग : | 8 | 16 | |

# शुद्धि–पत्र

**शुक्रवार, 13 जुलाई, 1990**

| क्र. सं. | स्कम्भ सं. | पंक्ति सं. | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | 1 | श्री हीरासिंह चौहान | श्री बुलाकी दास कल्ला |
| 2. | 235 | फोलियो | मांग सं. 13 पर क. प्र. | मांग सं. 14 पर क. प्र. |
| 3. | 265 | फुट नोट | ××× | +++ |
| 4. | 398 | फोलियो | पर विचार | का पारण |